अष्टम माला, खंड 46, अंक 7

बुधवार, 1 मार्च, 1989

10 फाल्गुन, 1910 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तेरहवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. D.....60.....
Date.....5/3/90.....

(खंड 46 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

बुधवार, 1 मार्च, 1989/10 फाल्गुन, 1910 (शक)

का

शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
36	22	"नरसिंहराव" के स्थान पर "नरसिंहराज" पढ़िये ।
81	नीचे से 12	"खोपर्डे" के स्थान पर "आपर्डे" पढ़िये ।
85	5	"कपा" के स्थान पर "कृपा" पढ़िये ।
129	3	उत्तर के आरंभ में (क) पढ़िये ।
131	नीचे से 13	सदस्य का नाम "श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर" पढ़िये ।

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 46 तेरहवां सत्र, 1989/1910 (शक)

अंक 7, बुधवार, 1 मार्च, 1989/10 फाल्गुन, 1910 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर:	
* तारांकित प्रश्न संख्याः 101, 102, 105, 106, और 109	1—17
प्रश्नों के लिखित उत्तर:	
तारांकित प्रश्न संख्याः 103, 104, 107, 108 और 110 से 120	17—27
अतारांकित प्रश्न संख्याः 1001 से 1155	27—140
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	140—146, 150
नव भारत टाइम्स के प्रधान सम्पादक, कार्यकारी संपादक, मुद्रक, प्रकाशक तथा नगर संवाददाता के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में विनिर्णय	147—149
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
59वां प्रतिवेदन	151
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	
50वां प्रतिवेदन	151

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी ने पूछा था।

साहिबजादा अजित सिंह नगर, पंजाब स्थित सैमीकंडक्टर कॉम्प्लैक्स लिमिटेड में लगी आग के बारे में वक्तव्य 151—152

श्री के०आर० नारायणन 151

नियम 377 के अधीन मामले 152—155

(एक) किसानों को इन्दिरा गांधी नहर से अपने खेतों में पानी ले जाने के लिए जल-मार्गों का निर्माण किए जाने हेतु दिए गए ऋणों की वसूली रोके जाने के लिए राजस्थान सरकार को निदेश दिए जाने की आवश्यकता

श्री बीरबल 152

(दो) गढ़चिरोली आदिवासी जिले के विकास के लिए महाराष्ट्र को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री शांताराम पोतदुखे 153

(तीन) "प्रिपेड ट्रेवल एडवाइस" पर जोर दिए बिना प्रव्रजन की मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन 153

(चार) मलयालम में कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए पालघाट दूरदर्शन संप्रेषण केन्द्र को सूक्ष्म तंरग से जोड़े जाने की आवश्यकता

श्री वी०एस० विजयराघवन 153

(पांच) चट्टोपाध्याय आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का शीघ्र कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता

प्रो० नारायण चन्द्र पराशर 154

(छः) दमदम हवाई अड्डे का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखे जाने की आवश्यकता

कुमारी ममता बनर्जी 154

(सात) गोंदिया-नैनपुर-जबलपुर रेल-मार्ग को शीघ्र बड़ी लाइन में बदले जाने की आवश्यकता

श्री अजय मुशरन 155

(आठ) स्थानीय लोगों, विशेषकर आदिवासियों के लाभ के लिए कोरबा में एक अस्पताल और मेडिकल कॉलेज खोले जाने की आवश्यकता

डा० प्रभात कुमार मिश्र 155

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव 156—203, 203—112, 212—232

श्री बृजमोहन महन्ती 156

श्री के० एन० प्रधान 159

श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी 163

श्रीमती मारग्रेट आल्वा 165

श्री आर० धनुषकोडी अतीतन 172

श्री वीर सेन 175

श्री मनोज पांडे 178

श्री अजय मुशरन 181

श्रीमती ऊषा ठक्कर 183

श्री हरीश रावत 184

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी 187

श्री सी० पी० ठाकुर 189

सरदार बूटा सिंह 192

श्री भरत सिंह 212

लोक सभा

बुधवार, 1 मार्च, 1989/10 फाल्गुन, 1910 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

खाद्य तेलों का आयात

*101. श्री चिंतामणि जेना:

श्री ई० अय्यपू रेड्डी:

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1988 के दौरान खाद्य तेलों का कितनी मात्रा में आयात किया गया था;

(ख) यह तेल किस मूल्य पर खरीदा गया तथा जनता को किस मूल्य पर बेचा गया; और

(ग) इन खाद्य तेलों को किन एजेंसियों ने आयात किया और इस आयात पर उनके सेवा-प्रभार तथा लाभ का ब्यौरा क्या है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम): (क) से (ग): एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (ग): 1988 के दौरान (1.1.1988 से 31.12.1988 तक) सरकार की ओर से लगभग 15.12 लाख मी० टन खाद्य तेलों का आयात किया गया।

सरकार की ओर से आयात किए जाने वाले तेल का हिसाब वित्तीय वर्ष के आधार पर रखा जाता है। वित्तीय वर्ष 1988-89 (जनवरी, 1989 तक) के दौरान खाद्य तेलों की आयात की गई कुल मात्रा लगभग 11 लाख मी० टन है और इस अवधि के दौरान आयात किए गए खाद्य तेलों का प्रति यूनिट औसत लागत, बीमा व भाड़ा मूल्य लगभग 6564/- रु० प्रति मी० टन था। राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दिए जाने वाले तथा वनस्पति उद्योग को वनस्पति तैयार करने के लिए सप्लाई किए जाने वाले आयातित खाद्य तेलों के निर्गम मूल्य इस प्रकार हैं:—

(मूल्य रु० प्रति मी० टन)

सार्वजनिक वितरण प्रणाली		
अवधि	थोक में	15 कि०ग्रा० के टीन में
31.8.1988 तक	11,000	12,500
1.9.1988 से	13,150	14,500
वनस्पति	सामान्य दर	वाणिज्यक दर
30.11.1988 तक	15,000	19,000
1.12.1988 से	*	19,000

*वनस्पति उद्योग को 15,000 रु० प्रति मी० टन पर आयातित खाद्य तेलों का आवंटन 1.12.1988 से बंद कर दिया गया है।

भारतीय राज्य व्यापार निगम लि० जो भारत सरकार के लिए तथा उसकी ओर से खाद्य तेलों का आयात करता है, और उसके लिए वह उतरने तक की लागत, जिसमें लागत, बीमा व भाड़ा मूल्य, सीमा-शुल्क प्रभार, हेंडलिंग व क्लीयरिंग प्रभार आदि शामिल हैं, पर 1% सेवा प्रभार लेता है। वित्तीय वर्ष 1988-89 के दौरान लगभग 11 लाख मी० टन की अनुमानित बिक्री पर सरकार के खाते में होने वाला अनुमानित अधिशेष 185 करोड़ रुपये (इसमें 110 करोड़ रुपए का अतिरिक्त सीमा-शुल्क, जिसका भुगतान पहले किया जा चुका है, शामिल नहीं है) के लगभग होगा।

इसके अलावा राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने भी अपनी तिलहन परियोजना के तहत स्थापित अभिकरणों के जरिए बिक्री के लिए 28.46 करोड़ रूपए मूल्य का 51041 मी० टन तेल का आयात किया। 16,800 रु० प्रति मी० टन के औसत-बिक्री मूल्य के हिसाब से कुल बिक्री 85.75 करोड़ रुपए की हुई।

श्री चिंतामणि जेना: जैसा कि हम सब जानते हैं कि देश में उत्पादित खाद्य तेलों की कीमतों में हो रही वृद्धि को रोकने के लिए सरकार खाद्य तेलों के आयात पर भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च कर रही है। इस संबंध में यदि आप माननीय मंत्री महोदय का विवरण ध्यान से पढ़ें तो आप पाऐंगे कि सरकार आयातित तेल से बहुत अधिक मात्रा में लाभ कमा रही है। खाद्य तेलों का आयात, कीमत वृद्धि रोकने और इसे आम आदमी को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए भी किया जा रहा है। किन्तु दुर्भाग्य से सरकार ने 3 सितम्बर, 1988 से कीमतों में वृद्धि कर दी है परिणामस्वरूप आम आदमी खाद्य तेल सस्ती दरों पर प्राप्त नहीं कर सकता। इस संबंध में क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार इस मामले पर पुनः विचार करेगी ताकि आयातित खाद्य तेल सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया जा सके? यदि हाँ, तो इस मामले पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्री सुख राम: यह कहना गलत है कि सरकार मात्र लाभ कमाने के लिए खाद्य तेलों का आयात करती है। आयात स्वदेशी तेलों की मांग और पूर्ति के बीच उत्पन्न हुए अन्तर को पूरा करने के लिए किया जाता है। हम इस तेल को गरीब जनता को रियायती दरों पर उपलब्ध करा रहे हैं। इस वर्ष रिकार्ड उत्पादन होने के कारण हम आयात कम करने के लिए कुछ निश्चित कदम उठा रहे हैं। पहले आयात बड़े पैमाने पर किया जाता था। किन्तु इस वर्ष हमने अच्छी फसल होने के कारण इसमें कमी कर दी है। विवरण में भी हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम इस आयातित तेल की पूर्ति पी.डी.एस. के अधीन रियायती दरों पर कर रहे हैं और इससे जो भी अतिरिक्त राशि उत्पन्न होगी उसे भारतीय समेकित कोष में डाला जाएगा।

श्री चिन्तामणि जेना: मेरा द्वितीय पूरक प्रश्न यह है कि प्रश्न के भाग 'ग' से मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या राज्य व्यापार निगम किन्हीं पंजीकृत एजेंसियों के माध्यम से खाद्य तेलों का आयात कर रही है? यदि हां, तो उन एजेंसियों के नाम क्या हैं जिन्हें चालू तेल वर्ष में पंजीकृत किया गया है?

इसके अतिरिक्त क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि कुछ बेईमान व्यापारी आयातित तेल देश में उत्पादित खाद्य तेल में मिलाकर आयातित तेल से फायदा उठा रहे हैं और इसे ऊंची कीमतों पर बेचकर बहुत अधिक लाभ कमा रहे हैं?

इस संबंध में क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार आयातित तेल में कोई रंग मिलाने या इसमें किसी प्रकार की सुगंध देने पर विचार कर रही है ताकि इसे देश में उत्पादित खाद्य तेल के साथ न मिलाया जा सके?

श्री सुख राम: जहां तक सरकार की सरणीकरण संबंधी एजेंसी का संबंध है तो विदेशों से खाद्य तेल की खरीद के लिए इसकी एक निश्चित कार्यविधि है। एक समिति गठित की गई है जो निविदा

आमंत्रित करती है और निम्नतम निविदा ही स्वीकार की जाती है। इस देश में लोगों को पंजीकृत किए जाने का कोई प्रश्न नहीं है। विदेशों में पंजीकृत एजेंसियाँ हैं और उन्हीं से निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। मिलावट का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि खाद्य तेलों का आयात राज्य व्यापार निगम द्वारा किया जाता है। राज्यों को जारी करने से पूर्व इसकी जांच की जाती है। इसलिए इस देश में किसी एजेंसी द्वारा किसी प्रकार की मिलावट ... दुरुपयोग का कोई प्रश्न नहीं है।

[हिन्दी]

श्री दिलीप सिंह भूरिया: अध्यक्ष महोदय, इस खाने के तेल के बारे में सरकार फौरन एक्सचेंज काफी खर्च कर रही है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का ऐसा कोई कार्यक्रम है कि अपने ही देश में किसानों को प्रोत्साहित किया जाए जिससे कि देश खाने के तेल के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाए? क्या ऐसा कोई कार्यक्रम मंत्री जी ने बनाया है? अगर बनाया है तो क्या कार्यक्रम है?

श्री सुख राम: अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि डिमांड और जो हम यहां तेल पैदा करते हैं, इंडीजिनस आयल, उसके बीच जो अंतर है, उसको दूर करने के लिए और डिमांड को पूरा करने के लिए हम खाद्य तेल बाहर से मंगाते हैं, इसमें हमारी यही नीति रही है कि हम इसमें गुड सप्लायर बनें और सेल्फसफीशियेंट हों। इसके लिए बहुत से मुनासिब कदम उठाये गये हैं जिसकी वजह से इस वर्ष काफी उत्पादन होने का आशा है। करीबन 150 मिलियन टन तेल कें बीज, करीबन 45 से 50 लाख टन तेल के उत्पादन की आशा है। इसी वास्ते इम्पोर्ट जो कि 12 या 15 लाख टन होता था उसको हमने बहुत कम कर दिया है। अभी करीबन 7 लाख टन का ही इम्पोर्ट हमने निश्चित किया है। हमने आयल उत्पादन के लिए कुछ ऐसे मुनासिब कदम उठाये हैं जिससे कि यहां पर उत्पादन बढ़े और हम आत्म-निर्भर हो जाएं।

डा॰ चन्द्र शेखर त्रिपाठी: माननीय अध्यक्ष जी, जो खाद्य तेल का आयात किया जाता है, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि उसमें एडल्ट्रेशन के चांसिज नहीं रहते क्योंकि उसमें पूरी छानबीन और गवर्नमेंट की पूरी विजिलेंस रहती है। मेरे ख्याल से जब से 1988 से आपने वनस्पति उद्योग को आयातित तेल देना बंद कर दिया है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा लोगों तक तेल पहुंचाने का आपका मुख्य उद्देश्य है। इस तरह की शिकायतें बराबर मिल रही हैं कि जो तेल आप स्टेट्स को पब्लिक डिस्ट्रीबयूशन सिस्टम के जरिए उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए देते हैं, उसका काफी हिस्सा ब्लैक मार्केट में होर्डर्स के पास चला जाता है और उन दुकानों तक नहीं पहुंच पाता। इन शिकायतों की जांच आप उन्हीं एजेंसियों से करवाते हैं जो इस तेल को बेचती हैं या इसके लिए आप कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी नियुक्त करेंगे जो इस हेराफेरी को देखें, क्योंकि जिन गरीबों के नाम पर फारेन एक्सचेंज खर्च किया जाता है, उन गरीबों तक यह तेल पहुंच नहीं पाता। बड़े ट्रेडर्स इसमें मुनाफा कमा रहे हैं, इस पर आप कैसे नियंत्रण करेंगे।

श्री सुख राम: हम तेल आयात कर के राज्य सरकारों को देते हैं और फेयर प्राइस शाप्स के जरिए वह उपभोक्ताओं तक पहुंचता है। अभी हालत वैसी नहीं है क्योंकि इंडिजिनस आयल की कीमत बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए इसका दुरुपयोग होने की संभावना नहीं है, मगर फिर भी यह हो सकता है कि कहीं-कहीं दुरुपयोग होता हो। इन चीजों को स्टेट गवर्नमेंट देखती है, अगर कहीं दुरुपयोग हो रहा है तो हम भी लिखेंगे और इसकी पूरी छानबीन करेंगे, बशर्ते कि कोई कंप्लेंट हमारे पास आए।

श्री मोहम्मद अयूब खां: जब मंत्री महोदय मानते हैं कि इस किस्म की शिकायतें हैं और वे इसके बारे में राज्य सरकार को लिखना चाहते हैं तो फिर इसकी क्या जरूरत है कि उनको लिखकर दिया जाए। जब इस हाउस में यह बात उठाई गई है कि इस किस्म की शिकायतें तेल के बारे में हैं, नफाखोर इसका फायदा उठा रहे हैं, यह एक हकीकत है, तो इसकी जांच करनी चाहिए।

श्री सुख राम: माननीय सदस्य ने ठीक तरह से मेरी बात सुनी नहीं है, मैंने कहा है कि इसकी

संभावना है, मगर कोई शिकायत आनी चाहिए, उसको अवश्य देखेंगे। मैंने यह नहीं कहा है कि शिकायतें हैं और उसको हम नहीं देख रहे हैं। अगर कोई शिकायत माननीय सदस्य की नजर में है, वे बता दें तो उसको अवश्य देखेंगे, हम डायरेक्टर आफ वनस्पति को भेजेंगे, बशर्ते शिकायत कोई हमारे पास आए।

[अनुवाद]

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के शोध छात्रों द्वारा हड़ताल

*102. **श्री पी०एम० सईद:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के शोध छात्रों ने जनवरी, 1989 में हड़ताल और बारी-बारी से भूख हड़ताल की थी; यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं;

(ख) क्या संस्थान के किसी अन्य संगठन ने शोध छात्रों के समर्थन में अपना विरोध प्रकट किया था;

(ग) यदि हां, तो इन संगठनों के नाम क्या हैं; और

(घ) उक्त स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे): (क) जी, हां। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के गैर-चिकित्सीय वैज्ञानिकों ने पी०एच०डी० छात्रों की परिलब्धियों में वृद्धि करने और गैर-चिकित्सीय सीनियर डिमांस्ट्रेटरों के वेतनमानों में संशोधन करने संबंधी अपनी मांगों के समर्थन में 25 जनवरी, 1989 से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। वे 21 फरवरी, 1989 से भूख हड़ताल पर हैं।

(ख) और (ग): जी, हां। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान छात्र संगठन और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में रेजीडेंट डाक्टरों की एसोसिएशन ने पी०एच०डी० छात्रों और गैर-चिकित्सीय सीनियर डिमांस्ट्रेटरों को अपना समर्थन व्यक्त किया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान छात्र संघ ने 7.2.1989 को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की थी।

(घ) परिलब्धियों/वेतनमानों में संशोधन संबंधी उनकी मांग पर सरकार विचार कर रही है।

श्री पी०एम० सईद: महोदय, एसोसिएशन के प्रवक्ता के अनुसार, वे स्वास्थ्य मंत्री से मिले हैं और उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने आपको ज्ञापन भी दिया और मैं समझता हूं कि उनकी भूख हड़ताल अब 50 दिन पुरानी हो चुकी है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अन्दर बहुत बड़ा पुलिस बल मौजूद है। यह सूचना मिली है कि परिलब्धियों के अतिरिक्त, वे प्रयोगशाला सुविधाओं का केन्द्रीयकरण किए जाने और शोध कार्य अनुदान में वृद्धि किए जाने की भी मांग कर रहे हैं। विशेष बात यह है कि यह देश का एक मात्र प्रतिष्ठित संस्थान है। मैं दोनों मंत्रियों को लम्बे अर्से से जानता हूं। वे इस मामले को निपटाने में समर्थ हैं। यह मामला लगभग दो महीने से लटका पड़ा है। उनका उत्तर किसी भी व्यक्ति की समझ से बाहर है। उन्होंने "अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के गैर-चिकित्सा संबंधी वैज्ञानिकों" का उल्लेख किया। क्या वे कृषि वैज्ञानिक या इलैक्ट्रानिक वैज्ञानिक हैं या अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं जो कि चिकित्सा पेशे से नहीं जुड़े हैं? सक्षम मंत्रियों के इस प्रकार के गैर-सहायक दृष्टिकोण से निश्चित रूप से स्थिति और अधिक बिगड़ेगी। स्वास्थ्य मंत्री संस्थान को चलाने वाली शासी-निकाय (सभा) के अध्यक्ष हैं। उन्होंने परिलब्धियां बढ़ाने का निर्णय लिया है। कार्यकारी निदेशक, जो कि एक विशेषज्ञ हैं, कैंसर रोग पर एक सम्मेलन और गोष्ठी में बाहर गई हैं। विशेषज्ञ आबू-धाबी और कुछ अन्य स्थानों पर भी एकत्र हो रहे हैं। कार्यकारी निदेशक ने सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय को लागू करने पर ध्यान नहीं दिया है। क्या यह सच है कि शासी-निकाय ने निर्णय लिया था किन्तु (कार्यकारी निदेशक) ने उस निर्णय को लागू नहीं किया? आपने कहा है कि आप अन्य दो महत्वपूर्ण मांगों के अतिरिक्त परिलब्धियों के परिशोधन पर विचार

कर रहे हैं। आप इन पर कितनी सक्रियता से विचार कर रहे हैं? आप अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान में बनी इस स्थिति को कब दूर कर रहे हैं?

कुमारी सरोज खापर्डे: मैं सदन को केवल यह विश्वास दिला सकती हूँ कि जो कुछ भी मांग उन के द्वारा की गई है, सरकार के विचाराधीन है।

श्री पी० एम० सईद: महोदय, मुझे खेद है कि आपको मेरा पक्ष लेना पड़ेगा। मैंने एक स्पष्ट प्रश्न पूछा था। क्या सर्वसम्मति से कोई निर्णय लिया गया था? यदि हाँ तो यह कब लिया गया था और कार्यकारी निदेशक द्वारा इसकी किस प्रकार अवज्ञा की गई? केवल 20 शोधकर्ता हैं। आज भी जूनियर डॉक्टर और अन्य डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। आप इस स्थिति को कैसे रोकेंगे? सदन से सूचना छिपाने का प्रयास न करें। क्या शासी-निकाय द्वारा कोई निर्णय लिया गया था? यह निर्णय कब लिया गया था? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में इस स्थिति को नियंत्रित करने में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है?

वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): उनकी पाँच माँगें हैं। हमने पी०एच.डी० छात्रों को गैर-मैडिकल शोधकर्ता कहा। उन्हें गैर-मैडिकल की संज्ञा इसलिए दी क्योंकि चिकित्सा शिक्षा के दो क्षेत्र हैं — क्लीनिकल और गैर-क्लीनिकल; गैर-मैडिकल और गैर-क्लीनिकल होना एक ही बात है। इसलिए, यह एक प्रकार का वर्णन है। उदाहरण के लिए ये पी०एच.डी० छात्र गैर-क्लीनिकल क्षेत्र में काम करते हैं जिसका अर्थ यह नहीं है कि वे इसे नहीं कर सकते; मैंने यह नहीं कहा। क्योंकि यह प्रश्न उठाया गया कि हम उन्हें गैर-मैडिकल क्यों कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि हम यह अन्तर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे मेडिकल शिक्षा के गैर-क्लीनिकल क्षेत्र में कार्य करते हैं। उनकी पाँच माँगें हैं जिनका मैं यहाँ उल्लेख करूँगा।

(क) पी०एच.डी० छात्रों की परिलब्धियों में वृद्धि करना;

(ख) वरिष्ठ डेमोंस्ट्रेटर के वेतनमानों को परिशोधित करना;

(ग) सबके लिए आवास उपलब्ध कराना;

(घ) सम्बद्ध सेवाओं का केन्द्रीयकरण; और

(ङ) शोध राशि में वृद्धि करना।

इसमें कठिनाई इसलिए उत्पन्न हो गई क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में अपने पी०एच.डी० छात्रों के लिए निश्चित वेतनमान हैं। इसलिए हम यह सोच रहे हैं कि अन्य बातों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? हमें उनके साथ पूर्ण सहानुभूति है, हम उनकी मांगों से पूर्णतः अवगत हैं। उनकी संख्या 20 है। किन्तु यह इसमें निहित सिद्धान्त का प्रश्न है। यह 20 या 40 की संख्या का प्रश्न नहीं है। सिद्धान्ततः एक बार इसे दिए जाने का निर्णय लिया जाने के बाद इसका भुगतान इसके अधीन आने वाले सभी व्यक्तियों को किया जा सकता है। इसलिए हम वित्त मंत्रालय से सम्पर्क कर रहे हैं। मैंने स्वयं दो बार वित्त मंत्री के साथ बैठक करने के लिए कहा है। वे बजट में बहुत व्यस्त हैं।मैं शीघ्र ही उनसे चर्चा करूँगा और हम यह देखेंगे कि ये माँगे या कम से कम कुछ माँगें तत्काल पूरी की जाएं।

श्री पी० एम० सईद: प्रथम पूरक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मैंने यह पूछा था कि क्या शासी निकाय ने उनकी परिलब्धियों में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। उन्होंने उस भाग का उत्तर नहीं दिया है। क्या आप कृपया उन्हें उस भाग का उत्तर देने का निर्देश देंगे?

श्री राम निवास मिर्धा: मुझे उसके लिए एक अलग नोटिस चाहिए।

श्री पी० एम० सईद: महोदय, उन्हें इस बात की जानकारी है और वे उत्तर देना नहीं चाहते।

(व्यवधान)

श्री राम निवास मिर्धा: मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। यदि मुझे इस बारे में जानकारी है तो मैं उसकी सूचना दूंगा। माननीय सदस्य ने यह बहुत अनुचित टिप्पणी की है।

श्री पी० एम० सईद: यह अनुचित नहीं है। महोदय, आपको मेरा बचाव करना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि यदि आप उत्तेजित हो जाते हैं और उन्हें किसी ऐसी बात के लिए दोष देते हैं जिसका उसमें उल्लेख नहीं किया गया है तो यह अनुचित है। इस बारे में जानकारी मिलने पर उन्हें इसकी जानकारी देनी होगी। इस सूचना को वह अपने पास क्यों रखेंगे?

श्री पी० एम० सईद: मैं यही तो कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: एक भद्रपुरुष होने के नाते यदि आपको किसी बात की जानकारी नहीं है तो आपको इसे मानना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री पी० एम० सईद: मैं मानता हूं। यदि आप यह कहते हैं कि "आपको किसी बात की जानकारी नहीं है" तो मैं इसे मान लूंगा।

अध्यक्ष महोदय: यदि उन्हें इस बारे में जानकारी है तो वे उसे प्रस्तुत करेंगे।

श्री पी० एम० सईद: मैं यह कह रहा हूं कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की शासी निकाय ने एकमत होकर एक फैसला लिया है।

अध्यक्ष महोदय: हो सकता है, उन्हें इसकी जानकारी न हो।

श्री पी० एम० सईद: यह कैसे हो सकता है कि माननीय मंत्री को इसकी जानकारी न हो? माननीय मंत्री शासी निकाय के अध्यक्ष हैं। यह मेरा आरोप है। मैं इससे अधिक और कुछ नहीं कहना चाहता।

श्री मुरली देवरा: मुझे खुशी है कि यहां भी विरोधी पक्ष है।

श्री पी० एम० सईद: जूनियर रेजिडन्ट डाक्टरों ने सरकार द्वारा वर्ष 1986 में किये गये समझौते के अनुसार समानता लाने की मांग की है और चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण स्थिति बदतर हुई है। सरकार ने सी० एच० एस० डाक्टरों की परिलब्धियों में वृद्धि कर दी है। परन्तु तदनुसार जूनियर डाक्टरों की परिलब्धियों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। इस बारे में क्या स्थिति है? क्या सरकार इस मामले का दायित्व लेकर इस मुद्दे को शान्तिपूर्वक निपटाने जा रही है ताकि वे जिस प्रकार हड़ताल का आश्रय लेना चाहते हैं, उसे टाला जा सके?

श्री राम निवास मिर्धा: मैं पहले ही यह कह चुका हूं कि हम उनकी मांगों से पूर्णतः सहमत हैं, हम उनकी मांगों की जांच कर रहे हैं और वित्त मंत्रालय से बातचीत कर रहे हैं। हमें आशा है कि इससे कुछ समाधान निकल आयेगा।

श्री ए० चार्ल्स: क्या मैं इस माननीय सदन के ध्यान में यह ला सकता हूं कि तुरन्त हड़ताल की धमकी के अलावा ए० आई० आई० एम० एस० से विभिन्न प्रकार की अन्य समस्यायें भी सम्बन्धित हैं। मैं समझता हूं कि इस बारे में एक संकट उत्पन्न होने जा रहा है। मुझे ए० आई० आई० एम० एस० से कुछ वास्तविकतायें जानने का अवसर मिला। यदि मैं स्थिति को ठीक प्रकार से समझता हूं तो वहां ओ० पी० डी० में रोगियों की भारी भीड़ के कारण, 'सुपर-विशेषज्ञ' सुविधाओं का उचित उपयोग नहीं किया जा रहा है। और ए० आई० आई० एम० एस० के ईर्द-गिर्द कुछ और अस्पताल बनाने का प्रस्ताव रखा गया था ताकि ए० आई०

आई० एम० एस० के कार्य को बांटा जा सके। क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या ए० आई० आई० एम० एस० के ढ़ाचें का सही सही अध्ययन किया जायेगा और यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्यवाही की जायेगी कि ए० आई० आई० एम० एस० में उपलब्ध सभी लाभ देशभर के रोगियों के लिए उपलब्ध किये जायें? ये सभी समस्यायें इससे सम्बन्धित हैं और इस मुद्दे को लेकर कर्मचारियों में काफी रोष है।

श्री रामनिवास मिर्धा: माननीय सदस्य ने बहुत से मुद्दों को उठाया है। पहले, उन्होंने यह कहा है कि ओ०पी०डी० में भीड़ के कारण 'सुपर-विशेषज्ञ' सुविधाओं का उपयोग उचित रूप से नहीं किया जा रहा है। यह सच है कि ओ०पी०डी० में कार्य बहुत अधिक है। परन्तु यह अपरिहार्य है क्योंकि जो व्यक्ति वहां इलाज के लिए आते हैं उन्हें मना नहीं किया जा सकता और उनके लिए आवश्यक कार्य करना पड़ता है। यह सच है कि यदि आस-पास अधिक अस्पताल होते तो स्थिति बेहतर होती।

श्री ए० चार्ल्स: प्रस्ताव यह था कि यहां 'रैफर' किए गए मामले आने चाहिएं।

श्री राम निवास मिर्धा: एक प्रस्ताव यह था कि इसके इर्द-गिर्द अधिक अस्पताल होने चाहिएं ताकि वे इसके भार को कम कर सकें परन्तु विभिन्न प्रकार की वित्तीय कठिनाइयों के कारण हमारे लिए ऐसा करना संभव नहीं होगा। वित्तिय आवंटन द्वारा हमें जितनी धनराशि की स्वीकृति दी गई है, उसके अन्तर्गत हम यथासंभव सर्वोत्तिम सेवा उपलब्ध करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री शरद दिघे: अध्यक्ष महोदय, ये कर्मचारी किसी न किसी रूप में पिछले 50 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और अब भी सरकार यह कह रही है कि परिलब्धियों में संशोधन विचाराधीन है। यह सूचना भी दी गई है कि अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे 4 वैज्ञानिकों में से दो वैज्ञानिकों की हालत काफी बिगड़ती जा रही है, उनके मूत्र में कीटोन पदार्थ दिखाई दे रहे हैं जिससे भूखमरी का संकेत मिलता है, उनका ब्लड, शूगर स्तर भी गिर रहा है। जब भूख-हड़ताल पर बैठे वैज्ञानिकों की स्थिति बदतर हो रही है तो सरकार उनकी मांगों पर विचार करने में इतना अधिक समय क्यों ले रही है? वेतनमान के अलावा, उनकी कुछ अन्य मांगे भी हैं जिनके बारे में अभी तक विचार नहीं किया गया है। उनकी मांगों पर विचार करने में सरकार इतना अधिक समय क्यों ले रही है? हर प्रकार के कार्य करने के बजाय, कल परिसर में पुलिस बुलाई गई थी और छात्रों, व्यक्तियों और भूख हड़ताल पर बैठे वैज्ञानिकों को भी गिरफ्तार किया गया था। क्या आप 24 घन्टे के अन्दर उनकी मांगों पर विचार करके उन्हें कुछ राहत देंगे?

श्री राम निवास मिर्धा: मैं पहले ही यह कह चुका हूँ कि इन सभी मांगों पर चर्चा की जा रही है। निदेशक महोदया देर नहीं कर रही हैं अपितु वे हड़ताल पर बैठें छात्रों से हर समय संपर्क बनाये हुए हैं और इस बारे में वार्ता जारी है। परन्तु कुछ ऐसे मूल प्रश्न हैं जिनके बारे में निर्णय लिया जाना चाहिए। बस यही बात है। उसके बहुत व्यापक परिणाम हो सकते हैं। हम उनके स्वास्थ्य की देखभाल कर रहे हैं और डॉक्टर उनकी देखरेख कर रहे हैं। हमें स्थिति की पूर्ण जानकारी है। **(व्यवधान)**

कुछ माननीय सदस्य: आप इस विषय पर आधे घन्टे की चर्चा की अनुमति दीजिये।... **(व्यवधान)***

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अतः आपको अध्यक्ष की बिलकुल आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: आप इसे लिखित रूप में मुझे दे सकते हैं। यह आपका अधिकार है। परन्तु इस प्रकार नहीं। यह कोई तरीका नहीं है।

महाराष्ट्र में आवास कार्यक्रम

*105. **श्री बनवारी लाल पुरोहित:**
प्रो॰ रामकृष्ण मोरे:

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय आवास नीति के अनुरूप राज्य में एक वृहद आवास कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य में आवास कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार को किसी प्रकार की सहायता दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई): (क) से (ग): राज्य सरकार ने सूचित किया है कि महाराष्ट्र आवास तथा क्षेत्र विकास अधिकरण एक वृहद आवास कार्यक्रम प्रतिपादित कर रहा है। इस स्थिति में राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कोई सहायता नहीं मांगी है।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हाउसिंग के लिये केन्द्रीय सरकार से कोई सहायता नहीं मांगी, लेकिन वस्तुस्थिति इससे सर्वथा विपरीत है। महाराष्ट्र के जितने बड़े बड़े शहर हैं, मुंबई में हाउसिंग की एक्यूट प्रौब्लम है, जिसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट फेस कर रही है। उसने केन्द्रीय सरकार से कोई मदद नहीं मांगी, यह बात विश्वास करने लायक नहीं है। मैं समझता हूं कि कोई इससे सहमत नहीं होगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि दिसम्बर माह में यहां तमाम हिन्दुस्तान के हाउसिंग मिनिसटर्स की कानफरेंस हुयी थी, जिसमें महाराष्ट्र के हाउसिंग मिनिस्टर श्री शेरकर भी शामिल हुए थे। उन्होंने महाराष्ट्र का केस इतने अच्छे तरीके से प्लीड किया, महाराष्ट्र की डिफिकल्टीज बतायीं, और महाराष्ट्र को केन्द्र सरकार से क्या चाहिये, उसे भी बताया। उन्होंने कान्फरेंस में दो मुख्य मांगें रखीं: पहली तो यह कि अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट के सैक्शन 20 में कुछ अमैंडमैंट करने की जरूरत है जिससे महाराष्ट्र में हाउसिंग एक्टिविटीज़ को बूस्ट मिले, दूसरे, उन्होंने लो कास्ट हाउसिंग स्कीम को महाराष्ट्र में बढ़ाने के लिये केन्द्र सरकार से मदद मांगी। उस कांफरेंस में जो डिस्कशन हुआ, वह सारा अखबारों में भी आया है। उसकी रिपोर्ट में कहा गया है:

[अनुवाद]

"उन्होंने केन्द्रीय सरकार से 'महाराष्ट्र आवास शहरी विकास परियोजना' को शीघ्र स्वीकृति देने के लिए अनुरोध किया है, जिसके अन्तर्गत कम लागत की आवास इकाईयां महाराष्ट्र के 18 कस्बों और शहरों में उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया गया है।"

[हिन्दी]

ये दो महत्वपूर्ण मांगें उन्होंने कीं और मंत्री जी आप कहती हैं कि उन्होंने कोई मांग ही नहीं की। ये जो दो मांगें

उन्होंने की हैं जिससे महाराष्ट्र में एक्टिविटीज बूस्ट हों, उसके लिए आप केन्द्र से क्या मदद करने जा रही हैं?

श्रीमती मोहसिना किदवई: अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य से यह निवेदन करूंगी कि वे अपना सवाल पढ़ें, मैं सवाल के मुताल्लिक जबाव दे सकती हूं। उन्होंने एक खास सवाल यह किया था कि मास हाउसिंग स्कीम उनकी महाराष्ट्र में है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से उन्होंने कुछ मदद मांगी है कि नहीं। उस सवाल के जबाव में मैंने कहा कि एट दिस स्टेज उन्होंने कोई मदद नहीं मांगी। जहां तक महाराष्ट्र हाउसिंग प्रोब्लम का सवाल है, जितनी ज्यादा मदद दी जा चुकी है, उसके मुताल्लिक मैं कह सकती हूं, लेकिन इस प्रोजैक्ट के लिए अभी उन्होंने यह बात कही कि हाउसिंग मिनिस्टर साहब ने एक कान्फ्रेंस में मुझसे मुलाकात की, यह बात सही है। अभी हमारी जो कान्फ्रेंस हुई थी उसमें उन्होंने यह बात कही थी कि 20 हजार घर वे बनाने जा रहे हैं, मास हाउसिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं जिसमें पहले फेज में 8 हजार घर और उसके बाद, वे बीस हजार घर पूरे करेंगे, उसके लिए उन्होंने हमसे कोई मदद नहीं मांगी। सवाल उसके मुताल्लिक है। लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट को हाउसिंग के सिलसिले में जितनी ज्यादा मदद दी जा चुकी है वह मैं बताती हूं। जब से हुडको बनी है, तब से उसने 654 स्कीम महाराष्ट्र में दी हैं जिन की प्रोजैक्ट कॉस्ट 465 करोड़ रुपए है, जिसमें से 286 करोड़ सैंक्शन हो चुके हैं जिनमें से 221 करोड़ रिलीज हो चुके हैं। उसके तहत 2 लाख 31348 घर बनाएंगे और 13 हजार प्लॉट्स डवलप कर के दिए जाएंगे जिनमें से बहुत ज्यादा, तकरीबन दिए जा चुके हैं। आपको याद होगा, अध्यक्ष महोदय, प्राइम मिनिस्टर्स प्राप्ट् 100 करोड़ की हमने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दी। उसके तहत स्लम इम्प्रूवमेंट और हाउसिंग के लिए वे जो खर्च कर रहे हैं जिसमें से 30 करोड़ दिए जा चुके हैं। 20 करोड़ का अभी भेजा है जो हम इस महीने के आखिर तक रिलीज कर देंगे और 89-90 के बजट में भी हम 30 करोड़ का प्राविजन करेंगे। इसी तरह एल॰आई॰जी॰ और जी॰आई॰सी॰ के भी उनको पैसे मिले हैं। वर्ल्ड बैंक की स्कीम महाराष्ट्र में चल रही है। ऐसी कितनी ही स्कीमें हैं जिनकी मैं बात कर सकती हूं।

श्री बनवारी लाल पुरोहित: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से आए हुए कितने ऐसे प्रोजैक्ट हैं जो आपके यहां पेंडिंग हैं, यह मेरा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न यह है कि जहां तक नागपुर का सवाल है, नागपुर सबसे ज्यादा कंजेस्टेड सिटी है। वहां हुडको के ब्रांच आफिस के लिए हमने डिमांड की, आपके मंत्री जी वहां गए, वहां की परिस्थिति उन्होंने देखी। अगर वहां पर आफिस नहीं खुलेगा तो वहां पर एक्टिविटीज कैसे चालू होंगी। वहां पर प्रोजैक्ट नहीं बनाए जा रहे हैं, वहां पर प्रोजैक्ट ठीक से बनें, उसके लिए आप क्या कर रही हैं?

श्रीमती मोहसिना किदवई: अध्यक्ष जी, उन्होंने टाउन्स के बारे में फायनेलाइज कर के नहीं भेजा है। जितनी जल्दी महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपनी तरफ से फायनेलाइज कर के भेजेगी, तब हमारी तरफ से उसके ऊपर कार्यवाही हो जाएगी। हमारी तरफ से उसमें कोई देर नहीं है।

डा॰ प्रभात कुमार मिश्र: अध्यक्ष जी, आज शहरों का विस्तार बहुत जोरों से हो रहा है और शहरों से लगी हुई ग्रामीण अंचल की जो जमीनें हैं, उनको शहरों के धनी लोग बड़ी सस्ती कीमत पर खरीदकर उसको बड़ी ऊंची कीमत पर प्लॉट बनाकर बेच देते हैं, तो क्या शहरों के विस्तार के अलावा आवास नीति के अन्तर्गत अर्बन डवलपमेंट मिनिस्ट्री के पास कोई ऐसी कानूनी प्रक्रिया भी है जिसके कारण गरीब लोगों की गांवों की जमीन का फायदा बिचौलियों को न मिलकर, वास्तविक मालिक, गांव के लोगों को, ग्रामवासियों को मिले। क्या ऐसा कोई नियंत्रण करने के लिए कोई कानूनी प्रक्रिया है?

अध्यक्ष महोदय: मिश्रा जी का सवाल तो बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों तरफ से जो मार पड़ती है, उसका बन्दोबस्त पहले करो।

श्रीमती मोहसिना किदवई: अध्यक्ष जी, जो आपका सवाल है, मैं सहमत हूं कि दोनों तरफ से परेशानी होती है। आपको याद होगा कि लैंड एक्विजीशन एक्ट में,

श्री राम सिंह यादव: अध्यक्ष जी का आदेश होता है।

श्रीमती मोहसिना किदवई: उन्होंने जो सप्लीमैंट किया है, वह मैं कह रही हूं।

श्री राम सिंह यादव: उनका आदेश है।

श्रीमती मोहसिना किदवई: आदेश तो जब वह देंगे जिसके लिए, वह देखेंगे।

लैंड एक्विजीशन एक्ट में 1984 में इसलिए संशोधन किया गया था कि किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा हम कुछ ज्यादा दे सकें, लेकिन जितनी तेजी से शहरी इलाके बढ़ रहे हैं और जो हमारे किसानों की जमीन उसमें आ रही है, ऐसा है कि बहुत बड़ी कीमत पर हम जमीन लेंगे तो जो हम बीकर सैक्शन्ज के लिए घर बनाने की बात कर रहे हैं तो उसी हिसाब से उनकी कीमतें बढ़ेंगी। एक बात जो मिश्र जी ने कही, लैंड सीलिंग एक्ट बहुत दिनों से सरकार के विचाराधीन है और मैं समझती हूं कि उसके ऊपर कोई फैसला हो जाए तो यह परेशानियां दूर हो जाएंगी।

श्री गिरधारी लाल व्यास: उसका फैसला हो ही नहीं सकता, बड़े-बड़े लोगों की जमीन उसमें है।

[अनुवाद]

श्री के० एस० राव: महोदय, आवास को एक ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र समझा जाता है जोकि भारी पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कर सकता है। आवास एक ऐसा क्षेत्र भी है जिसमें किसी विदेशी तकनीकी, विदेशी मुद्रा अथवा विदेशी तकनीकी विशेषज्ञों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। माननीय मंत्री गत 4 वर्षों से यह वायदा कर रहे थे कि वे बहुत सारे मकानों का निर्माण करेंगे परन्तु संभवतः उनके पास धन अभाव के कारण इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। वे हर समय यही उत्तर देते हैं। इस वर्ष के बजट में सरकार द्वारा दिये गये बल और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वे शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम में संशोधन करेंगी और न केवल महाराष्ट्र में अपितु देश के विभिन्न भागों में बड़े पैमाने पर गृह निर्माण की अनुमति देंगी।

अध्यक्ष महोदय: वे पहले ही यह कह चुकी है।

श्री के० एस० राव: महोदय, मेरा अभिप्राय तुरन्त कार्यवाही करने से है।

श्रीमती मोहसिना किदवई: महोदय, मैं पहले ही यह कह चुकी हूं कि इस बारे में सरकार विचार कर रही है और अब राष्ट्रीय आवास बैंक के स्थापित किए जाने के बाद और वित्त मंत्री महोदय के कल दिये गये बजट भाषण और आवास क्षेत्र में हमारे प्रधान मंत्री की उत्सुकता को ध्यान में रखते हुए हमें आशा है कि हम निकट भविष्य में अधिकतम सीमा में वृद्धि करेंगे.....(व्यवधान) मैंने यह कहा है कि यह अधिकतम भूमि सीमा अधिनियम सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

श्री मुरली देवरा: 3 साल से कंसीडेशन में है, जल्दी कीजिये।

दिल्ली में नकली औषधों और सौंदर्य प्रसाधनों का निर्माण करने वाली फैक्ट्रियां

*106 **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे; कि:

(क) क्या पिछले एक वर्ष के दौरान दिल्ली में नकली औषधों और सौंदर्य प्रसाधनों का निर्माण करने वाली कुछ फैक्ट्रियों का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन फैक्ट्रियों द्वारा किन-किन औषधों और सौंदर्य प्रसाधनों का निर्माण किया जा रहा था; और

(ग) इन फैक्ट्रियों के मालिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे): (क) जी, हां। पिछले एक वर्ष के दौरान दिल्ली में नकली औषधों और प्रसाधन सामग्री का निर्माण करने वाली एक फैक्ट्री का पता चला था।

(ख) 16.1.1989 को श्री विशन स्वरूप गोयल को बी–38/ए, कच्ची कालोनी, मोजपुर, दिल्ली में नकली औषधों (बोरोलीन और क्लिनेरेसिल) और नकली प्रसाधन-सामग्री (क्लियरटोन, फेयर एण्ड लवली, कॉलगेट डेंटल क्रीम और विको टर्मेरिक क्रीम) की बिक्री और वितरण करने के लिए निर्माण करते हुए पाया गया था।

(ग) पुलिस ने औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अधीन इस फैक्ट्री के मालिक के विरुद्ध एक मामला दर्ज कर लिया था। बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया था।

डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी: महोदय, देश की एक ज्वलन्त समस्या जिसका हम उपभोक्ता अपने दैनिक जीवन में सामना कर रहे हैं वह मिलावट, नकली औषधियों और घटिया औषधियों की समस्या है। सौभाग्य से अथवा दुर्भाग्य से दिल्ली प्रशासन की पुलिस द्वारा एक औषध निर्माण करने वाली फैक्टरी का पता लगा है। मैं सौभाग्यवश अथवा दुर्भाग्यवश इसलिए कहता हूं क्योंकि लगभग 70 प्रतिशत चिकित्सीय कम्पनियां खुले रूप से नकली औषधियों का निर्माण कर रही है और उन्हें भारतीय बाजारों में बेच रही हैं और सरकार बेबस है। यही कारण है कि मैंने सौभाग्यवश अथवा दुर्भाग्यवश शब्द का उपयोग किया है। इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य यह नहीं है कि इन औषधियों का उत्पादन कौन व्यक्ति कर रहा था, क्योंकि यह सूचना पहले ही मेरे पास थी। इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य यह था कि जो व्यक्ति इस घटिया स्तर की नकली औषधी का निर्माण कर रहा था और जिसे गिरफ्तार किया गया है सम्भवत वह अकेला ही इस कार्य को नहीं कर रहा था। परन्तु पुलिस ने केवल एक व्यक्ति को ही गिरफ्तार किया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि वह किन पार्टियों से कच्चा माल, मशीनें, पैकिंग सामग्री, लेबल इत्यादि खरीदता था और भारतीय बाजारों में वह किन व्यक्तियों को इन घटिया और निम्न स्तर की औषधियों की सप्लाई करता था।

श्री राम निवास मिर्धा: महोदय, माननीय सदस्य का कहना है कि मिलावटी और घटिया स्तर की दवाओं की समस्या पर गंभीरता पूर्वक कार्यवाही होनी चाहिए। सरकार इससे पूर्णतया सहमत है। महोदय, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम में 'मिलावटी' दवाओं और 'घटिया' स्तर की दवाओं की परिभाषा दी गई है। इस अधिनियम को कार्यान्वित करना संबंधित राज्य सरकारों के औषधि नियंत्रकों का कार्य है और हम राज्य सरकारों से लगातार सम्पर्क बनाए हुए हैं। हर बार इस मामले पर चर्चा करने के लिए राज्य मंत्री बैठक करते हैं और निर्णय लेते हैं कि इस समस्या पर गंभीरतापूर्वक ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि राज्य सरकारों को अभी काफी कुछ करना है। हमने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे अपने प्रशासन में विशेष कक्ष खोलें जो इन मामलों की जांच करें क्योंकि यह एक जटिल

मामला है। पहले तो हम औषधियों को देखते हैं, फिर अन्य अधिनियम इससे संबंधित होते हैं, इसमें पुलिस भी आती है न्यायिक पहलू भी है और यदि एक ऐसा कक्ष हो जिसमें ये सभी सम्मिलित हों तो ना सिर्फ इसका पता लगाना अधिक आसान होगा बल्कि संबंधित लोगों पर उचित अभियोग चलाना भी अधिक आसान होगा। इस विशेष मामले की दिल्ली में जांच की जा रही है और मुझे विश्वास है कि उन्हें लेबल इत्यादि कहां से प्राप्त हुए इस बारे में माननीय सदस्य के कथन पर आवश्यक कार्यवाही होगी।

महोदय, हमारे सामने एक और समस्या यह है कि प्रक्रिया अपनाने के संबंध में, न्यायालय के कुछ फैसले हैं और हम इनका अध्ययन कर रहे हैं तथा हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इस मामले पर गंभीरतापूर्वक कार्यवाही हो। एक और ध्यान देने योग्य बात यह है कि औषधि निरीक्षण विभाग में लगे हुए कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है। जब तक इसमें काफी सुधार नहीं होता हम इस बारे में अधिक नहीं कर सकते क्योंकि ये सुविधाएं भी अपर्याप्त हैं, निरीक्षण कर्मचारी भी अपेक्षा अनुसार नहीं हैं और निर्माताओं की संख्या हर वर्ष बढ़ रही है और खुदरा विक्रेताओं की संख्या भी हर वर्ष बढ़ रही है इस बारे में कुछ अधिक करने की स्थिति मे हम नहीं हैं। हम इस तथ्य के प्रति जागरुक हैं और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्य सरकार से विचार विर्मश करके ऐसी उपयुक्त व्यवस्था की जाए कि यह समस्या हल हो सके।

डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी: माननीय मंत्री महोदय की चुनौती उनकी क्षमता और अनुभव को नकारा अथवा कम नहीं बताया जा सकता है। केन्द्र सरकार की स्वास्थ्य सेवा डिस्पैंसरियों द्वारा खरीदी गई औषधियों और विशेषकर आयुर्वेदिक डिस्पैंसरियों द्वारा खरीदी गई औषधियाँ और दवाएं भी मिलावटी और घटिया स्तर की होती हैं। केन्द्र सरकार स्वास्थ्य सेवा की डिस्पैंसरियों द्वारा खरीदी गई ज्यादातर औषधियां किसी उच्च स्तर की निर्माता कम्पनी की नहीं होती हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार स्वास्थ्य सेवा के लिए खरीद करते समय आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दवाओं की खरीद निश्चित रूप से देश की उच्च स्तर की दवा निर्माता कम्पनियों से की जाएगी?

श्री राम निवास मिर्धा: माननीय सदस्य ने औषधियों की खरीद और इस खरीदने के तरीके पर एक व्यापक लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। हमारे देश में ज्यादातर औषधि निर्माता लघु क्षेत्र से हैं। यदि हम खुली निविदा प्रणाली आदि के अनुसार चलते हैं तो हमें सरकारी विनियमों के अनुसार चलना पड़ता है और हम यह मान कर नहीं चल सकते कि देश में कुछ उच्च स्तर की और गैर-उच्च स्तरीय फैक्ट्रियां अथवा कम्पनियां हैं। कुछ प्रसिद्ध कम्पनियां हैं जो संभवतः स्तर बनाए रखने और अन्य बातों के लिए बेहतर रूप से संगठित हैं। लेकिन उनके बड़ी फैक्ट्रियाँ होने के कारण ही हम उन्हें औषधि निर्माण की अनुमति नहीं देंगे जब तक कि वे कुछ आवश्यकताएं पूरी नहीं करती हैं, उचित यंत्र नहीं रखती और उचित रूप से प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं रखती हैं और वह सब कुछ अनुसरण नहीं करती जिसका प्रयास किया जा रहा है। जब तक लघु क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों को अनुमति दी जाती है, हम इन कथित कम्पनियों के विरुद्ध अन्य कम्पनियों की तुलना में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन, यदि ऐसा कोई मामला पकड़ा जाता है और कभी-कभी ऐसे मामलों का पता भी लगता है कि सरकार को घटिया औषधियों की सप्लाई हुई है या इनकी जनता में खुदरा बिक्री हुई है तो जैसा कि मैंने कहा है, इसके लिए इस तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए और इस संबंध में जो कुछ हो रहा है उससे कहीं अधिक कार्य करने की जरूरत है, मैं यह स्वीकार करता हूं।

श्री अजय मुशरान: महोदय, माननीय मंत्री महोदय मानते हैं कि मिलावटी औषधियों और प्रसाधन सामग्रियों के निर्माण ने देश में एक गंभीर समस्या का रूप ले लिया है और यह स्वाभाविक है कि हमारे सामाजिक मूल्यों को देखते हुए मुश्किल से एक प्रतिशत लोग ही पकड़े जाते हैं और जैसा कि उन्होंने बताया है, इन पकड़े गए लोगों पर अभियोग चलाने की प्रक्रिया भी इतनी लम्बी तथा जटिल है कि अपराधी किसी न किसी चरण में छूट जाता है। क्या माननीय मंत्री महोदय सभा को यह आश्वासन देंगे कि मिलावटी

औषधियों और प्रसाधन सामग्रियों का निर्माण करने वाले लोगों से संबंधित अधिनियम में संशोधन किया जाएगा ताकि इसे भी मादक द्रव्यों के अवैध व्यापार से संबंधित कठोर उपबन्धों जैसा कठोर बनाया जा सके और पकड़े गए अपराधियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही हो और इसका प्रभाव न पकड़े गए अपराधियों पर भी पड़े क्योंकि मैं एक दवा के बारे में जानता हूं जिसमें खून का उपयोग होता है और एस० आई० आई० ने पाया है कि एड्स (ए० आई० डी० एस०) से प्रभावित इंजैक्शन पाए गए हैं और अन्य मामलों में भी इस परिणाम का पता लगा है और अपरोक्ष तरीकों से यह इंजैक्शन आसानी से उपलब्ध है। अतः मैं मंत्री महोदय से यह आश्वासन चाहता हूं कि वह इस बजट सत्र में अपराधियों के संबंध में इस अधिनियम में एक संशोधन पेश करेंगे ताकि इसे और कठोर बनाया जा सके और अपराधियों को सजा देना और आसान हो।

अध्यक्ष महोदय: मैं प्रसाधन सामग्रियों के संबंध में नहीं जानता हूं लेकिन यदि जीवन रक्षक दवाएं मिलावटी हैं तो निर्माता हत्यारों से कम नहीं हैं। उनके विरूद्ध उचित कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री राम निवास मिर्धा: महोदय, मैं इस कथन से पूर्णतया सहमत हूं कि यह मामला अत्यंत गंभीर है। मैं समझता हूं कि औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम में 1982 में संशोधन हुआ था। यह बहुप्रयोजन वाला शब्द है ये सभी औषधियां इस अधिनियम के अंतर्गत आती हैं जिसे औषधियां और प्रसाधन सामग्री अधिनियम कहते हैं। इस प्रकार 1982 में, इसमें संशोधन इसलिए किया गया था ताकि जांचकर्ताओं को और अधिक शक्तियां दी जा सकें, और अधिक सजा, निम्नतम सजा आदि मुद्दे भी इसमें निहित थे। यहां फिर वही पता लगाने की समस्या है। हमारे पास पर्याप्त कानूनी शक्तियां हैं लेकिन पता लगाने, जांच करने, प्रयोगशाला के तंत्र को मजबूत करने की जरूरत है और इसके लिए राज्य सरकारों के सहयोग की अत्यधिक आवश्यकता है। हम अब इस बारे में अत्यधिक गंभीर हैं कि इस अधिनियम में संशोधन हो, और जब कभी भी अर्न्तराष्ट्रीय सम्मेलनों, अखिल भारतीय सम्मेलनों में अवसर आता है तो हम सदैव ही स्थिति की समीक्षा करते हैं; हम राज्य सरकारों पर भी जोर डाल रहे हैं। हम औषधि आदि के लाइसेंस देने वाले दूसरे मंत्रालय से सम्पर्क रखे हुए है कि वे प्रक्रिया में किस प्रकार सुधार कर सकते हैं। महोदय, यह एक अत्यंत गंभीर मामला है इस बात से नकारा नहीं जा रहा है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हम यथा सम्भव कार्यवाही करके यह सुनिश्चित करें कि ऐसा दुबारा न हो।

[हिन्दी]

जनसंख्या वृद्धि दर के लक्ष्यों की प्राप्ति

*109. **श्रीमती मनोरमा सिंह:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनसंख्या वृद्धि दर के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसे कहां तक प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि की दर राष्ट्रीय लक्ष्य से अधिक है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) जनसंख्या वृद्धि दर कम करने के लिए क्या नये प्रयास करने का विचार है और ये प्रयास कब तक किये जाने की सम्भावना है?

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे): (क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

सातवीं पंचवर्षीय योजना में योजना के अंत, अर्थात् 1990 तक, जन्म दर प्रतिहजार, 29.1 और मृत्यु

दर प्रतिहजार 10.4 तक करने की परिकल्पना की गई है जिसका तात्पर्य है कि सहज वृद्धि दर 1.87 प्रतिशत होगी। नमूना पंजीयन पद्धति के नवीनतम अनुमानों के अनुसार वर्ष 1987 के लिए भारत में जनसंख्या की सहज वृद्धि दर 2.12 प्रतिशत (अनन्तिम) है।

वर्ष 1987 में असम, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, मेघालय, सिक्किम, अरूणाचल प्रदेश, दादरा एवं नागर हवेली। दिल्ली, लक्षद्वीप राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने राष्ट्रीय स्तर से अधिक वृद्धि दर दर्शाई है। जन्म दर की अपेक्षा मृत्यु दर में तेजी से कमी होने, गर्भ-निरोधकों का कम इस्तेमाल किए जाने, शिशु मृत्यु दर अपेक्षाकृत अधिक होने, महिलाओं में साक्षरता की कमी होने तथा विवाह के समय महिलाओं की कम आयु के होने के कारण जन्म दर उच्चतर बनी हुई है।

देश में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए जो पहल की गई है उनमें शामिल हैं—सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना, व्यापक रोगप्रतिरक्षण कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों के जीवित रहने के अवसर बढ़ाना, जनसंख्या शिक्षा गहन करना, समुदाय की सहभागिता बढ़ाना, उन्नत संचार नीतियां अपनाना तथा स्वैच्छिक संगठनों को शामिल करना। इसके अतिरिक्त, बुनियादी स्तर पर कर्मिकों के प्रशिक्षण तथा पुनः प्रशिक्षण पर बल देने, महिला साक्षरता और महिलाओं के स्तर में सुधार लाने जैसे संबंधित विकास कार्यक्रमों के साथ सम्पर्क स्थापित करने और उसे सुदृढ़ बनाने तथा क्षेत्र विशेष के लिए गहन नीति अपनाने जैसे कुछ ऐसे आरंभिक कदम हैं जिनपर आठवीं योजना की कार्यनीति के एक अंग के रूप में विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्रीमती मनोरमा सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि ऐसे राज्यों में, जहां निर्धनता और अशिक्षा के कारण जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, उन राज्यों में दो बच्चों के सुखी परिवार को एडॉप्ट करने के लिए सरकार ने कोई ठोस कदम उठाये हैं और ऐसे परिवारों को, जिन्होंने दो बच्चों के आदर्श को अपनाया है, भविष्य में उनको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है जिससे ऐसे राज्यों में लोग इस कार्यक्रम को अपनाने में आगे आयें, यह एक ज्वलन्त समस्या है। सरकार इस पर बहुत ही कड़ाई से, सूझ-बूझ से प्रचार और शिक्षा के जरिये क्या बहुत आवश्यक कदम उठा रही है, इसके बारे में मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं।

खस्थ मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): इसमें कोई दो राय नहीं यह बहुत ही अहम् मसला है कि हमारी आबादी को किस प्रकार सीमित किया जाय और उससे परिवार कल्याण को बढ़ावा दिया जाय। मैंने अपने वक्तव्य में उन राज्यों का उल्लेख किया है, जिनकी परफोरमेंसे राष्ट्रीय एवरेज से भी कम है। हमारी यह मंशा है कि इन क्षेत्रों में हम ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें और इस क्षेत्र में जो प्रगति हुई है, उसको और आगे बढ़ा सकें। और इसके लिए कई बातें करने की सोची है और कर भी रहे हैं। विशेष बात तो यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारी चिकित्सा व्यवस्था है उसको मजबूत करना बहुत ही आवश्यक है। जो आंकड़े हमने देखे हैं उनसे पता लगता है कि राज्य सरकारें केन्द्र से पैसा मंजूर होने के बावजूद भी उन व्यवस्थाओं को वहां नहीं देती हैं। ट्रेनिंग की कई जगह कमी है। मकान नहीं के बराबर हैं। जो इक्विपमेन्ट होने चाहिए वह भी वहां पर नहीं हैं। ऐसा लगता है कि राज्य सरकारें इस चिकित्सा को वह प्राथमिकता नहीं दे पा रही हैं जोकि देनी चाहिए। उनको जो यहां से मद मंजूर किए जाते हैं उनका वे दूसरे क्षेत्रों में इस्तेमाल कर लेते हैं। नतीजा यह है कि आज बहुत से राज्य ऐसे हैं कि जो यहां से मंजूरशुदा चीजें हैं उसको भी वे अपने यहां नहीं कर सकते। इसके अलावा एक समस्या और भी

है कि जो ट्रेण्ड दाइयां और नर्सें होनी चाहिए वह भी बहुत कम हैं। डाक्टर ज्यादा हैं और कंपाउन्डर व नर्सें कम हैं—ऐसी स्थिति हमारे देश में हो गई है। इसलिए बहुत बड़े कार्यक्रम बनने चाहिए और जो पैरा-मेडिकल व्यवस्थायें हैं, नर्सों की व दाइयों की, उनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाये। जो ट्रेनिंग संस्थायें हैं नर्सेज इत्यादि की उसका सारा खर्चा केन्द्रीय सरकार वहन करती है। हम राज्य सरकारों से यही कहते हैं कि आप ट्रेनिंग देकर उनको वहां पर लगाईये। एक नर्स का पैसा भी उसमें केन्द्रीय सरकार देती है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि जो न्यूनतम व्यवस्थायें तय की गई हैं प्राइमरी हेल्थ सेन्टर के लिए ग्रामीण चिकित्सा सुविधा के लिए, कम से कम वह तो दी जायें। और जब तक यह नहीं होगा तब तक न तो उनसे सम्पर्क हो सकता है न कोई दूसरी व्यवस्था की जा सकती है। और भी कई बातें की गई हैं कि किस तरह से मोटिवेट करें, क्या इंसेंटिव दिए जायें, कोई लोकल कमेटी बनें जिनका सहयोग लिया जाए — यह सारे कार्यक्रम चल रहे हैं।

श्रीमती मनोरमा सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, दो बच्चों के सीमित परिवार का जो हमारा लक्ष्य रखा गया है उसको प्राप्त करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं, क्या इंसेंटिव आप दे रहे हैं और क्या सुविधायें आप आगे देने वाले हैं?

श्री राम निवास मिर्धा: राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से देती हैं। केन्द्र सरकार की ओर से, इसमें इंसेंटिव की बात तो नहीं कहनी चाहिए, लेकिन जो भी चिकित्सा के लिए, आपरेशन के लिए वहां पर जाते हैं और जो समय लगता है उसके लिए एक छोटी निश्चित राशि उनको देते हैं। इसके अलावा राज्य सरकारों ने और कई रियायतें इसके बारे में दी हैं। जहां अच्छा काम हुआ है वह वहीं पर हो रहा है जहां राज्य सरकारों ने इसमें ज्यादा मुस्तैदी दिखाई है, ज्यादा काम किया है और ज्यादा सुविधायें उपलब्ध की हैं।

श्रीमती मनोरमा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से जानना चाहती हूं.....

अध्यक्ष महोदय: दो सवाल हो गए।

श्रीमती मनोरमा सिंह: एक और।

अध्यक्ष महोदय: बाहर का मुझे पता नहीं, हाउस में दो से ज्यादा नहीं करने देते।

(व्यवधान)

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी: अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगी कि जहां गरीबी है, अशिक्षा है वहां कुछ रूढ़ियां भी हैं ...वे लोग इस बात को मान्यता देते हैं कि बच्चे ईश्वर की देन हैं, उन रूढ़ियों को तोड़ने के लिए कुछ ऐसी शिक्षा का प्रचार-प्रसार हमारी सरकार की तरफ से होगा ताकि इस तरह के जो लोग रूढ़िवादिता में पड़े हैं वह भी आगे आ सकें? क्या इस सम्बन्ध में भी सरकार कुछ करने जा रही है?

श्री बालकवि बैरागी: अध्यक्ष जी, अगर बच्चे ईश्वर की देन हैं तो फिर कुवारों को क्यों नहीं होते यह मैं जानना चाहता हूं। **(व्यवधान)**

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी इतने सीरियस और अहम प्रश्न को इस प्रकार से मजाक और हंसी में उड़ाया जाए यह बहुत ही अशोभनीय बात है, इसको मैं कभी बरदाश्त नहीं कर सकती हूं: यह राष्ट्र का मसला है, इसको इतने हलकेपन से लिया जाए यह हमारे सदन के लिए बहुत क्षोभ की बात है। मैंने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर मन्त्री जी दें।

श्रीमती सुन्दरबती नवल प्रभाकर: अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने यह कहा कि कुवारों के क्यों नहीं होते हैं। कुवारों के थोड़े ही होते हैं, लड़कियों के बच्चे होते हैं, इनके थोड़े ही होते हैं।.....**(व्यवधान)**.....

अध्यक्ष महोदय: वह हुआ न नहले पर दहला।..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आप चिन्ता मत कीजिए, आपकी सीरीयसनैस कम नहीं होने देंगे।.....

(व्यवधान)

श्री राम निवास मिर्धा: अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न उठाया गया है, यह बहुत ही जरूरी है। ऐसा अनुभव किया गया है, जहां स्त्री शिक्षा कम है, उससे हम अन्दाजा लगा सकते हैं। जहां रूढ़िवादिता ज्यादा है, वहां यह कार्यक्रम सफल नहीं हुआ है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए चिकित्सा मंत्रालय या यह विभाग ही जिम्मेदार नहीं है और दूसरे विभाग तथा जो भी हमारे आर्थिक और सामाजिक पहलू हैं, शिक्षा है और जो महिलाओं का स्टेट्स है, उसको बढ़ायेंगे। किस तरह से शिक्षा के द्वारा या अन्य प्रकार के मास-मीडिया के द्वारा एक नई चेतना पैदा करें, यह कोशिश करनी है। यह समस्या इतनी जाटिल है कि इसको सब तरफ से यदि ठीक तरह से नहीं ला सके तो यह जो परिवर्तन हम चाहते हैं, वे हो नहीं सकेंगे। इसलिए इसका चिकित्सा तो एक पहलू है, आर्थिक और सामाजिक दूसरे पहलू हैं। माननीय सदस्या ने जो कहा है, वह सही है, वह भी है और हम दूसरे मंत्रालयों से सम्पर्क में हैं और चाहते हैं कि इस समस्या को सारे मंत्रालय मिल कर हल करें।

[अनुवाद]

श्री दिग्विजय सिंह: मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान प्रश्न के (ग) भाग में प्रभावित नए कदमों की ओर आकर्षित करता हूं। क्या यह सच है कि पिछले 13 साल से कोई नए कदम नहीं उठाए गए? यद्यपि स्वंय मंत्रालय ने विस्तृत सूचियां तैयार की हैं जिनमें प्रस्तावित प्रोत्साहन देने वाले कदम तथा हतोत्साहित करने वाले कदम बताए गए हैं जिन्हें लागू किया जा सकता है; स्वयंसेवी सगंठनों ने भी प्रोत्साहनों और हतोत्साहन के लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार किए हैं लेकिन इनमें से कोई भी लागू नहीं हुआ है। चालू बजट में और राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया है। इसके बारे में स्पष्टीकरण क्यों नहीं है।

मैं भाग (ख) के संबंध में दूसरा प्रश्न पूछना चाहूंगा जिसमें यह कहा गया है कि वृद्धि दर राष्ट्रीय लक्ष्य से अधिक रही है।

अध्यक्ष महोदय: एक प्रश्न कीजिए।

श्री दिग्विजय सिंह: मैं भाग (ख) पर एक विशेष प्रश्न पूछना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय: आप एक ही प्रश्न पूछ सकते हैं। अधिक नहीं।

श्री राम निवास मिर्धा: प्रोत्साहन तथा कार्यवाही करना दो भिन्न मुद्दे हैं। कदम उठाने के संबंध में यह कहना सही नहीं है कि पिछले 13 सालों में कोई कदम नहीं उठाए गए। जैसा कि मैंने कुछ समय पहले कहा था, यदि महिलाओं का दर्जा पर्याप्त मात्रा में बढ़ा दिया जाए और महिलाओं की साक्षरता में वृद्धि हो जाए तो इस समस्या का हल आसानी से हो सकता है। उदाहरण के लिए, भारत सरकार में अब महिला कल्याण विभाग नामक एक नया विभाग है। ऐसा नहीं है कि हम व्यर्थ ही बैठे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम समस्या को हल करने के लिए सभी तरफ से प्रयास कर रहे हैं और तभी हम इस अत्यंत कठिन स्थिति पर कुछ सफलता प्राप्त कर सकेंगे।

भाग (ख) के संबंध में जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं हम उनसे सम्पर्क बनाए हुए हैं और इस बारे में उनके साथ कार्यवाही कर रहे हैं। प्रोत्साहन तो इसका एक छोटा सा भाग है। हम प्रोत्साहन पर ही निर्भर नहीं रह सकते हैं। इस बारे में हर तरफ से हर पक्ष से सभी विभागों द्वारा कार्यवाही होनी है।

डा० कृपासिन्धु भोई: मैं मंत्री महोदय को परेशान नहीं करना चाहता हूं। आपने अपने मत में भी यही कहा है कि जब तक हमारे देश में 100% साक्षरता नहीं आती है हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार 11% जनसंख्या वृद्धि दर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह अनुरोध करता हूं कि वह सभी विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाएं और सन् 2000 तक वृद्धि दर शून्य पर लाने के लिए, नियंत्रण हेतु एक व्यापक कानून लाएं। सन् 2000 तक 1.1 प्रतिशत तक नियंत्रित करने की बजाय राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में निहित यह शून्य की दर प्राप्त की जाए।

श्री रामनिवास मिर्धा: यदि कानूनों से ऐसा हो सकता है तो कुछ भी कर सकते हैं। कानूनों से यह नहीं होगा। यह अत्यंत जटिल मामला है। माननीय सदस्य को यह पता होना चाहिए। जब तक हम सभी - लोगों के प्रतिनिधि, स्वयंसेवी संगठन, सरकार के विभिन्न विभाग एकत्र नहीं होते, ये समस्याएं सही प्रकार से हल नहीं हो सकती हैं। इसका कोई छोटा हल नहीं है। हमारा प्रयास भी यही होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: अब प्रश्न काल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

उर्वरक कम्पनियों के लिए पटसन के बोरों की खरीद का केन्द्रीयकरण

*103. **श्री वी० तुलसीराम:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी और सहकारी क्षेत्र की उर्वरक कम्पनियों के लिए पटसन और पोलीथीन के मजबूत बोरों की खरीद के केन्द्रीयकरण के लाभ और हानि की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं और इसके विचारार्थ विषय क्या हैं; और

(ग) इस समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) सरकार के उर्वरक विभाग ने सरकार/सहकारी क्षेत्र की उर्वरक कंपनियों में जूट और एच डी पी ई बोरों की खरीद की सिफारिश करने के लिए एक केन्द्रीय क्रय समिति स्थापित की है।

(ख) इस समिति के चार सदस्य हैं। ये निम्नलिखित हैं :

डा. के.के.एस चौहान प्रबन्ध निदेशक कृषक भारती कोआपरेटिव्स लिमि० (कृभको) ।	- अध्यक्ष
श्री एम एच अवधानी, प्रबन्ध निदेशक, इफ्को ।	-सदस्य
श्री एस. एन. जैन, प्रबन्ध निदेशक नेशनल फर्टीलाइजर्स लि०	-सदस्य

53/23/LS/89 - 3

श्री आर. वेंकटेशन, -संयोजक
निदेशक (वित्त),
और कार्यकारी अध्यक्ष तथा प्रबन्ध
निदेशक, राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड
फर्टीलाइजर्स लिमि० ।

सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा सहकारी क्षेत्र की उर्वरक कम्पनियों के लिए यह अनिवार्य बना दिया गया है कि वे समिति की सलाह और निर्णयों के अनुसार, अपनी सारी मांग के अनुरूप जूट और एच डी पी ई बोरों की खरीद करें।

(ग) यह एक स्थायी समिति है और इससे यह अपेक्षित नहीं है कि सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

समाचार पत्रों के श्रमजीवी पत्रकारों और गैर पत्रकार कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना

*104. **श्री सी० जंगा रेड्डी:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्र प्रतिष्ठानों के श्रमजीवी पत्रकारों और गैर-पत्रकार कर्मचारियों के लिए पेंशन की योजना की व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ दल गठित किया गया था ; यदि हां, तो कब और इसका कार्यालय कहां पर स्थित है ;

(ख) इस विशेषज्ञ दल ने छोटे समाचार पत्रों के पत्रकारों सहित समाचार-पत्र उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों से इस संबंध में राय जानने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) क्या इस विशेषज्ञ दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और यदि हां, तो विशेषज्ञ दल के निष्कर्ष और सिफारिशें क्या है और सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे): (क) जी हां। मई, 1980 में उक्त दल का गठन किया गया था। चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त दल के सदस्य सचिव है, इस कार्य का संचालन मयूर भवन, कनाट प्लेस, नई दिल्ली में स्थित उनके कार्यालय से किया जाता है।

(ख) इस दल में पहले ही नियोक्ताओं, समाचार पत्र प्रतिष्ठानों के पत्रकार तथा गैर पत्रकार कर्मचारियों के प्रतिनिधि हैं, जो दल के समक्ष अपने-अपने विचार रखेंगे।

(ग) दल ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है, इसलिए सरकार के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

आलिव रिडले समुद्री कछुओं का संरक्षण

*107. **श्री सोमनाथ रथ:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में भिट्टर-कनिका वन्यजीव अभयारण्य के गहीरामथा में अण्डे देने वाले "आलिव रिडले" समुद्री कछुओं के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ख) आलिव रिडले समुद्री कछुए एक समय में कितने अंडे देते हैं ; और

(ग) प्रति वर्ष कितने कछुए गहीरामथा आते हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी): (क) उड़ीसा के गहीरामथा में ऑलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों में, कछुओं और अन्य प्राणिजात तथा उनके वास-स्थलों को अधिक कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए भिटर्टर-कनिका वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा बढ़ाकर राष्ट्रीय उद्यान के स्तर के बराबर करना, तट से 10 किलोमीटर के भीतर यांत्रिक विधि से मछली मारने की मनाही, कछुओं द्वारा अंडे देने के लिए जगह बनाते समय

तटरक्षकों के साथ अतिरिक्त सुरक्षा कर्मचारियों को तैनात करना, अंडे देने की जगह बनाते समय कछुओं की सुरक्षा के लिए स्वैच्छिक संगठनों को शामिल करना और बेतार सुविधा से युक्त चलती-फिरती गश्ती इकाई नियुक्त करना शामिल है। भारत सरकार ने इस उद्देश्य के लिए 1988-89 में 10.27 लाख रुपये की सहायता दी है।

(ख) आलिव रिडले समुद्री कछुआ एक बार में 40 से 125 अंडे देता है।

(ग) समुद्र में मैथुन क्रिया के पश्चात् केवल मादा कछुआ गहीरामाथा तट के साथ-साथ अंडे देने के लिए सामूहिक रूप से जगह बनाती हुई दिखाई देती हैं। पिछली बार 13 और 27 जनवरी, 1989 के बीच गहीरामथा में अंडे देने के लिए सामूहिक रूप से जगह बनाते हुए लगभग 2.90 लाख मादा कछुए दिखाई दिए थे।

[हिन्दी]

डाक्टरों की पूरी न की गयी मांगें

*108 **श्री दिनेश गोस्वामी :**
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार केन्द्रीय सेवाओं के डाक्टरों की जिन मांगों पर पहले सहमत हो गई थी उनमें से कुछ मांगों को पूरा न किये जाने के क्या कारण है;

(ख) क्या डाक्टर उन मांगों को मनवाने के लिए आग्रह कर रहे हैं और उन्होंने हड़ताल पर जाने की धमकी दी है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उनकी शेष मांगों को पूरा करने का है और यदि हां, तो कब तक?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे): (क) से (ग) जुलाई, 1987 में घोषित किए गए लाभों के पैकेज में शामिल की गई अधिकांश मदों को कार्यान्वित किया जा चुका है।

6 वर्ष की सेवा वाले मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, एसोशिएट प्रोफेसरों और 9 वर्ष की सेवा वाले लोक स्वास्थ्य उप-संवर्ग के विशेषज्ञ ग्रेड -II अधिकारियों को 4500-5700 रु० के वेतनमान में नियुक्त करने संबंधी मदों को कार्यान्वित नहीं किया गया है, क्योंकि इस प्रकिया से संबद्ध सभी प्रशासनिक औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया गया है । इस कार्यान्वयन को पूरा करने के लिए शीघ्र कार्यवाही की जा रही है।

डाक्टरों ने सरकार द्वारा जुलाई, 1987 में घोषित किए गए पैकेज के बकाया उपबंधों और अनेक अस्वीकृत और नई मांगों को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए अभिवेदन किया है। उन्होंने अपने संघर्ष को जारी रखने का संकल्प किया है।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश को चावल की सप्लाई

*110 **श्री मानिक रेड्डी :**
श्री जी० भूपति :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार राज्यों को किस मूल्य पर चावल की सप्लाई करती है ;

(ख) क्या प्रत्येक राज्य से भिन्न-भिन्न मूल्य लिया जाता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) आंध्र प्रदेश को सार्वजनिक वितरण के लिए अन्य किन वस्तुओं की सप्लाई की जाती है;

(घ) क्या गत दो वर्षों के दौरान राज्य सरकार की मांग के अनुसार इन वस्तुओं की सप्लाई की गई है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम): (क) चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्य देश के सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लिए एक समान होते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए साधारण, बढ़िया और उत्तम किस्मों के चावल के वर्तमान निर्गम मूल्य क्रमशः 244 रुपये, 304 रुपये और 325 रुपये प्रति क्विंटल हैं और समन्वित आदिवासी विकास परियोजना के इलाकों तथा आदिवासी बहुल राज्यों को आपूर्ति करने के मामले में इन किस्मों की प्रत्येक किस्म के लिए मूल्य 50 रुपये प्रति क्विंटल कम हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) गेहूं, आयतित खाद्य तेल और चीनी ।

(घ) और (ड) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में सभा के पटल पर रखी जाती है।

विवरण

(मात्रा हजार मीटरी टन में)

किस्म	वर्ष	मांग	आवंटन
चावल	(1) चावल वर्ष 1986-87 (अक्टूबर से सितम्बर)	2355	1160
	(2) चावल वर्ष 1987-88 (अक्टूबर से सितम्बर)	2400-	995
गेहूं	गेहूं वर्ष 1987-88 (अप्रैल से मार्च)	290	252
	गेहूं वर्ष 1988-89 (अप्रैल से मार्च)	245	121

जिन्स	वर्ष	मांग	आवंटन
आयातित खाद्य तेल	तेल वर्ष 1986-87 (नवम्बर से अक्तूबर)	201	116
	तेल वर्ष 1987-88 (नवम्बर से अक्तूबर)	152.4	136.35
चीनी	1987 (पंचाग वर्ष)	*	309.732
	1988 (पंचाग वर्ष)	*	310.986

*कोई मांग आमंत्रित नहीं की जाती है।

नोट(1):-चावल और गेहूं के आवंटन केन्द्रीय पूल में स्टाक की समूची स्थिति, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं, बाजार-उपलब्धता और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर प्रत्येक मास के आधार पर किए जाते हैं ये खुले बाजार में उपलब्धता के अनुपूरक होते हैं।

(2) चीनी के मामले में 1.10.1986 को परियोजित जनसंख्या के लिए प्रतिमास प्रति व्यक्ति 425 ग्राम की एक समान दर पर फरवरी, 1987 से सभी राज्यों को चीनी के आवंटन किए जा रहे हैं। इसके अलावा, सितम्बर/अक्तूबर के दौरान त्यौहारों के लिए कुछ अतिरिक्त आवंटन भी किए जाते हैं।

(3) राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को आयातित खाद्य तेलों के किए जा रहे आवंटन अनुपूरक स्वरूप के होते हैं ओर उनका समायोजन अधिकतम/कमी के मौसम के अनुसार किया जाता है।

समाचार पत्रों के श्रमजीवी पत्रकारों तथा गैर-पत्रकार कर्मचारियों के लिए वेतन बोर्डों की रिपोर्ट

*111. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल:**

श्री कमला प्रसाद रावत:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समाचार पत्रों के श्रमजीवी पत्रकार तथा गैर पत्रकार कर्मचारियों के लिए वेतन बोर्डों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) इन रिपोर्ट के कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है; और

(घ) क्या रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने हेतु वेतन बोर्डों को और समय दिए जाने का कोई प्रस्ताव है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (श्री जिन्देश्वरी दुबे) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) लंबे विचार-विमर्श और सुनवाई के पश्चात संबंधित पक्षों, श्रमजीवी पत्रकारों और गैर-पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों के मजदूरी बोर्डों ने टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए अगस्त, 1988 में अपने अनन्तिम प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया और उन्हें प्रकाशित किया। तदनुसार उन्हे इस संबंध में उनकी टिप्पणियां प्राप्त हुई और तब से इन बोर्डों ने प्रस्तावों के लिए टिप्पणियों पर कर्मचारियों और नियोजकों की सुनवाईयां की हैं और अब यह मजदूरी बोर्ड बैठकें आयोजित कर रहे हैं ताकि अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दे सकें। इन मजदूरी बोर्डों के कार्यकाल 31-3-89 तक बढ़ा दिए गए हैं। यह बोर्ड अपने काम के संबंध में अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करते हैं तथापि मजदूरी बोर्डों के अध्यक्ष ने आश्वासन दिया है कि वह अंतिम रिपोर्ट 31-3-89 तक प्रस्तुत कर देंगे।

"पूअर नेशन्स फेस फूड इमरजेंसी" शीर्षक से समाचार

*112. **श्री कृष्ण सिंह:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 जनवरी, 1989 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "पूअर नेशन्स फेस फूड इमरजेंसी" शीर्षक से प्रकाशित उस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें सूखे, पर्यावरण के विनाश तथा मानव के कृत्यों के कारण जलवायु में परिवर्तन को, जो मानव के भविष्य के लिए खतरा है, रोकने के लिए विश्वव्यापी प्रयास करने का आह्वान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या इस संबंध में कोई उपाय करने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी): (क) जी, हां।

(ख) सूखे, पर्यावरणीय खराबियों तथा मानव की वजह से जलवायु संबंधी परिवर्तनों से खाद्य सुरक्षा को जो खतरे हो सकते हैं, भारत सरकार को उसकी जानकारी है। फिर भी, विश्व के विभिन्न भागों में जलवायु संबंधी परिवर्तनों से होने वाले क्षेत्रीय प्रभाव, विशेषकर कृषि के क्षेत्र में, की मात्रा का कोई आंकलन नहीं किया गया है। भारत विश्व में जलवायु परिवर्तन के कारणों, उसके प्रभाव और बचाव के संभावित उपायों का अध्ययन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है।

(ग) स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:—

1. वनों की सुरक्षा और सर्वेक्षण, वनरोपण कार्यक्रम और परती भूमि विकास।
2. भू-संरक्षण, जल संभर क्षेत्रों की सुरक्षा, मरुस्थलीकरण रोधी उपाय और भूमि की गुणवत्ता की सुरक्षा।
3. जल का संरक्षण और जल प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण
4. वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण
5. गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए उपाय
6. ऊर्जा के संरक्षण के लिए उपाय; और
7. स्थिति से निपटने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों में भाग लेना।

चलती-फिरती उचित दर की दुकानें

*113. **श्री अमर सिंह राठवा:** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में चलती-फिरती उचित दर की दुकानें कार्य कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को कितने वाहन उपलब्ध कराए गए हैं; और

(घ) क्या देश में और विशेषतः गुजरात में आदिवासी क्षेत्रों में चलती-फिरती उचित दर की दुकानों का विस्तार करने के लिए योजनाएं तैयार की गई हैं?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर सलाह दी गई है कि पहाड़ी दूरस्थ, दूर तक फैले हुए, रेगिस्तानी, आदिवासी तथा दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल वैनें चलाई जाएं, ताकि उन्हें आवश्यक वस्तुएं आसानी से उपलब्ध हो सकें। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार, 30.9.1988 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 342 मोबाइल उचित दर की दुकानें कार्य कर रही थीं। गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि उनके द्वारा चलाई जा रही 21 मोबाइल वैनों में से 18 राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं के वितरण का कार्य कर रही है।

केन्द्रीय योजना स्कीम के तहत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नांकित ब्यौरे के अनुसार वित्तीय सहायता दी गई है:—

वित्तीय वर्ष	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मंजूर की गई राशि (लाख रुपए में)	वाहनों की संख्या
1985-86	1. आंध्र प्रदेश	6.00	3
	2. असम	5.29	3
	3. बिहार	16.73	12
	4. मध्य प्रदेश	37.00	20
	5. उड़ीसा	22.00	11
	6. राजस्थान	8.00	4
	योग	95.02	53
1986-87	1. असम	15.68	8
	2. बिहार	12.50	5
	3. मणिपुर	19.00	9
	4. नागालैंड	12.50	5
	5. राजस्थान	15.00	6
	6. उत्तर प्रदेश	20.00	8
	योग	94.68	41
1987-88	1. आंध्र प्रदेश	12.50	5
	2. बिहार	25.00	10
	3. हिमाचल प्रदेश	15.00	6
	4. कर्नाटक	15.00	6
	5. मध्य प्रदेश	30.00	12
	6. उड़ीसा	17.00	7
	7. राजस्थान	35.00	14
	8. उत्तर प्रदेश	52.50	21
	9. चंडीगढ़	5.00	2
	योग	207.50	83
1988-89	1. आंध्र प्रदेश	27.50	11
	2. असम	15.00	6
	3. बिहार	27.50	11
	4. हिमाचल प्रदेश	12.50	5
	5. मध्य प्रदेश	30.00	12
	6. मणिपुर	12.50	5
	7. मिजोरम	9.68	4
	8. नागालैंड	13.50	6

वित्तीय वर्ष	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मंजूर की गई राशि (लाख रुपए में)	वाहनों की संख्या
	9. उड़ीसा	10.00	4
	10. राजस्थान	22.50	9
	11. सिक्किम	5.00	2
	12. उत्तर प्रदेश	27.50	11
	योग	213.18	86
	कुल योग	610.38	263

घटिया नमक की बिक्री

*114. **प्रो॰ मधु दंडवते:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गलगंड जैसी बीमारियों के निवारण हेतु देश में आयोडीन युक्त नमक उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या आई॰एस॰-7224 तथा खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम 1987 यथासंशोधित, के अंतर्गत निर्धारित मानक के अनुरूप निर्मित नमक से इस उद्देश्य की पूर्ति होती है;

(ग) यदि हां, तो क्या टाटा तथा हिन्दुस्तान साल्ट द्वारा तैयार किया जा रहा नमक निर्धारित मानक के अनुरूप है; और

(घ) यदि नहीं, तो घटिया किस्म के नमक की बिक्री बंद करने के लिए तथा इसकी किस्म में मानक स्तर तक सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ): सूचना राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बाल श्रमिक

*115. **श्रीमती जयन्ती पटनायक:**
श्री अनन्त प्रसाद सेठी:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बाल श्रम नीति में उल्लिखित कार्य योजना के आधार पर बाल कल्याण और पुनर्वास की परियोजनाएं तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो कितनी परियोजनाएं तैयार की गई हैं अथवा तैयार करने का विचार है और ये परियोजनाएं किन-किन राज्यों में कार्यान्वित की जा रही हैं; और

(ग) बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 को लागू करने हेतु प्रवर्तन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न राज्यों को अब तक कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है?

श्रम मंत्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय बाल श्रम नीति के अंतर्गत प्रारंभ में दस परियोजनाओं पर विचार किया गया था। इनमें

से आठ परियोजनाओं को तैयार किया गया है तथा उन्हें मंजूरी दी गई है। ये परियोजनाएं तमिलनाडु में शिवाकाशी, राजस्थान में जयपुर, उत्तर प्रदेश में मोरादाबाद, फिरोजाबाद, मिर्जापुर, भादोही तथा अलीगढ़, आंध्र प्रदेश में झार्कापुर, और मध्य प्रदेश में मंदसौर में लागू की जा रही है। गुजरात में सूरत और जम्मू व काश्मीर में शेष दो परियोजनाओं को राज्य सरकारों द्वारा तैयार नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश के जाग्गमपेठ में अभी हाल ही में एक और परियोजना को मंजूरी दी गई है।

(ग) बालकों तथा महिला कर्मकारों से संबंधित श्रम विधानों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रायोगिक योजना के अधीन आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों को 43,062/- रु० की निधियां मंजूर की गई हैं।

रासायनिक दुर्घटनायें

*118. **श्री एच०एन० नन्जे गौड़ा:**
श्री शांति लाल पटेल:

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने ऐसे पर्याप्त एहतियाती उपाय किये हैं ताकि भोपाल गैस दुर्घटना जैसी भयंकर रासायनिक दुर्घटनाएं भविष्य में न हों;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाए हैं;

(ग) भोपाल गैस दुर्घटना के बाद हुई रासायनिक दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है: और

(घ) प्रत्येक मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी): (क) से (घ). ससद ने 1986 में पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम बनाया, जिसमें खतरनाक पदार्थों के प्रबंध और इस बारे में प्रक्रियाओं और सुरक्षा उपायों को निर्धारित करने की व्यवस्था है। इसके पश्चात सरकार ने बड़ी रासायनिक दुर्घटनाओं से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) मंत्रालय ने खतरनाक और विषैले रसायनों को अधिसूचित करने और उनके संचालन के लिए प्रारूप नियम तैयार किए हैं।

(2) मंत्रालय में एक खतरनाक पदार्थ प्रबंध प्रभाग स्थापित किया गया है।

(3) रासायनिक आपदाओं से निपटने के लिए एक त्रि-स्तरीय प्रणाली अर्थात् केन्द्रीय संकट ग्रुप, राज्य स्तरीय संकट ग्रुप अथवा समन्वय समिति तथा जिला स्तरीय संकट ग्रुप वाली एक संकट प्रबंध योजना तैयार की गई है।

(4) केन्द्रीय संकट ग्रुप का पहले ही गठन किया जा चुका है। तेरह राज्यों और एक संघ शासित क्षेत्र ने समन्वय समितियों का गठन कर लिया है।

(5) अठारह राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों ने अपने क्षेत्राधिकार के भीतर खतरनाक रासायनिक उद्योगों का पता लगाया है। "स्थल पर" और "स्थल से दूर" आपातकाल योजनाएं भी तैयार की गई हैं।

(6) इस वित्तीय वर्ष के दौरान 13 राज्यों को जनशक्ति और प्रयोगशाला सुविधाओं से सज्जित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

(7) बड़ी रासायनिक दुर्घटना होने की स्थिति में समन्वित कार्यवाही करने के लिए एक

प्रभावी संचार प्रणाली स्थापित की गई है, जिसका नियंत्रण कक्ष पर्यावरण और वन मंत्रालय में कार्य कर रहा है।

(8) खतरनाक इकाइयों के आसपास रहने वाले लोगों को सूचना और प्रशिक्षण देकर सचेत किया जायेगा ताकि वे किसी आपातकाल या दुर्घटना की स्थिति का सामना कर सकें।

2. भोपाल गैस त्रासदी के बाद कोई बड़ी रासायनिक दुर्घटना नहीं हुई है। फिर भी कुछ राज्यों से कुछ रासायनिक दुर्घटनाओं की सूचना मिली हैं। इस संबंध में राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्यवाही में संबंधित औद्योगिक इकाइयों पर मुकदमा चलाना और उन्हें बंद करना शामिल है।
[हिन्दी]

खादी और ग्रामोद्योग आयोग को श्रम कानूनों से छूट

*117. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने श्रम कानूनों और दुकानों तथा अन्य प्रतिष्ठान अधिनियमों से छूट दिये जाने की मांग की है, जैसा कि 11 अगस्त, 1988 के "जनसत्ता" में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे): (क) जी, हां।

(ख) मौजूदा श्रम कानूनों के कार्यान्वयन के मामले में खादी और ग्राम उद्योग आयोग द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों का पता लगाने तथा इन पर काबू पाने के लिए उपयुक्त उपायों का सुझाव देने के लिए अक्तूबर, 1986 में एक अध्ययन दल गठित किया गया था। इस अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट जून, 1988 में प्रस्तुत कर दी जिस पर सरकार विचार कर रही है।

कौसा उद्योग में श्रमिकों की मजूरी

*118. **डा० प्रभात कुमार मिश्र:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले में कौसा उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है;

(ख) क्या इस उद्योग में नियोजित श्रमिकों को बहुत कम मजूरी दी जाती है;

(ग) क्या बिलासपुर जिले के चंपा शहर में इस मामले पर कोई आंदोलन शुरू किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) जी, हां।

(ख) से (घ). न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत मजदूरियों का निर्धारण/संशोधन करने तथा इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए समुचित राज्य सरकार है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने यह बताया है कि मजदूरी बढ़ाने के लिए 23.1.1989 को कौसा बुनकरों द्वारा शुरू किया गया आंदोलन राज्य श्रम विभाग के तत्वावधान में परस्पर मध्यस्थता द्वारा हल कर दिया गया है।
[अनुवाद]

शहरी क्षेत्रों में जल-मल निकासी सुविधायें

*119. **प्रो० नारायण चन्द पराशर:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सातवीं योजना के दौरान शहरी क्षेत्रों, विशेषकर जिला मुख्यालयों में जल-मल निकासी

और सफाई सुविधाओं की व्यवस्था हेतु विशेष श्रेणी के राज्यों को कोई प्राथमिकता/वरीयता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो योजना के प्रत्येक वर्ष के संबंध में तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या योजना के अंतिम वर्ष के दौरान यह व्यवस्था करने का विचार है।

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

चिकित्सा शिक्षा के लिये शीर्ष निकाय

*120. **श्री कमल नाथ**: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का चिकित्सा शिक्षा के पर्यवेक्षण के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरह का एक शीर्ष निकाय स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह शीर्ष निकाय कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे): (क) और (ख). चिकित्सा शिक्षा समीक्षा समिति, जिसकी रिपोर्ट 2 मई, 1986 को संसद के समक्ष रखी गई थी, ने एक स्वायत्त चिकित्सा और स्वास्थ्य शिक्षा आयोग की स्थापना करने की सिफारिश की थी, जो स्वास्थ्य विज्ञानों की सभी शाखाओं में समन्वय रखने, योजना बनाने और विभिन्न चिकित्सा और स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करने, स्वास्थ्य संबंधी जनशक्ति के विकास के लिए योजना बनाने, धनराशि का आवंटन करने तथा चिकित्सा और स्वास्थ्य संस्थानों को अनुदान देने आदि के लिए जिम्मेदार होगा। यह सिफारिश सिद्धांत रूप में स्वीकार कर ली गई है। और ऐसे एक आयोग की स्थापना करने के बारे में कार्य विधियां तैयार करने के लिए अनेक संगठनों और चिकित्सा शिक्षा वैज्ञानिकों के परामर्श से कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

(ग) ऐसा कोई संकेत देना संभव नहीं है।

चीनी और गन्ना का समर्थन मूल्य

1001. **श्री बी०एन० रेड्डी**: क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लेवी की चीनी और खुली बिक्री की चीनी के मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या सरकार ने लेवी चीनी के कोटे में भी कमी की है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा चीनी का क्या समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी०एल० बैठा): (क) लेवी चीनी के खुदरा निर्गम मूल्य को 5.10 रु० प्रति किलो से बढ़ाकर 1.1.89 से 5.25 रुपये प्रति किलो कर दिया गया है। खुली बिक्री की चीनी के मूल्य मंग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा शासित होते हैं। 22.2.89 को स्थिति के अनुसार प्रमुख मंडियों में खुली बिक्री की चीनी के खुदरा मूल्य 6.20 रुपये और 7.30 रुपये प्रति किलो के रेंज में चल रहे थे जबकि पिछले वर्ष उसी तारीख को ये मूल्य 6.30 रुपये से 6.80 रुपये प्रति किलो के रेंज में थे।

(ख) जी, नहीं।

(ग) चालू मौसम 1988-89 के दौरान चीनी फैक्ट्रियों द्वारा देय गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य 8.5 प्रतिशत की रिकवरी पर लेकिन जिसमें अधिक रिकवरियों के लिए आनुपातिक प्रीमियम देने की भी व्यवस्था है, 19.50 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।

खाद्यान्नों के भंडारण की बेहतर सुविधायें

1002. **श्री प्रकाश वी. पाटिल:** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपर्याप्त भंडारण सुविधाओं के कारण किसानों का खाद्यान्न काफी बड़ी मात्रा में नष्ट हो जाता है जिसे चूहे और कीट खा जाते हैं तथा बाजार में अधिक उपलब्धता के कारण उन्हें अपने उत्पाद मजबूरन कम कीमत पर बेचने पड़ते हैं;

(ख) क्या सरकार ने कम लागत वाली भंडारण सुविधाओं का विकास किया है जिन्हें प्राप्त करना एक सामान्य किसान के लिये आसान होगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के भीतरी कृषि क्षेत्र में ऐसी भंडारण सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं; और

(ङ) क्या इससे नुकसान को कम करने तथा वर्ष में बेहतर मूल्य प्राप्त करने के लिये किसानों की अपने उत्पादों की भंडारण क्षमता में सुधार हुआ है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी. एल. बैठा) : (क) खेत स्तर पर चूहों और अन्य कीटों द्वारा खाद्यान्नों की हानियों की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए कोई सुव्यवस्थित/व्यापक अध्ययन नहीं किए गए हैं। किसानों द्वारा उत्पादित खाद्यान्नों के लिए उन्हें उचित दामों की अदायगी सुनिश्चित करने के लिए सरकार, जहां कहीं आवश्यक होता है, वहां मूल्य समर्थन प्रदान करती है।

(ख) और (ग). भारतीय अनाज संचयन संस्थान ने अन्दर और बाहर रखने के लिए फार्म स्तर के 0.1 से 57 मीटरी टन क्षमता के रेंज में भण्डारण ढांचों के 39 विभिन्न डिजाइन विकसित किए हैं। उन्होंने फार्म स्तर पर 59 विभिन्न परम्परागत भण्डारण ढांचों में सुधार करने विषयक सुझाव भी दिए हैं।

(घ) केन्द्रीय अन्न सुरक्षा अभियान दल, पुणे ने पिछले तीन वर्षों के दौरान 1500 धात्विक बिन बेचे हैं और चुने गए गांवों में फार्म स्तर के 404 गैर-धात्विक भण्डारण ढांचों का निर्माण/उनमें सुधार किया है।

(ङ) केन्द्रीय अन्न सुरक्षा अभियान केवल निदर्शन प्रयोजनों के लिए है और वह फार्म स्तर पर भण्डारण में सुधार लाने के लिए राज्य सरकारों तथा प्राइवेट उद्यमियों के लिए एक उत्प्रेरक एजेन्सी के रूप में कार्य करता है।

नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली नगर निगम क्षेत्रों में कीआस्क और स्टालों का आवंटन

1003. **श्री कमला प्रसाद सिंह:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली नगर निगम के क्षेत्रों में कीआस्क और स्टालों का आवंटन बेरोजगार स्नातकों की बजाय केवल आवादकारों को ही किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का अपनी नीति की समीक्षा करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) नई दिल्ली नगरपालिका क्षेत्र में कियोस्क तथा स्टालों का आवंटन केवल अनधिवासियों और अन्यों को ही अत्यधिक सहानुभूति की परिस्थितियों में दिए जाते हैं, न कि बेरोजगार स्नातकों को। दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में कियोस्क सार्वजनिक नीलामी में आवंटित किए जाते हैं।

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका पुनर्वास उपाय के रूप में अनधिवासियों तथा अन्यों को अत्यधिक सहानुभूति की परिस्थितियों में स्टाल/कियोस्क का आवंटन करती है। जैसा कि ऊपर "क" में कहा गया है, दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में कियोस्क सार्वजनिक नीलामी में आवंटित किए जाते हैं।

(ग) इस नीति की समीक्षा करने का कोई विचार नहीं है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

आधुनिक प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकी के संबंध में फ्रांस के साथ समझौता

1004. **श्री के. प्रधानी:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत द्वारा आधुनिक प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए फ्रांस की गैर-सरकारी क्षेत्र की दो कम्पनियों तथा भारत के बीच हाल ही में एक संयुक्त उद्यम लगाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में प्रदूषण नियंत्रण तथा अपशिष्ट पदार्थों को संसाधित करने के लिए इस प्रौद्योगिकी को कब तक प्रयोग में लाये जाने की सम्भावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी): (क) और (ख). मैसर्स परनीत इन्वारोक्विप्स प्राइवेट लिमिटेड, चंडीगढ़ ने एलैक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रियों से व्यापार बहिस्रावों से भारी धातुओं के पुनर्लाभ के लिए फ्रांस के मैसर्ज वाटर ट्रीटमेंट एंड रिकवरीज एस. ए. आर. एल. के साथ सहयोग किया। मैसर्स भगवती एसोसिएट्स (प्राईवेट) लिमिटेड, बम्बई ने मलजल शोधन संयंत्रों के उत्पादन के लिए मैसर्स कम्पेनी डेस सर्विसड एसैनिसमैंट, फ्रांस के साथ सहयोग किया।

(ग) प्रौद्योगिकी को प्रयोग में लाए जाने की सम्भावना के बार में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

रासायनिक उद्योगों द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण

1005. **श्री मोहनभाई पटेल:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लगभग सभी बड़े शहरों में बड़े पैमाने पर रासायनिक उद्योग स्थापित किये जा रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप उन शहरों में, तथा विशेष रूप से रासायनिक उद्योगों के आसपास रहने वाले लोगों के जीवन के लिये खतरा बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिये सरकार का क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार ने नये औद्योगिक एककों की स्थापना करने के लिये लाइसेंस देने से पूर्व प्रदूषण नियंत्रण संबंधी उपाय भी सुनिश्चित किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी): (क) जी, नहीं, तथापि कुछ बड़े शहरों के इलाकों में ऐसी स्थिति है।

(ख) प्रदूषक उद्योगों की श्रेणी में आने वाले सभी मझोले और बड़े रासायनिक उद्योगों को संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और राज्य सरकारों से पर्यावरण की दृष्टि से आवश्यक रूप से मंजूरी लेनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक क्षेत्र की केन्द्रीय सरकार की परियोजनाओं को पर्यावरण और वन मंत्रालय से पर्यावरण की दृष्टि से मंजूरी लेनी होती है। उपचारात्मक उपायों में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत प्रदूषण निवारण कार्य शामिल हैं।

(ग) और (घ). जी, हां। 20 प्रदूषक उद्योगों के मामले में सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के पश्चात् ही इंटेंट पत्र को औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तित किया जाएगा:—

(1) राज्य के उद्योग निदेशक इस बात की पुष्टि करें कि सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा परियोजना स्थल को पर्यावरण की दृष्टि से मंजूर किया गया है;

(2) उद्यमी राज्य सरकार और केन्द्र सरकार दोनों को यह वचन दे कि वह प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण के लिए उपयुक्त उपकरण स्थापित करेगा और निर्धारित उपायों को कार्यान्वित करेगा;

(3) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह प्रमाणित कर दिया हो कि प्रस्ताव पर्यावरणीय अपेक्षाओं के अनुकूल है और स्थापित किया गया अथवा स्थापित किया जाने वाला उपकरण अपेक्षाओं की दृष्टि से पर्याप्त और समुचित है।

भूखंड मालिकों द्वारा मकानों का निर्माण करने संबंधी योजना

1006. **श्री परसराम भारद्वाज:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूखंडों पर उनके मालिकों द्वारा मकानों का निर्माण करने हेतु हाल ही में एक नई योजना शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नर्मदा (इंदिरा) सागर बांध

1007. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेषज्ञों ने यह मत व्यक्त किया है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा (इंदिरा) सागर बांध का निर्माण किये जाने से जलाशय से उत्पन्न होने वाले कम्पन के कारण भूकम्प आने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का कितने वन-क्षेत्र पर प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ग) क्या सरकार ने इस परियोजना को अन्तिम रूप से मंजूरी दे दी है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी): (क) आमतौर पर ये विश्वास किया जाता है कि जलाशय के बनने से भूकम्पीय कम्पन में वृद्धि होती है परन्तु इसकी तीव्रता में नहीं। उपयुक्त डाटा तैयार करना अन्तर्राष्ट्रीय पद्धति है जिसके आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि जलाशय से उत्पन्न होने वाली कम्पन के कारण भूकम्प में वृद्धि होती है या नहीं। तदनुसार, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान स्टेशन, पुणे द्वारा किये गये अध्ययन के आधार पर इस क्षेत्र में भूकम्पीय निगरानी और प्रबोधन के लिए केन्द्रों को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

(ख) इस परियोजना के कारण 41,111.97 हेक्टेयर वन क्षेत्र के प्रभावित होने की सम्भावना है।

(ग) जी, हां।

खतरनाक रसायनों के आयात पर प्रतिबंध

1008. **श्री एच० बी० पाटिल:**
श्री जगन्नाथ पटनायक:

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खतरनाक पदार्थों के प्रबन्ध एवम प्रदूषण नियंत्रण विषय पर राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों के दिसम्बर, 1988 में हुए सम्मेलन में खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के चोरी-छिपे आयात को रोकने हेतु बड़ी स्पष्ट सिफारिश की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी): (क) जी, हां?

(ख) सम्मेलन में, पर्यावरण और वन मंत्रालय के मार्गदर्शन में सीमाशुल्क प्राधिकारियों और मुख्य नियंत्रक आयात और निर्यात की सहायता से देश में खतरनाक पदार्थों के आयात को नियंत्रित करने के महत्व पर जोर दिया गया। पार्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत उपयुक्त नियमावली के समावेशन की भी सिफारिश की गई।

[हिन्दी]

पर्यावरण और वन मत्रालय के कार्यालय में लगी आग

1009. **श्री एस० डी० सिंह:**
श्री सरफराज अहमद:

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में सी० जी० जो० काम्पलैक्स, नई दिल्ली स्थित पर्यावरण मंत्रालय के कार्यालय में आग लगने की कोई दुर्घटना हुई थी;

(ख) यदि हां, तो आग लगने के क्या कारण हैं और इस आग से कुछ कितनी हानि हुई; और

(ग) क्या इस अग्निकांड में कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जल गए थे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी): (क) जी, हां।

(ख) आग लगने के सही कारण का पता नहीं लगाया जा सका लेकिन मालूम होता है कि यह आग सम्भवतया या तो बिजली के शार्ट सर्किट होने से लगी या फिर बिजली के किसी उपकरण के स्विच को भूल से बन्द न किए जाने के कारण लगी है।

आग लगने के कारण मुख्यतया लेखन सामग्री, कैन्टीन के सामान और फर्नीचर, मनोरंजन सामग्री, कार्यालय उपक्रणों के जलने से कुल 6.32 लाख रुपए की क्षति होने का अनुमान है।

(ग) जी, नहीं। यह आग सीधे सिर्फ पर्यावरण भवन के छठे तल पर लगी थी, जहां मुख्य रूप से कैन्टीन, भोजन कक्ष, मनोरंजन कक्ष, लेखन सामग्री और विविध भंडार सामग्री थी।

[अनुवाद]

विभिन्न प्रकार के रोगियों की संख्या

1010. **श्री लक्ष्मण मलिक:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत में अंधता, कुष्ठ, पागलपन, रक्ताल्पता, क्षयरोग और यौन रोगों के रोगियों की संख्या के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो इन रोगों के रोगियों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है; और

(ग) इन रोगियों की रोकथाम के लिये सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान विशेष रूप से उड़ीसा में क्या कदम उठाये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री(कुमारी सरोज खापर्डे):(क) से (ग). उपलब्ध सूचना के आधार पर भारत में दृष्टिहीनता, कुष्ठ, पागलपन, रक्ताल्पता, क्षयरोग और रतिजरोगों के बारे में स्थिति नीचे दी गई है:—

दृष्टिहीनता:

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा वर्ष 1971-73 के दौरान अहमदाबाद, कटक, दिल्ली, इंदौर, मदुराई, श्रीनगर और वाराणसी नामक सात केन्द्रों में दृष्टिहीनता व्याप्तता सर्वेक्षण किए गये थे और यह अनुमान लगाया गया था कि 1971 जनगणना के आधार पर भारत में 31 लाख व्यक्ति पूर्णरूपेण दृष्टिहीन हैं। अलग-अलग केन्द्रों में व्याप्तता प्रति एक हजार व्यक्तियों पर 5 से 28 व्यक्तियों के बीच थी।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा वर्ष 1982-83 के दौरान विभिन्न केन्द्रों में मोतियाबिन्दु व्याप्तता के बारे में एक अन्य सर्वेक्षण भी किया गया था और 40 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले व्यक्तियों में मोतियाबिंदु की व्याप्तता भिन्न-भिन्न यानि रायपुर में 31 प्रतिशत और अंगामल्लो में 73 प्रतिशत के बीच थी।

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियन्त्रण कार्यक्रम देश भर में 1976-77 में चलाया गया था जिसका उद्देश्य ईसवी सन् 2000 तक दृष्टिहीनता की घटनाओं को 1.4% से घटाकर 0.3% तक सालाना है। इस नीति में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीय स्तरों पर दूर-दराज क्षेत्रों में शिविर लगा कर और स्वास्थ्य शिक्षा देकर नेत्र परिचर्या के लिए आधारभूत ढांचा तैयार करना शामिल है।

उड़ीसा राज्य के लिए पिछले 3 वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम के अधीन निम्नलिखित आधारभूत ढांचा स्थापित/सुदृढ़ किया गया है: "88 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दो जिला चल एकक, 2 नेत्र बैंक।"

कुष्ठ:

कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों के संबंध में कोई नियमित सर्वेक्षण नहीं किया गया है। 1981 में जन गणना के अनुसार यह अनुमान है कि देश में कुष्ठ रोगियों की संख्या 39.16 लाख है जिसकी दर प्रति 1,000 जनसंख्या के पीछे 5.77 बैठती है। सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय कुष्ट उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया जा चुका है।

पागलपन:

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने बड़ौदा, कलकता, पटियाला और बंगलौर में मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहु-केन्द्रीय सहयोग अध्ययन के रूप में एक गंभीर मानसिक रोग दर अध्ययन शुरू किया था।

बड़ौदा और कलकता में मिरगी की दरें पायी गई थी (प्रति हजार जनसंख्या के पीछे 1.20 और 1.71) जबकि पटियाला में यह दर अधिक थी (प्रतिहजार जनसंख्या के पीछे 3.17)। बंग्लौर में इसकी

व्यापतता अधिकतम है (प्रति हजार जनसंख्या पर 7.82)। बंगलौर में सर्वेक्षण के दौरान पता लगाए गए कुल रोगियों में से 70% रोगी मिरगी के रोगी थे जबकि बड़ौदा, कलकता और पटियाला में यह प्रतिशतता क्रमशः 28%, 20% और 22% थी। इन रोगियों में से अधिकांश रोगी 14 वर्ष तक की छोटी आयु वर्ग के थे। इसी प्रकार बंगलौर और बड़ौदा के मुकाबले कलकता और पटियाला में अवसादक मनोविकृत रोगियों की दरें अधिक थी।

रक्ताल्पता:

हैदराबाद के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् के अधीन राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चला है कि 64% वयस्क महिलाएं, 85% गर्भवती महिलाएं, 65% स्कूली बच्चे, 76% स्कूल जाने से पूर्व की आयु के बच्चे और 43% व्यस्क पुरुष रक्ताल्पता से ग्रस्त हैं। राष्ट्रीय पौषणिक रक्ताल्पता प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं और बच्चों को आयरन की गोलियां और फॉलिक एसिड की गोलियाँ सप्लाई की जाती है।

क्षयरोग:

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा एक नमूना सर्वेक्षण 1955-58 के दौरान किया गया था और उसके राष्ट्रीय क्षयरोग संस्थान, बंगलौर द्वारा सीमित सर्वेक्षण किए गए थे। इन अध्ययनों से इस बात का कोई सबूत नहीं मिलता कि क्षयरोगियों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है।

देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों सहित सभी मौजूदा चिकित्सा और स्वास्थ्य संस्थानों के ज़रिए मुफ्त नैदानिक और उपचार कार्यकलापों को शुरू करने के लिए पूरी तरह से उपकरणों और कर्मचारियों से लैस जिला क्षयरोग केन्द्र कार्य कर रहे हैं। इस रोग को फैलने से रोकने के लिए व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के एक अंश के रूप में 0-1 वर्ष की आयु के बच्चों का बी॰ सी॰ जी॰ का टीका लगाया जाता है। आकाशवाणी, दूरदर्शन, स्पाट्स समाचार पत्रों में विज्ञापनों के जरिए और पत्रिकाएं और पैम्पफलैट् वितरित करके स्वास्थ्य शिक्षा देने के लिए अलग से बजट व्यवस्था की गई है। स्वयं सेवी संगठन भी क्षयरोग रोधी-औषधें, सामग्री और उपकरण प्रदान कर रहे हैं।

उड़ीसा राज्य में सभी 13 जिलों का इस कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है और क्षयरोग के गंभीर रोगियों के उपचार के लिए 911 क्षयरोग पलंग उपलब्ध है। उपचार की अवधि को 18-24 महीने से घटाकर 6-8 महीने करने के लिए राज्य के 7 जिलों में कैमोथिरेपी औषध रजीमेन छोटा कोर्स शुरू किया गया है। उड़ीसा राज्य सरकार की क्षयरोग रोधी औषधों, सामग्री और उपकरणों की सप्लाई करके सहायता की गई है। राष्ट्रीय क्षय रोग कार्यक्रम के प्रभावी पर्यवेक्षण और कार्यान्वयन के लिए राज्य को 1988-89 के दौरान 2 वाहन प्रदान किए गए हैं। उड़ीसा सरकार को 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के वर्षों के दौरान क्रमशः 29.02 लाख रुपये 25.84 लाख रुपये और 35.14 लाख रुपये दिए गए थे।

यौन रोग:

भारत में यौन रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों के संबंध में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। उड़ीसा राज्य में 1985, 1986 और 1987 के दौरान यौन संचालित रोग क्लिनिकों द्वारा सूचित किए गए रोगियों की कुल संख्या और इस रोग में हुई वृद्धि की प्रतिशतता उपलब्ध सूचना के अनुसार नीचे दी गई है:—

55/23/LS/89 - 5

वर्ष	यौन संचारित रोगियों की कुल संख्या	प्रतिशतता वृद्धि +, कमी (—)
1985	97,536	
1986	94,439	(-) .3
1987	96.343	(+).49

इस रोग को नियंत्रित करने के लिए सरकार क्षेत्रीय यौन संचारित रोग केन्द्रों में सेवा कालीन चिकित्सा और अर्थ-चिकित्सा कार्मिकों को इस रोग के क्लिनिकल और प्रयोगशाला प्रबंध में प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। सरकार इस रोग की गंभीरता के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए गहन स्वास्थ्य सामुदायिक शिक्षा भी प्रदान कर रही है।

गैर-सरकारी तथा सहकारी क्षेत्रों में चीनी मिलें

1011. **श्री गुरुदास कामत:** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय गैर-सरकारी तथा सहकारी क्षेत्र में कुल कितनी चीनी मिलें हैं;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अभी तक कितनी चीनी मिलें स्थापित की गईं तथा शेष अवधि में कितनी और मिलें स्थापित किये जाने का विचार है;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य में नई चीनी मिलें स्थापित करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चीनी मिलों की स्थापना के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है तथा अब तक कितनी राशि प्रदान की गई है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा): (क) देश में सरकारी क्षेत्र की 56 चीनी मिलों के अलावा प्राइवेट क्षेत्र में 119 चीनी मिलें और सहकारी क्षेत्र में 213 चीनी मिलें हैं।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक प्रत्येक 1250 टी० सी० डी० क्षमता की 30 चीनी मिलें स्थापित की गई हैं। सातवीं योजना के दौरान नये यूनिट स्थापित करने तथा वर्तमान यूनिटों में विस्तार करने के लिए अब तक 24.31 लाख मीटरी टन की क्षमता के लिए लाइसेंस प्रदान किए गए हैं। किसी वर्ष विशेष में स्थापित की जाने वाली मिलों की संख्या पहले निश्चित नहीं की जाती है।

(ग) और (घ) जी हां। उड़ीसा राज्य में प्रत्येक 2500 टी० सी० डी० क्षमता की नयी चीनी मिलें स्थापित करने के लिए तीन प्रस्ताव खाद्य विभाग में प्राप्त हुए हैं। सरकार द्वारा इन प्रस्तावों पर शीघ्र ही निर्णय ले लिए जाने की संभावना है।

(ङ) केन्द्रीय सरकार चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए कोई धनराशि निश्चित नहीं करती है।

वनों के विकास के लिये परिव्यय

1012. **श्री सैयद शाहबुद्दीन:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू योजना के अन्तर्गत वन विकास एवं संरक्षण हेतु योजना-वार प्रस्तावित परिव्यय का ब्यौरा क्या है;

(ख) 31 मार्च, 1988 तक कुल कितना परिव्यय किया गया तथा वर्ष 1988-89 के दौरान कितना व्यय होने का अनुमान है; और

(ग) योजना-अवधि के दौरान सामाजिक वानिकी से अलग, पुनर्वनरोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने अतिरिक्त क्षेत्र में वन लगाने का प्रस्ताव है तथा वस्तुत: अब तक कितने क्षेत्र में वन लगाया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी): (क) वन विकास और संरक्षण पर सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए प्रस्तावित परिव्यय 1856.39 करोड़ रुपये है, जिसमें से केन्द्रीय क्षेत्र के

अन्तर्गत परिव्यय 447 करोड़ रुपये हैं। केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत स्कीम-वार परिव्यय संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) 31 मार्च, 1988 तक कुल व्यय 1040 करोड़ रुपये है। 1988-89 के दौरान व्यय का अनुमान 496 करोड़ रुपये है।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत 10 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में वनरोपण का लक्ष्य है। 31 मार्च, 1988 तक की प्रगति 5.04 मिलियन हेक्टेयर है जिसमें सामाजिक वानिकी कार्यक्रम भी शामिल हैं। सामाजिक वानिकी से भिन्न वनरोपण के आंकड़े अलग से संकलित नहीं किए जाते हैं।

विवरण

7वीं पंचवर्षीय योजना के लिए वानिकी स्कीमों के तहत प्रस्तावित परिव्ययः

क्रम सं॰	स्कीम	प्रस्तावित परिव्यय (करोड़ रुपए में)
1.	पारिस्थितिक रूप से संवेदी क्षेत्रों का संरक्षण	68.00
2.	सामाजिक वानिकी	98.00
3.	उत्पादन वानिकी	10.00
4.	वानिकी अनुसंधान	33.00
5.	वन शिक्षा और प्रशिक्षण	20.00
6.	विस्तार और प्रचार	10.00
7.	औषधीय पौधों सहित लघु वन उपज का विकास	6.00
8.	आदिवासी विकास	20.00
9.	अन्य स्कीमें	25.00
10.	राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड	127.00
11.	वन्यजीव संरक्षण	30.00
12.	राज्य क्षेत्र की स्कीमें	1409.39
	कुल :	1856.39

शिशु मृत्यु दर में कमी करने के लिये उपाय

1013. **श्री भद्रेश्वर तांती:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने शिशु मृत्यु दर में कमी करने तथा विभिन्न राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों में प्रसूति और बाल कल्याण सेवाएं प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उद्देश्य से तत्संबंधी योजना को असम में पिछले तीन वर्षों के दौरान किस सीमा तक कार्यान्वित किया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे): (क) और (ख). विभिन्न राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर कम करने और जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करने के

लिए सरकार ने राज्य-क्षेत्र की योजनाओं और केन्द्रीय सहायता प्राप्त स्कीमों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या संस्थानों की स्थापना करने, चिकित्सा और अर्ध चिकित्सा कार्यकर्ताओं (पुरूष और महिला, दोनों) को प्रशिक्षण प्रदान करने, पारम्परिक दाइयों को प्रशिक्षण प्रदान करने और उन्हें सामग्री किट सप्लाई करने के लिए कदम उठाए हैं। प्रसवपूर्व, प्रसवकालीन और प्रसवोत्तर परिचर्या उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उपकेन्द्र खोले जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया है और उन्हें रोगियों का पता लगाने और खतरे की स्थिति में होने पर उन्हें सक्षम चिकित्सा कार्मिकों या संस्थाओं को भेजने की सलाह दी गई है। रोग प्रतिरक्षण स्कीम का विस्तार गर्भवती माताओं को शत प्रतिशत और शिशुओं को कम से कम 85 प्रतिशत लाभान्वित करने के लिए किया गया है। ओरल रिहाइड्रेशन थिरेपी को अतिसार रोगियों में रिहाइड्रेशन के कारण होने वाली रुग्णता और मृत्यु का उपचार करने के लिए एक उपाय के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। स्तनपान को बढ़ावा देने और दूध छुड़ाने की उचित प्रणालियों के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा दी जा रही है। पोषण की कमी से होने वाली रक्ताल्पता की रोकथाम और समन्वित बाल विकास सेवाओं के अन्तर्गत पूरक पोषण में क्रमशः वृद्धि की जा रही है। चुने हुए अलाभान्वित क्षेत्रों में विशेष क्षेत्रीय परियोजना शुरू की जा रही है।

(ग) असम राज्य की उपलब्धि निम्न प्रकार है:—

30.6.88 की स्थिति के अनुसार 11275 दाइयों, 1678 बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं (महिला) 3224 बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं (पुरूष), 126 स्वास्थ्य सहायकों (महिला), 774 स्वास्थ्य सहायकों (पुरूष) और 494 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है। 30.6.88 को राज्य में 3242 उपकेन्द्र, 390 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्य कर रहे थे।

1988-89 तक राज्य में 12 जिलों को व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम और ओरल रिहाइड्रेशन थिरेपी से लाभान्वित किया गया है।

पर्यावरणीय शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता

1014. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराव वाडियर:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पर्यावरणीय शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा पर्यावरणीय शिक्षा को बढ़ावा देने और पर्यावरणीय संरक्षण के बारे में लोगों में जागृति पैदा करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी): (क) और (ख) जी हां। पर्यावरणीय शिक्षा को बढ़ावा देने और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:—

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अनुसरण में उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर पर्यावरणीय शिक्षा और अध्ययन सम्बन्धी एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा तैयार किया गया है। विश्वविद्यालय पर्यावरण सम्बन्धी विज्ञानों में स्नातक, स्नातकोत्तर और डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रस्तुत करते हैं।
2. सरकार द्वारा एक चालू कार्यक्रम के रूप में 1986 से एक राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान चलाया गया है जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों, व्यवसायियों, संचार माध्यम, कार्मिकों और पत्रकारों, स्वयं सेवी एजेंसियों, व्यावसायिक निकायों, चुने हुए प्रतिनिधियों, गैर-सरकारी संगठनों, सामुदायिक कार्य दलों आदि जैसे विभिन्न लक्ष्य समूहों के लिए सेमिनार, कार्यशालाएं, प्रदर्शनियां, निबन्ध प्रतियोगिताएं, पदयात्राएं जैसी विभिन्न गतिविधियां आयोजित करके देश भर में पर्यावरणीय जागरूकता पैदा करना है।

3. स्कूली शिक्षा को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए एक नई केन्द्रीय **प्रायोजित** स्कीम शुरू की गई ताकि स्कूलों में शिक्षा कार्यक्रम का सामंजस्य स्थानीय पर्यावरणीय परिस्थितियों और चिन्ताओं के साथ बिठाया जा सके।

4. सरकार पर्यावरण के संबंध में स्रोत सामग्री के विकास तथा पर्यावरण शिक्षा के सम्बन्ध में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, अहमदाबाद और मद्रास को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

5. राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, दिल्ली स्कूली बच्चों के लिए पर्यावरणीय शिक्षा से **संबंधित** अनेक गतिविधियां आयोजित करने में लगा है।

पूर्वी घाट के वन क्षेत्र का समाप्त होना

1015. **श्री हरिहर सोरन:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वी घाट के वन क्षेत्र में तेजी से कमी हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो पूर्वी घाट में वृक्षों की कटाई रोकने तथा वनों का संरक्षण करने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारा**):** (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कमी

1016. **श्री विजय एन. पाटिल:** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के पारित हो जाने के **पश्चात्**, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में कमी आई है तथा उनकी गुणवत्ता में सुधार हुआ है;

(ख) यदि नहीं। तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सभी संबंधित लोगों द्वारा संरक्षण उपभोक्ता अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने को सुनिश्चित बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा): (क) और (ख) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को बेहतर संरक्षण प्रदान करना हे और इसमें दोषपूर्ण वस्तुओं, खराब सेवाओं तथा अनुचित व्यापार पद्धतियों आदि से संबंधित मामलों में उपभोक्ताओं की शिकायतों को शीघ्र निपटाने के लिए प्रतितोष तंत्र की परिकल्पना की गई है। इसका वस्तुओं के मूल्यों तथा उनकी गुणवत्ता से कोई सीधा संबंध नहीं है। तथापि, इससे, विशेषकर वस्तुओं की गुणवत्ता तथा मूल्य के पहलू के बारे में उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा हुई है। कुल मिलाकर, आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रण में रखा गया है। 4.2.1989 को समाप्त गत एक वर्ष के दौरान समग्र वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक में केवल 5.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(ग) इस अधिनियम के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किए जाने वाले कार्यान्वयन पर बारीकी से अनुवर्ती कार्यवाही की जाती है, उसका समन्वय और परिवीक्षा की जाती है। इस प्रयोजन के लिए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें की गई हैं। इस मामले पर अनेक पत्रों, टेलेक्स संदेशों, तारों आदि के जरिए भी अनुवर्ती कार्यवाही की गई है। परिणामस्वरूप सात राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में प्रतितोष मंच कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा, सात राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों ने प्रतितोष संस्थाएं भी अधिसूचित की है।

केरल में कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया धनराशि

1017. **श्री सुरेश कुरुप:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में 31 दिसम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों के कर्मचारी भविष्य निधि की कितनी धनराशि नियोक्ताओं की ओर बकाया थी; और

(ख) बकाया धनराशि की वसूली के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधाकिशन मालवीय): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, केरल में नियोजकों के विरूद्ध कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया देय राशियां 30 सितम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार इस प्रकार थीं:

	रुपये लाखों में
छूट प्राप्त प्रतिष्ठान	65.85
छूट न प्राप्त प्रतिष्ठान	245.48

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारी बकाया देय राशियों की वसूली के लिए चूककर्ताओं के विरूद्ध सामान्यतया निम्नलिखित कार्रवाई करते हैं:—

(i) क० भ० नि० अधिनियम की धारा 8 के अधीन राजस्व वसूली प्रमाणपत्र जारी करना;
(ii) क० भ० नि० अधिनियम की धारा 14 के अधीन अभियोजन दायर करना;
(iii) कर्मचारियों की मजदूरियों से कटौती किए गए अंशदान की अदायगी न करने के मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 406 / 409 के अधीन शिकायतें दायर करना;
(iv) क० भ० नि० अधिनियम की धारा 14-ख के अधीन हर्जाने लगाना।

संयुक्त प्रौद्योगिकी सम्मेलन में की गई सिफारिशें

1018. **श्री के० राममूर्ति:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अहमदाबाद में फरवरी 1989 के प्रथम सप्ताह में अहमदाबाद वस्त्र उद्योग अनुसंधान संघ द्वारा आयोजित 30वें संयुक्त प्रौद्योगिकी सम्मेलन में क्या क्या सिफारिशें की गई थीं; और

(ख) इन सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम): (क) और (ख) 30वें संयुक्त प्रौद्योगिकीय सम्मेलन ने सरकार की अपेक्षा सहभागी वैज्ञानिकों और संगठनों द्वारा संयुक्त कार्रवाई करने के लिए ग्रस्ट क्षेत्रों को अभिशात किया है।

आन्ध्र प्रदेश में कुष्ठ रोगी और पुनर्वास केन्द्र

1019. **श्री के० नारायण स्वामी:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आन्ध्र प्रदेश में कुष्ठ रोग से कुल कितने लोग प्रभावित हैं;

(ख) आन्ध्र प्रदेश में कुल कितने कुष्ठ पुनर्वास केन्द्र हैं और उनमें कुल कितने कुष्ठ रोगियों को रखा गया है;

(ग) क्या 1989-90 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में और अधिक कुष्ठ पुनर्वास केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे): (क) नवम्बर, 1988 में आंध्र प्रदेश में 3,63,605 कुष्ठरोगी दर्ज किए गए हैं।

(ख) तिरुमलै तिरुमति देवस्थानम, तिरुपति से सम्बद्ध आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 50 पलंगों वाले एक कुष्ठरोग पुनर्वास संवर्धन एकक की मंजूरी दी है। यह एकक 50 कुष्ठ रोगियों को शल्य चिकित्सा, कृत्रिम अंगों और व्यावसायिक थिरेपी की सुविधाएं प्रदान करेगा।

(ग) वर्ष 1989-90 के दौरान आंध्र प्रदेश में कुष्ठ रोगियों के लिए और अधिक पुनर्वास केन्द्र खोले जाने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में मेडिकल कालेजों के विकास के लिये विशेष सहायता

1020. **श्री श्रीहरि राव.** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मेडिकल कालेजों के विकास के लिये आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को विशेष सहायता दिये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मेडिकल कालेजों के विकास के लिए किसी राज्य को विशेष सहायता देने की कोई स्कीम नहीं है।

वनस्पति इकाईयों को आयातित तेलों की सप्लाई के लिए नए मानदण्ड

1021. **श्री टी० वी० चन्द्रशेखरप्पा :**
श्री जी० एस० वासवराजू:

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का वनस्पति इकाईयों को आयातित तेल की सप्लाई के संबंध में नए नियम बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा): (क) और (ख) सरकार ने निर्णय किया है कि 1- 12- 1988 से वनस्पति एककों को दुलाई, बिक्री कर आदि की प्रतिपूर्ति किए बिना, आयातित खाद्य तेल 19,000 रु० प्रति मी० टन पर दिए जाएंगे, ताकि आयात के स्तर को कम किया जा सके, साथ ही किसानों को लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित किए जा सकें ।

केरल में छोटे और मध्यम श्रेणी के शहरों का विकास

1022. **प्रो० पी० जे० कुरियन:**
प्रो० के० वी० थामस:

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छोटे और मध्यम श्रेणी के शहरों के समेकित विकास के लिए केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत केरल में विकास हेतु चयन किये गये छोटे और मध्यम श्रेणी के शहरों के नाम क्या हैं;

(ख) इसके लिए शहर-वार, अब तक कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) इस संबंध में केरल को सहायता देने संबंधी भावी योजना का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) और (ख):-

	नगर	31-3-1988 तक रिलीज की गई केन्द्रीय सहायता (रुपये लाखों में)
1.	बड़ागाड़ा	46.45
2.	चंगनचेरी	46.36
3.	गुरुवायूर	42.88
4.	कायमकुलम	34.20
5.	कोट्टायम	44.80
6.	मंजैरी	45.33
7.	मालापुरम	49.80
8.	पालघाट	13.50
9.	थोडुपूजा	49.50
10	त्रिरूर	41.87
11.	तेल्लीचेरी	46.88
12.	त्रिचूर	47.00
	योग:	508.57

(ग) वर्ष 1989-90 के दौरान उक्त योजना के तहत केरल के लिए केन्द्रीय सहायता, राज्य में योजना के कार्यान्वयन की प्रगति पर निर्भर होगी।

वस्त्र उद्योग के लिए उत्पाद-शुल्क नीति

1023. **श्री विष्णु मोदी:** क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या धागे (यार्न) के मूल्य में वृद्धि और सरकार की उत्पाद्-शुल्क नीति के कारण देश के विभिन्न भागों में स्थित वस्त्र उद्योग तथा लघु क्षेत्र की बुनकर इकाइयों सहित प्रोसेसिंग-इकाइयों के बन्द होने का खतरा उत्पन्न हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो धागे के मूल्य पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम): (क) जी नहीं ।

(ख) यार्न की कीमतें उसकी मांग और पूर्ति की बाजार कीमतों द्वारा निर्धारित की जाती हैं । फिर भी रूई की कीमतों में गिरावट की प्रवृत्ति सम्भवतः यार्न की कीमतों से परिलक्षित होती है ।

'मधुबनी' चित्रों का निर्यात

1024. **डा० गौरी शंकर राजहंस:** क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान "मधुबनी" शैली के चित्रों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई ठोस प्रयास किये गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम): (क) और (ख) विशेषकर "मधुबनी" शैली के चित्रों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:—

(1) सोवियत संघ, सं० रा० अमरीका और ब्रिटेन में आयोजित भारतीय हस्तशिल्पों की सभी प्रदर्शनियों में मधुबनी शैली के चित्रों को शामिल करना।

(2) भारतीय महोत्सव के अन्तर्गत जापान में "मधुबनी" शैली के चित्रों की एक विशेष प्रमुख प्रदर्शनी आयोजित की गई थी तथा जापान में ही "मधुबनी" शैली के चित्रों को दर्शाने वाली एक स्थायी दीर्घा भी खोली गई है ।

(3) सी॰ सी॰ आई॰ सी॰ ने अभी हाल ही में 'मधुबनी' शैली के चित्रों से प्रयुक्त नए उत्पादों का विकास करने के लिए एक परियोजना भी चालू की है।

कृत्रिम मीठे और मधुमेह

1025. **श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मधुमेह में कृत्रिम मीठों के प्रयोग को अब सुरक्षित अथवा उपयुक्त नहीं समझा जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे): (क) यह विश्वास करने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है कि कृत्रिम मीठों का उपभोग करते रहना मधुमेह रोगियों के लिए असुरक्षित अथवा अनुपयुक्त होता है । सैकरीन और एस्पोर्टम जैसे कुछेक कृत्रिम मीठों का, उनकी स्वीकृति देने से पहले, विस्तृत विषवैज्ञानिक परीक्षण किया गया है । इस प्रकार इनका पश्चिम में और अन्य देशों, दोनों में व्यापक रूप से प्रयोग होता है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विश्वविद्यालयों द्वारा अनुसंधान परियोजनाओं के लिए वित्त व्यवस्था

1026. **श्री कादम्बुर जनार्दनन:** क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए भारत में स्थित लघु अनुसन्धान संघों के लिए वित्त व्यवस्था कर रही है;

(ख) क्या कुछ विश्वविद्यालय भी भारतीय वस्त्र उद्योग के लिए अनुसंधान कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या दक्षिण भारत में स्थित एक विश्वविद्यालय ने लघु क्षेत्र द्वारा सूची वस्त्रों की गुणवत्ता सुधारने और लागत कम करने के लिए, जिससें कि निर्यात में वृद्धि हो सके एक परियोजना प्रस्ताव भेजा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विश्वविद्यालयों द्वारा तैयार की गई इन परियोजनाओं के लिए वित्त व्यवस्था करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम): (क) से (ग): जी हां।

(घ) और (ङ): इस समय इस मंत्रालय में ऐसी परियोजनाओं के वित्त पोषण की कोई योजना नहीं है।

भारतीय चिकित्सा प्रणाली में मलेरिया के उपचार के लिए अनुसंधान और विकास

1027. **डा० जी० विजय रामाराव**: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय क्षेत्रों में मलेरिया रोगियों में क्लोरोक्वीन बेअसर पाई गई है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है; और

(ख) क्या भारतीय चिकित्सा प्रणाली में इसके उपचार के लिए कोई अनुसंधान और विकास कार्य किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे): (क) जी हां, देश के कतिपय भागों मे पी-फाल्सीपेरम मलेरिया परजीवी क्लोरोक्वीन को निष्प्रभावी करता पाया गया है। ऐसे मामलों में डामोडिक्विनीन सल्फाडोक्सीन पाइरेमिटामीन और थ्रीमाक्वीन वैकल्पिक औषधों का प्रयोग किया जा रहा है।

(ख) जी हां, केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गुड़गांव के सहयोग से एक मलेरिया रोधी औषध आयुष-64 तैयार की है। औषध के क्षेत्रीय अध्ययनों से पता चला कि इस औषध का पी० वारवैक्स पर स्किनोटीसाइडल औषध के रूप में निश्चित असर पड़ता है ।

(2) केवल 65-70% मामलों में 7 दिनों के अन्दर अन्दर परजीवीरक्तता ठीक हो जाती है।

(3) यह औषध 5 दिनों के लिए दिन में 3 बार दी जानी होती है ।

(4) बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे कार्यक्रम में उचित खुराक देकर दवाई का कोर्स पूरा करने के लिए उसके खिलाए जाने की अवधि बहुत लम्बी है ।

परिषद के दावे आयुष-64 की प्लाज्मोडिम वारबैक्स रोगियों में उपयोगिता से संबंधित है।

परिषद ने इस औषध का एकस्व प्राप्त कर लिया है और इसका वाणिज्यिक उपयोग राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम को सौप दिया गया था। कुछ फार्मेसियों ने वाणिज्यिक बिक्री के लिए एकस्व अधिकार खरीद लिए हैं और वे इस दवाई का आयुष-64 के नाम से अथवा अन्य नाम से विक्रय कर रहे हैं ।

अपंग व्यक्तियों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम से मिलने वाले लाभ में वृद्धि

1028. **डा० दत्ता सामन्त** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने 1 जनवरी, 1989 से अपंग व्यक्तियों तथा मृत श्रमिकों के परिवार के सदस्यों को दिए जाने वाले मुआवजे की दरों में वृद्धि करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे कितने लोगों को लाभ होगा?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राधाकिशन मालवीय): (क) जी हां ।

(ख) उन सभी मामलों में, जहां 31-12-86 को या उससे पूर्व विकलांगता हुई या मृत्यु हुई, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अधीन स्थायी विकलांगता लाभ तथा आश्रितों को लाभ की धनराशि के नियतकालिक भुगतान को 1-1-89 से मूल राशि के 10% तक बढ़ा दिया गया है जो कि अधिकतम 28/- रु० प्रति दिन है ।

(ग) लगभग 83,000 व्यक्ति ।

आवास साकार योजना

1029. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दकी :**
श्री कमला प्रसाद सिंह:

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आवास साकार योजना के अन्तर्गत फार्म जमा करने की अन्तिम तिथि समाप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो. कब;

(ग) न्यू पैटर्न हुडको योजना, 1979 के अन्तर्गत पंजीकृत कितने व्यक्तियों ने इस नई योजना के लिए अपना विकल्प दिया है; और

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के आवंटन हेतु बनी लम्बी प्रतीक्षासूंची के निपटान के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) जी, हां।

(ख) 25.1.1989

(ग) 5642

(घ) किए गए उपायों में एक उपाय आवास साकार योजना को आरम्भ करना है। मकानों के निर्माण की गति में तेजी लाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं ;

[हिन्दी]

उचित दर दुकानों को घटिया किस्म के खाद्यान्नों की सप्लाई

1030. **श्री सरफराज अहमद :**
श्री जगन्नाथ पटनायक:

क्या **खाद्य और नागारिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि उचित दर दुकानों को घटिया किस्म का गेहूं सप्लाई किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उचित दर दुकानों को बढ़िया किस्म का गेहूं सप्लाई करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है और यह कब से किया जाएगा;

(घ) क्या राज्य सरकारों ने भी घटिया किस्म के खाद्यान्न की सप्लाई किए जाने के बारे में शिकायत की है; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी॰ एल॰ बैठा) (क) और (ख): उचित दर की दुकानों को घटिया किस्म के गेहूं की आपूर्ति करने के बारे में कोई गम्भीर शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। भण्डारण के दौरान, घुने हुए अनाज की प्रतिशतता के अनुसार गेहूं का श्रेणीकरण "ए", "बी", "सी" और "डी" की श्रेणियों में किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केवल "ए" और "बी" श्रेणी का गेहूं जारी किया जाता है ।

(ग) पश्चिम बंगाल और केरल के कुछ भागों को छोड़कर भारतीय खाद्य निगम उचित दर की दुकानों को सीधे खाद्यान्न जारी नहीं करता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिम्मेदारी सीधी राज्यों के

प्रशासनों / सरकारों की होती हैसुपुर्दगी लेने से पूर्व स्टाक की जांच करने और जो स्टाक विहित मानकों के अनुरूप नहीं होता है उसे अस्वीकार करने के लिए प्राप्तकर्ताओं को सभी सुविधाएं मुहैया की जाती हैं ।

(घ) और (ङ) : घटिया किस्म की खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति करने के बारे में कोई विशिष्ट शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं । भारतीय खाद्य निगम केवल गेहूं और चावल जारी करता है । भारतीय खाद्य निगम द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए कोई अन्य अनाज जारी नहीं किए जाते हैं । हाल ही में कुछेक राज्यों से नये वसूल किए गए चावल की गुणवत्ता के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस वर्ष 1988-89 में पंजाब और हरियाणा में भयंकर वर्षा होने/बाढ़ें आने के कारण किसानों को पेश आ रही कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से टोटा, बदरंग और क्षतिग्रस्त अनाज के लिए कुछ ढीलें दी गई । विनिर्दिष्टियों में ढीलें देने के बारे में राज्य सरकारों को सूचित कर दिया गया है । इन ढीलों के अधीन सप्लाई किया गया चावल खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की सभी अपेक्षाओं को पूरा करता है।

[अनुवाद]

वन पर आधारित उद्योग

1031. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**
श्री शांति लाल पटेल:
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद:
श्री एस० एम० गुरुद्दी :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फैसला किया है कि कच्चे माल की उपलब्धता पर ही वन पर आधारित उद्योगों की अनुमति दी जाएगी;

(ख) यदि हां, तो देश में प्राकृतिक वनों के संरक्षण के लिए उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में वन पर आधारित उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्री(श्री जियाउर्रहमान अन्सारी): (क) राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में निर्धारित किया गया है कि गांव या कुटीर स्तर के सिवाय किसी भी वन आधारित उद्यम को भविष्य में तब तक अनुमति न दी जाए जब तक कि सावधानीपूर्वक छानबीन करने के पश्चात् कच्चे माल की सुनिश्चित उपलब्धता के संबंध में स्पष्ट न हो जाय ।

(ख) देश में प्राकृतिक वनों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों को संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ग) राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित आधार पर कार्यवाही की जानी है:—

(1) वन आधारित उद्योगों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने लिए कच्चा माल उन व्यक्तियों से सीधे सम्पर्क करके प्राप्त करें जो इसे उगा सकें ।

(2) वृक्ष उगाने और कच्चे माल के लिए उन्हें स्थानीय लोगों को शामिल करना चाहिए।

(3) छोटे और सीमान्त किसानों को उनके पास स्थानीय लोगों को शामिल करना चाहिए। भूमि पर उद्योगों के लिए अपेक्षित काष्ठ प्रजातियाँ उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

(4) वनों के संरक्षण के उद्देश्य से उद्योग को रियायती दरों पर वन उपज देना समाप्त कर दिया जाएगा ।

(5) वैकल्पिक कच्चे माल का उपयोग करने वाले उद्योगों को प्रोत्साहित किया जायेगा ।

(6) लकड़ी और लकड़ी के उत्पादों के आयात को उदार बनाया जायेगा।

विवरण

प्राकृतिक वनों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम

1. राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में वनों के संरक्षण पर और अधिक बल दिया गया है। उसमें वनों की चराई, अग्नि और अनधिकार प्रवेश से सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान हैं।
2. गैर-वन प्रयोजनों के लिए वन भूमि के उपयोग को रोकने के लिए 1980 में वन (संरक्षण) अधिनियम बनाया गया था। 1988 में इसमें संशोधन करके इस अधिनियम को और अधिक कठोर बनाया गया है ।
3. वनों की सुरक्षा के लिए कानूनी उपबंधों को लागू करने के लिए आधारभूत ढांचे के विकास के लिए राज्यों की सहायता हेतु एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम शुरू की गई है ।
4. घरेलू और वाणिज्यिक क्षेत्रों में ईंधन की लकड़ी के प्रतिस्थापन के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विकास किया जा रहा है ।
5. पैकिंग, रेलवे स्लीपरों और भवन निर्माण में लकड़ी के बदले वैकल्पिक सामग्री का उपयोग किया जा रहा है ।
6. वन उत्पादों के लिए आयात नीति को उदार बना दिया गया है ।
7. लकड़ी के विकल्प का प्रयोग करने के लिए उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं ।
8. झूम खेती को नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं ।
9. वनों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों को समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं । इनमें से कुछ दिशा-निर्देश नीचे दिए जाते हैं:—
   1. प्राकृतिक वनों की पूर्ण कटाई से बचना और जहां फसलों की बहाली अथवा अन्य बागवानी दृष्टिकोणों से, इस प्रकार की कटाई अपरिहार्य हो, वहां पहाड़ों पर इसका क्षेत्र 10 हेक्टेयर और मैदानों में 25 हेक्टेयर से अधिक नहीं होना चाहिए ।
   2. पहाड़ों पर 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पेड़ों की कटाई पर कम से कम कुछ सालों के लिए प्रतिबन्ध लगाने का विचार करना ।
   3. पहाड़ियों और पर्वतों पर उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों का पता लगाना, जिनमें वनों की कटाई से सुरक्षा करने और तत्काल व्यापक वनरोपण की जरूरत है ।
   4. 4 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों, जीवमंडल रिजर्वों आदि जैसे सुरक्षा क्षेत्रों के रूप में अलग रखना ।
   5. दावानल से वनों की सुरक्षा के लिए विशेष मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं ।

ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गई उचित दर दुकानों का प्रतिशत

1032. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में उचित दर दुकानों की प्रतिशतता क्या है;

(ख) सातवीं योजना के दौरान उचित दर दुकानों को खोलने के लक्ष्य की तुलना में इन दुकानों की सुविधा से वंचित और आंशिक रूप में उक्त सुविधा प्राप्त क्षेत्रों में उचित दर दुकानें खोलने के मामले में प्राप्त सफलता का प्रतिशत क्या है;

(ग) इस दिशा में यदि परिणाम असन्तोषजनक रहे हैं, तो उसके क्या कारण है;

(घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली ग्रामीण निर्धन वर्ग को बढ़ते मूल्यों की प्रवृति के बोझ से बचाने और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए कितनी सहायक रही है; और

(ङ) देश में शहरी क्षेत्रीय लोगों की तुलना में ग्रामीण निर्धन वर्ग की कितनी प्रतिशत खाद्य राज सहायता प्राप्त होती है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल०, बैठा) (क) 30.9.1988 की स्थिति के अनुसार अनुमानतः 76% के लगभग उचित दर की दुकानें ग्रामीण क्षेत्रों में हैं।

(ख) और (ग) : 1985-86 से 1988-89 के दौरान उचित दर की दुकानें खोलने के बारे में लक्ष्य तथा उपलब्धियां नीचे दी गई है:—

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धियां
1985-86	6065	8520
1986-87	6505	9847
1987-88	4035	9926
1988-89	4387	4307
		(दिसम्बर, 1988तक)

(घ) और (ङ) : सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए लोगों, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों को बाजार- दरों से कम दर पर खाद्यान्न (गेंहू तथा चावल) तथा कुछ अन्य आवश्यक वस्तुएं, अर्थात आयातित खाद्य तेल, चीनी, मिट्टी का तेल साफ्ट कोक और कंट्रोल का कपड़ा उपलब्ध कराए जाते हैं । इससे खुले बाजार में मूल्यों को नियंत्रित करने में सहायता मिली है । वर्ष 1987 तथा 1988 के दौरान खाद्यान्नों की निम्नांकित मात्रा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिक्री केन्द्रों के जरिए दी गई:—

(दस लाख मी० टन में)

वर्ष	गेहूं	चावल	योग
1987	5.55	7.98	13.53
1988	7.21	8.43	15.64

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों को विशेष रूप से सहायता करने के लिए केन्द्रीय पूल से विशेष योजनाओं, जैसे समेकित आदिवासी विकास कार्यक्रम क्षेत्रों तथा आदिवासी बहुल राज्यों में विशेष रूप से राजसहायता युक्त खाद्यान्नों के वितरण की योजना तथा एन० आर० ई० पी० और आर० एल० ई० जी०पी० जैसे कार्यक्रमों के लिए, केन्द्रीय पूल से खाद्यान्न की निम्नलिखित मात्रा दी गई:—

समेकित आदिवासी विकास कार्यक्रम क्षेत्रों में

(लाख मी० टनों में)

वर्ष	गेंहू	चावल	योग
1986-87	10.11	10.02	20.13
1987-88	11.31	11.66	22.97

एन आर ई पी / आर एल ई जी पी के लिए

(लाख मी० टन में)

वर्ष	गेंहू	चावल	योग
1986-87	16.3	3.9	20.2
1987-88	14.7	4.5	19.2

केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए खाद्यान्नों की सप्लाई हेतु भारी मात्रा में राजसहायता देती है ।

दिल्ली में आवास समितियों को हुडको द्वारा ऋण

1033. **श्री वी० कृष्ण राव:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) दिल्ली क्षेत्र में कितनी सहकारी ग्रुप आवास समितियों को "हुडको" द्वारा ऋण की मंजूरी दी गई है;

(ख) क्या मंजूर किए गए ऋण की राशि और वास्तव में दी गई राशि के बीच बहुत बड़ा अन्तर है;

(ग) यदि हां, तो कितनी आवास समितियों का निर्माण-कार्य "हुडको" द्वारा ऋण न दिए जाने के कारण रुका पड़ा है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) हुडको ने अब तक दिल्ली क्षेत्र में स्थित 29 सहकारी सामूहिक आवासीय समितियों को ऋण स्वीकृत किए हैं।

(ख) और (ग) : सहकारी समितियों की उतनी ही संख्या की 29 योजना में से 11 योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं तथा ऋण की सम्पूर्ण राशि रिलीज की जा चुकी है। 6 योजनाओं के

लिए कोई ऋण रिलीज नहीं किया जा सका, क्योंकि सम्बन्धित समितियों ने योजना के कानूनी दस्तावेज अभी तक पूर्ण नहीं किए हैं। शेष 12 योजनाओं के बारे में हुडको के पास कोई और ऋण रिलीज करना लम्बित नहीं है।

(घ) ऋणों को तुरन्त हुडको से रिलीज कराने के लिए अपेक्षित औपचारिकताएं पूर्ण करना आवश्यक है।

श्रमिक संघों की सदस्यता

1034. **श्री राम बहादुर सिंह:** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय श्रमिक संगठनों की सदस्यता की जांच करने हेतु कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो गत बार जांच कार्य कब किया गया था; और

(ग) 31 मार्च, 1988 को केन्द्रीय श्रमिक संगठनों की सदस्यता संबंधी स्थिति क्या थी?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय): (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय व्यवसाय संघ संगठनों की सदस्यता का आखिरी सत्यापन गणना की तारीख के रूप में 31.12.1980 को किया गया।

(ग) 31.3.1988 की स्थिति उपलब्ध नहीं है।

वन्यप्राणियों का अनधिकार शिकार

1035. **श्री राधाकांत डिगाल:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ वन्य-प्राणी आरक्षित क्षेत्रों में, वन्यप्राणियों का अनधिकार शिकार अभी भी किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे वन्य प्राणी आरक्षित क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है, जहां से इनके अनधिकार शिकार के समाचार मिले हैं;

(ग) अनधिकार शिकार को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(घ) इस संबंध में राज्य सरकारों को क्या निदेश दिए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी): (क) और (ख): वन्यजीव रिजर्वों में चोरी-छिपे शिकार के ब्यौरे राज्य सरकारों से एकत्र किए जा रहे हैं और उनको सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) और (घ): चोरी-छिपे शिकार को रोकने के लिए उठाए गए कदम और इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को दिए गए अनुदेशों में निम्नलिखित शामिल हैं:—

1. राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों, जिनमें बाघ रिजर्व भी शामिल हैं, को वित्तीय सहायता सातवीं योजना में जारी रखी जा रही है ताकि उनमें रहने वाली संकटापन्न प्रजातियों को अधिक सुरक्षा प्रदान की जा सके। इन उद्यानों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की मात्रा में प्रति वर्ष वृद्धि की जा रही है।
2. "वन्यजीवों का चोरी-छिपे शिकार और अवैध व्यापार के नियंत्रण के लिए वित्तीय सहायता" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 1986-87 से चल रही है। इस स्कीम के तहत चोरी-छिपे शिकार को रोकने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

3. पर्यावरण और वन मंत्रालय में वन्यजीव प्रभाग को मुख्य रूप से वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 को लागू करने के लिए सुदृढ़ बनाया जा रहा है।
4. संकटापन्न समझे जाने वाले पशुओं और उनसे प्राप्त उत्पादों के व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 में संशोधन किए गए हैं।
5. वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, के बेहतर प्रवर्तन के लिए राज्यों को राजस्व आसूचना, सशस्त्र सेना, सीमा शुल्क तथा तट रक्षक निदेशालय से समन्वय और सम्पर्क स्थापित करने की सलाह दी गई है।
6. कतिपय चुनिन्दा संकटापन्न प्रजातियों के केप्टिव ब्रीडिंग और पुनर्वास के लिए राज्यों को सहायता देने की एक अन्य केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम चल रही है।
7. राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे ऐसी सूचना देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करें जिससे चोरी-छिपे शिकार करने वालों और अवैध वन्यजीव उत्पादों को पकड़ने में मदद मिलेगी। केन्द्र सरकार इस प्रयोजन के लिए पहले ही वित्तीय सहायता दे रही है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में कृषि श्रमिकों हेतु कल्याण योजनायें

1036. **श्री कम्मोदी लाल जाटव:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में कृषि श्रमिकों के कल्याण हेतु कोई नई योजनायें शुरू की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं से अब तक कितने श्रमिक लाभान्वित हुये हैं?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राधा किशन मालवीय): (क) मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, भूमिहीन कृषि श्रमिक बीमा योजना, 1982 के बाद से कृषि श्रमिकों के कल्याण के लिए कोई नई योजना नहीं है।

(ख) और (ग) . प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

रेशम उद्योग के संवर्धन के लिए सहायता

1037. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेशम उद्योग के विकास के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) विभिन्न राज्यों में रेशम उद्योग को बढ़ावा देने हेतु चल रही स्वयंसेवी संस्थाओं को वित्तीय सहायता तथा तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं; और

(ग) क्या ऐसे मामलों में किसानों को प्रशिक्षण और सहायता राज्य सरकार की एजेंसियों के माध्यम से अथवा सीधे केन्द्र रेशम बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई जाती है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री. (श्री रफीक आलम): (क) रेशम उद्योग के विकास को प्रोत्साहित करने के राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता करने के उद्देश्य से केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने अनुसंधान एवं विकास और विस्तार सहायता के लिए देश में निम्नलिखित प्रमुख एकक स्थापित किए हैं:—

(1) 3 केन्द्रीय रेशम उद्योग अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान।

(2) 1 केन्द्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान।

(3) 15 क्षेत्रीय रेशम उद्योग अनुसंधान केन्द्र।

(4) 62 अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र।

53/23/LS/89 - 7

(5) राष्ट्रीय रेशम कीट बीज परियोजना के अन्तर्गत 23 रेशम कीट बीज उत्पादन केन्द्र।

(6) 303 चौकी कीट पालन केन्द्र।

इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित रेशम उद्योग विकास परियोजनाएं भी चलाई जा रही हैं:—

(1) पश्चिमी बंगाल में गहन रेशम उद्योग विकास परियोजना।

(2) उड़ीसा में गहन रेशम उद्योग विकास परियोजना।

(3) उड़ीसा और महाराष्ट्र में अन्तर्राज्यीय टसर परियोजना, चरण-2

(4) आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु में शहतूती रेशम उद्योग विकास परियोजना।

(ख) केन्द्रीय रेशम बोर्ड रेशम उद्योग के विकास के लिए उन स्वैच्छिक संगठनों को तकनीकी मार्गदर्शन और विस्तार सहायता दे रहा है जो सुस्थापित, आत्मपोषी हैं और जिन्हें सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित किया जाता है। उनकी सिफारिश की जाती है।

(ग) इस प्रकार के मामलों में केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा किसानों को रेशम उद्योग प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता राज्य सरकारों की सिफारिश पर दी जाती हैं।

राष्ट्रीय मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना

1038. **श्री उत्तम राठौड़:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने एक राष्ट्रीय मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना के लिए राज्यों से एक उपयुक्त स्थान हेतु सुझाव आमंत्रित किये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र सरकार इस संस्थान की स्थापना नागपुर में करवाना चाहती है और इसकी स्थापना के लिए उसने सभी आवश्यक आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने का आश्वासन दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) सातवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान स्थापित नहीं किया जा सका क्योंकि इस परियोजना के लिए धन उपलब्ध नहीं है।

सर्वव्यापी रोग-प्रतिरक्षण कार्यक्रम का लक्ष्य

1039. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कार्यान्वित किए जा रहे सर्वव्यापी रोग-प्रतिरक्षण कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) चालू वर्ष के लिए सर्वव्यापी रोग-प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं; और

(ग) इस लक्ष्य को किस सीमा तक प्राप्त किया जा सकेगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे): (क) व्यापक रोग, प्रतिरक्षण कार्यक्रम में औषधों से रोके जा सकने वाली छः बीमारियों नामतः डिफथीरिया, कुकरखांसी, टेटनस, पोलियोमाइलाइटिस, क्षयरोग और खसरे से शिशुओं में कम से कम 85% एवं गर्भवती महिलाओं में 100% का कवरेज स्तर की वृद्धि कर देश में शिशुओं और गर्भवती महिलाओं से बचाव स्तर में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कार्यक्रम के लिए अपेक्षित सभी औषधों और उपस्करों के देशी उत्पादन में क्षमता को बनाना भी है।

(ख) चालू वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम का 304 जिलों में जनसंख्या को लाभान्वित करने के लिए विस्तार किया गया है तथा 85% शिशुओं और 100% गर्भवती महिलाओं, जिनकी संख्या क्रमशः 13930400 एवं 17889700 है; को टीके लगाए जाने हैं।

(ग) लक्ष्य लगभग पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिए जाएंगे।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा कैलसियम अमोनियम नाइट्रेट की बिक्री

1040. **श्रीमती एन०पी० झांसी लक्ष्मी:** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के पास आयातित कैलसियम अमोनियम नाइट्रेट का अत्यधिक मात्रा में भंडार है; यदि हां, तो यह भारतीय खाद्य निगम के पास कितनी मात्रा में उपलब्ध है; क्या निगम ने इस उर्वरक की बिक्री हेतु निविदाएं आमंत्रित की हैं;

(ख) क्या सरकार ने गत वर्ष निगम को इस उर्वरक की बिक्री नहीं करने के निर्देश जारी किए थे; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा आदेशों का उल्लंघन करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी०एल० बैठा): (क) भारतीय खाद्य निगम के पास कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट (कैन) का कुल स्टाक निम्नानुसार है:—

साउड	— 9024 मीटरी टन
सब-स्टैंडर्ड	— 17017 मीटरी टन

कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) के अनुदेशों के अनुसार केन्द्रीय/राज्य सरकारों के स्वामित्व के सरकारी क्षेत्र/ संयुक्त सैक्टर के उपक्रमों को सब-स्टैंडर्ड कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट बेचने के लिए निगम के पंजाब और हरियाणा क्षेत्रों ने क्रमशः अगस्त और अक्तूबर, 1988 में टैंडर आमंत्रित किए थे।

(ख) कृषि मंत्रालय ने भारतीय खाद्य निगम को औद्योगिक इस्तेमाल के लिए प्राइवेट पार्टियों को सब-स्टैंडर्ड कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट न बेचने के अनुदेश दिए थे क्योंकि सब-स्टैंडर्ड कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का दुरुपयोग करने के बारे में समाचार मिले थे। तथापि, निगम को केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकार के स्वामित्व के सरकारी क्षेत्र/ संयुक्त सैक्टर के उपक्रमों को सब-स्टैंडर्ड कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट बेचने की अनुमति दी गई थी।

(ग) कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार निगम द्वारा टैंडर इन्क्वायरी जारी की गई थी।

महानगर क्षेत्रों संबंधी कार्यशाला

1041. **श्री जी०एस० वासवराजू:**
श्री एस०एम० गुरुद्दी:

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में महानगर क्षेत्रों की योजना, विकास और प्रशासन संबंधी विषय पर एक तीन दिवसीय कार्यशाला का जून, 1988 के पहले सप्ताह में आयोजन किया गया था;

(ख) क्या विभिन्न क्षेत्रों के अनेक संगठनों और विशेषज्ञों ने कार्यशाला में भाग लिया था, यदि हां, तो इस कार्यशाला में क्या मुख्य निर्णय किए गए थे; और

(ग) इन निर्णयों को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां; इस कार्यशाला की कुछ सिफारिशें महानगरीय शहरों के विकास की योजना में क्षेत्रीय अनुरूप, महानगरीय क्षेत्रीय योजना बोर्डों का सृजन, ऐसी विकास रणनीतियों, जो महानगर के केन्द्रीय भाग (कोर) में संवर्द्धन के दबावों को स्वीकार करने से न्यूनतम हस्तक्षेप करती हों, को अपनाना, औद्योगिक स्थान, निर्धारण नीति का पुनरीक्षण, एकीकृत परिवहन प्राधिकरण, स्थानीय स्वायत्त शासन निकायों का सुदृढ़ीकरण, समुचित भूमि उपयोग नियंत्रण पद्धति, शहरी विकास की प्रक्रिया में वास्तविक वृद्धि और गैर-सरकारी क्षेत्र की भूमिका के प्रबोधन के लिये रिपोर्ट से सेंसिंग तकनीकों के उपयोग से सम्बन्धित है।

(ग) इन सिफारिशों को सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को परिचालित कर दिया गया है।

अस्पतालों में बहु-उपयोगी अस्पताल कम्प्यूटरों का उपयोग

1042. श्री महेन्द्र सिंह: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अस्पतालों ने बहु-प्रयोजनीय आपरेशनों के लिये सक्षम आधुनिक बहु-उपयोगी अस्पताल कम्प्यूटरों की विभिन्न सरकारी अस्पतालों में सुविधा प्रदान कर दी है तथा प्रदान करने का विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे बहु-उपयोगी अस्पताल-कम्प्यूटरों का प्रयोग आरम्भ करने के लिये क्या प्रस्ताव क्रियान्वयनाधीन है; और इस संबंध में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) अस्पताल संबंधी सुविधाओं के ऐसे कम्प्यूटरीकरण के लिये चालू वर्ष में क्या प्रावधान किया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

गेहूं की अपर्याप्त सप्लाई के संबंध में राज्यों द्वारा शिकायतें

1043. श्री हरीश रावत: क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों ने भारतीय खाद्य निगम द्वारा मांग की तुलना में उन्हें गेहूं की अपर्याप्त मात्रा में की गई सप्लाई के संबंध में कोई शिकायत की है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या है और इन राज्यों को नियत समय पर गेहूं की सप्लाई करने के लिए क्या उपाय किए जाने की सम्भावना है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी॰ एल॰ बैठा): (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम कुल मिलाकर राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को आवंटित की गई गेहूं की अधिकांश मात्रा सुपुर्द करने में सक्षम हुआ है । अखिल भारत आधार पर जनवरी, 1989 में सुपुर्दगी की प्रतिशतता 90% थी । तथापि खाद्यान्नों की आपूर्ति करने में

कभी-कभी अस्थायी तौर पर कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं। हाल ही में गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, बिहार और पश्चिम बंगाल ने उनके राज्यों में स्थित कई डिपुओं / केन्द्रों में गेहूं के स्टाक उपलब्ध न होने के बारे में शिकायत की थी । ऐसे मामलों में भारतीय खाद्य निगम द्वारा क्षेत्र के अन्दर से / उत्तर के अधिकांश राज्यों से संचलन कर आपूर्ति करने की व्यवस्था की गई थी।

[अनुवाद]

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उच्चतम न्यायालय के निर्णय को लागू करना

1044. श्री राजकुमार राय: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण में समान कार्य हेतु समान वेतन संबंधी उच्चतम न्यायालय के निर्णय को लागू किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) यह मामला न्यायाधीन है।

लिटिल अंडमान द्वीप में "रेड पाम-आयल" के वृक्ष लगाना

1045. श्री एस० जी० घोलप: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या टिम्बर कारपोरेशन आफ अंडमान ने लिटल अण्डमान में "रेड पाम-आयल" के वृक्ष लगाने की परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो कारपोरेशन ने इस कार्य में कितनी प्रगति की है;

(ग) इस परियोजना को कितने क्षेत्र के लिये तैयार किया गया था;

(घ) परियोजनागत क्षेत्रों के अन्तर्गत लगाये गये वृक्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या इन वृक्षों के अधिक फल क्षमता को देखते हुये इस वृक्ष को लगाने के लिए निर्धारित क्षेत्र में वृद्धि करने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी): (क) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वन और बागान निगम लिमिटेड ने लिटिल अंडमान में रेड पाम-आयल के वृक्ष लगानऐ की एक परियोजना शुरू की है।

(ख) अब तक 1,593 हेक्टेयर क्षेत्र में रेड पाम आयल के वृक्ष लगाए गए हैं।

(ग) इस परियोजना में 2,400 हेक्टेयर क्षेत्र में रेड पाम-आयल के वृक्ष लगाने की परिकल्पना की गई है।

(घ) पौधरोपण में वर्षवार सम्मिलित क्षेत्र नीचे दिए गए विवरण के अनुसार है:—

वर्ष	सम्मिलित क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1979-80	160
1980-81	180
1981-82	300

वर्ष	सम्मिलित क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1982-83	—
1983-84	300
1984-85	365
1985-86	288
कुल	1,593

(ङ) इस पौधरोपणों के अन्तर्गत शामिल किए जाने वाले क्षेत्र के विस्तार के लिए निगम ने एक प्रस्ताव भेजा था। पारिस्थितिक विचार से इसे मंजूर नहीं किया गया।

[हिन्दी]

बिहार में केन्द्र द्वारा आरक्षित वन

1046. **श्री योगेश्वर योगेश:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के कुल वन क्षेत्र की तुलना में बिहार के प्रत्येक जिले में वन क्षेत्र की प्रतिशतता क्या है;

(ख) वन उत्पादों की बिक्री हेतु जिले-वार क्या प्रबन्ध हैं तथा यहां अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु कितनी धनराशि दी जा रही है; और

(ग) हजारीबाग, पलामऊ और गया जिलों में केन्द्र द्वारा आरक्षित वनों की कटाई को रोकने हेतु क्या प्रबन्ध किये गये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री शिवाउर्रहमान अन्सारी): (क) 1983-84 में बिहार में रिकार्ड किए गए जिले-वार वन क्षेत्र और देश के कुल वन क्षेत्र की तुलना में उसकी प्रतिशतता दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) बिहार के प्रत्येक जिले में वन उत्पादों का एक एकत्रीकरण और विपणन वन विभाग के राज्य व्यापार विंग द्वारा स्थापित किए गए केन्द्रीय डिपुओं के जरिए विभागीय रूप से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जन जातियों सहित स्थानीय लोगों की मांग को पूरा करने के लिए उपयुक्त स्थानों पर 211 उपभोक्ता डिपो खोले गये हैं। वन उपज की बिक्री से प्राप्त राजस्व राज्य के राजकोष में जाता है और अनुसूचित जन जातियों के कल्याण के लिए निधियां राज्य द्वारा प्रतिपादित विभिन्न स्कीमों के तहत उपलब्ध कराई जाती हैं।

(ग) हजारीबाग, पलामू और गया जिलों में आरक्षित वनों की क्षति को रोकने के लिए निम्नलिखित प्रबन्ध किए गए हैं:—

1. वन कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से वन क्षेत्रों का गश्त लगाना,
2. सशस्त्र पुलिस की सहायता से गश्त लगाना,
3. उड़न दस्तों द्वारा गश्त लगाना। हजारीबाग जिले में दो, पलामू जिले में दो और गया जिले में एक उड़न दस्ता है।

विवरण

बिहार में जिले-वार रिकार्ड किया गया आरक्षित वन क्षेत्र (1983-84)

	जिले का नाम	वन क्षेत्र (वर्ग किमी. में)	देश के कुल वन क्षेत्र की तुलना में वन क्षेत्र का प्रतिशत
1	2	3	
1.	पटना	1	0.00013
2.	नालन्दा	46	0.0061
3.	गया	325	0.04
4.	औरंगाबाद	539	0.07
5.	नवादा	697	0.09
6.	भोजपुर	शून्य	शून्य
7.	रोहतास	1798	0.24
8.	सारन	शून्य	शून्य
9.	सिवान	शून्य	शून्य
10.	गोपालगंज	शून्य	शून्य
11.	चम्पारन (पूर्व)	1	0.00013
12.	चम्पारन (पश्चिम)	917	0.12
13.	मुजफ्फरपुर	शून्य	शून्य
14.	वैशाली	शून्य	शून्य
15.	सीतामढ़ी	शून्य	शून्य
16.	दरभंगा	शून्य	शून्य
17.	समस्तीपुर	शून्य	शून्य
18.	मधुबनी	शून्य	शून्य
19.	मुंगेर	1291	0.17
20.	भागलपुर	454	0.06
21.	संथाल परगना	1924	0.26
22.	बेगूसराय	शून्य	शून्य
23.	सहरसा	शून्य	शून्य
24.	पूर्णिया	13	0.0017
25.	पलामू	5560	0.74
26.	हजारीबाग	5279	0.70
27.	कटिहार	शून्य	शून्य
28.	गिरिडीह	2289	0.31
29.	रांची	3368	0.45
30.	धनबाद	264	0.03
31.	सिंहभूम	4464	0.60
—		कुल : 29230	3.89

[अनुवाद]

सहकारी सामूहिक आवास समितियों द्वारा ड्रा निकालना

1047. **श्री कमल चौधरी:** क्या शहरी विकास मंत्री सहकारी सामूहिक आवास समितियों द्वारा ड्रा निकालने के बारे में 30 नवम्बर, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2679 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपेक्षित जानकारी अब तक प्राप्त कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) जी, हां।

(ख) पंजीयक, सहकारी समिति, दिल्ली ने 4. 12. 86 को आनन्द लोक सहकारी सामूहिक आवास समिति लि. के अध्यक्ष/सचिव को निदेश दिया है कि प्रबन्ध समिति के ताजे चुनाव कराये जाए और ऐसा न किए जाने की स्थिति में समिति के विरुद्ध दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम 1972 की धारा 30 (2) के अधीन कार्रवाई की जाएगी । समिति ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर दी तथा पंजीयक, सहकारी समिति के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई को रोकते हुए 9. 1. 87 को एक स्थगनादेश प्राप्त कर लिया। तत्पश्चात् तथापि, समिति ने अपने चुनाव 26 .9. 87 को कराके/चुनाव कराकर, जिसके लिए पंजीयक, सहकारी समिति द्वारा पहले अनुरोध किया गया था, समिति ने दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लघंन नहीं किया है। चूंकि पंजीयक, सहकारी समिति द्वारा केवल चुनाव कराने का अनुरोध किया गया था, अतः विलम्ब के पश्चात भी चुनाव कराने के लिए पंजीयक, सहकारी समिति की पूर्वानुमति अपेक्षित नहीं थी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की जून, 1988 से जनवरी, 1989 तक के महीनों के लिये चावल, गेहूं, ज्वार, खाद्य तेल, मिट्टी के तेल की मांग

1048. **श्री डी॰ बी॰ पाटिल:**
श्री वक्कम पुरुषोत्तमन:

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जून, 1988 से जनवरी, 1989 तक के महीनों के लिये चावल गेहूं, ज्वार, खाद्य तेल और मिट्टी के तेल की कितनी-कितनी मात्रा मांगी गई है;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा कितना-कितना कोटा स्वीकृत किया गया है तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कितना-कितना कोटा उठाया गया है; और

(ग) मांग से कम कोटा स्वीकृत करने के क्या कारण हैं?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी॰ एल॰ बैठा): (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत किया जाने वाला खाद्यान्नों और आयातित खाद्य तेलों का आबंटन अनुपूरक स्वरूप का होता है और यह आबंटन केन्द्रीय पूल में स्टाक की समग्र

उपलभ्यता, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की तुलनात्मक मांगों, खुले बाजार में उपलब्ध स्टाक की मात्रा तथा अन्य संबंधित बातों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। केन्द्रीय सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए ज्वार की सप्लाई नहीं की जाती है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मिट्टी के तेल की आवश्यकताओं का आकलन, गत वर्ष की उसी अवधि में किए गए आबंटन के ऊपर उपयुक्त वृद्धि को जोड़ कर किया जाता है। इस समय ये आबंटन सर्दी के ब्लाक (नवम्बर से फरवरी तक) के लिए 7.5% की वृद्धि दर तथा गर्मी के ब्लाक (मार्च से जून तक) और मानसून ब्लाक (जुलाई से अक्तूबर तक) के लिए 7% की वृद्धि दर लगाकर किए जा रहे हैं। इसके अलावा, राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को विशिष्ट स्थितियों जैसे बाढ़ तथा सूखा, एल.पी. गैस को कमी आदि से निपटने के लिए उनके अनुरोध पर नियमित आवंटन, अतिरिक्त तदर्थ आवंटन किए जाते हैं।

जून, 1988 से जनवरी, 1989 की अवधि में चावल तथा गेंहू की मांग, आवंटन तथा उनकी उठाई गई मात्रा और मिट्टी के तेल व खाद्य तेलों के आवंटन तथा उनकी उठाई गई मात्रा के संबंध में ब्यौरा इस प्रकार है:—

(हजार मी० टन में)

	मांग	आवंटन	उठाई गई मात्रा
चावल	10176.55	6100.55	5430.6
गेंहू	8370.72	5415.17	4551.6
मिट्टी का तेल		5165.670	4432.913*
खाद्य तेल	**	611.676	470.834

* दिसम्बर, 1988 तक

** राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आयातित खाद्य तेलों की मांग तेल वर्ष (नवम्बर से अक्तूबर तक) के आधार पर प्राप्त होती है, महावार आधार पर नहीं ।

सामाजिक/राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं को मकानों का आवंटन

1049. **डा० फूलरेणु गुहा:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सामाजिक, राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं, लेखकों, पत्रकारों से मकानों के आवेदन हेतु अब तक कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) अभी कितने आवेदन-पत्र लंबित हैं; और

(ग) मकानों का आवेदन कब तक किया जायेगा?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) स्वतंत्रता सेनानियों एवं कलाकारों जिनके लिए अलग से प्रबन्ध किए गए हैं, को छोड़कर गत दो वर्षों में सामाजिक, राजनीतिक कार्यकर्ताओं तथा लेखकों, पत्रकारों से 33 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे।

(ख) 9

(ग) कोई निश्चित समय नहीं दिया जा सकता है।

नकली, घटिया और प्रतिबंधित औषधों की बिक्री

1050. श्री मती प्रभावती गुप्त: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई प्रतिबन्धित औषधों की बाज़ार में बिक्री की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो बाजार में इन औषधों की बिक्री पर समुचित रोक न लगाये जाने के क्या कारण है;

(ग) इस संबंध में वर्ष 1988 के दौरान कितने मामले दर्ज किये गये और कितनी कम्पनियों अथवा व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमें दायर किये गये; और

(घ) प्रतिबन्धित औषधों की बिक्री पर सख्ती से रोक लगाने के लिए सरकार ने क्या ठोस कदम उठाये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे): (क) से (घ) केन्द्र सरकार ने अब तक औषध योगोन की 27 श्रेणियों के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाया है जैसाकि संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

कुछ विनिर्माताओं ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में रिट याचिकाएं दायर की हैं और प्रतिबन्ध आदेशों के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त किए हैं। यह केवल वहीं औषधें हैं जो बाजार में बेची जा रही हैं।

सरकार ने स्थगन आदेशों को रद्द करवाने और रिट याचिकाओं को खारिज करने के लिए कदम उठाए हैं।

विवरण

1. एमिडोपाइरिन
2. प्रदाहक-रोधी अभिकारकों और प्रशांतकों के साथ विटामिन के निर्धारित खुराक वाले सम्मिश्रण।
3. दर्द-रोधी और ज्वर-रोधकों में एटोपाइन के निर्धारित खुराक वाला सम्मिश्रण।
4. टानिकों में स्टिकाइन और कैफीन की निर्धारित खुराक वाला सम्मिश्रण।
5. टेस्टटोन और विटामिनों के साथ योहिम्बाइन और स्ट्रिकाइन के निर्धारित खुराक वाले सम्मिश्रण।
6. स्ट्रिकनाइन, आरेसेनिक और योहिम्बाइन के साथ लौह के निर्धारित खुराक वाले सम्मिश्रण।
7. अन्य औषधों के साथ सोडियम ब्रोमाइड/क्लोरल हाइड्रेट के निर्धारित खुराक वाले सम्मिश्रण।
8. फोनेसेटिन।
9. अतिसार-रोधी औषधों के साथ हिस्टेमिनिक्स के निर्धारित खुराक वाले सम्मिश्रण।
10. सल्फगेनेमाइडज से युक्त पेंसिलीन के निर्धारित खुराक वाले सम्मिश्रण।
11. दर्द-रोधकों के साथ विटामिनों के निर्धारित खुराक वाला सम्मिश्रण।
12. विटामिन सी के साथ टेट्रासाइक्लिन के निर्धारित खुराक वाले सम्मिश्रण।
13. उन सम्पाकों को छोड़ कर जिनका अतिसार और पेचिश के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है और जिसका केवल बाहय रूप से लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हाइड्रोक्सीक्यूनोलाइन समूह की औषधों के निर्धारित खुराक वाला सम्मिश्रण।
14. आन्तरिक इस्तेमाल के लिए किसी अन्य औषध के साथ कार्टिकोस्ट्रायडस के निर्धारित खुराकें वाले सम्मिश्रण।

15. आन्तरिक इस्तेमाल के लिए किसी अन्य औषध के साथ क्लोरैम्फनिकोल के निर्धारित खुराक वाले सम्मिश्रण।

16. अर्गाट का निर्धारित खुराक वाला सम्मिश्रण

17. पायरीडाक्सीन हाइड्रोक्लोराइड (विटामिन बी 6) के साथ आइसोनियाजाइड के सम्मिश्रण को छोड़कर क्षय रोग-रोधी औषधों के साथ विटामिनों के निर्धारित खुराक वाले सम्मिश्रण।

18. पेनिसिलिन त्वचा/ नेत्र मरहम

19. टेट्रासाइक्लिन लिक्विड औरल प्रिपेरेशन।

20. नियालेमाइड।

21. प्रेक्टोलॉल।

22. मेथापिरीलीन तथा इसके लवण।

23. मेथाक्यूलोन।

24. आक्सी टेट्रासाइक्लिन लिक्विड औरल सम्पाक।

25. डेमोक्लोसाइक्लिन लिक्विड औरल सम्पाक

26. अन्य औषधों के साथ एनेबालिक स्टेरॉयडस का सम्मिश्रण।

27. ओइस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन (खाई जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियों को छोड़कर) के निर्धारित खुराक वाला सम्मिश्रण जिसमें एक गोली में एस्ट्रोजन की मात्रा 50 मि. ग्रा. से अधिक (एथेनाइल एस्ट्रडियोल के समतुल्य) तथा एक गोली में प्रोजेस्टीन की मात्रा 3 मि. ग्रा. से अधिक (नॉरेथिस्ट्रोन ऐसिटेट के समतुल्य) हो।

उड़ीसा के कपास उत्पादक

1051. **डा॰ कृपासिंधु भोई:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उड़ीसा के कपास उत्पादकों की समस्याओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इन समस्याओं को हल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) उड़ीसा, टेक्सटाइल मिल्स और वीवर कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स से कपास उत्पादकों को अपनी बकाया राशि की वसूली के लिए क्या सहायता दी गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम):(क) इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह ऐसा मामला है जो उड़ीसा राज्य सरकार से सम्बन्ध रखता है।

वित्तीय संस्थानों द्वारा आवास बनाने हेतु ऋण दिया जाना

1052. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन वित्तीय संस्थानों का ब्योरा क्या है जो इस समय आवास बनाने हेतु ऋण दे रहे हैं;

(ख) क्या सरकार कम लागत के मकानों को प्रोत्साहित कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा अभी तक कम लागत के मकानों की कौन-कौन सी योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) शीर्ष स्तर पर जुलाई 1988 में एक "राष्ट्रीय आवास बैंक" की स्थापना की गई है। इसके अलावा, निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा मकानों के निर्माणार्थ व्यक्तिगत तथा अभिकरणों को ऋण उपलब्ध कराये जा रहे हैं:—

सार्वजनिक क्षेत्र

(i) आवास तथा नगर विकास निगम लि०
(ii) भारतीय जीवन बीमा निगम
(iii) भारतीय सामान्य बीमा निगम
(iv) वाणिज्यिक बैंक

सहकारी क्षेत्र

राज्य स्तर शीर्ष सहकारी आवास वित्त समितियां। इनके अतिरिक्त, निजी क्षेत्र में मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थायें हैं:

(i) आवास विकास वित्त निगम, बम्बई।
(ii) गुजरात ग्रामीण आवास वित्त निगम, अहमदाबाद।
(iii) केनफिन होम्स, बंगलौर।
(iv) हाउसिंग प्रोमोशन एण्ड फाइनेन्स कारपोरेशन लि०, कलकत्ता।
(v) पंजाब नैशनल बैंक हाउसिंग सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली।

(ख) राष्ट्रीय आवास नीति में विशेषकर आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्गों के लिए कम लागत के मकानों के निर्माण को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया है। हुडको द्वारा अधिकतम सीमा

लागत लागू करना, भवन केन्द्रों का नेटवर्क, अपव्यय के आधार पर वैकल्पिक गैर-परम्परागत तथा परिवर्तित भवन निर्माण सामग्रियों का प्रोत्साहन तथा अच्छी प्रकार परीक्षित कम लागत की प्रौद्योगिकी में सहायता करना ये सभी कम लागत की आवास को प्रोन्नत करने के लिए हैं। हुडको की 55 प्रतिशत ऋण योग्य निधियां निम्न आय आवास के लिए उद्दिष्ट हैं। राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन तथा भारत सरकार के सक्रिय समर्थन से केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सी० बी० आर० आई०) आदि जैसे अन्य अनुसंधान संगठन कम लागत तथा दक्ष डिजाइन एंव भवन सामग्रियों का विकास कर रहे हैं तथा उन्हें विस्तृत रुप से अपनाने के लिए उनका प्रसार-प्रचार कर रहे हैं।

(ग) चूंकि आवास राज्य का विषय है, इसलिए सभी योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकारों तथा उनके अभिकरणों द्वारा अपनी प्राथमिकताओं एवं आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है। तथापि, सार्वजनिक क्षेत्र संस्थाओं के ऋण देने के मार्गनिर्देशनों का उद्देश्य राष्ट्रीय आवास नीति के साथ राज्य स्तरीय योजनाओं में तालमेल बिठाने का है।

भवन निर्माण केन्द्र की स्थापना

1053. **श्री अमर राय प्रधान :**
श्री चित्त महाता. :

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भवनों के विभिन्न भागों के विकास एवं उत्पादन हेतु प्रत्येक जिले में एक भवन-निर्माण केन्द्र स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री दलबीर सिंह): (क) मानकीकृत भवन (निर्माण) सामग्रियों तथा संघटकों की आसानी से उपलब्धता तथा विकेन्द्रीकरण आधार पर आपूर्ति केन्द्र स्थापित करने को सुनिश्चित करने के लिए, सम्पूर्ण देश में जिला स्तरों पर भवन केन्द्रों की स्थापना के लिए एक योजना चलाई गई है। व्यापक रूप से आवास पर कम लागत की प्रौद्योगिकी प्रदान करने के लिए ये केन्द्र सहायता के रूप में कार्य करेंगे तथा नवयुवकों एवं कारीगरों को उनकी दक्षता बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण देंगे। ये केन्द्र स्थानीय संसाधनों से कम लागत की भवन (निमार्ण) साम्रगी तथा संघटक भी तैयार करेंगे।

(ख) इस योजना को आवास तथा नगर विकास निगम के माध्यम से कार्यान्वित एवं चलाया जायेगा। एक पंजीकृत न्यास/सोसायटी के रूप में एक संघटन स्थापित करके इन केन्द्रों

का प्रबन्ध किया जायेगा। शहरी विकास मंत्रालय हुडको के माध्यम से प्रत्येक केन्द्र को 2 लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत करेगा। इसके अतिरिक्त, हुडको द्वारा प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत ब्याज की दर से 4 लाख रुपये की सीमा तक ऋण सहायता उपलब्ध करायेगा जो कि 2 वर्ष के विलम्बन काल सहित 12 वर्षों में वापस करना होगा। ये केन्द्र लघु उद्योग इकाई माने जायेंगे।

(ग) अब तक, निम्न प्रकार के 11 राज्यों में 35 भवन केन्द्र स्थापित किये गये हैं :-

1.	पश्चिमी बंगाल	-	1
2.	असम	-	1
3.	उत्तर प्रदेश	-	4
4.	राजस्थान	-	1
5.	दिल्ली	-	1
6.	आन्ध्र प्रदेश	-	7
7.	केरल	-	13
8.	कर्नाटक	-	4
9.	तमिलनाडु	-	1
10	पाण्डिचेरी	-	1
11.	अण्डमान तथा निकोबार	-	1

35 केन्द्रों में से, पांच कार्य कर रहे हैं।

हथकरघा बुनकरों की कठिनाईयां

1054. **श्री एन० वेंकटरत्नम** : क्या वस्त्र मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार को आंध्र प्रदेश के हथकरघा बुनकरों की कठिनाइयों की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस स्थिति को सुधारने के लिए उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम): (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

ऐसी सूचना मिली है कि लुंगियों की मांग में गिरावट की वजह से चिराला क्षेत्र में हथकरघा बुनकरों की जीविका पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है।

आन्ध्र प्रदेश सरकार से एक रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद राज्य सरकार से प्रभावित बुनकरों को सहायता प्रदान करने के लिए निश्चित प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया था। केन्द्र सरकार ने आन्ध्र प्रदेश के प्रकाशन और गूंटूर जिले में हथकरघा बुनकरों की संकटग्रस्त स्थिति को सुधारने के उपाय के रूप में, बेरोजगार बुनकरों को लाभकारी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 60.00 लाख रुपये की राशि, विशेष पेशगी के रूप में पहले ही रिलीज कर दी है।

चिराला के बुनकरों के उत्पादों के लिए निर्यात क्षेत्र उपलब्ध कराने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम का एक अधिकारी भी प्रतिनियुक्त किया है, जिसने चिराला में बुनकर अभिकरणों के नमूनों के लिए आदेश दिए हैं।

दिल्ली में मस्तिष्क ज्वर के कारण मौतें

1055. **प्रो॰ के॰ वी॰ थामस:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में मस्तिष्क ज्वर अभी भी फैला हुआ है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में गत वर्ष के दौरान मस्तिष्क ज्वर के कारण कितने लोगों की मौत हुई; और

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कारगर कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे): (क) और (ख) वायरल ऐन्सेफेलाइटिस, ऐन्सेफेलाइटिस और नानपेरालाइटिक पोलियो मैलिटिस, अलर्क रोग मम्प्स मेनिनमो ऐन्सेफेलाइटिस, मस्तिष्कीय मलेरिया, डेंगू/हेमरेहेजिक ज्वर इत्यादि के कारण होता है और प्रत्येक रोग कुछ विशिष्ट वायरस के कारण ही होता है। प्राथिक तौर पर केवल जापानी ऐन्सेफेलाइटिस से ही महामारी फैलती है। दिल्ली में अब तक जापानी ऐन्सेफेलाइटिस होने के किसी रोगी की सूचना नहीं दी गई है। 1988 के दौरान वायरल ऐन्सेफेलाइटिस के कारण दिल्ली के 12 प्रमुख अस्पतालों से 112 मौतों की सूचना दी गई।

(ग) वायरल ऐन्सेफेलाइटिस के लिए कोई विशिष्ट उपचार नहीं है। केवल लक्षणात्मक और अन्य सहयोगी उपचार किया जाता है। अन्य रोकथाम संबंधी उपायों हेतु मच्छरों को कम करने के लिए लार्वा-रोधी और अवशेष कीटनाशक छिड़काव किये जाते हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अनिवासी भारतीयों को भूखंडों/फ्लैटों का आबंटन

1056. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अनिवासी भारतीयों को दिल्ली में मध्यम आय वर्ग के फ्लैट अथवा भूखंड आबंटित किये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये फ्लैट अथवा भूखंड उन्हें विदेशी मुद्रा में नकद भुगतान करने पर दिये जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) से (घ) ऐसी कोई विशेष योजना नहीं है जिसके अन्तर्गत दिल्ली विकासप्राधिकरण द्वारा अनिवासी भारतीयों को भूखण्ड और मध्यम आय वर्ग के फ्लैट आबंटित किए जाते हैं। अनिवासी भारतीय खुली नीलामी में भूखण्ड खरीद सकते हैं। अनिवासी भारतीयों द्वारा खरीदे गए फ्लैटों/भूखण्डों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कोई अलग से रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

जुराला परियोजना के लिये पर्यावरणीय मंजूरी

1057. **श्री वी॰ शोभनाद्रीश्वर राव :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुराला परियोजना पर्यावरणीय मंजूरी के लिए लंबित पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो आवश्यक मंजूरी देने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) यह मंजूरी कब तक दिये जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) अपेक्षित पर्यावरणीय आंकड़े और कार्य योजनाएं न भेजे जाने के कारण इस परियोजना को अक्तूबर, 1987 में नामंजूर किया गया था।

भूतपूर्व प्रधान मंत्री को सरकारी आवास

1058. **श्री भट्टम श्री राममूर्ति:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक भूतपूर्व प्रधान मंत्री को हाल ही में उसके रहने हेतु आवास देने का प्रस्ताव किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) जी, हां।

(ख) भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री गुलज़ारी लाल नन्दा को डा० ज़ाकिर हुसैन मार्ग पर स्थित फ्लैट नं० सी-11/75, को किराया मुक्त आधार पर दिया गया है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा प्रबंधित कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण

1059. **श्री हुसैन दलवाई:** क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा प्रबंधित पुरानी रुग्ण कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण से संबंधित केन्द्रीय सरकार की नीति क्या है;

(ख) क्या निजी मिल मालिक अपनी पुरानी कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण के लिए सरलता से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं; और

(ग) राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा प्रबंधित कपड़ा मिलों को इसी प्रकार की सुविधाएं प्रदान न किए जाने के क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम): (क) एन०टी०सी० अर्थक्षमता, निवेश से होने वाली आय आदि सहित विभिन्न तथ्यों के आधार पर अनेक मिलों में चुनिन्दा आधुनिकीकरण कार्यान्वित कर रहा है।

(ख) और (ग): वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना, 1986 के अन्तर्गत गैर-सरकार क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र के एकक वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन देने के पात्र हैं। आई डी बी आई ने एन टी सी की 12 मिलों के सम्बन्ध में 44 करोड़ रु० मूल्य के ऋण पहले से ही क्लियर कर दिए हैं।

[हिन्दी]

वस्त्र उद्योग

1060. **श्री काली प्रसाद पांडेय:** क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वस्त्र उद्योग का विकास चीन और पाकिस्तान जितना नहीं हुआ है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा वस्त्र उद्योग में सुधार लाने, कपास का उत्पादन बढ़ाने और स्वचालित मशीनों के प्रयोग को बढ़ाने तथा मशीनीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए जनवरी, 1988 से आज तक किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम):(क) भारतीय वस्त्र उद्योग चीनी तथा पाकिस्तान के वस्त्र उद्योगों की अपेक्षा कम स्वचालित है।

(ख) जून, 1985 की वस्त्र नीति में इस उद्योग की आधुनिकीकरण की गति बढ़ाने हेतु किए जानें वाले विभिन्न उपायों की व्यवस्था है। सरकार द्वारा इस दिशा में किए गए प्रमुख उपायों में ये शामिल हैं। वस्त्र मशीनरी के सम्बन्ध में आयात नीति को उदार बनाना, कतिपय मशीनों का रियायती आयात शुल्क पर आयात करने की अनुमति, पुरानी मशीनों के प्रतिस्थापन हेतु उदार अनुमति प्रदान करना, 750 करोड़ रु० राशि की वस्त्र आधुनिकीकरण निधि बनाना, फाइवरों के प्रयोग में पूर्ण लोचशीलता की अनुमति देना, अनावश्यक नियंत्रणों तथा विनियमनों को समाप्त करना आदि।

राज्यों में पत्रकारों को आवास सुविधायें देने संबंधी मार्गनिर्देश

1061. **श्री शांति धारीवाल:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को पत्रकारों को आवासीय सुविधा दिए जाने संबंधी कोई मार्गनिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों को इस दिशा में कदम उठाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार का उन्हें किस प्रकार दूर करने का विचार है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह):(क) से (घ). आवास राज्य का विषय है तथा राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अपनी स्थानीय आवश्यकताओं तथा योजना प्राथमिकतायों को मद्देनजर रखते हुए सभी सामाजिक आवास योजनाओं को कार्यान्वित किया जाता है। पत्रकारों को आवास सुविधायें प्रदान करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन स्वतंत्र हैं। तथापि, पत्रकारों को आवास सुदधायें मुहैया करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को कोई मार्गनिर्देशन जारी नहीं किये गये हैं।

[अनुवाद]

वरिष्ठ रेडियोग्राफर वर्ग "बी" और "सी"

1062. **चौधरी राम प्रकाश:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में वरिष्ठ रेडियोग्राफरों के रिक्त पदों के बारे में 22 अगस्त, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3612 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वरिष्ठ रेडियोग्राफरों के वर्ग "बी" और "सी" के रिक्त पड़े पदों को अब भर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) रेडियोग्राफर समूह "ग" पद के भर्ती नियमों में व्यवस्था के अनुसार 20% पद प्रोन्नति कोटे के अन्तर्गत भरे जाने होते हैं और 80% पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने होते हैं। 9 विभागीय उम्मीदवारों के अतिरिक्त जिन्होंने सीधी भर्ती के कोटे के अंतर्गत आवेदन किया

था रोजगार कार्यालय ने 21 उम्मीदवारों को मनोनीत किया है। तकनीकी भर्ती सैल ने इन पदों को नियमित आधार पर भरने के लिए 8.2.1989 को इन उम्मीदवारों का साक्षात्कार किया है।

डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में वरिष्ठ रेडियोग्राफर का पद रिक्त पड़ा है। इस पद को अनुमोदित सरकारी भर्ती नियमों के अनुसार भरने के लिए कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है।

ऊनी कपड़ों का निर्यात

1063. **श्री चिंतामणि जेना:** क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने मूल्य के ऊनी कपड़ों का निर्यात किया गया;

(ख) कौन-कौन से ऊनी कपड़ा मिल इन कपड़ों का निर्यात कर रहे हैं और प्रत्येक मिल द्वारा उपरोक्त अवधि के दौरान कितने मूल्य का ऊनी कपड़ा निर्यात किया गया;

(ग) किन-किन देशों को ऊनी कपड़ों का निर्यात किया जा रहा है;

(घ) क्या विदेशों में भारतीय ऊनी कपड़ों की बड़ी मांग है; और

(ङ) यदि हां, तो इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए और अधिक बाजारों का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम): (क) गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए ऊनी/वर्सटिड फैब्रिक का मूल्य नीचे दिया गया है:—

1985-86 — 6.50 करोड़ रु०
1986-87 — 4.75 करोड़ रु०
1987-88 — 5.10 करोड़ रु०

(ख) निर्यात करने वाली प्रमुख मिलों के नाम तथा उनके निर्यात का मूल्य नीचे दिया गया है:—

(आंकड़े लाख रु० में)

	1985-86	1986-87
रेमंड ऊनी मिल्स लिमिटेड	540.00	347.00
वी एक्स एल इंडिया लिमिटेड	37.19	75.00
श्री दिनेश मिल्स	69.32	47.43
अन्य	3.49	5.57

(ग) से (ङ), ऊनी, वर्सटिड फैब्रिक मुख्यतया यू० ए० ई०, कनाडा, कुवैत, ओमान, संयुक्त राज्य अमरीका तथा पश्चिम यूरोप के देशों को निर्यात किए जाते हैं।

ऊनी/वर्सटिड फैब्रिक का निर्यात बढ़ाने हेतु ऊन तथा ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद ने विदेशों में प्रदर्शनियों में भाग लिया तथा संभावित बाजारों में एक प्रतिनिधिमंडल भी भेजा। परिषद विदेशी क्रेताओं द्वारा की गई व्यापारी पूछताछ को भारतीय निर्यातकों में परिचालित करती है।

जल तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण के बारे में जर्मन संघीय गणराज्य के साथ समझौता

1064. **श्री मोहनभाई पटेल:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विद्यमान जल तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण सुविधाओं का विस्तार करने के लिए जर्मन संघीय गणराज्य के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में विशेष रूप से महानगरों तथा अन्य औद्योगिक नगरों में, जल तथा वायु प्रदूषण की समस्या को हल करने के लिए अन्य क्या उपाय किये जा रहे है; और

(घ) क्या इसके लिए किसी अन्य विदेशी तकनीक का अनुबन्ध किया गया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी): (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और कुछ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की प्रयोगशालाओं को मजूबत बनाने के लिए भारत और जर्मन संघीय गणराज्य के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ है इस समझौते में केन्द्रीय/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को विश्लेषणात्मक उपकरणों की आपूर्ति, वायु और जल प्रदूषण उपशमन में अल्प-कालिक परामर्श, कार्यवाही सूचना दौरों और कार्मिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है।

(ग) देश में जल और वायु प्रदूषण को रोकने के लिए किए गए अन्य उपायों मे निम्नलिखित शामिल हैं:—

(1) वायु एवं जल गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है;

(2) परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक निर्धारित किए गए हैं;

(3) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत वायु एंव जल प्रदूषण फैलाने वाले 26 उद्योगों के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं;

(4) निर्धारित मानकों का अनुपालन वायु और जल अधिनियमों के प्रावधानों के तहत सहमति आदेश के जरिए किया जाता है·

(5) वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया है;

(6) वाहनों के धुएं से फैलने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निर्धारित मानकों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को मोटर वाहन नियमों मे संशोधन करने की सलाह दी गई है;

(7) प्रदूषण नियंत्रण उपायों को अपनाने वाले उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं;

(8) प्रदूषण नियंत्रण कानूनों के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही की जाती है।

(घ) जी, हां। यमुना नदी के बायो-मानिटरिंग मद्य-निर्माण और उर्वरक उद्योग में प्रदूषण नियंत्रण के सम्बन्ध में औद्योगिक परामर्श के लिए नीदरलैण्ड से; तटीय प्रदूषण निगरानी एल्यूमीनियम उद्योग तथा फेरो-अलाय उद्योग में प्रदूषण शमन के क्षेत्र में नार्वे से; मद्रास में जलमार्गों के उन्नयन के क्षेत्र में ब्रिटेन से और वायु गुणवत्ता निगरानी के क्षेत्र में ई०ई०सी० से तकनीकी सहायता मांगी गई है।

ग्रामीण स्वास्थ्य योजना महिला स्वयंसेवकों के मानदेय में संशोधन

1065. **प्रो० मधु दंडवते**: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत कार्यरत महिला स्वयंसेवकों को केवल 50 रूपए प्रति माह का मानदेय दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मानदेय राशि में उचित वृद्धि की जावेगी; और

(ग) यदि हां, तो क्या स्वास्थ्य योजना स्वयंसेवकों की सुविधा हेतु किटों की सप्लाई भी पुनः शुरू की जाएगी? ———

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे): (क) महिला स्वास्थ्य गाइडों सहित सभी ग्रामीण स्वास्थ्य गाइडों को उनकी जेब खर्च के लिए 50 रूपये प्रतिमास मानदेय दिया जाता है। ये गाइड समुदाय द्वारा चुने हुए वालंटियर होते है और उनका रोजगार होता है।

(ख) और (ग). मानदेय बढ़ाने या ग्रामीण स्वास्थ्य गाइडों को किटों की सप्लाई पुनः शुरू करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

चीनी का उत्पादन और मांग

1066. **श्री चिन्तामणि जेना:** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चीनी का अनुमानतः कितना वार्षिक उत्पादन होता है और इसकी मांग कितनी है;

(ख) वर्ष 1987-88 के दौरान कितनी मात्रा में चीनी का आयात किया गया और वर्ष 1988-89 के दौरान इसका कितनी मात्रा में आयात किए जाने की संभावना है; और

(ग) देश में चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी० एल० बैठा): (क) चीनी मौसम, 1988-89 के दौरान लगभग 99.50 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन होने और 98 लाख मीटरी टन चीनी की मांग होने का अनुमान है।

(ख) वित्तीय वर्ष 1987-88 के दौरान 6.56 लाख मीटरी टन चीनी का आयात किया गया है। 1988-89 के दौरान कोई आयात करने का इरादा नहीं है।

(ग) भारत आज गन्ने से चीनी का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा उत्पादक है सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के फलस्वरूप ही ऐसा करना सम्भव हो पाया है। इन उपायों में गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य में प्रत्येक वर्ष वृद्धि करना, सांविधिक न्यूनतम मूल्य की पेशगी घोषणा करना, लेवी और मुक्त बिक्री की चीनी के कोटे के अनुपात में परिवर्तन करना, नयी चीनी फैक्ट्रियों के लिए लाइसेंस देना, वर्तमान क्षमताओं में विस्तार करना, विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं शुरू करना, चीनी विकास निधि से आधुनिकीकरण और गन्ने के विकास के लिए वित्तीय सहायता सुलभ करना शामिल है।

बूचड़खाने का स्थानान्तरण

1067. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में ईदगाह बूचड़खाने को रिहायशी क्षेत्र से स्थानान्तरित करने की मांग काफी समय से की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो बूचड़खाने को वहां से हटाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) जी हां।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने बूचड़खाने को स्थानान्तरित करने के स्थल के बारे में अन्तिम रूप से अभी निर्णय नहीं लिया है।

[अनुवाद]

उपभोग के लिए खाद्य तेल की आवश्यकता

1068. **श्री गुरुदास कामत:** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में खाद्य तेलों की वार्षिक आवश्यकता कितनी है;

(ख) पिछले दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान, प्रत्येक वर्ष में; कितनी मात्रा में खाद्य तेल आयात किए गए;

(ग) खाद्य तेलों के वितरण के कौन-कौन के माध्यम है;

(घ) राज्यों को इसके वितरण हेतु क्या मापदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(ङ) देश में खाद्य तेल की कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा): (क) तेल वर्ष 1988-89 (नवम्बर-अक्तूबर) के दौरान खाद्य तेलों की अनुमानित मांग 55.32 लाख मी० टन की है।

(ख) तेल वर्ष, 1986-87 तथा 1987-88 के दौरान खाद्य तेलों की क्रमशः 14.97 लाख मी० टन तथा 18.19 लाख मी० टन मात्रा का आयात किया गया। चालू तेल वर्ष 1988-89 के दौरान जनवरी, 1989 तक 1.72 लाख मी० टन (अनन्तिम) मात्रा का आयात किया गया है।

(ग) और (घ). सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित दर की दूकानों और सहकारी तंत्र के जरिए वितरण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आयातित खाद्य तेल भारतीय राज्य व्यापार निगम द्वारा सप्लाई किए जाते हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्य तेलों का आवंटन कई बातों, जैसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मांग राज्य व्यापार निगम के पास उपलब्ध तेल की मात्रा, खुले बाजार में देशीय तेलों की उपलभ्यता तथा उनके मूल्य और विगत महीनों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा खाद्य तेलों को उठाने की गति, को ध्यान में रखते हुए मासिक आधार पर किया जाता है।

(ङ) अल्पकालिक उपाय के रूप में सरकार देश में खाद्य तेलों की कमी को पूरा करने के लिए खाद्य तेलों का आयात करती है। तथापि, तेलों के देशीय उत्पादन को अधिकाधिक बढ़ाने के लिए प्रबन्ध किए जा रहे हैं, जिनमें खाद्य तेलों के उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से तिलहनों के संबंध में एक प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना करना शामिल है।

खाद्यान्नों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने पर रोक

1069. **श्री सैयद शाहबुद्दीन:** क्या **खाद्य और नागरिक पुर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के आदेशों के अंतर्गत खाद्यान्नों को देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने पर इस समय लगे प्रतिबंधों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1988 के दौरान अधिक उत्पादन को देखते हुए इस प्रकार के प्रतिबंध लगाने का क्या औचित्य है; और

(ग) इन प्रतिबंधों को समाप्त करने का, यदि कोई प्रस्ताव है, तो वह क्या है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी० एल० बैठा): (क) और (ख). हाल ही में पड़े सूखे के कारण कम हो गए सरकारी स्टाक के लिए चावल की अधिकतम वसूली करने की दृष्टि में, आन्ध्र प्रदेश, असम, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रेदश की सरकारों और चण्डीगढ़

प्रशासन ने धान के अन्तरराज्यीय संचलन पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। राज्यस्थान और पांडिचेरी ने धान पर क्रमशः 25% और 30% की निर्यात लेवी लगा दी है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उड़ीसा के आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना

1070. **श्री के० प्रधानी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में उड़ीसा के आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना तैयार की है: और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये सुविधाएं कब तक उपलब्ध कराए जाने की सम्भावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खांपर्डे): (क) और (ख) उड़ीसा सरकार ने कालाहांडी और कोरापुट जिलों में 21 खण्डों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का एक पैकेज उपलब्ध करने हेतु विशेष क्षेत्र विकास परियोजना बनाई है। इस परियोजना को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा धन नहीं दिया जाता है। तथापि, उड़ीसा के 5 जिलों नामतः ढेंकानल क्योंझर, मयूरभंज, संभलपुर और सुन्दरगढ़ में परिवार कल्याण कार्यक्रम पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ क्षेत्र विकास परियोजना का दूसरा चरण शुरु करने हेतु एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। परियोजना का समग्र उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाओं के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करना और सुधार करना तथा ग्रामीण एवं आदिवासी इलाकों को जनता को लाभान्वित करना है। यह क्षेत्र विकास परियोजना प्रस्ताव को ब्रिटिश सरकार की सहायता से कार्यान्वित किया जाएगा।

चावल की भूसी का संसाधन तथा खाद्य तेलों का उत्पादन

1071. **श्री वी० तुलसीराम:**

श्री बालासाहिब विखे पाटिल:

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1988 के दौरान चावल की भूसी के संसाधन तथा खाद्य तेल और औद्योगिक चावल भूसी तेल के उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चावल की भूसी से उत्पादित तेल का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया तथा कितनी मात्रा में चावल की भूसी संसाधित की गई; और

(घ) क्या सरकार इस उद्योग को प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा): (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान खाद्य तथा औद्योगिक ग्रेड के चावल की भूसी के तेल का उत्पादन निम्नवत रहा है:—

उत्पादित चावल की भूसी का तेल

(मी॰ टनों में)

वर्ष	खाद्य	अखाद्य	योग
1985-86	32,850	1,85,055	2,17,900
1986-87	94,950	1,62,150	2,57,100
1987-88	1,45,000	1,45,000	2,90,000

(ग) चावल की भूसी के निष्कर्षण की निर्यात की गई मात्रा तथा संसाधित चावल की भूसी की मात्रा इस प्रकार है:—

(लाख मी॰ टनों में)

वर्ष	संसाधित चावल की भूसी	चावल की भूसी के निष्कर्षण की निर्यात की गई मात्रा
1985-86	14.27	2.98
1986-87	17.28	3.89
1987-88 अनुमानित	19.35	3.46

(घ) इस समय वनस्पति के उत्पादन में चावल की भूसी के तेल के उपयोग पर प्रति मी॰ टन 6,000 रु॰ की दर से जिसकी अधिकतम सीमा कुल तैयार किए गए वनस्पति पर प्रति मी॰ टन 1000/— रू॰ है, उत्पादन शुल्क में रियायत दी जाती है तथा साबुन में औद्योगिक ग्रेड के चावल की भूसी के तेल के उपयोग पर प्रति मी॰ टन 640/—रु॰ की दर से उत्पादन शुल्क में रियायत दी जाती है।

[हिन्दी]

दिल्ली में जन त्वरित परिवहन व्यवस्था

1072. **डा॰ चन्द्रशेखर त्रिपाठी:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या सरकार दिल्ली के लिए कोई कारगर और जन त्वरितपरिवहन व्यवस्था पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सोवियत संघ के विशेषज्ञों से भी विचार-विमर्श किया जा रहा है;

(ग) क्या सोवियत संघ का दिल्ली में भूमिगत परिवहन प्रणाली लागू करने के लिए तकनीकी और आर्थिक सहयोग देने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्ताव की शर्तें क्या हैं और यह प्रणाली कब तक लागू किये जाने की सम्भावना है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) सरकार दिल्ली में उपयुक्त दुतगामी जन परिवहन प्रणाली को लागू करने को उच्च प्राथमिकता देती है ।

(ख) प्रस्तावित दुतगामी जन परिवहन प्रणाली के चयनित कोरिडोरों का विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन आरम्भ करने का प्रस्ताव है । यदि आवश्यक समझा गया तो इस प्रयोजन के लिए सोवियत विशेषज्ञों की तकनीकी सहायता ली जा सकती है ।

(ग) इस विषय पर सोवियत सरकार के साथ विचार-विमर्श आरम्भ कर दिया गया है तथा यह एकदम प्रारम्भिक अवस्था में है ।

(घ) उपर्युक्त परिस्थितियों में, इस प्रणाली की सम्भावित लागत और इसके कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित समय को व्यक्त करना सम्भव नहीं है

[अनुवाद]

कालीन निर्यात संवर्धन परिषद का व्यय

1073.**श्री सुरेश कुरूप:**
श्री सत्यगोपाल मिश्र:
श्री सैयद मसूदल हुसैन:

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कालीन निर्यात संवर्धन परिषद के वर्ष 1986-87 और 1987-88 के लेखाओं में विशेष रूप से व्यय की मदों में भारी अनियमितताओं का पता चला है ;

(ख) यदि हां, तो इन अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन अनियमितताओं को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम): (क) और (ख). कालीन निर्यात संवर्धन परिषद की वर्ष 1986-87 तथा 1987-88 की आन्तरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कुछ आपत्तियां उठाई गई हैं । यह आपत्तियां वित्तीय, क्रियाविधि सम्बन्धी तथा प्रशासनिक हैं जैसे:— टीए / डीए के बारे में अनियमित भुगतान कार्यालय की स्थापना पर और वाराणसी में एक सेमिनार करने पर व्यर्थ का खर्च, सहायता अनुदान का उपयोग नहीं करना। उसे अन्तिम रूप नहीं देना, स्टाक रजिस्टर सही ढंग से नहीं रखना, कैश-बुक तथा बैंक संराधन विवरण-पत्र से नहीं रखना और वेतन का गलत निर्धारण, आदि ।

(ग) सरकार ने परिषद से कहा है कि वह आन्तरिक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में उठाई गई आपत्तियों का उत्तर शीघ्र ही प्रस्तुत करें । इस संबंध में आगे कार्रवाई परिषद से उत्तर प्राप्त हो जाने पर की जाएगी।

चीनी का उत्पादन

1074. **श्री वी० तुलसीराम:**
श्री बालासाहिब विखे पाटिल:

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन राज्यों में निर्यात के लिए अतिरिक्त चीनी की उत्पादन होने की आशा है;

(ख) वर्ष 1989 के दौरान राज्य-वार कितनी मात्रा में चीनी का निर्यात किये जाने का विचार है; और

(ग) चीनी उत्पादन के चालू मौसम के दौरान राज्य-वार कितनी चीनी का उत्पादन हुआ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी०एल० बैठा): (क) और (ख) नेपाल आदि जैसे पड़ौसी देशों को मामूली मात्रा का निर्यात करने के अलावा, फिलहाल सामान्य निर्यात को संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के तरजीही कोटे तक सीमित रखा जाता है। घरेलू उपलब्धता, मांग और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखने के बाद मात्रा वितरित की जाती है।

(ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें चालू चीनी मौसम (7 फरवरी, 1989 तक) के दौरान चीनी के राज्यवार उत्पादन का ब्यौरा दिया गया है।

विवरण

1988-89 मौसम के दौरान 7 फरवरी, 1989 तक चीनी का राज्यवार उत्पादन

(लाख मीटरी टन)

क्रम सं॰	राज्य का नाम	मात्रा
1.	पंजाब	1.36
2.	हरियाणा	1.50
3.	राजस्थान	0.07
4.	उत्तर प्रदेश	11.85
5.	मध्य प्रदेश	0.33
6.	गुजरात	2.90
7.	महाराष्ट्र	15.79
8.	बिहार	1.61
9.	असम	0.04
10.	उड़ीसा	0.09
11.	पश्चिम बंगाल	0.02
12.	नागालैण्ड	*नगण्य
13.	आन्ध्र प्रदेश	2.80
14.	कर्नाटक	3.88
15.	तमिलनाडु	3.63
16.	पांडिचेरी	0.23
17.	केरल	0.07
18.	गोआ	0.05
	अखिल भारत	46.22

*नगण्य = 500 मीटरी टन से कम

गैस रिसने की घटनाएं

1075. **श्री चिंतामणि जेना:**
श्रीमती प्रभावती गुप्त:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1987 तथा 1988 की दौरान गैस रिसने की घटनाओं की संख्या और स्थाना का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक घटना में कितने व्यक्ति प्रभावित हुए तथा कितने व्यक्ति मारे गये;

(ग) गैस रिसाव के लिए जिम्मेदार प्रबंधन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) प्रभावित व्यक्तियों को यदि कोई मुआवजा दिया गया हो तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या एहतियाती उपाय किये गये हैं?

53/23/LS/89 - 10

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा मालवीय): (क) से (ङ) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

शिशुओं को बाल रोगों से बचाने हेतु टीके लगाने का लक्ष्य

1076. **श्री ई० अय्यपू रेड्डी:**
श्रीमती जयन्ती पटनायक:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सातवीं योजना के अन्त तक शिशुओं को छः बाल रोगों के बचाने हेतु टीके लगाने का क्या लक्ष्य रखा गया है तथा लाभभोगियों की संख्या के अनुसार अब तक की उपलब्धि की प्रतिशतता कितनी है और इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने जिलों को सम्मिलित किया जायेगा;

(ख) क्या पोलियो सहित इन सभी रोगों के टीकों का देश में उत्पादन करने हेतु कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी ससेज खापर्डे): (क) सातवीं योजना के अंत तक (1985-90) शिशुओं को छह बाल रोगों से बचाने हेतु निर्धारित लक्ष्य तथा जनवरी, 1989 तक उपलब्धियों का प्रतिशत संलग्न **विवरण** में दिया गया है।

सातवीं योजना अवधि के अन्त तक सभी जिलों को कवर कर लिया जाएगा।

(ख) जी, हां।

(ग) बी०सी०जी० को छोड़कर इस कार्यक्रम में इस्तेमाल की जाने वाली अन्य जीवाणु वैक्सीनों के स्वदेशी उत्पादन में देश पहले ही आत्मनिर्भर है। बी०सी०जी० वैक्सीन के उत्पादन और आवश्यकता में इस अंतर को लगभग एक वर्ष के समय में पूरा कर लिए जाने की सम्भावना है।

वाइरल वैक्सीनों के बारे में निजी क्षेत्र की यूनिट भारतीय सीरम संस्थान, पुणे द्वारा 1990-91 तक खसरा वैक्सीन का देश में ही उत्पादन आरम्भ किए जाने की आशा है। यह भी आशा है कि ओरल पोलियो वैक्सीन का उत्पादन देश में 1990-91 तक आरम्भ हो जाएगा।

विवरण

विस्तारित रोगप्रतिरक्षण कार्यक्रम—सातवीं योजना (1985-86 से 1989-90) के दौरान लक्ष्य और उपलब्धियां

आंकड़े दस लाख में

टी०टी० (गर्भवती महिलाएं)				डी०पी०टी०			पोलियो		
वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य की प्रतिशत उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि
1985-86	12.86	10.36	80.6	14.04	15.13	108.1	14.04	13.19	93.9
1986-87	15.20	11.66	76.7	15.30	11.56	75.6	15.30	10.26	67.1

आंकड़े दस लाख में

	टी॰टी॰(गर्भवती महिलाएं)			डी॰पी॰टी॰			पोलियो		
वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य की प्रतिशत उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि
1987-88	16.93	14.61	86.30	17.21	16.52	95.99	17.21	14.37	83.50
1988-89	22.66	11.8?	52.07	18.03	13.54	75.10	18.03	12.57	69.72
1989.90	25.27 (जनवरी, 89 तक)			19.20	(जनवरी, 89 तक)		19.20	(जनवरी, 89 तक)	
योग:	92.92			83.78			83.78		
	बी॰सी॰जी॰			खसरा					
1985-86	14.04	6.62	47:3	2.32	0.32	13.8			
1986-87	15.30	11.12	72.7	5.70	3.71	67.5			
1987-88	17.21	16.22	94.25	11.21	9.99	89.12			
1988-89	18.03	13.79	76.48	15.74	9.13	58.01			
1989-90	9.20	(जनवरी, 89 तक)		19.20 (जनवरी, 89 तक)					
योग:	83.78			54.17					

केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के निर्णय

1077. **श्री पी॰ एम॰ सईद:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद की बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन मुख्य विषयों पर चर्चा की गई और यदि कोई निर्णय लिए गए हों, तो वे क्या हैं;

(ग) क्या परिषद ने, विशेषकर प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना के बारे में कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे): (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ): प्राथमिकता स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना का कार्य राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए लक्ष्य योंजना आयोग द्वारा संबंधित राज्य सरकारों के साथ योजना पर चर्चा के दौरान उनके परामर्श से निश्चित किए जाते हैं।

विवरण

इस तथ्य को नोट करते हुए कि भारत की जनसंख्या अब 80 करोड़ तक पहुंच चुकी हैं, केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद ने परिवार नियोजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन और कार्यनीति के लिए और अधिक महत्व और गतिशीलता की आवश्यकता पर बल दिया है। यह भी सिफारिश की गई है कि आठवीं

पंचवर्षीय योजना के दौरान शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर में कमी लाने और सभी को परिवार नियोजन की सेवाएं सुलभ कराने के कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कार्यनीति तत्काल तैयार की जानी चाहिए। यह भी सिफारिश की गई है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम स्वैच्छिक आधार पर जारी रहने चाहिए और जन शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमों को कारगर ढंग से सुदृढ किए जाने की प्रबल आवश्यकता है। महिला साक्षरता और महिलाओं के स्तर में सुधार लाना भी कार्यक्रम की सफलता के लिए निर्णायक समझा जाता है। भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों की विशाल संख्या को भी परिवार नियोजन कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षित और तैयार किया जा सकता है।

ये तथा अन्य सिफारिशें केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद द्वारा, जिसमें राज्यों के स्वास्थ्य से संबंधित मंत्री, स्वास्थ्य से संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधि, स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यवसायी निकायों के प्रतिनिधियों और प्रमुख चिकित्साविद शामिल हैं। अपनी 1 से 3 फरवरी, 1989 तक विज्ञान भवन में सम्पन्न हुई तीन दिवसीय बैठक में लिए गए केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री कुमारी सरोज खापर्डे की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में परिवार कल्याण, रोगप्रतिरक्षण और अन्य दूसरे कार्यक्रमों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई और संचारी और गैर संचारी रोगों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का मूल्यांकन भी किया गया।

परिषद ने प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यनीति के लिए दृढ राजनैतिक और सामुदायिक समर्थन का आह्वान किया और यह सुझाव दिया कि प्राइवेट चिकित्सकों और भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के चिकित्सकों को रोगप्रतिरक्षण और जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य कार्यकलापों में शामिल किया जाना चाहिए। इसने प्रस्ताव किया कि ग्राम स्वास्थ्य गाइड योजना की प्रत्येक राज्य द्वारा समीक्षा की जाए ताकि इसे 8वीं योजना के दौरान जारी रखने के बारे में निर्णय लिया जा सके। इसके विचार में ग्राम स्वास्थ्य गाइड स्कीम सामुदायिक सहभागिता का एक उदाहरण है। तथापि, परिषद ग्राम स्वास्थ्य गाइडों के लिए औषध किट जारी करने के पक्ष में नहीं थी। जन स्वास्थ्य उपायों की आवश्यकता पर बल देते हुए परिषद ने देश के विभिन्न भागों में जन स्वास्थ्य स्कूल खोलने का सुझाव दिया और यह भी सुझाव दिया कि जन स्वास्थ्य प्रशिक्षित कार्मिकों को उच्च-स्तरीय पदों पर नियुक्त करने पर विचार किया जाना चाहिए। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम पर भी बल दिया जाना चाहिए।

परिषद ने यह भी सिफारिश की कि मलेरिया नियंत्रण के लिए कारगर कदम उठाकर निम्नलिखित को उच्च प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए (1) रोग के प्रकोप वाले क्षेत्र विशेषकर पी॰ फल्सीपेरम क्षेत्र (2) विकासात्मक परियोजना क्षेत्र जहां मौतें हुई हैं (3) जानपदिक रोग वाले क्षेत्र और (4) आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्र जहां मलेरिया हमेशा रहता है।

परिषद ने यह भी सिफारिश की है कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा गुजरात के नादियाड तालुक में विकसित की गई जैव-पर्यावर्णिक तकनीकों द्वारा समन्वित रोगाणु नियंत्रण कार्य को 1989-90 के दौरान गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों के एक-एक जिले में प्रथम चरण में लागू किया जाए। परिषद ने स्थानिकमारी वाले जिलों में काला आजार और जापानी मस्तिष्कशोथ नियंत्रण के लिए भी विशेष कार्य योजना लागू करने की सिफारिश की।

परिषद ने राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति पर संतोष प्रकट किया। भारत में अभी तक एड्स जन स्वास्थ्य समस्या नहीं है। तथापि, उक्त/उक्त उत्पादों की सुरक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा उपायों के प्रचार और इस रोग की प्रकृति, संचरण के तरीकों और संक्रमण से बचने के लिए बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में सूचना प्रदान करने के लिए जन प्रचार के माध्यमों का समुपयोजन सुनिश्चित करके संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए एहतियाती उपाय करना आवश्यक है। परिषद ने प्रथमतः बड़े-बड़े शहरों में चिकित्सा और अर्ध-चिकित्सा कार्मिकों के प्रशिक्षण की भूमिका और एड्स रोगियों के लिए चिकित्सा परिचर्या सुविधाओं की व्यवस्था करने पर भी जोर दिया।

वर्तमान क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को सुदृढ़ किया जाएगा और उनका विस्तार किया जाएगा। उन राज्यों में जहां क्षेत्रीय केन्द्र नहीं हैं, मेडिकल कालेज अस्पतालों का पता लगाया जाएगा और उनका विकास किया जाएगा ताकि प्रत्येक राज्य में कैंसर के उपचार की सुविधाएं उपलब्ध हों। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक पत्येक राज्य में या तो मेडिकल कालेज अस्पताल में अथवा जिला अस्पताल में कैंकर के उपचार की सुविधाएं स्थापित कर दी जाएंगी।

परिषद ने जल-वाहक रोगों (जठरांत्र शोथ, हैजा, टाइफॉयड, संक्रामक हेपेटाइटिस पोलिमाइलाइटिस) की उच्च घटना पर चिंता व्यक्त की। परिषद ने राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा निगरानी और मानीटरिंग पद्धति को सुदृढ़ करने, सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा उपायों को बढ़ावा देने, सुरक्षित पीने के पानी की व्यवस्था करने, सभी प्रकार असुरक्षित पीने के पानी के स्रोतों का क्लोरिनीकरण करने, मानव मल का सुरक्षित निपटान करने. भोजन और वैयक्तिक सफाई में सुधार करने और पर्यावरणिक सफाई में सुधार करने की सिफारिश की। परिषद ने स्थानिक महामारी वाले गावों में गिनी कृमि की रोकथाम करने तथा उसका उन्मूलन करने तथा उसका उन्मूलन करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की भी सिफारिश की।

परिषद ने आयुर्विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में भी अति महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। इसने सुझाव दिया है कि अनर्ह व्यक्तियों को प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और केन्द्रीय/राज्य सरकारों को अनर्ह व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली प्रैक्टिस को रोकने के लिए व्यवस्थाएं करनी चाहिए। परिषद ने आयुर्विज्ञान शिक्षा स्कीम को विषय-अनुकूल बनाने की आवश्यकता पर उचित जोर दिया है। आयुर्विज्ञान स्नातकों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्य सेवा के प्रश्न पर बहस की गई है। परिषद ने चिकित्सा और अर्ध-चिकित्सा कार्मिकों के लिए आयुर्विज्ञान शिक्षा को जारी रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर भूतकाल में उचित ध्यान नहीं दिया गया और परिषद की सिफारिश से समूचित कार्य योजना तैयार करने की दिशा में अपेक्षित मार्गदर्शन उपलब्ध होगा।

परिषद ने नोट किया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 में बनाई गई थी और उसमें ईसवी सन 2000 तक प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्य निर्धारित किए गये हैं। परिषद ने अनुवर्ती योजनाओं में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्र के घटते हुए अंश पर चिन्ता व्यक्त की है। यह सिफारिश की है कि आठवीं योजना के कुल आवंटनों का कम से कम 7 प्रतिशत धन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्र के लिए नियत किया जाना चाहिए क्योंकि वर्तमान 3.7 प्रतिशत धन राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काफी कम है।

परिषद ने केन्द्र में और राज्यों में औषध नियन्त्रण प्रशासन को मजबूत बनाने का आह्वान किया ताकि औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के कार्यान्वयन में कमियों पर काबू पाया जा सके।

इस संदर्भ में परिषद ने सिफारिश की कि एक राष्ट्रीय औषध नियन्त्रण प्राधिकरण की स्थापना संबंधी प्रस्ताव के विशिष्ट संदर्भ में औषध नियन्त्रण ढ़ांचे को पुनर्गठित करने की बात की जांच करने के लिए एक उच्च शक्ति सम्पन्न समिति का गठन किया जाए।

औषध आधारित रोगों के बढ़ते रुख पर चिंता व्यक्त की गई और परिषद ने सिफारिश की कि राज्य सरकारों को विशेषज्ञ समिति के दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसे सभी रोगों के लिए उपचार सेवाएं उपलब्ध करने के उपाय करने चाहिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों और होम्योपैथी को गहन रूप में शामिल करने की आवश्यकता को देखते हुए परिषद ने सिफारिश की कि शिक्षा के मानकों और औषधों के गुणवत्ता नियंत्रण और स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों के संबंध में अन्य गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए विशिष्ट प्रयास करने की जरूरत थी।

सातवीं योजना के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की उपलब्धियां

1078. **श्री वी० तुलसीराम:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सातवीं योजना के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने के लिए दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है तथा 31 दिसम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार राज्य-वार कितनी धनराशि का उपयोग किया गया?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे): प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राज्य योजनाओं के अन्तर्गत राज्यों द्वारा खोले जाते हैं और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लिए कोई सहायता नहीं दी जाती।

दस्तकारों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र

1079. **श्री वी० तुलसीराम:** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दस्तकारों को प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षण केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विशेषज्ञ दस्तकारों के माध्यम से संचालित प्रशिक्षु प्रशिक्षण के लिए योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक श्रेणी में राज्य-वार कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया ?

श्रम मंत्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे): (क) इस मंत्रालय की शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के रूप में जाने, जाने वाले शिल्पकारों हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों के ब्यौरे संलग्न विवरण I में दिये गये हैं।

(ख) इस मंत्रालय के अधीन मास्टर शिल्पकारों के माध्यम से संचालित शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए कोई योजना नहीं है।

(ग) उन व्यक्तियों की संख्या, जिन्हें स्वीकृत सीटों के आधार पर वर्ष

1988 और 1987 के दौरान शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अधीन राज्यवार प्रशिक्षण दिया गया था, संलग्न विवरण I और II में दी गई है।

विवरण

30-11-88 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में सरकारी तथा गैर सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों की संख्या तथा उनमें स्वीकृत सीटों की संख्या

क्रमांक	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान			गैर-सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान			कालम 5 और 8 का जोड़	स्वीकृत सीटें (व्यक्तियों की सं०)
		सम्बद्ध	असम्बद्ध	कालम 3 और 4 का जोड़	सम्बद्ध	असम्बद्ध	कालम 6 और 7 का जोड़		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	46	6	52	101	98	199	251	40,880
2.	अरूणाचल प्रदेश	1	-	1	-	-	-	1	192
3.	असम	18	4	22	-	-	-	22	4,368
4.	बिहार	31	-	31	2	-	2	33	13,488
5.	गोवा	11	-	11	3	-	3	14	2,576
6	गुजरात	57	5	62	63	6	69	131	22,864
7.	हरियाणा	78	4	82	13	11	24	106	14,048
8.	हिमाचल प्रदेश	32	-	32	-	-	-	32	3,392
9.	जम्मू और कश्मीर	7	13	20	-	-	-	20	2,496
10.	कर्नाटक	32	1	33	122	11	133	166	20,736
11.	केरल	17	5	22	224	15	239	261	41,120
12.	मध्य प्रदेश	59	5	64	3	1	4	68	17,040
13.	महाराष्ट्र	101	-	101	80	24	104	205	39,680
14.	मणिपुर	1	5	6	-	-	-	6	496
15.	मेघालय	2	-	2	1	-	1	3	512
16.	मिजोरम	1	-	1	-	-	-	1	240
17.	नागालैंड	1	-	1	-	-	-	1	224
18.	उड़ीसा	13	2	15	5	6	11	26	55,648
19.	पंजाब	94	2	96	8	8	16	112	17,328
20.	राजस्थान	27	5	32	14	2	16	48	6,069
21.	सिक्किम	1	-	1	-	-	-	1	112
22.	तमिलनाडु	43	3	46	133	6	139	185	27,632
23.	त्रिपुरा	2	1	3	-	-	-	3	528

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	उत्तर प्रदेश	61	26	87	20	30	50	137	33,712
25.	पश्चिम बंगाल	20	-	20	6	-	6	26	9,904
26.	चण्डीगढ़	2	-	2	1	-	1	3	864
27.	दादर व नगर हवेली	1	-	1	-	-	-	1	176
28.	दमा और द्वीप	2	-	2	-	-	-	2	288
29.	दिल्ली	11	-	11	15	4	19	30	7,280
30.	पांडिचेरी	3	-	3	1	-	1	4	496
	जोड़	775	87	862	815	222	1,037	1,899	3,34,389

विवरण II

31-7-1987 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में सरकारी तथा गैर-सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों की संख्या तथा उनमें स्वीकृत सीटों की संख्या

क्रमांक	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	सरकारी औ० प्र० सं०			गैर-सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान				स्वीकृत सीटें (व्यक्तियों की सं०)
		सम्बद्ध	असम्बद्ध	कालम 3 और 4 का जोड	सम्बद्ध	असम्बद्ध	कालम 6 और 7 का जोड़	कालम 5 और 8 का जोड़	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	43	6	49	59	134	193	242	39904
2.	अरूणाचल प्रदेश	1	-	1	-	-	-	1	192
3.	असम	16	1	17	-	-	-	17	3912
4.	बिहार	31	1	32	2	-	2	34	13392
5.	गोवा	11	-	11	3	-	3	14	2428
6.	गुजरात	54	7	61	48	30	78	139	20020
7.	हरियाणा	76	4	80	12	10	22	102	13152
8.	हिमाचलप्रदेश	32	-	32	-	-	-	32	3344
9	जम्मू व कश्मीर	7	13	20	-	-	-	20	2592
10.	कर्नाटक	30	3	33	86	86	172	205	24884
11.	केरल	17	4	21	227	16	243	264	35529
12.	मध्य प्रदेश	58	5	63	1	2	3	66	15632
13.	महाराष्ट्र	107	-	107	72	24	96	203	46880
14.	मणिपुर	1	5	6	-	-	-	6	472
15.	मेघालय	2	-	2	1	-	1	3	492
16.	मिज़ोरम	1	-	1	-	-	-	1	236
17.	नागालैण्ड	1	-	1	-	-	-	1	212
18.	उड़ीसा	14	2	16	2	-	2	18	5080
19.	पंजाब	94	2	96	8	8	16	112	17328

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	राजस्थान	23	8	31	10	16	26	57	6576
21.	सिक्किम	1	-	1	-	-	-	1	112
22.	तमिलनाडु	43	3	46	116	5	121	167	25520
23.	त्रिपुरा	2	1	3	-	-	-	3	512
24.	उत्तर प्रदेश	53	32	85	10	23	33	118	29600
25.	पश्चिम बंगाल	19	-	19	6	-	6	25	9796
26.	चण्डीगढ़	2	-	2	-	1	1	3	880
27.	दादर व नागर हवेली	1	-	1	-	-	-	1	176
28.	दमन व दीव	2	-	2	-	-	-	2	288
29.	दिल्ली	10	-	10	15	-	15	25	7472
30.	पांडिचेरी	3	-	3	1	1	2	5	496
	जोड़ :	755	97	852	679	356	1035	1887	327109

[हिन्दी]

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रतिबन्धित दवाइयों की बिक्री

1080 **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुछ दवाइयों पर प्रतिबन्ध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी दवाइयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनमें से कुछ दवाइयाँ खुले आम देश में बिक रही हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने अभी तक इन सभी दवाइयों पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खोपर्डे):(क) से (ङ) कुछ देशों द्वारा अपने बाजारों से कतिपय औषधियों को हटा लेने संबंधी सूचना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मुख्यतः विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से प्राप्त की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अब तक सूचित किया है कि कुछ देशों द्वारा 44 औषधियां हटाई गई हैं। 44 औषधियों में से 26 औषधियां भारत में बिक्री के लिए बिल्कुल भी अनुमोदित नहीं की गई थीं तथा भारतीय बाजार से 11 औषधियों को हटाने के लिए विशेषज्ञों के परामर्श से कार्रवाई पहले ही आरंभ की जा चुकी है।

शेष 7 औषधियों अर्थात (1) नाइट्रोफॅयूरान कम्पाउण्ड (2) फेनफोर्मिन (3) हाइड्रोक्स क्विनोलीन निष्पत्तियां (4) उच्च खुराक वाले लिनेस्ट्रेनाल उत्पाद (5)पिपराजीन (6) फेनिल बूटाजोन आक्सीफैन बूटा जोन और (7) एनलजीन के संबंध में यह बताया जाता है कि यद्यपि इन 7 दवाइयों पर कुछ देशों में रोक लगी हुई है तथापि ये बहुत से विकसित देशों में अभी भी बेची जा रही है । देश में इन औषधियों को बेचे जाने की अनुमति देने का निर्णय चिकित्सा विशेषज्ञों के परामर्श से लिया गया था बशर्ते कि लेबल/पैकेज पर्ची पर सचेतक विवरण अथवा प्रतिकूल लक्षणों का उल्लेख किया गया हो।

दिल्ली के गांवों का लाल डोरा

1081. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के कुछ गांवों की लाल डोरा सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव पर कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) जी, हां।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 5 गांवों के लाल डोरे का पहले ही विस्तार किया जा चुका है। लाल डोरा बढ़ाने के प्रयोजन के लिए 1.9.1988 को चकबन्दी हेतु 15 और गांवों को अधिसूचित किया गया है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान में समूह-क में रिक्त पद

1082. **श्री मानिक रेड्डी:**
श्री जी० भूपति :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली में समूह-क में इस समय विभाग-वार कितने पद खाली पड़े हैं;

(ख) इन पदों को अभी तक न भरे जाने के क्या कारण हैं;

(ग) इन पदों के कब तक भरे जाने की संभावना है; और

(घ) संस्थान में निदेशक तथा संयुक्त निदेशक के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है और इन्हें कितने समय के लिए नियुक्त किया जाता है और इनके मूल वेतनमान तथा उन्हें उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं तथा अन्य विशेषाधिकारों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे): (क) और (ख): विवरण संलग्न है

(ग) जिन पदों के लिए विज्ञापन श्रव्य दृश्य प्रचार निदेशालय को भेजे गए हैं उन्हें लगभग 3 से 4 महीने की अवधि में भरे जाने की आशा है। जहां तक उन पदों का संबंध है जिनके भर्ती नियम अभी बनाये जाने हैं। उन्हें भरने से पहले कुछ और समय लग जाने की संभावना है।

(घ) इस संस्थान के उप-नियमों के अनुसार निदेशक के पद पर नियुक्ति भारत सरकार के पूर्वानुमोदन से 5 वर्ष की अवधि के लिए शासी निकाय द्वारा की जाती है। भर्ती नियमों के अनुसार निदेशक का पद सीधी भर्ती द्वारा भरा जाता है। जिसके न हो सकने पर निर्धारित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं रखने

वाले उपयुक्त अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाता है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निदशक के पद के लिए आम केन्द्रीय / राज्य सरकारों / प्रमुख संस्थानों / संगठनों से मंगाये जाते है।

इसके पशचात निदेशक के पद के लिए उपयुक्त नामों की सिफारिश करने के लिए शासी निकाय द्वारा गठित एक विशेष चयन समिति इन नामों पर विचार करती है । शासी निकाय के अनुमोदन के बाद मंत्रिमडल को नियुक्ति संबंधी समिति की सवीकृति मांगी जाती है और निदेशक के पद पर नियुक्त शासी निकाय द्वारा की जाती है।

संयुक्त निदेशक का पद वरीयता एवं योग्यता के आधार पर उन प्रोफेसरों की प्रोन्नति करके भरा जाता है जिन्होंने ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा कर ली हो और इसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा भरा जाता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान के निदेशक का वेतनमान सामान्य भत्तों के साथ 7300-100-7600+900 रु. प्रैक्टिस बंदी भत्ता है तथा संयुक्त निदेशक के पद का वेतनमान 4500-150-5700-200-7300- रूपये +900 रु. प्रैक्टिस बंदी भत्ता केवल चिकित्सा कार्मिकों के लिए है।

निदेशक और संयुक्त निदेशक को मिलने वाली सुविधाएं तथा विशेषाधिकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान के उप-नियम 42 के अंतर्गत विनियमित किए जाते हैं जिनमें कहा गया है कि "जो मामले इन उपं-नियमों के अंतर्गत कवर नहीं होते हैं उन मामलों में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सामान्य सेवा शर्तों,वेतन,भत्ते जिसमें यात्रा तथा दैनिक भत्ते शामिल हैं, छुट्टी का वेतन, कार्यग्रहण समय, विदेश सेवा शर्तें आदि के मामले में लागू होने वाले नियम तथा इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश तथा निर्णय संस्थान के कर्मचारियों पर भी यथावश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।"

(विवरण)

समूह "क" के विभाग वार रिक्त पड़े पद तथा उनके न भरे जाने के कारण

क्रम सं०	पद का नाम		टिप्पणी
प्रजनन जैवचिकित्सा विभाग			
1.	लैक्चरर (जैव चिकित्सा अनुसंधान)	एक	इस पद का ब्यौरा विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय को विज्ञापन हेतु भेजा गया है।
2.	लैक्चरर (पुरूष क्लीनिकल)	एक	-तदेव-
3.	लैक्चरर (संवेदनाहरण विज्ञानी)	एक	-तदेव-
जनसंख्या आनुवांशिकी तथा मानव विकास विभाग			
1.	प्रोफेसर	एक	सहायक प्रोफेसर के पद को समाप्त कर यह पद सृजित किया गया है। इस पद के भर्ती नियमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

क्रम सं०	पद का नाम		टिप्पणी
शिक्षा तथा प्रशिक्षण विभाग			
1.	प्रोफेसर	एक	यह पद पहले ही विज्ञापित कर दिया गया है और चयन हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों की जांच की जा रही है।
2.	लैक्चरर (चिकित्सा)	एक	पद का ब्यौरा विज्ञापित करने हेतु पहले ही विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय को भेज दिया गया है
3.	लैक्चरर (क्षेत्रीय प्रशिक्षण)	एक	-तदेव-
चिकित्सा परिचर्या तथा अस्पताल प्रशासन विभाग			
1.	लैक्चरर	दो	ये हाल ही में बनाए गये हैं। भर्ती नियमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन विभाग			
1.	लैक्चरर (जनपदिक रोग विज्ञान)	एक	इस पद का ब्यौरा विज्ञापित किए जाने हेतु विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय को भेजा गया है।
2.	लैक्चरर (पोषण)	एक	-तदेव-
3.	लैक्चरर (सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन)	एक	-तदेव-
समाज -विज्ञान विभाग			
1.	लैक्चरर (मानव - विज्ञान)	एक	-तदेव-
2.	लैक्चरर (मनोविज्ञान)	एक	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पैटर्न पर भर्ती नियमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
सांख्यिकी तथा जनीकिकी विभाग			
1	लैक्चरर	एक	यह पद हाल ही में बनाया गया है । भर्ती नियमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
संचार विभाग			
1.	प्रोफेसर	एक	-तदेव-
2.	सहायक प्रोफेसर (इलेक्ट्रोनिक मीडिया)	एक	इस पद की अपेक्षाओं को संशोधित कर दिया गया है इसलिए भर्ती नियमों में संशोधन किया जा रहा है।
संगणक केन्द्र			
1.	प्रोग्रामर	एक	यह हाल ही में बनाया गया है। इस पद के भर्ती नियमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिये धनराशि का आवंटन

1083. **श्री अमर सिंह राठवा:**
श्री प्रकाश चन्द्र:
श्री धर्मपाल सिंह मलिक:
डा० कपा सिन्धु भोई:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिये क्या उपाय किए गये हैं और इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ख) वर्ष 1988-89 के दौरान इस प्रयोजन के लिये राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गयी थी और वर्ष 1989-90 के लिये राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित करने का विचार है;

(ग) क्या कुछ देशों ने कुष्ठ रोग उन्मूलन करने में सफलता प्रात की है, यदि हां, तो इन देशों के नाम क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार का इस रोग के उन्मूलन के लिये इन देशों से कोई सहायता प्राप्त करने का विचार है;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे): (क) 2,000 ईसवी तक सभी कुष्ठ रोगियों में "इस रोग की रोकथाम करने" संबंधी कार्य-कलापों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

(1) कुष्ठ रोगियों का शुरू में ही पता लगाना।

(2) स्थानिकमारी वाले जिलों में बहु-औषध उपचार।

(3) लोगों में सक्रिय रूप से जागरुकता पैदा करने के लिये स्वास्थ्य शिक्षा।

(4) इस कार्यक्रम में स्वयं सेवी संगठनों को शामिल करना।

इस समय 30 लाख कुष्ठ रोगी दर्ज हैं और वे विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में नियमित उपचार करवा रहे हैं। बहु-औषध चिकित्सा के विस्तार से रोगियों के ठीक होने की दर से 1987-88 में पता लगाए गए नए रोगियों की 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है। इस दर में आने वाले वर्षों में आगे और वृद्धि होने की आशा है।

(ख) 1988-89 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान किए गए और 1989-90 के लिये प्रस्तावित आवंटन को दर्शाने वाले विवरण 1 और 2 संलग्न हैं।

(ग) यूरोपीय देशों कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका , जापान और आस्ट्रेलिया ने कुष्ठ नियंत्रण के कार्य में पूरी तरह से सफलता प्राप्त कर ली है।

(घ) जी, नहीं।

विवरण-1

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम

संशोधित अनुमान 1988-89
(लाख रुपये में)

1. नकदी का ब्यौरा — राज्य / केन्द्रीय क्षेत्रवार

क्रम सं० क्षेत्र	टी०एस० योजना		एस०सी० प्लान		टी०एस० / एस०सी०पी० को छोड़कर		योग		1988-89
	नकदी	सामग्री	नकदी	सामग्री	नकदी	सामग्री	नकदी	सामग्री	योग
क. राज्य क्षेत्र									
1. आन्ध्र प्रदेश	18.00	8.00	—	—	162.00	72.00	180.00	80.00	260.00
2. अरुणाचल प्रदेश	0.75	0.05	—	—	6.75	0.45	7.50	0.50	8.00
3. असम	1.80	0.50	—	—	16.20	4.50	18.00	5.00	23.00
4. बिहार	6.00	3.80	—	—	54.00	34.20	60.00	38.00	98.00
5. गोवा	0.05	0.05	—	—	0.45	0.45	0.50	0.50	1.00
6. गुजरात	3.00	2.50	—	—	27.00	22.50	30.00	25.00	55.00
7. हरियाणा	0.70	0.10	—	—	6.30	0.90	7.00	1.00	8.00
8. हिमाचल प्रदेश	0.30	0.10	—	—	2.70	0.90	3.00	1.00	4.00
9. जम्मू व कश्मीर	0.15	0.05	—	—	1.35	0.45	1.50	0.50	2.00
10. कर्नाटक	7.00	3.00	—	—	63.00	27.00	70.00	30.00	100.00
11. केरल	3.50	1.00	—	—	31.50	9.00	35.00	10.00	45.00
12. मध्य प्रदेश	6.00	1.00	—	—	54.00	9.00	60.00	10.00	70.00
13. महाराष्ट्र	5.00	5.00	—	—	45.00	45.00	50.00	50.00	100.00
14. मणिपुर	0.20	0.05	—	—	2.30	0.45	2.50	0.50	3.00
15. मेघालय	0.30	0.10	—	—	2.70	0.90	3.00	1.00	4.00
16. मिजोरम	0.30	0.10	—	—	2.70	0.00	3.00	1.00	4.00
17. नागालैण्ड	0.50	0.10	—	—	4.50	0.90	5.00	1.00	6.00
18. उड़ीसा	7.50	2.50	—	—	67.50	22.50	75.00	25.00	100.00
19. पंजाब	0.95	0.05	—	—	8.55	0.45	9.50	0.50	10.00
20. राजस्थान	2.00	0.50	—	—	10.00	4.50	20.00	5.00	25.00
21. सिक्किम	1.25	0.05	—	—	11.25	0.45	12.50	0.50	13.00
22. तमिलनाडु	10.80	6.50	—	—	97.20	58.50	108.00	65.00	173.00
23. त्रिपुरा	0.70	0.10	—	—	6.30	0.90	7.00	1.00	8.00
24. उत्तर प्रदेश	10.00	4.00	—	—	90.00	36.00	100.00	49.00	140.00
25. पश्चिम बंगाल	6.00	3.00	—	—	54.00	27.00	60.00	30.00	90.00
योग	92.75	42.20	—	—	835.25	379.80	928.00	422.00	1350.00

(ख) बिना विधान सभाओं के संघ राज्य क्षेत्र

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0.05	0.05	—	—	7.45	0.45	7.50	0.50	8.00
27.	चंडीगढ़	0.05	0.05	—	—	0.45	0.45	0.50	0.50	1.00
28.	दादरा और नागर हवेली	0.05	0.05	—	—	0.45	0.45	0.50	0.50	2.00
29.	दमन और द्वीप	0.10	0.20	—		0.40	0.30	0.50	0.50	1.00
30.	दिल्ली	0.05	0.05	—	—	0.45	0.45	0.50	0.50	1.00
31.	लक्षद्वीप	0.10	0.30	—	—	0.90	0.70	1.00	1.00	2.00
	योग	0.40	0.70	—	—	10.10	2.80	10.50	3.50	14.00

विधान मंण्डलों वाले संघ राज्य क्षेत्र

32.	पांडिचेरी	0.10	0.80	—	—	0.40	6.70	0.50	7.50	8.00
	योग	0.10	0.80	—		0.40	6.70	0.50	7.50	8.00
	कुल योग (क ख ग)	95.15	43.50	—	—	845.85	389.50	939.00	433.00	1372.00

विवरण-2

बजट अनुमान 1989-90 मे केन्द्रीय सहायता का राज्यवार क्षेत्रवार ब्यौरा (रु० लाखों में)

क्रम सं०	राज्य/क्षेत्र	टी०एस० योजना			एस०सी०योजना			टी०एस० एस०सी० योजना से अलग			बजट अनुमान 1989-90 का योग		
		नकदी	सामग्री	योग	नकदी	सामग्री	योग	नकदी	सामग्री	योग	नकदी	सामग्री	योग
क.	राज्य क्षेत्र												
1.	आन्ध्र प्रदेश	27.00	12.00	39.00	—	—	—	53.00	68.00	221.00	180.00	80.00	260.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.80	0.10	0.90	—	—	—	4.70	0.40	5.10	5.50	0.50	6.00
3.	असम	2.70	1.30	4.00	—	—	—	15.30	3.70	19.00	18.00	5.00	23.00
4.	बिहार	8.00	4.50	12.50	—	—	—	67.00	33.50	100.50	75.00	38.00	113.00
5.	गोवा	0.05	0.05	0.10	—	—	—	0.45	0:45	0.90	0.50	0.50	1.00
6.	गुजरात	3.20	5.00	8.20	—	—	—	28.80	20.00	48.80	32.00	25.00	57.00
7.	हरियाणा	0.30	0.10	0.40	—	—	—	2.70	0.90	3.60	3.00	1.00	4.00
8.	हिमाचल प्रदेश	0.70	0.10	0.80	—	—	—	6.30	0.90	7.20	7.00	1.00	8.00
9.	जम्मू और कश्मीर	0.15	0.05	0.20	—	—	—	1.35	0.45	1.80	1.50	0.50	2.00
10.	कर्नाटक	9.00	5.00	14.00	—	—	—	71.00	25.00	96.00	80.00	30.00	110.00
11.	केरल	5.00	1.00	6.00	—	—	—	45.00	9.00	54.00	50.00	10.00	60.00
12.	मध्य प्रदेश	7.50	1.00	8.50	—	—	—	67.50	9.00	76.50	75.00	10.00	85.00
13.	महाराष्ट्र	5.00	7.00	12.80	—	—	—	45.00	43.00	88.00	50.00	10.00	100.00
14.	मणिपुर	0.15	0.05	0.20	—	—	—	1.35	0.45	1.80	1.50	0.50	2.00
15.	मेघालय	0.03	0.01	0.04	—	—	—	4.97	0.99	5.96	5.00	1.00	6.00
16.	मिजोरम	0.03	0.01	0.04	—	—	—	0.97	0.99	5.96	5.00	1.00	6.00
17.	नागालैंड	0.07	0.01	0.08	—	—	—	0.93	0.99	17.92	7.00	1.00	108.00
18.	उड़ीसा	10.00	5.00	15.00	—	—	—	85.00	20.00	105.00	95.00	25.00	120.00
19.	पंजाब	2.45	0.05	2.50	—	—	—	5.55	0.45	8.00	8.00	0.50	8.50
20.	राजस्थान	4.50	0.50	5.00	—	—	—	25.50	4.50	30.00	30.00	5.00	35.00
21.	सिक्किम	1.60	0.10	1.70	—	—	—	10.40	0.90	11.33	12.00	1.00	13.00
22.	तमिलनाडु	15.50	6.00	21.50	—	—	—	94.50	58.50	153.00	110.00	64.50	174.50
23.	त्रिपुरा	0.60	0.10	0.70	—	—	—	7.40	0.90	8.30	8.00	1.00	9.00
24.	उत्तर प्रदेश	14.00	4.00	18.00	—	—	—	126.00	36.00	162.00	140.00	40.00	180.00
25.	पश्चिम बंगाल	8.00	7.00	15.00	—	—	—	72.00	22.50	94.50	80.00	30.00	110.00
	योग	126.33	60.53	186.86	—	—	—	952.67	361.47	314.14	1079.00	422.00	1501.00
ख.	विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्र												
26.	पांडिचेरी	0.10	0.80	0.90	—	—	—	0.90	6.70	7:60	1.00	7.50	8.50
	योग	0.10	0.80	0.90	—	—	—	0.90	6.70	7.60	1.00	7.50	8.50
ग.	बिना विधान सभाओं वाले संघ राज्य क्षेत्र												
27.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	2.55	0.05	2.60	—	—	—	4.95	0.45	5.40	7.50	0.50	8.00
28.	चंडीगढ़	0.05	0.05	0.10	—	—	—	0.45	0.45	0.90	0.50	0.50	1.00
29.	दादर और नगर हवेली	0.05	0.05	J.10	—	—	—	0.45	0.45	0.90	0.50	0.50	1.00
30.	दिल्ली	0.05	0.05	0.10	—	—	—	0.45	0.45	0.90	0.50	0.50	1.00
31.	लक्ष्यद्वीप	0.10	0.30	0.40	—	—	—	0.90	0.70	1.60	1.00	1.00	2.00
32.	दमन और द्वीप	0.10	0.10	0.20	—	—	—	0.90	0.40	1.30	1.00	0.50	1.50
	योग	2.90	0.60	2.50	—	—	—	8.10	2.90	11.00	11.00	3.50	14.50
	कुल योग क + ख + ग	129.33	61.93	19.26	—	—	—	961.67	371.07	1332.74	109.00	433.00	1524.00

[हिन्दी]

मोतिया खान से झुग्गियां हटाना

1084. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी:** क्या **शहरी विकास** मंत्री मोतिया खान से झुग्गियां हटाने के बारे में 7 मार्च, 1988 के अतांराकित प्रश्न संख्या 1811 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेगे कि:

(क) मोतिया खान में आवासीय फ्लैटों के निकट झुग्गियां कब डाली गई थीं;

(ख) उच्चतम न्यायलय द्वारा दिये गये स्थगनादेश के बारे में दिल्ली विकास प्राधिकरण को कब जानकारी मिली थी;

(ग) क्या स्थगनादेश उच्चतम न्यायालय द्वारा अब रद्द कर दिया गया है यदि हां, तो कब; और

(घ) झुग्गियां हटाने के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) जुलाई, 1979 से आगे।

(ख) 24 सितम्बर, 1984.

(ग) जी, हां। 19 जनवरी, 1988 को।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उन प्लाटों के विकासार्थ कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है जिन्हें पात्र अनधिवासियों को वैकल्पिक प्लाटों से पूर्व उपलब्ध कराया जाना है तथा झुग्गियों को हटाया जा सकता है।

[अनुवाद]

सामुदायिक केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप-केन्द्र खोलने के मामले में लक्ष्य प्राप्ति

1085. **प्रो॰ नारायण चन्द पराशर:**
डा॰ कृपासिन्धु भोई:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सातवीं परियोजना के दौरान सामुदायिक केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप-केन्द्र खोलने के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति 1जनवरी, 1989 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक वर्ष हुई है;

(ख) यदि हां, तो योजना के चौथे वर्ष के दौरान राज्य-वार खोली गई ऐसी संस्थाओं की प्रत्येक की संख्या कितनी है और कितना लक्ष्य रखा गया था; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सातवीं योजना का शेष अवधि के दौरान लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) (क) और (ख) सातवीं योजना अवधि के पहले चार वर्षों के दौरान उप-केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लक्ष्यों तथा उपलब्धियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण I, II, III में दिया गया है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

उप-केन्द्र खोलने में हुई प्रगति

क्र० सं०	राज्य	लक्ष्य				उपलब्धि			
		85-86	86-87	87-88	88-89	85-86	86-87	87-88	88-89*
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	458	450	900	1000	415	450	900	उ०न०
2.	अरुणाचल प्रदेश	20	20	32	30	18	20	32	15
3.	असम	400	500	500	1000	401	511	521	498
4.	बिहार	800	600	800	2000	750	600	800	134
5.	गोवा, दमन व द्वीप	2	2	2	2	2	2	2	0
6.	गुजरात	300	300	300	300	300	300	300	68
7.	हरियाणा	150	150	150	150	117	186	156	139
8.	हिमाचल प्रदेश	0	15	75	225	0	15	75	86
9.	जम्मू व कश्मीर	150	150	250	400	41	154	258	361
10.	कर्नाटक	50	200	500	116	50	200	500	3
11.	केरल	500	600	500	500	504	600	500	0
12.	मध्य प्रदेश	0	525	556	1500	20	730	1550	उ०न०
13.	महाराष्ट्र	750	1200	1200	0	1320	1527	0	0
14.	मणिपुर	21	20	40	21	21	22	45	12
15.	मेघालय	50	50	50	70	47	9	28	2
16.	मिजोरम	10	12	12	12	10	12	12	3
17.	नागालैंड	20	25	25	25	61	0	7	0
18.	उड़ीसा	199	0	500	600	199	0	500	465
19.	पंजाब	50	50	50	50	50	50	50	0
20.	राजस्थान	500	500	700	1000	502	500	0	0
21.	सिक्किम	10	10	10	5	18	11	11	4
22.	तमिलनाडु	500	350	500	500	848	492	500	4
23.	त्रिपुरा	0	25	75	75	4	28	75	500
24.	उत्तर प्रदेश	1000	1500	1000	1500	2000	1500	1800	30
25.	पश्चिम बंगाल	200	1500	500	1500	180	1132	277	0
26.	पांडिचेरी	0	0	0	00	00	0	0	184
27.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0	8	2	20	12	11	3	0
28.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	6
29.	दादर व नागर हवेली	0	4	4	3	3	4	1	0
30.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
									0
	योग.	6132	8766	9233	12604	7893	9066	8095	2499

*जनवरी, 1989 तक उ० न० उपलब्ध नहीं।

विवरण-II

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने में हुई प्रगति

क्र० सं०	राज्य	लक्ष्य				उपलब्धि			
		85-86	86-87	87-88	88-89	85-86	86-87	87-88	88-89*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	100	0	200	200	527	1	200	उ०न०
2.	अरुणाचल प्रदेश	5	6	0	4	6	6	8	1
3.	असम	20	35	55	55	33	59	61	47
4.	बिहार	200	200	350	400	205	200	354	0
5.	गोवा, दमन व द्वीप	0	2	2	2	0	2	2	0
6.	गुजरात	50	75	158	180	45	182	175	36
7.	हरियाणा	50	40	50	30	72	49	19	1
8.	हिमाचल प्रदेश	15	16	8	35	15	16	8	4
9.	जम्मू व कश्मीर	50	12	50	60	14	16	50	56
10.	कर्नाटक	50	50	80	300	50	50	80	86
11.	केरल	100	144	150	200	102	144	150	117
12.	मध्य प्रदेश	0	100	225	200	5	124	225	उ०न०
13.	महाराष्ट्र	0	50	60	91	0	0	0	0
14.	मणिपुर	4	8	8	13	4	5	9	2
15.	मेघालय	13	9	6	6	6	9	6	3
16.	मिजोरम	3	4	5	3	3	4	5	1
17.	नागालैंड	2	2	3	4	3	0	3	0
18.	उड़ीसा	60	100	100	100	38	150	53	72
19.	पंजाब	0	40	70	85	40	40	70	8
20.	राजस्थान	10	50	15	175	50	100	0	0
21.	सिक्किम	1	1	2	0	1	1	0	0
22.	तमिलनाडु	300	100	50	325	215	47	140	0
23.	त्रिपुरा	2	2	6	4	0	5	12	0
24.	उत्तर प्रदेश	340	500	520	550	372	500	435	79
25.	पश्चिम बंगाल	75	5	100	125	29	108	102	0
26.	पांडिचेरी	2	0	0	2	0	4	0	0
27.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2	2	0	1	2	4	1	0
28.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	उ०न०
29.	दादर व नागर हवेली	1	1	1	1	0	1	0	0
30.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग	1455	1554	2274	3151	1029	1747	2168	585

*जनवरी, 1989 तक उ०न० उपलब्ध नहीं।

विवरण-III

समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने में हुई प्रगति

क्रम सं०	राज्य	लक्ष्य				उपलब्धि			
		85-86	86-87	87-88	88-89	85-86	86-87	87-88	88-89*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	18	20	15	40	2	2	15	अप्राप्त
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	2	2	1	1	2	2	0
3.	असम	5	7	5	9	12	8	8	13
4.	बिहार	10	15	20	20	6	18	3	2
5.	गोवा, दमण और द्वीप	0	1	0	1	0	1	0	0
6.	गुजरात	20	15	25	30	14	39	24	6
7.	हरियाणा	10	10	10	10	9	11	10	0
8.	हिमाचल प्रदेश	1	1	1	0	2	1	1	0
9.	जम्मू और कश्मीर	3	3	5	2	3	0	4	1
10.	कर्नाटक	15	0	21	10	7	0	0	21
11.	केरल	0	25	0	25	0	0	25	0
12.	मध्य प्रदेश	10	10	40	20	2	15	40	अप्राप्त
13.	महाराष्ट्र	45	50	0	0	0	130	0	0
14.	मणिपुर	4	3	2	4	0	0	2	1
15.	मेघालय	2	2	2	2	0	0	0	0
16.	मिजोरम	1	1	0	1	1	1	1	0
17.	नागालैंड	1	0	0	1	2	0	0	0
18.	उड़ीसा	25	10	13	26	0	11	13	0
19.	पंजाब	12	10	12	10	10	12	12	0
20.	राजस्थान	5	10	15	5	0	10	0	0
21.	सिक्किम	1	0	2	2	0	0	0	0
22.	तमिलनाडु	25	2	0	24	1	41	0	0
23.	त्रिपुरा	2	3	2	1	0	1	4	0
24.	उत्तर प्रदेश	52	56	32	37	32	19	17	0
25.	पश्चिम बंगाल	30	20	30	30	7	21	30	0
26.	पांडिचेरी	0	1	0	1	0	0	0	0
27.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0	1	0	1	0	0	1	0
28.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	दादर व नागर हवेली	0	0	1	0	0	0	0	0
30.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	लक्षद्वीप	0	0	2	0	0	0	0	0
	योग	298	278	257	312	111	343	212	44

* जनवरी, 1989 तक

अ. उपलब्ध नहीं।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हस्तशिल्प के लिये बाजार सुविधायें

1086. **प्रो॰ नारायण चन्द पराशर:** क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सातवीं योजना के दौरान त्रिपुरा राज्य में सस्ती साड़ी आदि के उत्पादन सहित हस्तशिल्प के लिये कोई आर्थिक सहायता और विपणन की पर्याप्त सुविधाएं भी उपलब्ध कराई हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका स्वरूप क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और क्या सातवीं योजना के अंतिम वर्ष में ऐसा कोई प्रबन्ध किया जायेगा?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम): (क) और (ख): जी हां। त्रिपुरा हथकरघा व हस्तशिल्प निगम अगरतल्ला को वर्ष 1985-86 के दौरान गरियाहाट काम्प्लेक्स, कलकता में एक नया इम्पोरियम खोलने के लिए 3,62,610/- रु॰ राशि की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। त्रिपुरा में जनता कपड़ा योजना के लिए इसके अर्न्तगत सस्ती साड़ियों का उत्पादन भी किया जाता है। सातवीं योजना अवधि के दौरान रिलीज की गई उत्पादन की मात्रा निम्नलिखित है:-

वर्ष	रिलीज की गई उत्पादन राशि लाख रुपये में
1985-86	19.70
1986-87	76.59
1987-88	49.45
1988-89	61.70
	(जनवरी, 1989 तक)

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रैबीज-टीके द्वारा उपचार और कुत्ता काटने से मौतें

1087. **श्री पी॰ आर॰ एस॰ वेंकटेशन:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान द्वारा किए गए अध्ययन से इस बात का पता चला है कि भांग का प्रयोग कुत्ते के काटने और "रैबीज" को आमन्त्रित करता है; और

(ख) देश में राज्यवार प्रतिवर्ष कितने लोगों को रैबीज टीके के द्वारा उपचार किया जाता है और प्रतिवर्ष कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे): (क) राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान दिल्ली में ऐसे कोई अध्ययन नहीं किए गए हैं।

(ख) समस्त देश में जलांतक रोधी उपचार ले रहे लोगों और प्रति वर्ष मर रहे लोगों की संख्या के संबंध में प्रमाणिक आकंड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, वर्ष 1987 और 1988 के दौरान अस्पतालों और औषधियों में सूचित किए गए कुत्तों के काटे के रोगियों की संख्या इस प्रकार है।

वर्ष	रोगी	मौतें
1987	25673	597
1988 (अनन्तिम)	8268	545

राज्य वार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

वर्ष 1987 और 1988 (अनन्तिम) के दौरान भारत के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कुत्ते के काटे के रोगियों और जलांतक के कारण हुई मौतें

क्र० सं०	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	1987		1988		अवधि तक
		रोगी	मृत्यु	रोगी	मृत्यु	
1.	आन्ध्र प्रदेश	1199	92	887	33	नवम्बर 1988
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	2	1	1	अक्तूबर 1988
3.	असम	309	7	415	8	जून 1988
4.	बिहार	175	2	619	2	जुलाई 1988
5.	गोवा	29	15	17	12	नवम्बर 1988
6.	गुजरात	11953	13	61	19	दिसम्बर 1988
7.	हरियाणा	1267	-	2	-	दिसम्बर 1988
8.	हिमाचल प्रदेश	5	-	-	-	मई 1988
9.	जम्मू और काश्मीर	175	-	240	-	दिसम्बर 1988
10.	कर्नाटक	3282	32	2967	35	नवम्बर 1988
11.	केरल	389	40	35	25	नवम्बर 1988
12.	मध्य प्रदेश	1458	15	941	6	दिसम्बर 1988
13.	महाराष्ट्र	301	301	347	347	दिसम्बर 1988
14.	मणिपुर	8	-	-	-	नवम्बर 1988
15.	मेघालय	225	2	61	-	अगस्त 1988
16.	मिजोरम	74	-	18	-	अक्तूबर 1988
17.	नागालैण्ड	62	-	132	5	नवम्बर 1988
18.	उड़ीसा	922	34	+	+	
19.	पंजाब	3	1	3	-	अक्तूबर, 1988
20.	राजस्थान	1846	6	533	5	अक्तूबर, 1988
21.	सिक्किम	368	-	42	4	मार्च, 1988
22.	तमिलनाडु	786	3	132	1	जुलाई, 1988
23.	त्रिपुरा	19	1	-	-	अक्तूबर, 1988
24.	उत्तर प्रदेश	597	-	587	-	सितम्बर, 1988
25.	पश्चिम बंगाल	+	+	+	+	
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	1.	-	दिसम्बर, 1988
27.	चण्डीगढ़	4	5	1	-	जुलाई, 1988
28.	दादरा और नागर हवेली	10	-	4	-	दिसम्बर, 1988
29.	दिल्ली	194	21	222	19	नवम्बर, 1988
30.	लक्ष्यद्वीप	-	-	-	-	दिसम्बर, 1988
31.	पांडिचेरी	11	10	14	7	दिसम्बर, 1988
		25,673	597	8,268	545	

शून्य +अनुपलब्ध

आकंड़े अनन्तिम हैं और इलडिफाइण्ड कवरेज के कारण तुलनीय नहीं हैं।

स्त्रोत केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना कार्यालय, नई दिल्ली।

केरल में रेयन फैक्टरियों हेतु बांस और हल्की लकड़ी

1088. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में रेयन फैक्टरियों को प्रतिदिन बांस और हल्की लकड़ी की कितनी मात्रा में आवश्यकता होती है;

(ख) उन फैक्टरियों तथा वनों का ब्यौरा क्या है जहां से उनके लिये कच्चा माल खरीदा जाता है;

(ग) क्या कच्चे माल हेतु वनों की कटाई से राज्य में पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो क्षतिपूर्ति के रूप में वनरोपण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अनसारी) (क) केरल में रेयन फैक्टरी के लिये अपेक्षित बांस और सफेदों की कुल मात्रा क्रमशः 115 मीटरी टन तथा 457 मीटरी टन है।

(ख) ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मैवूर रेयन फैक्टरी के लिये रेयन लुगदी सप्लाई कराती है। वन-वर्धनीय सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए सफेदा राज्य द्वारा लगाई गई पौधरोपण से और बांस उत्तरी क्षेत्र के आरक्षित वनों से सप्लाई किया जाता है।

(ग) और (घ) इससे पारिस्थिति की पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिये वन भूमि को उपयोग में नहीं लाया जा रहा है।

वनों का संरक्षण और विस्तार

1089. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र ने वनों के संरक्षण और विस्तार के लिये राज्यों को कोई विशिष्ट धनराशि आबंटित की है;

(ख) यदि हां, तो केरल राज्य को दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना के अन्तर्गत विशेष वनों का पता लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1988-89 के दौरान संरक्षण हेतु केरल में पता लगाये गए वनों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) :(क) और (ख) केन्द्र सरकार ने जीवीय हस्तेक्षप से वनों की सुरक्षा के लिये आधारभूत संरचना के विकास हेतु केरल सरकार को वर्ष 1986-87 के लिये 24.94 लाख रुपये तथा वर्ष 1987-88 के लिये 52.21 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) जीवीय हस्तक्षेप से वनों की सुरक्षा के लिये 12 वन मंडलों अर्थात त्रिवेन्द्रम, पुनालूर, कोत्री, रत्री, कोट्टायम, कोथमंगलम्, मन्नार, चलकुडी, त्रिचुर, नीलांबुर, पालघाट तथा तेलीचेरी की शिनाख्त की गई है।

समुद्र तटों का संरक्षण

1090. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के तटवर्ती राज्यों को उच्चतम न्यायालय के विनिर्देशों के परिणामस्वरूप समुद्र तटों के संरक्षण हेतु कोई कदम उठाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा तटवर्ती राज्यों को उक्त निर्देश दिये जाने से पूर्व अथवा इसके पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई निर्देश जारी किये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन तटवर्ती राज्यों के नाम क्या हैं जो समुद्र तटों को संरक्षण प्रदान करने में असफल रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी): (क) से (ङ) भारत के उच्चतम न्यायालय ने हाल ही के एक आदेश में समुद्र तटों की सुरक्षा के संबंध में एक समादेश याचिका का यह कहते हुए निपटान किया है कि भारत सरकार ने समुद्र तटों के विकास के लिए पर्यावरणीय दिशा-निर्देश दिए हैं और दिशा-निर्देशों को लागू करने के लिए कदम उठा रही है। प्रधान मंत्री जी के 27 नवम्बर, 1981 के निर्देशों के अनुसरण में इस मंत्रालय ने समुद्र तटों के विकास के लिए पर्यावरणीय दिशा-निर्देश तैयार किए और उनको सभी समुद्र तटीय राज्यों को भेजा । मंत्रालय ने 1984 में सभी तटीय राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अनुरोध किया था कि वे तटीय क्षेत्रों के लिए पर्यावरणीय स्थिति रिपोर्ट तथा संरक्षण प्रबन्ध नीतियां तैयार करें। मुख्यमंत्रियों ने प्रधान मंत्री जी के निर्देशों को कार्यान्वित किया है। यह मंत्रालय तटीय क्षेत्रों के लिए स्थिति रिपोर्ट तथा संरक्षण प्रबन्ध नीति को शीघ्रता से तैयार करने और उसको अन्तिम रूप देने के लिए राज्य सरकारों पर दबाव डालता रहा है।

आन्ध्र प्रदेश में वन संरक्षण योजनाएं

1091. **श्री जी० भूपति:**

श्री मानिक रेड्डी:

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में वन संरक्षण तथा पर्यावरण सुधार की योजनाएं भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो मंजूरी के लिए विचाराधीन योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को दी गई सहायता का स्वरूप क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी): (क) जी, हां।

(ख) कोई भी स्कीम स्वीकृति के लिये लम्बित नहीं है।

(ग) केन्द्र सरकार जीवीय हस्तक्षेप से वनों की सुरक्षा तथा राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की सुरक्षा के लिये आधारभूत संरचना के विकास के लिये राज्यों की सहायता करती है।

[हिन्दी]

आयुर्वेदिक डाक्टरों को ऐलोपैथिक डाक्टरों के समान वेतनमान देने का प्रस्ताव

1092. **श्री कमला प्रसाद रावत:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आयुर्वेदिक डाक्टरों को एलोपैथिक डाक्टरों के समान वेतनमान और अन्य सुवधाएं देने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे): (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धतियों और होम्योपैथी (आयुर्वेद सहित) के मौजूदा डाक्टरों के वेतनमानों में संशोधन करके उन्हें एलोपैथिक डाक्टरों के समान करने के आदेश जारी किए जा चुके हैं। यह भी निर्णय किया गया है कि इन डाक्टरों का प्रेक्टिस बंदी भत्ता एलोपैथिक डाक्टरों के समान होगा।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

विस्तारित रोग-प्रतिरक्षण कार्यक्रम तथा व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम की उपलब्धियां

1093. **श्री मुरलीधर माने:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विस्तारित रोग-प्रतिरक्षण कार्यक्रम तथा व्यापक रोग-प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण विकास के कार्यक्रम सफल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में, राज्य-वार, विस्तारित रोग-प्रतिरक्षण कार्यक्रम तथा व्यापक रोग-प्रतिरक्षण कार्यक्रम की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत सरकार का किस प्रकार लाभ प्राप्तकर्ताओं को उनके घर पर ये सुवधाएं पहुंचाने का विचार है?

स्वास्थ्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे): (क) जी, हाँ।

(ख) वर्ष 1987-88 और 1988-89 (जनवरी, 1989 तक) के लिए विस्तारित रोगप्रतिरक्षण कार्यक्रम तथा वर्ष 1988-89 (दिसम्बर, 1988 तक) के लिए व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के कार्य निष्पादन के लिए राज्यवार उपलब्धि का विवरण I और II संलग्न है।

(ग) रोगप्रतिरक्षण सेवायें शहरी क्षेत्रों में मुख्यतः अस्पतालों, औषधालयों और मातृ-शिशु स्वास्थ्य केन्द्रों के जरिए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, औषधालयों और उप-केन्द्रों के जरिए प्रदान की जाती हैं। टीके घर-घर जाकर भी लगाए जाते हैं। अर्ध-चिकित्सा स्वास्थ्य कार्मिक बच्चों के रोगप्रतिरक्षण के लिए स्कूलों में जाते हैं। बहुत से स्वयंसेवी संगठन रोगप्रतिरक्षण कार्यक्रम में सक्रिय रूप से शामिल हैं। अनेक बच्चों, विशेषकर महानगरों के बच्चों को प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनरों द्वारा भी टीके लगाए जाते हैं।

विवरण-1

राज्य	डी०पी०टी०			
	वार्षिक लक्ष्य 1987-88	वार्षिक लक्ष्य की प्रतिशत उपलब्धि	वार्षिक लक्ष्य 1988-89	वार्षिक लक्ष्य की प्रतिशत उपलब्धि
1. बड़े राज्य (एक करोड़ जनसंख्या या इससे अधिक)				
1. आंध्र प्रदेश	120500	94.9	863000	92.6
2. असम	534000	41.3	614000	21.7
3. बिहार	2003000	73.6	1374000	112.3
4. गुजरात	831000	99.6	770000	84.1
5. हरियाणा	356000	129.6	397000	93.7
6. कर्नाटक	843000	101.3	741000	90.0
7. केरल	466000	119.4	573000	68.4
8. मध्य प्रदेश	1510000	77.6	733000	153.3
9. महाराष्ट्र	1386000	116.1	1040000	107.0
10. उड़ीसा	594000	99.5	577000	91.1
11. पंजाब	363000	119.7	397000	79.3
12. राजस्थान	1060000	100.5	759000	85.6
13. तमिलनाडु	915000	124.8	784000	101.7
14. उत्तर प्रदेश	3169000	109.9	2558000	125.7
15. पश्चिमी बंगाल	1213000	76.5	1050000	69.8

53/23/LS/89 - 13

1 2	3	4	5	6
2. छोटे राज्य / संघ राज्य क्षेत्र				
1. हिमाचल प्रदेश	100000	94.9	106000	80.9
2. जम्मू कश्मीर	154000	75.6	132000	63.6
3. मणिपुर	32000	69.4	262000	94.2
4. मेघालय	30000	85.5	36000	38.6
5. नागालैंड	17000	35.2	19000	39.0
6. सिक्किम	10000	69.4	10000	58.0
7. त्रिपुरा	33440	27.8	52000	24.3
8. अण्डेमान व निकोबार द्वीपसमूह	5000	100.7	6000	79.2
9. अरुणाचल प्रदेश	17000	75.8	13000	52.9
10. चण्डीगढ़	11000	75.2	13000	57.5
11. दादर और नगर हवेली	3000	89.3	3000	92.7
12. दिल्ली	209000	56.5	207000	68.7
13. गोवा	186000	88.0	17800	73.0
14. दमन और दीव	1400	58.2	1400	88.5
15. लक्षद्वीप	1000	52.8	1000	77.7
16. मिजोरम	12160	119.0	18000	59.6
17. पाण्डिचेरी	11000	113.1	13000	114.8
3. अन्य संस्थायें				
1. रक्षा मंत्रालय	8750	151.6		
2. रेल मंत्रालय	43500	84.0		
अखिल भारत	17173670	96.2	13930400	97

पोलियो

राज्य	वार्षिक लक्ष्य 1987-88	वार्षिक लक्ष्य को प्रतिशत उपलब्धि	वार्षिक लक्ष्य 1988-89	वार्षिक लक्ष्य को प्रतिशत उपलब्धि
1. बड़े राज्य (एक करोड़ जनसंख्या या इससे अधिक)				
1. आंध्र प्रदेश	1205000	73.9	883000	88.1
2. असम	543000	30.2	614000	18.9
3. बिहार	2003000	69.0	1374000	109.7
4. गुजरात	831000	84.3	770000	84.9
5. हरियाणा	356000	129.6	397000	93.1
6. कर्नाटक	843000	93.6	741000	88.5
7. केरल	466000	144.8	573000	74.0
8. मध्य प्रदेश	1510000	55.4	733000	139.0
9. महाराष्ट्र	1386000	107.5	104600	104.7
10. उड़ीसा	594000	88.4	577000	90.1
11. पंजाब	363000	113.6	397000	77.3
12. राजस्थान	1068000	95.4	759000	83.6
13. तमिलनाडु	915000	124.0	784000	99.8
14. उत्तर प्रदेश	3169000	90.2	2558000	100.7
15. पश्चिमी बंगाल	1213000	40.5	1050000	61.8

1 2	3	4	5	6
2. छोटे राज्य / संघ राज्य क्षेत्र				
1. हिमाचल प्रदेश	100000	95.4	106000	78.7
2. जम्मू व कश्मीर	154000	68.6	132000	62.8
3. मणिपुर	32000	46.8	262000	89.6
4. मेघालय	30000	83.6	36000	38.3
5. नागालैंड	17000	40.8	19000	21.2
6. सिक्किम	10000	56.3	10000	59.3
7. त्रिपुरा	33440	20.0	52000	23.9
8. अण्डेमान व निकोबार द्वीपसमूह	5000	103.4	6000	84.5
9. अरुणाचल प्रदेश	17000	63.2	13000	52.6
10. चण्डीगढ़	11000	66.0	13000	60.6
11. दादरा और नगर हवेली	3000	86.1	3000	90.5
12. दिल्ली	209000	53.5	207000	69.8
13. गोवा	18600	91.6	17800	75.4
14. दमन और दीव	1400	58.0	1400	91.1
15. लक्षदीप	1000	49.3	1000	76.5
16. मिजोरम	12180	62.4	18000	59.3
17. पाण्डिचेरी	11000	99.1	13000	120.4
3. अन्य संस्थायें:				
1. रक्षा मंत्रालय	8750	128.7		
2. रेल मंत्रालय	43500	62.0		
अखिल भारत	17173870	83.6	13930400	90.2

टेटनस

राज्य	वार्षिक लक्ष्य 1987-88	वार्षिक लक्ष्य को प्रतिशत उपलब्धि	वार्षिक लक्ष्य 1988-89	वार्षिक लक्ष्य को प्रतिशत उपलब्धि
1. बड़े राज्य (एक करोड़ जनसंख्या या इससे अधिक)				
1. आंध्र प्रदेश	1150000	105.0	1121000	83.2
2. असम	530000	29.8	805000	11.9
3. बिहार	1970000	62.9	1777000	55.7
4. गुजरात	785000	101.4	965000	71.4
5. हरियाणा	323000	111.9	489000	59.9
6. कर्नाटक	843000	112.8	934000	78.9
7. केरल	490000	121.8	709000	70.7
8. मध्य प्रदेश	1467000	65.4	946000	95.7
9. महाराष्ट्र	1280000	134.1	1290000	91.8
10. उड़ीसा	590000	92.1	763000	70.2
11. पंजाब	334000	113.1	491000	55.8
12. राजस्थान	1053000	82.2	992000	5.6
13. तमिलनाडु	872000	118.5	1003000	77.1
14. उत्तर प्रदेश	3217000	75.4	3424000	66.2
15. पश्चिमी बंगाल	11560000	75.6	1330000	52.6

1	2	3	4	5	6
2. छोटे राज्य / संघ राज्य क्षेत्र					
1.	हिमाचल प्रदेश	122000	61.2	130000	54.0
2.	जम्मू कश्मीर	147000	35.7	167000	21.5
3.	मणिपुर	30000	58.3	30800	66.1
4.	मेघालय	85000	85.5	47000	32.6
5.	नागालैंड	16000	30.1	230000	16.8
6.	सिक्किम	13000	28..	130000	28.8
7.	त्रिपुरा	35720	30.5	64000	15.5
8.	अण्डेमान व निकोबार टीपसमूह	5000	70.7	7000	46.5
9.	अरुणाचल प्रदेश	17000	39.6	16000	39.1
10.	चण्डीगढ़	10000	121.7	16000	59.9
11.	दादर और नगर हवेली	3000	63.9	4000	38.0
12.	दिल्ली	262000	64.4	260000	50.1
13.	गोवा	22200	42.1	221000	50.1
14.	दमन और दीव	1600	44.9	1800	36.0
15.	लक्षद्वीप	1000	121.8	2000	34.7
16.	मिजोरम	13050	59.9	22000	29.6
17.	पांडिचेरी	10000	129.0	15000	88.5
3.	अन्य संस्थाएं:				
1.	रक्षा मंत्रालय	17500	127.6		
2.	रेल मंत्रालय	34800	156.9		
अखिल भारत		16861870	66.6	17889700	66.00

बी-सी-जी-

राज्य	वार्षिक लक्ष्य 1987-88	वार्षिक लक्ष्य की प्रतिशत उपलब्धि	वार्षिक लक्ष्य 1988-89	वार्षिक लक्ष्य की प्रतिशत उपलब्धि
1. बड़े राज्य (एक करोड़ जनसंख्या या इससे अधिक)				
1. आंध्र प्रदेश	1205000	92.2	883000	109.0
2. असम	534000	40.8	614000	29.6
3. बिहार	2003000	90.3	1374000	105.3
4. गुजरात	831000	100.1	770000	99.7
5. हरियाणा	356000	114.0	398000	91.9
6. कर्नाटक	843000	108.8	741000	79.7
7. केरल	456000	114.8	573000	159.1
8. मध्य प्रदेश	1510000	91.5	733000	159.1
9. महाराष्ट्र	1386000	109.5	1046000	122.2
10. उड़ीसा	594000	109.0	577000	88.0
11. पंजाब	363000	126.0	397000	80.4
12. राजस्थान	1068000	100.1	759000	85.2
13. तमिलनाडु	915000	94.0	784000	119.8
14. उत्तर प्रदेश	3169000	92.1	2558000	102.8
15. पश्चिमी बंगाल	1213000	74.9	1060000	68.8

1 2	3	4	5	6
2. छोटे राज्य / संघ राज्य क्षेत्र				
1. हिमाचल प्रदेश	100000	89.8	105000	96.8
2. जम्मू व कश्मीर	154000	74.7	132000	78.0
3. मणिपुर	32000	102.0	27200	119.2
4. मेघालय	30000	70.8	36000	48.1
5. नागालैंड	17000	43.6	19000	15.2
6. सिक्किम	10000	87.7	10000	65.0
7. त्रिपुरा	33440	53.7	52000	53.0
8. अण्डेमान व निकोबार टीपसमूह	5000	112.3	6000	93.2
9. अरुणाचल प्रदेश	17000	83.9	13000	76.5
10. चण्डीगढ़	11000	132.9	18000	83.7
11. दादर और नगर हवेली	3000	105.8	3000	129.5
12. दिल्ली	209000	92.6	207000	76.4
13. गोवा	18600	113.2	17800	92.1
14. दमन व दीव	1400	65.2	1400	115.3
15. लक्षदीप	1000	265.2	1000	84.3
16. मिजोरम	12180	99.1	18000	57.0
17. पाण्डिचेरी	11000	171.4	13000	162.7
3. अन्य संस्थायें:				
1. रक्षा मंत्रालय	8750	258.1		
2. रेल मंत्रालय	43600	81.6		
अखिल भारत	17173870	94.5	13930400	99.0

खसरा ——

राज्य	वार्षिक लक्ष्य 1987-88	वार्षिक लक्ष्य की प्रतिशत उपलब्धि	वार्षिक लक्ष्य 1988-89	वार्षिक लक्ष्य की प्रतिशत उपलब्धि
1. बड़े राज्य (एक करोड़ जनसंख्या या इससे अधिक)				
1. आंध्र प्रदेश	723000	111.0	883000	76.3
2. असम	431000	15.3	614000	11.6
3. बिहार	121000	75.3	1374000	60.9
4. गुजरात	587000	94.7	770000	73.1
5. हरियाणा	221000	112.6	397000	63.6
6. कर्नाटक	673000	88.1	781000	68.0
7. केरल	396000	78.5	973000	48.0
8. मध्य प्रदेश	906000	83.3	733000	116.0
9. महाराष्ट्र	832000	86.0	1046000	69.0
10. उड़ीसा	428000	71.6	577000	54.7
11. पंजाब	267000	108.9	397000	58.8
12. राजस्थान	641000	141.7	759000	71.0
13. तमिलनाडु	577000	177.7	784000	105.1
14. उत्तर प्रदेश	1901000	86.7	2558000	68.3
15. पश्चिमी बंगाल	728000	51.3	1050000	31.9

1	2	3	4	5	6
2. छोटे राज्य / संघ राज्य क्षेत्र					
1.	हिमाचल प्रदेश	100000	68.4	106000	67.2
2.	जम्मू कश्मीर	92000	50.0	132000	34.9
3.	मणिपुर	19000	70.9	26200	79.4
4.	मेघालय	20000	16.5	36000	11.0
5.	नागालैंड	10000	28.0	19000	16.6
6.	सिक्किम	10000	52.7	10000	35.6
7.	त्रिपुरा	28880	25.2	52000	14.9
8.	अण्डेमान व निकोबार दीपसमूह	3000	80.5	5000	42.4
9.	अरुणाचल प्रदेश	10000	52.1	13000	32.2
10.	चण्डीगढ़	6000	51.7	13000	31.9
11.	दादर और नगर हवेली	2000	75.2	3000	34.9
12.	दिल्ली	209000	44.1	207000	48.5
13.	गोवा	18600	43.2	17800	54.6
14.	दमन और दीव	1400	53.7	1400	97.9
15.	लक्दीप	1000	64.8	1000	10.2
16.	मिजोरम	10440	67.4	18000	40.4
17.	पाण्डिचेरी	6000	93.9	13000	75.4
3. अन्य संस्थायें:					
1.	रक्षा मंत्रालय	8750	103.3		
2.	रेल मंत्रालय	870	1212.6		
अखिल भारत		11181940	89.3	1393437	100

विवरण-II

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	वार्षिक लक्ष्य 1987-88 (टेटनस)	आनुपातिक लक्ष्य की प्रतिशत उपलब्धि	वार्षिक लक्ष्य 1987-88 (डी॰पी॰टी॰ पोलियो बी॰सी॰जी॰, खसरा)	वार्षिक लक्ष्य की प्रतिशत उपलब्धि			
				(डी पी टी)	(पोलियो)	(बी सी जी)	(खसरा)
आंध्र प्रदेश	783000	58.97	617000	71.32	62.35	67.24	62.45
असम	386000	23.73	293000	37.78	33.38	40.29	17.98
बिहार	1350000	45.85	1043000	72.73	71.95	64.20	47.87
गुजरात	739000	62.14	587000	78.55	73.05	78.56	71.25
हरियाणा	274000	82.21	221000	110.1	108.6	81.45	72.85
हिमाचल प्रदेश	122000	51.43	100000	81.57	72.93	79.06	59.02
जम्मू व कश्मीर	83000	24.43	66000	73.76	71.25	62.10	42.62
कर्नाटक	740000	73.15	597000	80.94	76.19	66.53	64.67
केरल	490000	83.17	396000	68.78	77.90	64.74	47.33
मध्य प्रदेश	650000	46.73	511000	73.89	63.99	86.73	59.28

1	2	3	4	5	6	7	8
महाराष्ट्र	795000	81.18	64600	103.1	94.33	92.28	78.43
मणिपुर	22000	52.17	19000	59.53	40.86	25.63	21.38
मेघालय	40000	12.48	32000	19.01	16.18	15.89	4.41
नागालैंड	12000	22.90	10000	51.19	51.52	61.84	23.07
उड़ीसा	967000	65.71	428000	86.53	82.06	104.5	66.17
पंजाब	330000	55.52	267000	79.59	79.97	92.89	58.41
राजस्थान	684000	58.97	521000	83.74	77.84	81.74	99.17
सिक्किम	13000	28.95	10000	75.08	70.92	94.13	33.57
तमिलनाडु	861000	77.27	577000	108.2	105.3	76.41	109.7
त्रिपुरा	47000	21.71	38000	39.01	33.59	58.75	27.90
उत्तर प्रदेश	2033000	37.71	1504000	50.60	43.95	49.48	43.53
पश्चिम बंगाल	625000	38.57	48900	57.19	46.08	60.55	35.83
अंडेमान व निकोबार दीप समूह	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
अरुणाचल प्रदेश	10000	28.91	7000	58.20	55.49	57.00	28.45
चंडीगढ़	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
दादरा व नागर हवेली	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
दिल्ली	252000	54.46	209000	56.50	53.53	92.54	44.00
गोवा	22200	41.75	18600	88.00	91.62	113.2	43.45
लक्षद्वीप	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
मिजोरम	150000	44.91	12000	70.23	68.75	101.7	65.66
पांडिचेरी	0.000	0.000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
दमन व दीप	1800	44.50	1400	54.35	52.50	65.21	52.50
अखिल भारत	11976000	55.97	9319000	74.29	59.50	72.95	51.21

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	वार्षिक लक्ष्य 1988-89 (टेंटनस)	आनुपातिक लक्ष्य की प्रतिशत उपलब्धि	वार्षिक लक्ष्य 1988-89 (डी॰पी॰टी॰ पोलियो बी॰सी॰जी॰, खसरा)	वार्षिक लक्ष्य की प्रतिशत उपलब्धि			
				(डी पी टी)	(पोलियो)	(बी सी जी)	(खसरा)
आंध्र प्रदेश	1121000	43.52	893000	47.95	45.45	59.09	47.50
असम	805000	11.50	514000	20.03	18.09	22.81	10.85
बिहार	1777000	2.39	1374000	5.13	4.73	2.95	3.03
गुजरात	955000	46.66	770000	45.73	45.19	51.10	45.37
हरियाणा	489000	45.75	397000	71.92	70.30	59.88	52.01
हिमाचल प्रदेश	130000	46.34	105000	79.03	70.94	89.85	51.78
जम्मू व कश्मीर	167000	8.49	132000	25.95	28.72	30.44	18.32
कर्नाटक	934000	38.51	741000	43.28	42.58	54.88	34.95
केरल	709000	43.28	573000	50.22	52.85	50.59	37.42
मध्य प्रदेश	746000	34.82	733000	00.41	78.54	87.34	97.58
महाराष्ट्र	1290000	28.05	1045000	35.79	33.20	75.52	52.31
मणिपुर	30800	45.20	25200	59.50	51.81	90.50	58.50
मेघालय	47000	7.34	36000	10.10	10.88	17.21	6.25
नागालैंड	23000	12.72	19000	22.09	18.50	10.52	9.55
उड़ीसा	763000	50.17	577000	59.53	55.51	53.92	43.40
पंजाब	491000	34.32	397000	49.47	47.47	43.74	35.21
राजस्थान	992000	39.55	759000	53.45	52.59	51.41	55.52
सिक्किम	13000	24.89	10000	50.97	51.92	56.60	51.25

1	2	3	4	5	6	7	8
तमिलनाडु	100300	71.50	784000	79.55	82.25	107.2	91.95
त्रिपुरा	54000	18.54	52000	29.95	29.03	70.15	19.83
उत्तर प्रदेश	3434000	18.23	2558000	34.72	30.58	29.57	27.09
पश्चिम बंगाल	1330000	38.01	1050000	43.31	38.72	42.04	22.58
अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	7000	5.07	5000	35.95	37.31	45.31	18.00
अरुणाचल प्रदेश	15000	14.05	13000	17.50	17.28	22.95	14.55
चण्डीगढ़	15000	12.11	13000	20.80	22.59	50.97	28.38
दादरा व नगर हवेली	4000	27.52	3000	35.92	20.31	71.59	18.10
दिल्ली	250000	50.55	207000	59.74	70.95	81.42	52.13
गोवा	22100	27.07	17800	50.92	53.41	78.22	44.00
लक्षद्वीप	2000	3.85	1000	10.31	13.38	24.92	0.00
मिजोरम	22000	24.31	18000	51.75	61.92	53.91	45.90
पांडिचेरी	15000	4255	13000	54.13	384.9	45.92	25.28
दमन व द्वीप	1800	22.99	1400	33.19	34.07	53.30	44.51
अखिल भारत	17889700	31.97	13930400	44.09	42.57	50.14	39.81

जनता कपड़े के मूल्य में संशोधन करने का निर्णय

1094 **श्री अनन्त प्रसाद सेठी:**
श्री आर. एम. भोये:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में लागत वृद्धि के अनुरूप जनता कपड़े के न्यूनतम मूल्य में संशोधन करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो मौजूदा मूल्यों की तुलना में यह मूल्य कितना होगा; और

(ग) इस संबंध में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) (क) से (ग) अन्तर्निविष्ट साधनों की कीमतों में वृद्धि के कारण जनता कपड़े के उत्पादन की लागत में हुई वृद्धि को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने जनता कपड़े पर उपदान की दर 1.3.1988 से 2 रु० प्रति वर्गमीटर से बढ़ाकर 2.75 रु० वर्गमीटर करने का निर्णय लिया है। चूंकि उपदान की दर में वृद्धि कच्चे माल की लागत मजदूरी में वृद्धि की मात्र आंशिक रूप से ही पूरा कर पायेगी, इसलिए जनता किस्म के कपड़े की अधिकतम उपभोक्ता कीमतें, जो अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग किस्म के लिए भिन्न भिन्न हैं, कुछ राज्यों में उनके अनुरोध पर बढ़ा दी गई हैं। इन राज्यों में अधिकतम उपभोक्ता कीमत में औसत वृद्धि पहले ही कीमत की तुलना में 28 प्रतिशत है।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों का विकेन्द्रीकरण

1095. **श्री एम. वी० चन्द्रशेखर मूर्ति:**
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद:
श्री एस० एम० गुरुड़ी:

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के कार्यों के शीघ्र निपटान तथा समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए इन्हें जिला-स्तर तक विकेन्द्रीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की योजनाओं की मंजूरी तथा उनके कार्यान्वयन के लिए समय-सारणी बनाने का है;

(ग) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यों का विस्तार करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है;

(घ) क्या भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल संघ ने प्रदूषण नियंत्रण संबंधी दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था; और

(ङ) यदि हां, तो किन- किन विषयों पर विचार-विमर्श हुआ और इसके क्या परिणाम निकले ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी): (क) इस बारे में निर्णय लेना राज्य सरकारों पर निर्भर है।

(ख) और (ग): प्रश्न नहीं उठते।

(घ) जी, हां । भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल संघ ने 3 जनवरी, 1989 को एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया था।

(ङ) सम्मेलन में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गई थी:

(1) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और उनकी गतिविधियां;

(2) प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपकरण;

(3) बहिस्राव मानक;

(4) अपशिष्ट पदार्थों का निपटान/उपयोग;

(5) लघु ईकाइयों के लिए विशेष सुविधा;

(6) बहिस्रावों का निरीक्षण और जांच आदि।

विभिन्न सुझावों के अलावा विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए चीनी मद्यनिर्माणशाला, कागज, सीमेन्ट, लुगदी, रेयन और रसायनों जैसे उद्योगों पर कार्यकारी दल गठित किए गए थे।

नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम

1096. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 की, अधिनियम के मुख्य उद्देश्यों के संबंध में हुई उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए पुनरीक्षा की गयी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को अधिनियम के कार्यान्वयन में यदि किन्ही कमियों का पता लगा हो, तो वे क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार अधिनियम में कोई परिवर्तन करने का है, यदि हां, इस दिशा में क्या कदम उठाने का विचार है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) से (ग) नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन अधिनियम, 1976 में संशोधन करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

बाट तथा माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 का लागू नहीं किया जाना

1097. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां:** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाट तथा माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 को अभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लागू किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो इस अधिनियम को लागू नहीं करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी. एल. बैठा): (क) से (ग) जी नहीं। दस राज्यों तथा तीन संघ राज्य क्षेत्रों ने बाट तथा माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 को लागू किया है शेष राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों ने भी अपने-अपने क्षेत्रों में इस अधिनियम को लागू करने के लिए कार्यवाही आरम्भ कर दी है।

आवास समितियों को पानी और बिजली संबंधी सुविधायें

1098. **श्री वी० कृष्ण राव:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितनी सहकारी ग्रुप आवास समितियों को अब तक पानी और बिजली की सुविधायें उपलब्ध नहीं कराई गई हैं ; और

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि दिल्ली में सहकारी सामूहिक आवास समितियों की 386 कालोनियों में अभी तक जल आपूर्ति की व्यवस्था नहीं की गई है ।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने सूचित किया है कि सहकारी सामूहिक आवास समितियों की 299 कालोनियों के विद्युतीकरण के लिए निवेदन पर कार्यवाही की जा रही है ।

(ख) मयूर बिहार चरण-II, चिल्ला-डालूपुरा, मंडावली फाजलपुर अंचल, गीता कालोनी, रोहिणी चरण-II तथा बोडेला चरण-I तथा II की कालोनियों में जल आपूर्ति का कार्य प्रगति पर है। मयूर विहार चरण-II, गीता कालोनी तथा रोहिणी चरण-II में इस कार्य के 31.3.89 तक पूरा हो जाने की आशा है । उसमें 177 सहकारी सामूहिक आवास समितियों को लाभान्वित किया जाएगा । चिल्ला डालूपुरा में कालोनियों का कार्य जून, 1989 तक पूरा होने की आशा है । इसमें 51 समितियां लाभान्वित होंगी । 119 समितियों को लाभान्वित करते हुए मंडावली फजलपुर अंचल में यह कार्य 30.4.89 तक पूरा होने की आशा है । बोडेला चरण-I तथा II में 85% कार्य जो, कि सामूहिक आवास समितियों की 39 कालोनियों से संबंधित है, पूरा हो चुका है ।

2. बिजली के कनेक्शन के संबंध में, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने निम्नानुसार स्थिति सूचित की है:-

(1)	सहकारी सामूहिक आवास समितियों में कालोनियों के विद्युतीकरण के संबंध में प्राप्त आवेदनों की संख्या	———299
(2)	विद्युतीकरण की तैयार की गई योजनाएं	———137
(3)	रिलीज की गई योजनाएं	———117
(4)	रिलीज करने की प्रक्रियाधीन योजनाएं	——— 20
(5)	अभी तक जांचाधीन आवेदन	———162

3. दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह भी सूचित किया है कि मयूर विहार चरण-II चिल्ला-डालूपुरा, मंडावली फ़ाज़लपुर अचल तथा बोडेला चरण-I तथा II में सभी कालोनियों के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में आवश्यक भुगतान पहले ही जमा करा दिए गए है।

अतिसार रोग के प्रचार के लिए एक ही प्रकार के टीके का विकास

1099. **श्री वी० कृष्णा राव:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अतिसार रोग के उपचार संबंधी अनुसंधान कार्य में उल्लेखनीय सफलता मिली है ;

(ख) क्या इससे विभिन्न प्रकार के अतिसार रोग के उपचार के लिए एक ही प्रभावी टीके का विकास करने में सहायता मिलेगी ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे): (क) और (ख) विभिन्न प्रकार के अतिसार रोग के उपचार के एक ही कारगर टीका तैयार करने के लिए अभी तक कोई अनुसंधान कार्य नहीं किए जा रहे हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राजधानी क्षेत्र के लिये विकास योजना

1100. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी क्षेत्र की विकास योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं तथा उन शहरों और गांवों के नाम क्या हैं जिनका विशिष्ट केन्द्रों के रूप में विकास किया जाएगा; और

(ग) शाहजहांनाबाद के विकास के संबंध में चालू वर्ष के दौरान कितनी प्रगति हुई है ;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिये क्षेत्रीय योजना 2001 दिनांक 23.1.89 को अधिसूचित की गई है।

(ख) यह योजना, जनसंख्या वितरण, व्यवस्थापन पद्धति, परिवहन और संचार, भौतिक और सामाजिक मूलभूत सुविधा, क्षेत्रीय उपयोग, पर्यावरण और परिस्थितिकीय विकास, योजना कार्यन्वयन के लिये प्रबन्ध ढांचा और विकास के मेगनेट क्षेत्रों से सम्बन्धित नीतियों की एक रूप रेखा है । क्षेत्रीय योजना में बस्तियों की एक श्रेणीबद्ध पद्धति तैयार करने का विचार है जिसमें क्षेत्रीय केन्द्र, उप-क्षेत्रीय केन्द्र, सेवा केन्द्र और आधारभूत ग्राम शामिल है । क्षेत्रीय योजना द्वारा शिनख्त किये गये क्षेत्रीय केन्द्र उत्तर प्रदेश में मेरठ, हापुड, बुलन्द शहर, खुर्जा परिसर, हरियाणा में पानीपत, रोहतक, पलबल, रिवाड़ी, धारूहेड़ा और राजस्थान में भिवाड़ी तथा अलवर हैं। अन्य बस्तियों की शिनाख्त उप-क्षेत्रीय योजनाएं तैयार करते समय की जायेगी ।

(ग) शाहजहांनाबाद के विकास की परियोजना के मुख्य घटक इस प्रकार हैं :-

I फल तथा सब्जी बाजारों का स्थानान्तरण ।

II परिवहन गोदामों का स्थानान्तरण ।

III मछली तथा कुक्कुट बाजारों का स्थानान्तरण ।

IV दिल्ली नगर निगम के कार्यालयों का स्थानान्तरण ।

V भूमिगत पार्किंग स्थान ।

VI भारी वाहनों के आवागमन को नियंत्रित करना ।

VII खतरनाक कटरों के निवासियों का पुनर्वास ।

VIII निजी स्वामित्व वाले कटरों का पुनर्विकास ।

इन सभी परियोजनाओं पर ये कार्य कार्यान्वयन के विभिन्न सोपानों में हैं ।

हृदय रोग के मामले

1101. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में हृदय रोगियों की संख्या कितनी है;

(ख) इसमें लगभग कितने मामलों में शल्य चिकित्सा की आवश्यकता है;

(ग) सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र के अस्पतालों में इस समय कितने हृदय रोगियों को शल्य चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध है; और

(घ) इस क्षमता में वृद्धि करने और उपचार का खर्च कम करने के लिए क्या कदम उठाये गए है अथवा उठाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) देश में हृदय रोग की घटनाओं के कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । बहरहाल, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के रूमेटी ज्वर और रूमेटी हृदय रोग के बारे में अध्ययन से 5-15 वर्ष की आयु के बच्चों में इस रोग की व्यापकता दर प्रति एक हजार के पीछे 1.2 से प्रति हजार 4 होने तक का अनुमान लगाया गया है । दिल्ली में गोपीना तथा उनके सहयोगियों द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण से 25 से 64 वर्ष की आयु तक के व्यक्ति में रूमेटी हृदय रोग की व्यापकता दर प्रति हजार 25.3 होने का अनुमान लगाया गया है। देश के छह केंद्रों में उच्च रक्तचाप संबंधी अध्ययनों से इस रोग की व्यापकता-दर 2 प्रतिशत से 6 प्रतिशत तक होने का अनुमान लगाया है । 14 वर्ष से नीचे के बच्चों में जन्मजात हृदय रोग की व्यापकता-दर 0.15 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है ।

(ख) शल्य चिकित्सा करवाने के जरूरत मंद रोगियों की सही संख्या ज्ञात नहीं है । रोगियों लंग भंग और रूमेटी हृदय रोग के 75 प्रतिशत रोगियों को, परंतु उच्च रक्तचाप के एक प्रतिशत से कम रोगियों को, शल्य चिकित्तीय उपचार की जरूरत होती है। बीमारी की अवधि के दौरान हृदय रोग के रोगियों के अधिकतर रोगियों को शल्य चिकित्सा की आवश्यकता पड़ सकती है ।

(ग) देश में (सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों में) लगभग 25 केन्द्र हैं जो खुली और बंद हृदय चिकित्सा कर रहे हैं । प्रतिवर्ष लगभग 5000 खुली हृदय और मोटे तौर पर इतनी ही संख्या में बंद हृदय शल्य चिकित्सा आपरेशन किये जाते हैं । विभिन्न केन्द्रों की खुली शल्य हृदय चिकित्सा करने की क्षमता प्रतिवर्ष 100 से 1000 रोगियों तक की है ।

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचारधीन नहीं है।

पटसन विकास निधि का उपयोग

1102. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटसन विकास निधि की स्थापना से लेकर अब तक पटसन मिलों के पुनः स्थापना और उनका विकास करने के लिए पटसन विकास निधि के उपयोग का विवरण क्या है और प्रत्येक योजना के अर्न्तगत कितने मिलों को शामिल किया गया है;

(ख) देश में इसकी प्रतिष्ठापित क्षमता कितनी है;

(ग) वर्ष 1986-87, 1987-88 और चालू वर्ष के दौरान 31 दिसम्बर, 1988 तक पटसन मिलों की कितनी क्षमता का उपयोग किया गया;

(घ) वर्ष 1986-87, 1987-88 के दौरान कितनी मात्रा में पटसन का निर्यात किया गया और वर्ष 1988-89 के दौरान कितनी मात्रा में किये जाने की संभावना है; और

(ङ) उपरोक्त अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष प्रत्येक एकक को निर्यात से कितनी आय हुई?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) (I) 100 करोड रु० की विशेष पटसन विकास निधि के अन्तर्गत उपयोग रिलीज किए गए धन की उद्यतन स्थिति नीचे दी गई है :

I	पटसन कृषी विकास कार्यक्रम	6 करोड़ रु०
II	जे सी आई को तथा उसके सहकारी खरीद अभिकरणों को सहायता	2 करोड रु०
III	उत्पाद विविधीकरण तथा आर एण्ड डी सहायता	1.88 करोड़ रु०
IV	पटसन उद्योग में कामगारों के लाभ के लिए योजना	1.67 करोड़ रु०

II. पटसन आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत अभी तक 32 मिलों ने ऋणों के लिए आवेदन दिए हैं। 14 मिलों के मामले स्वीकृत किए जा चुके हैं ।

(ख) और (ग) भारत में पटसन उद्योग की कुल कताई क्षमता 19.87 लाख मी. टन वार्षिक है। 1986-87 — 1987-88 तथा 1988-89 (दिसम्बर, 1988 तक) के दौरान क्षमता उत्पादन क्रमशः 70 प्रतिशत, 60 प्रतिशत तथा 52 प्रतिशत था ।

(घ) और (ङ) निर्यातित पटसन माल की मात्रा तथा इकाई मूल्य प्राप्ति नीचे दी गई है:—

	निर्यातित मात्रा (000 मे. टन)	इकाई मूल्य प्राप्ति (रु०)
1986-87	276.7	8.404/-
1987-88	240.0	9.417/-
1988-89 (अनुमानित)	225.0	10,000/-

हुडको के साधनों को सुदृढ करना

1103. **श्री शांति लाल पटेल:**
श्री जी० एस० बासवराजू:

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारत में आवास कार्यों को बढावा देने के लिये बड़े पैमाने पर आवास और शहरी विकास निगम के साधनों को सुदृढ करने का है;

(ख) क्या सरकार ने आवास क्षेत्र के वार्षिक परिव्यय में वृद्धि की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) जी, हां। हुडको के वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने की दृष्टि से सरकार ने इसकी साम्यता के लिए 7 वीं योजना के दौरान 1988-89 तक 38 करोड़ रुपये का अंशदान किया है। 1989-90 के लिए आवास हेतु 20 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव किया गया है इसके अतिरिक्त, हुडको की साम्यता के लिए 1988-89 में नई शहरी अर्धसंरचना योजनाओं की वित्त व्यवस्था हेतु एक करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है और इसी प्रयोजनार्थ वर्ष 1989-90 के लिए 4.5 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है ।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ऋण-पत्र तथा अनुबंध-पत्र जारी करके और बाह्य वित्तीय सहायता सुदृढ़ करके हुडको की सहायता कर रही है। हुडको को आवासीय परियोजनाओं की वित्त व्यवस्था करने के उसे बैंकिंग क्षेत्र तथा जीवन बीमा निगम से भी निधियां दी जाती है।

(ख) और (ग) आवास पर केन्द्र तथा राज्य क्षेत्रों के वर्ष वार परिव्यय के ब्यौरे नीचे दिए गए है:-

आवास पर केन्द्रीय परिव्यय

1988-89 – 4500.00 लाख रुपये

आवास पर राज्य परिव्यय

1988-89 – 54885.07 लाख रुपये

वर्ष 1989-90 के लिए परिव्यय को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है । ग्रामीण आवास स्थल तथा निर्माण सहायता के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत, छठी योजना में 353.50 करोड़ रुपये का परिव्यय था तथा 7वीं योजना के लिए इसे 578.77 करोड़ तक बढ़ा दिया गया है । वर्ष 1988-89 के दौरान इस घटक के लिए नियतन 131.19 करोड़ रुपये था ।

वेतन संबंधी राष्ट्रीय स्थायी समिति

1104. **श्री शान्तिलाल पटेल:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् ने वेतन सम्बन्धी एक स्थायी राष्ट्रीय समिति गठित करने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सुझाव स्वीकार कर लिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित किया जाएगा ; और

(घ) समिति की मुख्य बातों/कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय): (क) जी, नहीं ।

(ख) और (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

वस्त्र निर्यात लक्ष्य

1105. **श्री शांतिलाल पटेल:**

श्री जी० एस० वासवराजू:

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1988 के दौरान वस्त्र निर्यात लक्ष्य को प्राप्त किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितना लक्ष्य रखा गया था तथा इसे किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है ; और

(ग) वस्त्र निर्यात को और अधिक बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम): (क) और (ख)

(करोड़ रु०)

मद	लक्ष्य	अप्रैल 1988-जनवरी, 1989
सूती वस्त्र	1988-89	
(हथकरघा सहित)	1000	1094
सिले सिलाए परिधान	2150	1663

(ग) एक विवरण- संलग्न है ।

विवरण

वस्त्र निर्यातों को बढाने के लिए किए जा रहे प्रयास :

1. उन अत्यधुनिक परिधान विनिर्माण मशीनों की जिनका स्वदेश में विनिर्माण नहीं होता है, खुले सामान्य लाइसेंस पर आयात किए जाने की अनुमति है । परिधानों तथा हौजरी माल

विनिर्माण की लगभग 118 मशीनों को खुले सामान्य लाइसेंस के अर्न्तगत रखा गया है। इनमें से 108 मशीनों पर रियायती आयात शुल्क है । ऊनी उद्योग के लिए अपेक्षित 32 मशीनों तथा वस्त्र उद्योग के लिए आवश्यक 10 मशीनों की भी रियायती शुल्क पर आयात किए जाने की अनुमति है।

2. सूती यार्न तथा फैब्रिकों की क्वालिटी में सुधार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आटो-कोनर्स, ओपन तथा रोटर कताई मशीनों सभी प्रकार के शटल बिना करघों और टू फार वन टिवस्टर पर उत्पादन शुल्क 15% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

3. वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण को सुकर बनाने के लिए 750 करोड़ रु० राशी की एक वस्त्र आधुनिकीकरण निधि बनाई गई है ।

4. सूती यार्न के निर्यात के लिए एक ऐसी दीर्घकालीन नीति की घोषणा की गई है जिसमें सीमा को उदार बना दिया गया है। 60 तक के काउन्टों के सूती यान के लिए वर्ष 1988 के लिए सीमा 40 मिलियन कि ग्रा. निर्धारित की गई है । 60 से अधिक काउन्टों के सूती यार्न के निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

5. खुली आयात-निर्यात पास बुक योजना बनाई गई जिसके अनुसार परिधान निर्यात को निर्यात आर्डरों के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु आवश्यक तीव्र बदलती फैशन अभिमुख उद्योग की जरूरतें पूरी करने के लिए आवश्यक अन्तर्निविष्ट साधनों के शुल्क मुक्त आयात हेतु स्वतन्त्रता तथा लोचशीलता प्रदान की गई है । परिधानों के निर्यात हेतु खुली आयात-निर्यात पास बुकों को कतिपय शर्तों के अध्याधीन जारी किया जाता है।

6. नकद मुआवजा सहायता की संशोधित दरें घोषित की गई हैं जो 1 जुलाई,1986 से प्रभावी हैं। ये दरें जो कि तीन वर्षों की समयावधि के लिए घोषित की गई हैं, सामान्यतः पहले की अपेक्षा अधिक हैं । मन्दे कारोबार वाली परिधान मदों को जिन पर कोटा देशों को निर्यात किए जाने के लिए नकद मुआवजा सहायता नहीं दी जाती है, अब नकद मुआवजा सहायता हेतु पात्र बना दिया गया है। सभी काउन्टों के सूती यार्न के निर्यात पर 29 अगस्त, 1986 से 8% की दर से नकद मुआवजा सहायता दिए जाने की अनुमति है। कोरे फैब्रिकों फलैक्स यार्न तथा प्राकृतिक रेशम के निर्यात पर नकद मुआवजा सहायता में वृद्धि कर दी गई है। हेयर बेल्टिंग, ब्लेन्डेड यार्न वर्स्टेड स्पेन यार्न तथा ऊनी नमदो, पर भी नकद मुआवजा सहायता की अनुमति प्रदान की गई है। गैर-कोटा सामान्य मुद्रा-क्षेत्र देशों को निर्यात किए जाने के लिए वस्त्रों तथा परिधानों पर 5.9.1988 से 5% की दर से अतिरिक्त नकद मुआवजा सहायता प्रदान की गई है । कोटा देशों को गैर-कोटा वस्त्र मदों तथा हथकरघा सहित परिधानों के निर्यात पर भी 22.9.1988 से 5% की दर से अतिरिक्त नकद मुआवजा सहायता प्रदान की गई है।

7. लैटिन अमरीकी देशों को परिधानों के निर्यात के लिए भाड़ा लागत के 25% की दर से हवाई भाड़ा आर्थिक सहायता की अनुमति प्रदान की गई है।

8. गैर-कोटा सामान्य मुद्रा-क्षेत्र-देशों को गैर-कोटा नमूनों तथा कोटा-देशों को गैर-कोटा परिधानों के निर्यात पर निर्यातों के कुल एफ.ओ.बी. मूल्य के 1% की समग्र सीमा के भीतर अर्थिक सहायता दी गई है।

9. सिले सिलाए परिधानों के मामले में घरेलू बिक्रियों के लिए विदेशी ब्रान्ड नामों के प्रयोग की अनुमति है बशर्ते कि केवल स्वदेशी फैब्रिकों का प्रयोग हो, कुल उत्पादन का कम से कम 75% भाग निर्यात हो और घरेलू बिक्रियों पर किसी प्रकार की रायल्टी न दी जाए।

10. अग्रिम लाइसेंसिंग योजना तथा आयात-निर्यात पास बुक योजना के अधीन कच्चे माल / पैकिंगों की अनेक मदों के आयात किए जाने की अनुमति है। इस योजना के अधीन प्रक्रियाएं भी सरल बना दी गई हैं।

11. नई आयात-निर्यात नीति (1988-91) में डीम्ड सीमा लाभ अब निर्यात वस्त्रों के स्वदेशी सप्लायरों को शुल्क मुक्त लाईसेंसों पर उपलब्ध होंगे। इससे शुल्क मुक्त लाईसेंसों (अग्रिम लाइसेन्सों/पास बुक) को धारकों को प्रोत्साहन मिलेगा ताकि दुर्लभ विदेशी मुद्रा व्यय करने की बजाए स्वदेशी स्त्रोतों से अपेक्षित/अन्तर्निविष्ट साधन प्राप्त किए जा सकें। इससे भी स्वदेशी उत्पादकों के अपेक्षतया/अधिक मूल्यवर्धक तथा बेहतर क्षमता उपयोग होने की आशा है।

12 से 16. माध्यमिक अग्रिम लाईसेंसिंग योजना पहले कुछ ही निश्चित उत्पादों तक के लिए सीमित थी, लेकिन अब उसका विस्तार किया गया है ताकि उसमें वे सभी वस्त्र मदें कवर की जा सकें जिनमें दो अलग-अलग विनिर्माण एककों द्वारा सामूहिक रूप में तब तक के लिए द्वि-स्तरीय कार्य करने पड़ते हैं जब तक कि अन्तर्निविष्ट साधन-उत्पाद मानदण्ड और अग्रवर्ती तथा पश्चगामी संयोजन बने रहें।

100% निर्यात अभिमुख एककों तथा मुक्त व्यापार मानों की योजना के अधीन पूंजी माल तथा कच्चे माल के उदार आयात हेतु सुविधाओं के साथ-साथ बहुत सी अन्य रियायतें प्रदान की जाती हैं। ये एकक अब नकद मुआवजा सहायता तथा 5 वर्षों के लिए करावकाश हेतु पात्र बना दिए गए हैं। वे अपने उत्पादों का 25% भाग घरेलू बाजारों में भी बेच सकते हैं और कतिपय शर्तों के अध्यधीन विदेशी ब्राण्ड नाम भी प्रयुक्त कर सकते हैं।

लदान-पूर्व ऋण के दिनों की सं० 90 से बढ़ाकर 180 कर दी गई है। ब्याज-दर भी घटाकर 2.5% कर दी गई है।

निर्यात-लाभ हेतु धारा 80 एच० एच० सी० के अधीन कर रियायत में वृद्धि की गई है ताकि 100% निर्यात लाभ को आयकर से छूट प्राप्त हो सके।

एजेन्सी कमीशन में वृद्धि की गई है और विदेशी मुद्रा के लिए व्यापक अनुमति सम्बन्धी नियमों को काफी उदार कर दिया गया है।

17. परिधान विनिर्माण हेतु, फैशन डिज़ायन के क्षेत्रों में शिक्षा, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण के लिए दिल्ली में राष्ट्रीय फैशन तकनालॉजी संस्थान स्थापित किया गया है।

18. सरकार बाजार अध्ययनों, क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों, मेलों तथा प्रदर्शनियों में सहभागिता तथा प्रचार जैसे संवर्धनात्मक क्रियाकलापों के प्रयोजन और वित्तपोषण हेतु उदार सहायता देती रही है।

जल-भूमि को कृषि योग्य बनाना

1106. **श्री एच० बी० पाटिल:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में कुछ जिलों में जल-भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए कोई निर्णय लिया है तथा कार्यवाही शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो इन जिलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बम्बई में गंदी बस्तियां

1107. **श्री उत्तम राठौड़:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बम्बई / ग्रेटर बम्बई में केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व वाली भूमि पर कुछ गंदी बस्तियां बन गई हैं;

(ख) क्या इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कोई अध्ययन किया गया है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा चालू योजना की शेष अवधि में इस हेतु कितनी धनराशि आवंटित करने का विचार है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

खाद्य तेलों का खरीद मूल्य

1108. **श्री मोहन भाई पटेल:** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खाद्य तेलें का खरीद मूल्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक किस्म के खाद्य तेलों का क्या मूल्य निर्धारित किया गया है;

(ग) यह किसानों को कहां तक लाभप्रद रहेगा; और

(घ) वर्ष 1989 के दौरान खाद्य तेल खरीदने की सरकार की क्या योजना है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी॰ एल॰ बैठा) :(क) से (घ) किसानों को उनके उत्पाद के लिए एक सुनिश्चित लाभ दिलाने वास्ते में सरकार ने वर्ष 1988-89 के लिए कुछ तिलहनों के बारे में निम्नलिखित न्यूनतम समर्थन मूल्य नियत किए हैं:—

तिलहन	न्यूनतम समर्थन मूल्य रु॰ प्रति क्विंटल
रेपसीड/सरसों	460*
कुसुम	440*
मूंगफली	430
सूरजमुखी	450
सोयाबीन (1) काला	275
(2) पीला	320

*1988-89 की फसल के लिए जो 1989-90 में बेची जाएगी। समर्थन मूल्य संबंधी कार्य के लिए एजेंसी के रूप में नेफेड को पदनामित किया गया है। खाद्य तेलों के मूल्य उचित स्तरों पर बने रहें यह सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को भी एक बाजार-दखल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

वस्त्र निर्माण समझौते

1109. **श्री जी॰ एस॰ वासवराजू:**
श्री एस॰ एम॰ गुरुद्दी:

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने दिसम्बर, 1988 के दौरान अनेक देशों का भ्रमण किया था;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किन-किन देशों का भ्रमण और क्या इन देशों के साथ वस्त्र-निर्माण के संबंध में कोई समझौते किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) से (ग). वस्त्र मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने हांगकांग, जापान, कोरिया गणराज्य तथा सिंगापुर का 27 नवम्बर, 1988 से 8 दिसम्बर, 1988 तक इन देशों में उद्यमियों तथा भारतीय विनिर्माताओं के बीच संयुक्त उद्यमों तथा तकनीकी तथा विपणन सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल ने जिन देशों का दौरा किया उनके आयातकर्ता-संघों तथा चैम्बर आफ कामर्स के अतिरिक्त अनेक प्रमुख निर्माताओं तथा व्यापार घरानों के साथ बैठकें कीं तथा सहयोग और संयुक्त उद्यमों के लिए उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया हुई। यह आशा

की जाती है कि इन संपर्कों की वजह से यथा समय कुछ नये संबंध स्थापित किये जा सकेंगे। [हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में कताई मिलों का आधुनिकीकरण

1110. **श्री हरीश रावत:** क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1989-90 के दौरान उत्तर प्रदेश की कुछ कताई मिलों का आधुनिकीकरण करने का एक प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र की मिलों की अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उक्त प्रस्ताव के कार्यान्वयन के लिए विशेष सहायता देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम): (क) से (घ) सरकार ने 750 करोड़ रु० की राशि से एक वस्त्र आधुनिकीकरण निधि की स्थापना की है। वस्त्र एकक, जिनमें उत्तर प्रदेश की कताई मिलें, चाहे वे सार्वजनिक क्षेत्र या निजी क्षेत्र या सहकारी क्षेत्र में हों, शामिल हैं, वस्त्र आधुनिकीकरण निधि के तहत ऋण हेतु आवेदन देने के लिए पात्र हैं। दिनांक 30.11.1988 तक उत्तर प्रदेश में स्थित पांच वस्त्र मिलों को आई० डी० बी० आई० द्वारा ऋण मंजूर किया जा चुका है।

नार्थ एवेन्यू में नया होम्योपैथिक औषधालय

1111. **श्री राज कुमार राय:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान नई दिल्ली में नार्थ एवेन्यू क्षेत्र में नया होम्योपैथिक औषधालय खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह औषधालय कब तक खोला जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मंजूरी हेतु लंबित पड़ी परियोजनाएं

1112. **डा० गौरी शंकर राजहंस:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक औद्योगिक सिंचाई और अन्य बहुउद्देशीय परियोजनाएं काफी लम्बे समय से पर्यावरणीय दृष्टि से मंजूरी हेतु लम्बित पड़ी हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने ऐसा कोई निदेश जारी किया है कि किसी भी परियोजना पर अपनी सहमति अथवा असहमति अधिक से अधिक चार महीनों के अन्दर देनी होगी;

(ग) यदि हां, तो 31 दिसम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार ऐसी कितनी परियोजनाएं मंजूरी हेतु चार महीनों की अवधि से भी अधिक समय से लम्बित पड़ी हैं; और

(घ) निर्णय लेने में विलम्ब के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी): (क) जी, हाँ।

(ख) यह निर्णय लिया गया है कि यदि परियोजना प्राधिकारी उनके द्वारा भेजी गई सूचना में पाई गई कमियों के बारे में उनको सूचित किए जाने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर अपेक्षित सूचना नहीं

भेजेंगे तो प्रस्ताव को "सूचना न भेजे जाने के कारण" रद्द समझा जाएगा जिन मामलों में पूरी सूचना प्राप्त हो जाती है उनकी स्वीकृति के बारे में इस मंत्रालय द्वारा तीन महीने की अवधि के भीतर निर्णय लिया जाता है।

(ग) 31 दिसम्बर, 1988 को कुल 123 परियोजनाएं विचारार्थ लम्बित थीं।

(घ) यह मंत्रालय अपेक्षित सूचना अथवा कार्ययोजनाओं में पाई गई कमियों को परियोजना प्राधिकारियों के ध्यान में लाता है। जैसे ही इस मंत्रालय को पूर्ण सूचना और कार्ययोजनाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, वैसे ही परियोजनाओं का तेजी से मूल्यांकन किया जाता है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एड्स रोग प्रतिकारकों का पता लगाने के लिए सभी रक्तदाताओं की जांच

1113. **श्री पी० एम० सईद:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एड्स रोग प्रतिकारकों का पता लगाने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में रक्तदाताओं की जांच कराना आवश्यक समझा गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या-क्या कदम उठाये गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे): (क) और (ख). सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उन सभी शहरों में, जिनमें भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से निगरानी केन्द्र स्थापित किए गए हैं, रक्तदाताओं की एच०आई०वी० एन्टीबॉडीज संबंधी स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके अनुसार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में सभी रक्तदाताओं का एच०आई०वी० एन्टीबॉडीज संबंधी परीक्षण किया जा रहा है।

भारत के औषध नियंत्रक द्वारा रक्तदाताओं की स्क्रीनिंग व रक्त उत्पादों आदि की स्क्रीनिंग संबंधी विस्तृत हिदायतें प्रचालन निर्देशों के साथ 14.2.89 को राज्य औषध नियंत्रकों को भेज दी गई है।

पांचवीं स्व-वित्त पोषित योजना

1114. **श्री पी० एम० सईद:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पांचवीं स्व-वित्त पोषित पंजीकरण योजना कब आरम्भ की गई थी;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत श्रेणी-II में पंजीकरण कराने वाले व्यक्तियों से कितनी धनराशि जमा कराई गई थी;

(ग) क्या इस योजना के अन्तर्गत मकानों का निर्माण हो चुका है और स्थल विकसित किया जा चुका है और यदि हां, तो वह स्थल वास्तव में कहां स्थित है;

(घ) क्या आवंटन के लिये आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये हैं; यदि नहीं, तो उन्हें कब तक आमन्त्रित किये जाने की संभावना है;

(ङ) श्रेणी-II के मकानों के निर्माण पर कुल कितनी लागत आई है और बकाया राशि की अदायगी का क्या तरीका निर्धारित किया गया है; और

(च) यदि कोई पंजीकृत व्यक्ति इस योजना से अलग होना चाहते हों तो ऐसे मामले में उनकी जमाराशि पर उन्हें कितना ब्याज दिया जायेगा?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) 15.5.1982

(ख) 10,000/- रुपये।

(ग) केवल किसी विशिष्ट योजना के पंजीकृत व्यक्तियों के लिये ही मकानों का निर्माण नहीं किया जाता है। समय-समय पर मकान रिलीज किये जाते हैं तथा आवंटनार्थ आवेदन करने हेतु सभी पंजीकृत व्यक्ति स्वतन्त्र हैं। लाटरी निकालते समय उनकी पसन्द की कालोनी की तुलना में पंजीकृत व्यक्तियों को वरीयता भी दी जाती है।

(घ) 1983, 1984, 1985, 1986 तथा 1987 में आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये थे। इस वर्ष के दौरान भी ये आमंत्रित किये जाने की सम्भावना है।

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों की लागत उनके पूर्ण हो जाने पर निकाली जाती है। स्व-वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत नियतन विकरणिका के माध्यम से घोषित अनुमानित लागत के आधार पर की जाती है तथा किसी व्यक्ति को फ्लैट आवंटित करने के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार उसे भुगतान करने के लिये कहा जायेगा:—

(i) 25 प्रतिशत (पंजीकरण के रूप में जमा तथा आवंटन पर प्रारम्भिक जमा के रूप में अदा की गई राशि सहित)।
(ii) छः माह पश्चात् 20 प्रतिशत।
(iii) आगामी छः माह पश्चात् 25 प्रतिशत।
(iv) आगामी छः माह पश्चात् 20 प्रतिशत।
(v) कब्जा लेते समय अपेक्षित 10 प्रतिशत।

(च) ऐसे मामलों में ब्याज अनुमेय नहीं है।

उचित दर की दुकानों का खोला जाना

1115. **डा० फूलरेणु गुहा:** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1986-87, 1987-88 और 1988-89 के दौरान उचित दर की कितनी दुकानें खोली गई;

(ख) क्या उक्त वर्षों के दौरान उचित दर की नई दुकानें खोलने के लिए निर्धारित लक्ष्य पूरा कर लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा): (क) से (ग). 1986-87 से 1988-89 के दौरान उचित दर की दुकानें खोलने के लिए रखे गए लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ नीचे दी गई हैं:—

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धियाँ
1986-87	6505	9847
1987-88	4035	9926
1988-89 (दिसम्बर, 1988 तक)	4387	4307

वायु और जल प्रदूषण

1116. **डा० फूलरेणु गुहा:**
प्रो० पी० जे० कुरियन:
श्री चिन्तामणि जेना:

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन औद्योगिक एककों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है जिनकी वजह से जल और वायु प्रदूषण फैलता है;

(ख) यदि हां, तो यह सर्वेक्षण कब किया गया था;

(ग) ऐसे औद्योगिक एककों का ब्यौरा क्या है, जिन्हें दोषी पाया गया; और

(घ) ऐसे औद्योगिक एककों के विरुद्ध क्या कानूनी कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी): (क) जी, हां। लेकिन सर्वेक्षण केवल जल प्रदूषण के संबंध में किया गया था।

(ख) सर्वेक्षण 1984 के दौरान किया गया था।

(ग) 1978 में उद्योगों के पास बहिस्राव संयंत्र नहीं थे। अन्यों के साथ ये कास्टिक सोडा, मद्यनिर्माणशाला, उर्वरकों, मानव-निर्मित रेशा, लोहा और इस्पात, कीटनाशी, पीड़कनाशी, लुगदी और कागज़ चर्मशोधन कारखाने आदि से संबंधित थे। ये नाम प्रकाशित सर्वेक्षण में उपलब्ध हैं।

(घ) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा तथा पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत सरकार द्वारा अपेक्षित कानूनी कार्यवाही शुरू की गई है।

एड्स रोगियों की राज्य-वार संख्या

1117. **श्रीमती प्रभावती गुप्त:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1988 के दौरान देश में राज्य-वार कितने एड्स रोगियों का पता चला है;

(ख) उनमें से कितने रोगी विदेशी थे; और

(ग) उसे रोकने के लिये क्या एहतियाती उपाय किये गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे): (क) और (ख). वर्ष 1988 के दौरान देश में एड्स के 13 रोगी सूचित किए गए हैं।

राज्यवार सूचना इस प्रकार है:—

क्रम सं॰	राज्य	रोगियों की संख्या
1.	महाराष्ट्र	2
2.	पंजाब	2
3.	दिल्ली	1
4.	पांडिचेरी	1
5.	केरल	1
6.	तमिलनाडु	1
7.	पश्चिम बंगाल	1
8.	उत्तर प्रदेश	1
	योग:	10
	विदेशी	3
	कुल योग:	13
	13 रोगियों में तीन विदेशी है।	

(ग) सरकार द्वारा उठाए गए एहतियाती कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:—

(1) रोगियों का पता लगाने के लिए नैदानिक और सीरम संबंधी निगरानी

(2) पॉजीटिव सीरम वाले रोगियों को परामर्श और परिचर्या।

(3) आम जनता और अधिक जोखिम वाले समूहों के लिए स्वास्थ्य शिक्षा।

(4) एच आई वी संक्रमण के लिए रक्त और रक्त उत्पादों की जांच।

(5) कानून का बनाना।

राज्यों में कृषि वानिकी

1118. **श्री राधाकांत डिगाल :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में कृषि वानिकी को प्रोत्साहन देने के लिए उपाय कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गई राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी): (क) और (ख) कृषि-वानिकी, केन्द्र और राज्य क्षेत्र की वनीकरण परियोजनाओं और बाह्य सहायता प्राप्त सामाजिक वानिकी प्रयोजनाओं में शामिल है। विगत तीन वर्षों में वनीकरण कार्यकलापों, जिनमें कृषि-वानिकी भी सम्मिलित है, के लिए आबंटन का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

लाख रुपयों में

क्रम सं०	राज्य	कुल आबंटित धनराशि 1986-87 से 1988-89
1.	आंध्र प्रदेश	10433.15
2.	अरुणाचल प्रदेश	1311.25
3.	असम	5806.50
4.	बिहार	13543.12
5.	गोवा*	414.00
6.	गुजरात	9475.47
7.	हरियाणा	4669.52
8.	हिमाचल प्रदेश	5952.55
9.	जम्मू और कश्मीर	3024.13
10.	कर्नाटक	7435.99
11	केरल	6134.50
12.	मध्य प्रदेश	13629.74
13.	महाराष्ट्र	12212.12
14.	मणिपुर	1253.25
15.	मेघालय	1983.50
16.	मिजोरम	1667.50
17.	नागालैंड	1377.25
18.	उड़ीसा	7269.54
19.	पंजाब	2605.00
20.	राजस्थान	8864.42
21.	सिक्किम	668.00
22.	तमिलनाडु	10384.90
23.	त्रिपुरा	1293.75
24.	उत्तर प्रदेश	21424.14
25.	पश्चिम बंगाल	8461.87
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	525.00

क्रम सं॰	राज्य	कुल आवंटित धनराशि 1986-87 से 1988-89
27.	चंडीगढ़	71.10
28.	दादरा और नागर हवेली	226.00
29.	दिल्ली	277.05
30.	लक्षद्वीप	16.25
31.	पांडिचेरी	117.50

*संघ शासित क्षेत्र दमन और द्वीव के आंकड़े भी सम्मिलित है।

नोट: इसके अतिरिक्त भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, कृषि यानिकी पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजनाओं के अधीन अपनी संस्थाओं तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान करती है।

खाद्य अपमिश्रण के विरुद्ध दर्ज किए गए मामले

1119. **श्री के॰ प्रधानी:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान देश में खाद्य अपमिश्रण के राज्य वार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार कितने मामले दर्ज किए गए; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान खाद्य अपमिश्रण के आरोप में कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया तथा इन व्यक्तियों को दिए गए दंड का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे): (क) और (ख). विभिन्न राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों से प्राप्त उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1986 और 87 में देश में (राज्यवार खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अधीन चलाए गए मुकदमों की संख्या और दोष सिद्ध व्यक्तियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम	चलाए गए मुकदमें	दोष सिद्ध व्यक्ति	चलाए गए मुकदमें	दोष सिद्ध व्यक्ति
1.	आंध्र प्रदेश	263	88	219	131
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	चलाए गए मुकदमे	दोष सिद्ध व्यक्ति	चलाए गए मुकदमे	दोष सिद्ध व्यक्ति
3.	असम	129	—	224	3
4.	बिहार	330	17	350	17
5.	गुजरात	833	267	808	178
6.	हरियाणा	सूचना अनु०	सूचना अनु०	सूचना अनु०	सूचना अनु०
7.	हिमाचल प्रदेश	260	137	147	95
8.	जम्मू व कश्मीर	89	2	सू० अनु०	सू० अनु०
9.	कर्नाटक	सूचना अनु०	सूचना अनु०	सूचना अनु०	सूचना अनु०
10.	केरल	283	133	197	91
11.	मध्य प्रदेश	1479	459	1236	408
12.	महाराष्ट्र	366	278	349	47
13.	मणिपुर	12	—	9	
14.	मेघालय	41	1	—	—
15.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
16.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
17.	उड़ीसा	252	21	155	27
18.	पंजाब	292	97	242	105
19.	राजस्थान	257	233	254	
20.	सिक्किम	—	—	—	—
21.	तमिलनाडु	2263	741	1465	559
22.	त्रिपुरा	16	शु०	सू० अनु०	सू०अनु०
23.	उत्तर प्रदेश	2684	1158	1891	929
24.	पश्चिम बंगाल	150	34	170	118
25.	अंडमान द्वीप समूह	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
26.	चण्डीगढ़	206	109	114	24
27.	दादरा और नागर हवेली	8	शून्य	शून्य	शून्य
28.	दिल्ली	222	78	195	69
29.	गोवा दमन और द्वीप	10	11	18	5
30.	लक्ष्यद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
31.	पांडिचेरी	सूचना अनु०	सूचना अनु०	सूचना अनु०	सूचना अनु०

नेत्रदान करने वाले व्यक्तियों की आंखों की जांच

1120. **श्री विष्णु मोदी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई व्यक्तियों ने नेत्रदान करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इन नेत्रदान कर्ताओं के नेत्रों की समय-समय पर प्रख्यात नेत्र-विशेषज्ञों द्वारा निःशुल्क जांच की व्यवस्था करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) (क) जी, हां।

(ख) और (ग): देश भर में सभी सरकारी अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में निःशुल्क नैदानिक और उपचार सुविधाएं उपलब्ध हैं।

नई दिल्ली नगरपालिका के प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों को सरकारी मकानों का आवंटन

1121. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका के प्राथमिक विद्यालयों की कुछ महिला शिक्षिकाओं को 15-20 वर्ष की सेवा हो जाने के बाद भी सरकारी मकान आवंटित नहीं किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं;

(ग) क्या नई दिल्ली नगरपालिका के प्रेसीडेंट ने स्वविवेक कोटे के अन्तर्गत वर्ष 1937 तथा 1988 के दौरान कुछ महिला शिक्षिकाओं को कुछ मकान आवंटित किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) नई दिल्ली नगरपालिका के प्राथमिक विद्यालयों की महिला शिक्षिकाओं को क्वार्टरों के आवंटन हेतु कोई अलग सूची नहीं रखी जाती है महिला कर्मचारियों सहित नगरपालिका कर्मचारियों की सभी श्रेणियों की एक सामूहिक वरीयता सूची कर्मचारियों से आवेदन-पत्र निमंत्रित करके तैयार की जाती है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी हां। नई दिल्ली नगरपालिका के प्रशासक को सेवाओं की अत्यावश्यक्ता और बिना बारी के आधार पर नगरपालिका के क्वार्टर आवंटित करने के स्व-विवेकाधिकार प्राप्त हैं जो प्रत्येक मामले के गुणावगुणों पर निर्भर करते हैं। इस शक्ति का प्रयोग करते हुए उन्होंने 1987 और 1988 में 17 क्वार्टरों का आवंटन किया है।

येलेरू जलाशय परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी

1122. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या येलेरू जलाशय परियोजना केन्द्रीय सरकार के पास पर्यावरण की दृष्टि से मंजूरी हेतु लम्बित पड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो आवश्यक मंजूरी कब तक दिए जाने की सम्भावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) जी, नहीं। अपेक्षित पर्यावरणीय आंकड़े और कार्य योजनाओं को न भेजे जाने के कारण इस प्रस्ताव को अक्तूबर, 1987 में नामंजूर किया गया था।

चीनी मिलों द्वारा निष्कासित अपशिष्ट पदार्थों को संसाधित करना

1123. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** :क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कानपुर स्थित राष्ट्रीय चीनी संस्थान ने चीनी मिलों द्वारा निष्कासित अपशिष्ट पदार्थों को संसाधित करने के लिए एक नई त्वरित तथा सस्ती पद्धति का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो इस नई पद्धति की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस पद्धति को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर द्वारा हाल ही में चीनी मिलों द्वारा निष्कासित अपशिष्ट पदार्थों के उपचार हेतु परम्परागत पद्धति को संशोधित किया गया है। इस पद्धति के सस्ती होने का सविस्तार पता नहीं लगाया गया है।

(ख) एक्टिवेटिड स्लज प्रोसेस और इसके साथ बायो फिल्टर ट्रीटमेंट के दो चरणों द्वारा बहिस्रावों की उपचार प्रक्रिया की जाती है।

(ग) इस प्रक्रिया की रूपरेखा सभी चीनी मिलों को परिचालित कर दी गई है। अलग-अलग परियोजनाओं की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और सम्बद्ध चीनी निर्माताओं को दे दी गई है।

नेशनल कौंसिल फॉर अप्लाईड इकनामिक रिसर्च द्वारा हथकरघा उद्योग संबंधी की गई गणना

1124. **श्री भट्टम श्रीराममूर्ति:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल कौंसिल फॉर अप्लाईड इकनामिक्स रिसर्च (एन सी ए ई आर) ने हथकरघा उद्योग के बारे में गणना पूरी कर ली है और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) (क) नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाईड इकनामिक रिसर्च जिन कार्यों के उत्तरदायी हैं वे हैं: राज्य सरकारों को जनगणना कार्य करने में तकनीकी सहायता देना, राज्यों से प्राप्त जनगणना आंकड़ों का संसाधन और इसके बाद एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। चूंकि सभी राज्यों से पूरे आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए एन सी ए ई आर ने राष्ट्रीय/राज्य-स्तर के आंकडे समेकित करने और तत्संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का पूरा काम नहीं किया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बन्द उद्योग

1125. **श्री भट्टम श्रीराममूर्ति:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितने उद्योग बन्द किये गये;

(ख) क्या उद्योगों के बन्द किये जाने से अब तक लगभग एक लाख श्रमिकों का रोजगार समाप्त हो गया है;

(ग) ऐसे उद्योगों में बैंकों की कितनी धनराशि बकाया पड़ी है; और

(घ) ऐसे रुग्ण औद्योगिक एककों की राज्य-वार संख्या क्या है?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राजकिशन मालवीय) (क) और (ख): नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार, कामबन्दी से प्रभावित एककों तथा कर्मकारों की संख्या निम्नानुसार है:—

वर्ष	एककों की संख्या	प्रभावित कर्मकार
1986	231	27999

वर्ष	एककों की संख्या	प्रभावित कर्मकार
1987	190	19034
1988*	130	8842

(*जनवरी-नवम्बर)

(ग) और (घ): भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार, 30 जून, 1987 को रुग्ण एककों (लघु एककों को छोड़कर) की ओर बकाया बैंक राशि 128.28 करोड़ रुपये थी। जून, 1987 के अन्त में रुग्ण एककों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

जून, 1987 के अंत में रुग्ण एककों (लघु एककों को छोड़कर) की राज्य-वार संख्या।

क्र० सं०	राज्य	एककों की संख्या
1.	महाराष्ट्र	19
2.	गुजरात	9
3.	पश्चिम बंगाल	15
4.	हिमाचल प्रदेश	1
5.	कर्नाटक	5
6.	हरियाणा	6
7.	तमिलनाडु	5
8.	राजस्थान	2
9.	उत्तर प्रदेश	4
10.	आन्ध्र प्रदेश	-
11.	उड़ीसा	-
12.	पंजाब	2
13.	केरल	1
14.	बिहार	1
15.	गोवा	1
16.	दिल्ली	1
		72

स्रोतः रिजर्व बैंक आफ इंडिया, बम्बई।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन राज्यों को सहायता

1126. **श्री शांति धारीवाल:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय तपेदिक (उन्मूलन) नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करती है;

(ख) क्या अनेक राज्यों द्वारा इस सहायता के दुरुपयोग के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किये गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे): (क) से (घ) राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम को एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में कार्यान्वित किया गया

है। राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे क्षयरोग केन्द्रों को सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में निर्धारित किए गए सहायता पैटर्न के अनुसार 50:50 के अंश के आधार पर क्षयरोधी औषधें/सामग्री, उपस्कर सप्लाई किए जाते हैं। राज्यों को कोई नकद सहायता नहीं दी जाती है। इस प्रकार राज्य सरकारों द्वारा सहायता के दुरुपयोग किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत उपकरणों और कर्मचारियों से पूरी तरह से लैस क्षयरोग केन्द्र देश में स्थापित किए जा रहे हैं, जो सभी मौजूदा चिकित्सा और स्वास्थ्य संस्थाओं, जिनमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शामिल हैं, के माध्यम से रोगी का निःशुल्क पता लगाने और उपचार गतिविधियों को प्रारम्भ करेंगे।

राज्य सरकारों द्वारा मांग की गई अत्यावश्यक क्षयरोधी औषधें राज्य द्वारा चलाए जा रहे क्षयरोग केन्द्रों को सप्लाई की जाती हैं। व्यापक रोगप्रतिरक्षण कार्यक्रम के एक अंश के रूप में 0—1 वर्ष की आयु वाले बच्चों को एक निवारक उपाय के रूप में वी०सी०जी० के टीके लगाए जा रहे हैं।

विटामिन "ए" की कमी के कारण बीमारियों में वृद्धि

1127. **श्री शांति धारीवाल:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विटामिन "ए" की कमी के कारण न केवल रतौंधी की बीमारी होती है बल्कि देश में अधिकांश जिलों में अन्य बीमारियां भी फैल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वे बीमारियां साधारणतय छह वर्ष की आयु के बच्चों में अधिक पाई जाती है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा उठाये गये ठोस कदमों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे): (क) से (ग) विटामिन "ए" की कमी के कारण बच्चों में रतौंधी, बिटोट स्पाटस, शुष्कता, स्वच्छपटल मृदुलता और दृष्टिहीनता हो जाती है।

चूंकि कार्नियल शुष्कता और स्वच्छपटलमृदुलता जैसी प्रचंड विक्षतियां, जिनके कारण दृष्टिहीनता हो जाती है, 1—5 वर्ष की आयु वर्ग में अधिक होती है, इसलिए विटामिन "ए" की कमी के कारण होने वाली दृष्टिहीनता से बचाव के लिए इस आयु वर्ग के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना से एक योजना आरम्भ की गई है तथा इस योजना का धीरे-धीरे विस्तार किया जा रहा है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने राजेन्द्र प्रसाद केन्द्र द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार विटामिन "ए" की कमी के कारण रतौंधी की लगभग 0—5 प्रतिशत घटनाएं होती हैं जबकि 1971-74 में इनकी प्रतिशतता 2 प्रतिशत थी।

[अनुवाद]

वायुमंडल में आक्सीजन की मात्रा में कमी

1128. **प्रो० पी० जे० कुरियन:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औद्योगिक शहरों और राजधानी सहित बड़े नगरों में वायुमंडल में आक्सीजन की मात्रा में असाधारण रूप से कमी होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) इस स्थिति का सामना करने के लिए किन उपायों पर विचार किया जा रहा है?

पर्यावरण और वन मंत्री (जियाउर्रहमान अन्सारी): (क) औद्योगिक शहरों और राजधानी सहित बड़े नगरों में वायु प्रदूषण में वृद्धि से वायुमंडल में आकसीजन की मात्रा में कमी आयी है।

(ख) औद्योगिक और घरेलू कार्यों के लिए जीवाश्य ईंधन जलाने से और वाहनों से निकलने वाला धुआं इसके मुख्य कारण हैं।

(ग) देश में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए किये गये उपायों में निम्नलिखित शामिल हैः-

(1) परिवेशी वायु गुणवत्ता के मानक निर्धारित कर दिये गये हैं।

(2) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत वायु प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं।

(3) परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।

(4) वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र अधिसूचित किए गए हैं।

(5) उद्योगों को समयबद्ध आधार पर सहमति शर्तों का अनुपालन करने के निदेश दिए गए हैं दोषी इकाइयों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाती है।

(6) राज्य सरकारों को मोटर वाहनों के धुएं से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण के लिए निर्धारित मानकों के कार्यान्वयन हेतु मोटर वाहन नियमों को संशोधित करने की सलाह दी गई है।

(7) वायु (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 को व्यापक बनाते हुए और अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के लिए सख्त दंड की व्यवस्था करते हुए संशोधित किया गया है।

जनसंख्या नियंत्रण (बर्थ कंट्रोल) के क्षेत्र में किये गये कार्य का विश्लेषण

1129. **प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या जनसंख्या नियंत्रण/परिवार कल्याण के क्षेत्र में किये गये कार्य का कोई विश्लेषण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश के जनसांख्यिकीय ढांचे का ब्यौरा क्या है; और

(घ) परिवार नियोजन के क्षेत्र में और अधिक नियंत्रण लाने के लिये क्या-क्या उपाय किये जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे): (क) और (ख) राज्यों से मिली मासिक कार्यनिष्पादन रिपोर्टों के आधार पर परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन की बरीकी से तथा नियमित तौर पर समीक्षा की जा रही है। कार्यनिष्पदन के आंकड़ों के आधार पर परिवार नियोजन के विभिन्न तरीकों से गर्भ के प्रति कारगर ढंग से सुरक्षित पात्र दम्पतियों को प्रतिशतता का आंकलन किया जाता है जो कार्यक्रम के प्रभाव को प्रतिबिम्बित करती है। इसके अतिरिक्त भारत के महापंजीयक की नमूना पंजीयन पद्धति में राज्य और राष्ट्र स्तर पर जन्म दर के वार्षिक अनुमान उपलब्ध होते हैं।

(ग) भारत के महापंजीयक की नमूना पंजीयन पद्धति में उपलब्ध नवीनतम अनुमानों के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख जनांकिकी सूचक इस प्रकार हैः-

सूचक	दर (आन्तम)	जिस वर्ष से संबंधित है
जन्म दर	32.0 (प्रति हजार जनसंख्या)	1987

सूचक	दर (अन्तिम)	जिस वर्ष से संबंधित है
मृत्यु दर	10.8 (प्रति हजार जनसंख्या)	1987
शिशु मृत्यू दर	95 (प्रति हजार जीवित जन्म)	1987
कुल प्रजनन दर	4—3	1985
गर्भ के प्रति कारगर ढंग से सुरक्षा प्रदान करने की दर	39.9 प्रतिशत	31 मार्च, 1988

(घ) देश में जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण रखने के लिए जो उपाय सोचे गए हैं उनमें शामिल हैं — स्वैच्छिक संगठनों को शामिल करना, समुदाय की भागीदारी बढ़ाना, उन्नत संचार नीतियां अपनाना, व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के माध्यम से बच्चे के जीवित रहने के अवसर बढ़ाना, जनसंख्या शिक्षा गहन करना, परिवार नियोजन के अस्थायी तरीके अपनाने के लिए अधिक से अधिक युवा दम्पतियों को दर्ज करना

फिजियोथैरापिस्टस एण्ड आक्युपेशनल थेरापिस्टस को बेहतर वेतनमान

1130. **चौधरी राम प्रकाश:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर फिजियोथेरापिस्टस एण्ड आक्युपेशनल थेरापिस्टस के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को बेहतर वेतनमान देने का प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्हें अब तक बेहतर वेतनमान न दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) उन्हें नये वेतनमान कब दिये जायेंगे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे): (क) से (ग) भौतिक चिकित्सकों और व्यावसायिक चिकित्सकों को उच्च वेतनमान दिये जाने के संबंध में चतुर्थ वेतन आयोग ने कोई सिफारिश नहीं की है। तथापि, भौतिक चिकित्सकों और व्यावसायिक चिकित्सकों के संघ को अभ्यावेदन के आधार पर, निम्न प्रकार से संशोधित वेतनमान देने के प्रश्न पर विचार किया गया था।

1.	भौतिक चिकित्सक/व्यावसायिक चिकित्सक	—	2000—3200
2.	भौतिक चिकित्सा/व्यावसायिक चिकित्सा के प्राध्यापक	—	2000—3500
3.	वरिष्ठ भौतिक चिकित्सक/वरिष्ठ व्यावसायिक चिकित्सक	—	2200—4000

तथापि प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं मिली है क्योंकि चतुर्थ वेतन आयोग ने इस प्रकार की कोई सिफारिश नहीं की थी

बंद पड़ी कपड़ा मिलों को पुनः चलाने के लिए कदम

1131. **श्री प्रकाश वी० पाटिल:** क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में बन्द पड़ी कपड़ा मिलों को पुनः चलाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) इस प्रकार की कितनी मिलें बन्द पड़ी हैं तथा इनसे कितने मजदूर बेरोजगार हो गए हैं; और

(ग) इस संबंध में यदि कोई पुनर्वास संबंधी योजना तैयार की गई है तो वह क्या है तथा इसका कितने मजदूरों को लाभ पहुंचेगा?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) सरकार ने महाराष्ट्र सहित देश के सभी भागों में वस्त्र उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इन कदमों में शामिल हैं रूग्ण लेकिन संभाव्य रूप से अर्थक्षम वस्त्र मिलों के लिये पनर्स्थापना पैकेज बनाना और उनका प्रबंध करना तथा वस्त्र मिलों सहित रुग्ण एककों के मामलों पर विचार करने के लिए औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना करना।

(ख) और (ग): दिनांक 31.12.1988 की स्थिति के अनुसार 26,172 कामगार वाली कुल 12 बन्द पड़ी वस्त्र मिलों में से 7 मिलों के मामलों में नोडीय अभिकरण ने पहले ही जांच कर ली है।

महाराष्ट्र में आदिवासी क्षेत्रों में चिकित्सा संबंधी सुविधायें उपलब्ध कराना

1132. **श्री प्रकाश वी० पाटिल:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आदिवासी उपयोजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र में गत चार वर्षों से आदिवासी जनता को चिकित्सा संबंधी सुविधएं प्रदान की गई हैं;

(ख) इन क्षेत्रों में जिले-वार कितने स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल खोले गए हैं;

(ग) महाराष्ट्र में गैर-आदिवासी क्षेत्रों की तुलना में आदिवासी क्षेत्रों में डाक्टरों और रोगियों का प्रतिशत क्या है; और

(घ) स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे): (क) और (ख) जी, हां आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र काम्पलेक्स स्थापित करके महाराष्ट्र के आदिवासी क्षेत्रों में निवारक, संवर्धक और उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। महाराष्ट्र के आदिवासी उपयोजन क्षेत्र में लाभान्वित की जाने वाली जनसंख्या के लिए शिथिल किए गये मानदण्डों के अनुसार अपेक्षित स्वास्थ्य केन्द्रों और उप-केन्द्रों की संख्या क्रमशः 237 और 1662 है। इस समय रेफरल केन्द्रों के रूप में 47 ग्रामीण अस्पातालों (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों) के अलावा महाराष्ट्र के आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में कार्य कर रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उपकेन्द्रों की संख्या क्रमशः 237 और 1593 है। राज्य सरकार ने आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत शेष उपकेन्द्र 1989-90 के दौरान स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। आदिवासी क्षेत्र में कार्य कर रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की जिलावार संख्या इस प्रकार है अहमदनगर में 9, अमरावती में 8, भंडारा में 19, चन्द्रपुर में 8, धुले में 42, गाडचिरोली में 33, नान्देड में 7, नागपुर में 4, जलगांव में 2, राजगढ़ में 3, थाणे में 45, पुणे में 6, नासिक में 33 और यवतमाल में 13 और आदिवासी जिलों में 5 (इन्हें अभी निर्दिष्ट किया जाना है) है।

(ग) और (घ) डाक्टरों और रोगियों का प्रतिशत नहीं रखा जाता है। बहरहाल देश के डाक्टर - जनसंख्या अनुपात, जो 1:2393 है, की तुलना में 1987 में आदिवासी क्षेत्र सहित महाराष्ट्र में डाक्टर - जनसंख्या अनुपात 1:1757 है। स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के नेटवर्क को सुदृढ़ करने के कारण आदिवासी क्षेत्र सहित महाराष्ट्र में डाक्टर जनसंख्या के अनुपात में वर्ष दर वर्ष सुधार हो रहा है।

महाराष्ट्र में छोटे परिवार की धारणा को स्वीकार करना

1133. **श्री प्रकाश वी० पाटिल:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में, वहां के ग्रामीण क्षेत्रों में यह पता लगाने के लिए कि वहां लोगों ने छोटे परिवार की धारणा को किस रूप में स्वीकार किया है, कोई आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे महाराष्ट्र में जनसंख्या की वृद्धि रोकने में कितनी सहायता मिली है; और

(घ) इस संबंध में किन कमियों का पता चला है और उस बारे में क्या उपाय करने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

महाराष्ट्र में वृक्षों की कटाई

1134. **श्री प्रकाश वी. पाटिल:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है कि महाराष्ट्र में वृक्षों की कटाई का कार्य नियंत्रित कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इस अवधि के दौरान महाराष्ट्र के वन क्षेत्र के विकास में किस सीमा तक सुधार हुआ है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी): (क) और (ख) कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान 391129.86 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र पर वनरोपण किया गया है। राज्यवार ब्यौरा निम्नलिखित है:

वर्ष	वनरोपण (हेक्टेयर में)
1986	104860
1987	113317.96
1988	172951.90
कुल	391129.86 (हेक्टेयर)

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या सुविधायें

1135. **श्री हरिहर सोरन:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम को मजबूत करने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कौन से कदम उठाने का विचार किया गया है;

(ग) विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामीण लोगों को स्वास्थ परिचर्या सुविधाओं के बारे में जानकारी सुलभ कराने के लिये सरकार द्वारा तैयार किये गये कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कलयाण मंत्रालय में राज्य मंत्री(कुमारी सरोज खापर्डे)(क)और(ख): जी, हां। स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के लिए सभी स्वास्थ्य एजेंसियों द्वारा देश में सतत प्रयास किये जा रहे हैं। काफी संख्या में सरकारी और गैर सरकारी संगठन कार्मिकों को स्वास्थ्य शिक्षा का प्रशिक्षण देते हैं और स्थानीय भाषा में ग्रामीण और शहरी जनसमूहों दोनों के लिए स्वास्थ्य शिक्षा प्रकाशन सहित प्रचार सहायता मुहैया कराते हैं। सभी राज्यों में राज्य स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो राज्यों की आवश्यकताओं और स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम बनाने का काम देखते हैं।

(ग) स्वास्थ्य शिक्षा सामग्री प्रत्येक राष्ट्रीय स्वास्थय कार्यक्रम द्वारा तैयार की जाती है और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से रोगों से प्रभावित लोगों में बांटी जाती है। केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो ग्रामीण लोगों में जागरुकता पैदा करने के लिए विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्वास्थ्य स्कीमों में कार्य कर रहे कार्यक्रम अधिकारियों के साथ समन्वय रखता है।

वन्य प्राणियों का लुप्त होते जाना

1136. **श्रीमती जयन्ती पटनायक:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मणिपुरी हिरण, काला हिरण, एक सींगवाला गैंडा, एशियाई शेर, भारतीय गोडावण पक्षी, लिसिपिड हिरण तथा घड़ियाल जैसी कुछ लुप्तप्राय प्रजातियों के शीघ्र ही बिल्कुल लुप्त हो जाने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो लुप्त होती जा रही इन प्रजातियों को समुचित संरक्षण प्रदान करने के लिये सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) भारत में लुप्तप्राय समझी जाने वाली कुछ प्रजातियां निकोबार मेगापोडे, अंडमान टील, तिब्बती गजेली, तिब्बती एंटीलोप, पश्चिमी ट्रेगोपान, ब्लिथ्स ट्रेगोपान और बंगाल फ्लोरिकन हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

संकटापन्न प्रजातियों की सुरक्षा के लिए उठाए गए मुख्य कदमः

भारत में वन्यजीवों के संरक्षण के लिए हाल के वर्षों में अनेक शुरूआतें की गई हैं। मुख्य उपाय नीचे दिए गए हैः—

(क) देश में वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए समान कानून मुहैय्या कराने के लिए वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 नामक एक व्यापक कानून बनाया गया है तथापि, यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर जिसके पास इसी तरह का जम्मू और कश्मीर वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1978 है, में लागू होता है।

(ख) वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के द्वारा वन भूमि जो देश में वन्यजीवों के मुख्य वासस्थल हैं के अंधाधुंध वनेत्तर उपयोग पर नियंत्रण लागया जाता है।

(ग) देश में सुरक्षित वन क्षेत्रों के नेटवर्क में विस्तार करके इसमें 67 राष्ट्रीय उद्यानों और 398 अभयारण्यों को शामिल किया गया है। इसमें देश के भूमि क्षेत्र का लगभग 4 प्रतिशत और वन क्षेत्र का लगभग 15 प्रतिशत शामिल है।

(घ) संकटापन्न प्रजातियों को बचाने के लिए बाघ परियोजना और मगरमच्छ परियोजना जैसी विशेष परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं और ये सफल रही हैं।

(ङ) वन्य पशुओं, पक्षियों, पौधों और उनसे प्राप्त वस्तुओं के व्यापार और वाणिज्य तथा आयात और निर्यात पर कठोर नियंत्रण लगाया जाता है।

(च) संरक्षण चेतना, बन्दी प्रजनन और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों (बाघ रिजर्वों सहित) तथा चिड़ियाघरों के विकास हेतु सहायता देने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें शुरू की गई हैं। वन्य पशुओं के चोरी-छिपे शिकार पर रोक लगाने और संकटापन्न प्रजातियों के बंदी प्रजनन के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान नई स्कीमें आरम्भ की गई हैं।

(छ) वन्यजीव प्रबन्ध, वन्यजीव शिक्षा और अनुसंधान में प्रशिक्षण देने के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान नामक एक राष्ट्रीय स्तर के संस्थान की स्थापना की गई है।

(ज) भारत ने पांच महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय अभिसमयों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये हैं— वन्य प्राणिजात और वनस्पतिजात की संकटापन्न प्रजातियों में अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन (साइट्स) नम भूमि, ह्वेल का शिकार, प्रवासी प्रजातियों और प्रवासी पक्षियों पर रूस के साथ अभिसमय।

(झ) राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना को अपनाया गया है जो भविष्य में वन्यजीव संरक्षण के लिए योजना और कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं के आधारभूत ढांचे को प्रदान करेगी। इसके मुख्य घटक ये हैं:

—सुरक्षित क्षेत्रों के एक प्रतीकात्मक नेटवर्क की स्थापना करना।

—सुरक्षित क्षेत्रों और वासस्थलों की बहाली का प्रबन्ध।

—विविध उपयोग वाले क्षेत्रों में वन्यजीव सुरक्षा।

—संकटापन्न और खतरे में पड़ी प्रजातियों का पुनर्वास।

—बन्दी अवस्था में प्रजनन का कार्यक्रम।

53/23/LS/89 - 17

—वन्यजीव शिक्षा और व्याख्या।

—अनुसंधान और निगरानी।

—अन्तर्देशीय कानून और अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय।

—राष्ट्रीय संरक्षण योजना।

—स्वैच्छिक निकायों/गैर सरकारी संगठनों के साथ सहयोग।

यद्यपि अधिकांश घटकों पर कार्यवाही आरम्भ की गयी है फिर भी उठाए गए अधिक उल्लेखनीय कदम नीचे दिए गए हैं:

देश में सुरक्षित क्षेत्रों को सुदृढ़ बनाने और उसके नेटवर्क का विस्तार करने के उद्देश्य से सभी राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों और सुरक्षा प्रदान किए जाने वाले अन्य क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया है। वन्यजीव रिजर्वों की प्रबन्ध योजनाओं को तैयार करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किए गए हैं और इन्हें सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में परिचालित किया गया है।

वन्यजीव संरक्षण के लिए जन सहयोग प्राप्त करने हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किए गए हैं। इन्हें सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में परिचालित किया है।

वन्यजीव संरक्षण के लिए काफी विषयों को शामिल करने हेतु राष्ट्रीय वन नीति की पुनरीक्षा और उसकी समीक्षा की गई है।

वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 में और संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है।

बन्दी प्रजनन और पुनर्वास कार्यक्रमों को शुरू किया गया है।

कुछ राष्ट्रीय उद्यानों और चिड़ियाघरों में माडल व्याख्या सुविधाओं की स्थापना की जा रही है।

भारतीय वन्यजीव संस्थान ने वन्यजीव क्षेत्र में वन्यजीव प्रशिक्षण और अनुसंधान गतिविधियां आरम्भ की हैं।

वन्यजीव से संबंधित अपराधों का पता लगाने के लिए पुरस्कार दिए जा रहे हैं।

राज्यों में वन्य प्राणी संरक्षण

1137. **श्रीमती जयन्ती पटनायक:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों में वन्य प्राणी संरक्षण उतनी प्रभावी से नहीं हो रहा है जैसा कि होना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वन्य प्राणियों के संरक्षण के बारे में लोगों में जागरुकता पैदा करने हेतु कोई कदम उठाने का है;

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को क्या मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं; और

(घ) विभिन्न राज्यों में लोगों में जागरुकता पैदा करने हेतु उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) (क) और (ख) विभिन्न राज्यों में संरक्षण प्रयास हमेशा एक ही स्तर के नहीं होते हैं। भारत सरकार ने "वन्यजीव शिक्षा और व्याख्या कार्यक्रम" नामक केन्द्र द्वारा प्रयोजित स्कीम कार्यान्वित की है, जिसके तहत केन्द्र सरकार ने अब तक 18 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को कुल 58.63 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सम्बन्धित राज्य सरकारों ने भी इस कार्यक्रम के तहत बराबर का योगदान किया।

(ग) इस संबंध में राज्य सरकारों को जारी किए गए दिशा निर्देश "वन्यजीव संरक्षण के लिये जन समर्थन प्राप्त करना" नामक रिपोर्ट में दिए गए हैं।

(घ) वन्यजीव संरक्षण के लिए लोगों में जागरुकता उत्पन्न करने हेतु विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उठाये गये कदमों में प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में "वन्यजीव सप्ताह" के दौरान फिल्म शो, संगोष्ठियां, प्रदर्शनियां तथा प्रतियोगितायें आयोजित करना, विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों और चिड़ियाघरों में वन्यजीव शिक्षा और व्याख्या केन्द्रों की स्थापना करना, विशेषकर छात्रों के लिए राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में भ्रमण-दौरों, नेचर कैम्पों और ट्रकों का आयोजन करना नेचर क्लबों की रचना को प्रोत्साहन देना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में वन्यजीवों पर फिल्में दिखाने के लिये चलती-फिरती वन्यजीव शैक्षिक इकाइयों के लिए आधारभूत संरचना विकसित करना तथा संबंधित सूचना के प्रसार के लिए लोगों में पम्फलेट और लीफ्लेट वितरित करना शामिल है।

व्हाइट टाइगर सफारी, नंदनकानन (उड़ीसा)

1138. **श्रीमती जयन्ती पटनायक:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य में नंदनकानन स्थित देश के प्रथम "व्हाइट टाइगर सफारी" के रख-रखाव के लिए अतिरिक्त धनराशि प्रदान करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजना पर उड़ीसा सरकार ने अब तक कितनी धनराशि खर्च की है तथा इसके लिए केन्द्रीय सरकार ने कितनी धनराशि प्रदान की है; और

(ग) नंदनकानन स्थित "व्हाइट टाइगर सफारी" के विकास एवं रख-रखाव के लिए कितनी अतिरिक्त केन्द्रीय राशि आवंटित करने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) (क) जी, नहीं।

(ख) परियोजना अभी शुरू नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सिमिलीपाल नेशनल पार्क, उड़ीसा में वन्य प्राणियों का अनधिकार शिकार

1139. **श्री श्रीकांत दत्ता नरसिंहराज वाडियर** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में सिमिलीपाल नेशनल, पार्क, उड़ीसा में वन्य प्राणियों का बड़े पैमाने पर अनधिकार शिकार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो पड़ोसी राज्यों, बिहार और पश्चिम बंगाल से शिकार-चोरों के दल बार-बार सिमिलीपाल जंगलोन में प्रवेश कर वन्य प्राणियों का शिकार कर वापस लौट जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो अनधिकार शिकार को रोकने और सिमलीपाल नेशनल पार्क की सीमा पर गश्त बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री: (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) (क) उड़ीसा राज्य सरकार ने सूचित किया है कि हाल ही में सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में अनेक आदिवासियों ने प्रवेश किया और कुछ पशुओं को मारा।

(ख) सम्भव है कि चोरी छिपे शिकार के लिए जिन आदिवासियों ने अवैध रुप से सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश किया वे पड़ोसी राज्यों से आये हों।

(ग) उड़ीसा राज्य सरकार ने सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान की सीमा पर गश्त तेज कर दी

है। सिमिलीपहाड़ वन विकास निगम के कर्मचारियों सहित क्षेत्र में तैनात वन कर्मचारियों ने 9 चोरी छिपे शिकार करने वालों को पकड़ा है। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को बांघ परियोजना की केन्द्रीय प्रयोजित स्कीम के अन्तर्गत सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान की सुरक्षा और प्रबन्ध के लिए वित्तीय सहायता मुहैय्या करती है। 1988-89 के दौरान, सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के लिए केन्द्रीय सहायता के रुप में 25.424 लाख रुपये की राशि मुहैय्या की है। राज्य सरकार ने आवर्ती व्यय के 50 प्रतिशत के रूप में 9.88 लाख रुपए भी मुहैय्या किए हैं। अन्य बातों के साथ-साथ मौजूदा सुरक्षा नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए इन आबंटनों का उपयोग गश्त लगाने के लिए, सड़कों की मरम्मत, बेतार स्टेशनों, वाहनों की खरीद, हथियार और गोला बारुद और महत्वपूर्ण स्थानों पर फील्ड कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण के लिए किया जा रहा है।

केरल में परियोजनाओं के निर्माण हेतु पर्यावरण संबंधी मंजूरी

1140. **श्री सुरेश कुरुप:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल के वन क्षेत्रों में परियोजनाओं के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अधीन मंजूरी के लिए गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त हुए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) मंजूर किये गये, नामंजूर किए गये तथा राज्य सरकार को स्पष्टीकरण के लिए वापस भेजे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावों को नामंजूर करने के क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) (क) से (ग): एक विवरण संलग्न है

विवरण

क्र० सं.	प्रस्ताव का नाम	सम्मिलित वन क्षेत्र	वर्तमान स्थिति और रद्द करने के कारण
1	2	3	4
1.	नीलाम्बुर वन में हरिजन परिवारों को सिंचाई के लिए सालियार नदी पर पम्पसेट हेतु 11 के.वी. विद्युत लाइन	0.25	28.5.86 को मंजूर
2.	कन्नीलोन जिले में कालदा सिंचाई परियोजना से बेदखलियों का पुनर्वास	115.00 हे.	* 16.6.88 को आवश्यक ब्यौरे मांगे गये थे। सूचना न भेजे जाने के कारण रद्द कर दिया गया।
3.	पथनमथिट्टा जिले में अपुमपुकलम-थात्री ठोड विस्तर रोड	4.167 हे.	* 14.7.86 को आवश्यक ब्यौरे मांगे गये थे। सूचना न भेजे जाने के कारण रद्द कर दिया गया।
4.	पथनमथिट्टा, इदुक्की, त्रिचूर और एरनाकुलम जिलों में कृषि अधिभोक्ताओं को आबंटन	28.588.159 हे.	* केरल उच्च न्यायालय ने इदुक्की जिले में वन भूमियों के स्थानांतरण को स्थगित रखा हुआ है। न्यायालय के अन्तिम निर्णय के बाद ही इस पर निर्णय लिया जा सकता है।
5.	त्रिचूर जिले में उदुमलपेट से त्रिचूर तक 400 के.वी. पारेषण लाइन	6.24 हे.	23.7.86 को मंजूर
6.	त्रिचूर जिले में हाई अल्टीच्यूट हिमिया रिसर्च स्टेशन लेबोरेटरी कॉम्पलेक्स और फार्म की स्थापना	25.43 हे.	* 4.9.86 को आवश्यक ब्यौरे मांगे गये। सूचना न भेजे जाने के कारण रद्द कर दिया गया।

1	2	3	4
7.	इदुक्की जिले में पयामकुट्टी जल विद्युत परियोजना चरण-I	3001.8 हे.	* 19.1.88 आवश्यक ब्यौरे मांगे गये। सूचना न भेजे जाने के कारण रद्द कर दिया गया।
8.	त्रिचूर जिले में त्रिचूर से कोलीकोड तक 220 के.वी.डी./सी. पारेषण लाइन	28.00 हे.	* 9.6.88 को आवश्यक ब्यौरे मांगे गये। सूचना न भेजे जाने के कारण रद्द कर दिया गया।
9.	इदुक्की और एरनाकुलम जिलों में लोअर पेरियार से कोचीन तक 220 के.वी.डी./सी. पारेषण लाइन	21.054 हे.	* 11.8.88 को आवश्यक ब्यौरे मांगे गयेथे। सूचना न भेजे जाने के कारण रद्द कर दिया गया।
10.	क्वीलोन जिले के मैलामुदु में कुआं और पम्प हाउस जल आपूर्ति स्कीम का निर्माण	0.075 हे.	2.11.88 को मंजूर
11.	त्रिचूर जिले में अतिरिक्त विद्युत उत्पादन करने के लिए पौरिंगलकुथु से इदमलयार के अतिरिक्त पानी के उपयोग के लिए नहर का निर्माण	7.5 हे.	18.4.88 को मंजूर
12.	पटनमथिट्टा जिले में श्री मणि वरगीज (उच्च न्यायालय का आदेश) का कार्यभार	0.81 हे.	* 17.10.88 को आवश्यक ब्यौरे मांगे गये थे। सूचना न भेजे जाने के कारण रद्द कर दिया गया।
13.	क्वीलोन जिले में चेरुकाराकनी आदिवासी कालोनी में विद्युतीकरण	450 वर्ग मी.	* 19.4.88 को आवश्यक ब्यौरे मांग गए थे। सूचना न भेजे जाने के कारण रद्द कर दिया गया।
14.	क्वीलोन जिले में वांचीयोदु में आदिवासी कालोनी में विद्युतीकरण	1.92 हे.	* 25.4.88 को आवश्यक ब्यौरे मांगे गए थे। सूचना न भेजे जाने के कारण रद्द कर दिया गया।
15.	क्वीलोन जिले में 66 के.वी. पारेषण लाइन	1.305 हे.	* 10.5.88 को आवश्यक ब्यौरे मांगे गए थे। सूचना न भेजे जाने के कारण रद्द कर दिया गया।
16.	त्रिचूर जिले में काकीनाकाडू आदिवासी कालोनी में जल पाइन लाइन बिछाना	2.00 मी. (लम्बी)	* 17.5.88 को आवश्यक ब्यौरे मांगे गए थे। सूचना न भेजे जाने के कारण रद्द कर दिया गया।
17.	पथनमथिट्टा जिले में साबरीमाला में जल आपूर्ति स्कीम	0.5 हे.	* 15.6.88 को आवश्यक ब्यौरे मांगे गए थे। सूचना न भेजे जाने के कारण रद्द कर दिया गया।
18.	मालापुरम जिले में टेलीफोन लाइन का विस्तार	65 मी. (लम्बाई)	* 15.6.88 को आवश्यक ब्यौरे मांगे गए थे। सूचना न भेजे जाने के कारण रद्द कर दिया गया।
19.	एरनाकुलम / इदुक्की जिलों में मुख्य नहर इदमलयार सिंचाई परियोजना का निर्माण	115.47 हे.	2.8.88 को आवश्यक ब्यौरे मांगे गए थे। सूचना न भेजे जाने के कारण रद्द कर दिया गया।
20.	पालघाट जिले में 11 के. वी. पारेषण लाइन	0.255 हे.	20.9.88 को मंजूर
21.	इदुक्की जिले में इदुक्की विकास प्राधिकरण के लिए जिला मुख्यालय और टाउनशिप	397.04 हे.	* सूचना न भेजे जाने के कारण रद्द कर दिया गया।
•22.	त्रिवेन्द्रम जिले में भूमिगत केबल	9 वर्ग मी.	5.1.89 को मंजूर
23.	कोट्टायम जिले में विद्युत लाइन की अनुमति	1.2 कि॰मी॰	* 22.12.88 को आवश्यक ब्यौरे मांगे गए थे, सूचना न भेजे जाने के कारण रद्द कर दिया गया।
24.	त्रिचूर जिले में चिमोनी बांध का निर्माण	864.433 हे.	9.2.88 को आवश्यक ब्यौरे मांगे गए थे। सूचना न भेजे जाने के कारण रद्द कर दिया गया।

*नवीनतम प्रक्रिया के अनुसार जिन प्रस्तावों के बारे में एक माह की निर्धारित अवधि के भीतर मांगे गये ब्यौरे न भेजे जाने के कारण उन्हें रद्द कर दिया जाता है और पूरी सूचना भेजने पर इन प्रस्तावों पर पुनः विचार किया जा सकता है।

मधुमेह के रोगियों के बारे में सर्वेक्षण तथा इस रोग की रोकथाम के उपाय

1141. **श्री कमला प्रसाद सिंह:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस बात का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है कि इस देश में अधिकाधिक लोग मधुमेह के रोगी क्यों होते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्याहै तथा मधुमेह रोगी होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस रोग की रोकथाम के लिए क्या कदम् उठाये गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे)(क)और(ख): भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने 1971 में अहमदाबाद, कटक, कलकत्ता, दिल्ली, पुणे और त्रिवेन्द्रम के 6 केन्द्रों में मधुमेह मेलीटस के लिए एक सर्वेक्षण आयोजित किया था । 15 वर्ष से अधिक आयु के शहरी और ग्रामीण लोगों की जांच की गई । कुल 34316 लोगों की जांच की गई जिनमें से 15228 ग्रामीण क्षेत्रों से थे और 19088 शहरी क्षेत्रों से थे। शहरी क्षेत्रों में व्यापकता पर 2.1 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 1.5 प्रतिशत थी । अध्ययन में मधुमेह मेलीटस की समग्र व्यपकता दर 1.8 प्रतिशत पाई गई।

(ग) सरकार जिला मधुमेह नियंत्रण कार्यक्रम शुरु कर रही है जिसमें शुरु में, प्रायोगिक आधार पर, देश के पांच जिलों को कवर करने की आशा है जहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य उपचर्या परीक्षण प्रक्रिया को राष्ट्रीय स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं में शामिल कर लिया जाएगा । एकीकरण इस कार्यकम का मूल्य बल मधुमेह मेलीटस की रोकथाम पर होगा। । इस कार्यक्रम का उद्देश्य मधुमेह मेलीटस की सामुदायिक शिक्षा देना और जागरुकता पैदा करना भी होगा । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, जीवन रक्षक औषध इन्सुलिन देने की व्यवस्था भी की जा रही है।

स्ववित्तपोषी योजना के फ्लैट

1142. **श्री कमला प्रसाद सिंह :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) गत तीन वर्षों के दौरान स्ववित्तपोषी योजना के कितने फ्लैट बिना पारी के आबंटित किये गये ; और

(ख) क्या "हुडको" योजना के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्तियों को यह विकल्प दिया गया था कि वे स्ववित्तपोषी योजना के अन्तर्गत फ्लैट लेने हेतु अनुरोध कर सकते हैं ; यदि हां, तो ऐसा अनुरोध करने वाले व्यक्तियों में से कितने व्यक्तियों को फ्लैट आबंटित किये गये हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) (क) 139

(ख) जी, हां। चूंकि स्व-वित्त पोषण योजना-V को परिवर्तित किये जाने के पश्चात् वे योजना-V के अन्य पंजीकृत व्यक्तियों के बराबर हैं, इसलिए दिल्ली विकास प्राधिकरण में ऐसे परिवर्तन मामलों का अलग रिकार्ड रखना आवश्यक नहीं समझा । अतः उन परिवर्तन मामलों की संख्या उपलब्ध नहीं है, जहां फ्लैटों का आबंटन स्व-वित्त पोषण योजना-V के अन्तर्गत किया गया था ।

पंजीकरण को स्व-वित्त पोषण योजना में बदलना

1143. **श्री कमला प्रसाद सिंह :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यू पैर्टन हुडको स्कीम, 1979 के अन्तर्गत पंजीकृत कुछ व्यक्तियों ने वर्ष 1980 के दौरान अपना पंजीकरण स्व-वित्त पोषण योजना (तीन) में बदलने का अनुरोध किया था ;

(ख) क्या हुडको के अन्तर्गत मध्य आय वर्ग के फ्लैटों को स्व-वित्त पोषण योजना III में परिवर्तित करने का प्रावधान था, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या अब इन आवेदकों को अपना पंजीकरण बदलने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जी हां। हुडको से स्व-वित्त पोषित योजना-V (एस. एफ. एस. V) में परिवर्तन के लिए पहले की अनुमति दे दी गई है ।

[हिन्दी]-

कुष्ठ रोगियों के बच्चों को विशेष सुविधा

1144. **डा० प्रभात कुमार मिश्र :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने कुष्ठ रोगियों के स्वस्थ बच्चों को रोजगार दिलाने अथवा कोई उद्योग स्थापित करने के लिए विशेष सुविधा प्रदान की है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या नियम बनाए गए हैं और तत्संबंधी उपलब्धि क्या है ; और

(ग) क्या बिलासपुर जिले के चम्पा नगर पालिका क्षेत्र में ऐसे बच्चों को इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान नहीं की गई हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) (क) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत स्वस्थ बच्चों को रोजगार दिलाने अथवा कोई उद्योग स्थापित करने के लिए कोई विशेष सुविधा देने की कोई स्कीम नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

बाबा खड़क सिंह मार्ग पर बहुमंजिले फ्लैटों के "सर्वेंट क्वार्टरों" में बिजली और पानी के कनेक्शन

1145. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई दिल्ली नगर पालिका और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मध्य कुछ विवाद के परिणाम स्वरूप बाबा खड़क सिंह मार्ग स्थित बहुमंजिले फ्लैटों के सर्वेंट क्वार्टरों में बिजली और पानी के कनेक्शन प्रदान करने में देरी हो रही है ; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ख) यह विवाद कब तक हल हो जाने की आशा है और बहुमंजिले क्वार्टरों में रह रहे संसद सदस्यों को ये सर्वेंट क्वार्टर कब तक आबंटित कर दिए जायेंगे ;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) (क) और (ख): नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा पानी और बिजली के कनेक्शन, पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने के पश्चात् दिए जाते हैं। तथापि जब तक सड़क को चौड़ा करने के लिए नगर पालिका को निःशुल्क भूमि आबंटन करने हेतु सरकार द्वारा कोई वचन नहीं दिया जाता है, तब तक के लिए नई दिल्ली नगर पालिका ने बाबा खड़क सिंह मार्ग, नई दिल्ली में बहु-मंजिले फ्लैटों के सर्वेन्ट क्वार्टरों के बारे में अब तक पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया है।

[अनुवाद]

हस्तशिल्प के विकास के लिए स्वीकृत की गई धनराशि

1146. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल:**
श्री एच० बी० पाटिल

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आगामी वित्त वर्ष के दौरान हस्तशिल्प के विकास के लिए मंजूर की गई धनराशि का ब्यौरा

क्या है; और

(ख) इसके लिए राज्य-वार आबंटन का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम): (क) अगले वित्तीय वर्ष 1989-90 के दौरान हस्तशिल्प के विकास के लिए, केन्द्रीय क्षेत्र में व्यय का विवरण संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ख) कोई राज्यवार आबंटन नहीं किया जाता है।

विवरण

क्र० सं०	योजना स्कीम का नाम	(लाख रु० में) 1989-90 के दौरान हस्तशिल्प के विकास के लिए परिव्यय
क.	सतत योजनाएं	
1.	शिल्पियों की पूर्व-परम्परा को सुरक्षित करना।	95.00
2.	आर्थिक तथा शिल्प अनुसंधान सर्वेक्षण एवं बाजार अध्ययन	20.00
3.	प्रदर्शनी तथा प्रचार	165.00
4.	नए बिक्री केन्द्र खोलने तथा उनका नवीकरण करने के लिए केन्द्रीय निगमों को वित्तीय सहायता	10.00
5.	बिक्री केन्द्रों को खोलने तथा उनका नवीकरण करने के लिए राज्य निगम / शीर्ष सहकारी समितियों के लिए वित्तीय सहायता	45.00
6.	औद्योगिक सहकारी आवास-सह-कर्मशेड	1.00
7.	केन्द्रीय / राज्य हस्तशिल्प निगम / शीर्ष सहकारी समितियों में शेयर सहभागिता	15.00
8.	विपणन और सेवा विस्तार केन्द्र	130.00
9.	डिजाइन और तकनीकी विकास	120.00
10.	सामान्य सुविधा केन्द्र / कच्चे माल के डिपो	80.00
11.	प्रशिक्षण	825.00
12.	हस्तशिल्पों के लिए राज्य प्रमुख सहकारी समितियों को सहायता	10.00
13.	निर्यात संवर्धन / विनियमन	2.00
14.	सम्पदा और कल्याण सहित अन्य कार्यकलाप	17.00
कुल	क: सतत योजनाएं	1535.00
कुल	ख: नई योजनाएं	—
कुल	ग: एन ई एस एस डी सी (संवर्धनात्मक तथा विकास कार्यकलाप)	40.0
कुल योग:		1575.00

अस्पतालों में डाक्टरों तथा अन्य कर्मचारियों द्वारा बार-बार हड़ताल

1147. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अस्पतालों के डाक्टरों, तथा अन्य कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली हड़तालों की संख्या में

वृद्धि होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितनी-कितनी हड़तालें हुईं;

(ग) क्या केंद्रीय सरकार ने चिकित्सा कार्मिकों द्वारा बार-बार हड़ताल किये जाने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच समिति गठित की है और यदि हां, तो समिति के सदस्यों और निर्देश पदों का ब्यौरा क्या है तथा यह कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का इस स्थिति से किस प्रकार निपटने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में खाद्य सामग्री की सप्लाई में कटौती

1148. **डा० गौरीशंकर राजहंस:**
श्री श्रीकान्त नरसिंहराज वांडियर:

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में उचित दर दुकानों के खाद्यान्नों (चावल और गेहूं के कोटे में भारी कटौती की है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का उन्हें पुनः उतना ही कोटा देने का विचार है जितना कि पहले दिया जाता था; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दिल्ली में उचित दर दूकानों के माध्यम से सप्लाई की जाने वाली खाद्य सामग्री की सप्लाई अनियमित है और घटिया किस्म की खाद्य सामग्री सप्लाई की जाती है; और

(घ) यदि हां, तो इसमें सुधार के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा): (क) भारत सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को प्रत्येक मास चावल और गेहूं का आबंटन करती है। उचित दर की दुकानों को गेहूं और चावल का उप-आबंटन करने की जिम्मेदारी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की होती है। दिल्ली प्रशासन को 1989 के दौरान आबंटित किए गए खाद्यान्नों के कोटे का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(हजार मीटरी टन में)

	जनवरी, 1989	फरवरी, 1989	मार्च, 1989
चावल	25	20	20
गेहूं	50	60	60

(ख): भरपूर फसल होने के फलस्वरूप खुले बाजार में चावल की अधिक उपलब्धता हो जाने, केन्द्रीय पूल में स्टाक और प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश की सापेक्ष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए फरवरी, 1989 से राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के लिए चावल और गेहूं के आबंटनों को युक्तियुक्त कर दिया गया है। इन आबंटनों की प्रत्येक मास समीक्षा की जाती है।

(ग) से (घ) दिल्ली प्रशासन को गेहूं और चावल की आपूर्ति प्रमुख वितरण केन्द्रों पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जाती है और इनका उचित दर की दूकानों को आगे वितरण करने की जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा सामान्यतया नियमित रूप से और विनिर्दिष्टियों के अन्दर गेहूं और चावल की आपूर्तियां की जाती हैं। आपूर्तियों में कठिनाइयां होने के छुट-पुट मामलों,

यदि कोई होते हैं, की तत्काल पहचान की जाती है और उनका दिल्ली प्रशासन और भारतीय खाद्य निगम द्वारा आपस में मिलकर समाधान किया जाता है ।

भारतीय खाद्य निगम में अधिकारियों की नियुक्ति

1149. **प्रो॰ नारायण चन्द पराशर:** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम ने राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार से "डेपूटेशन" पर अनेक अधिकारी नियुक्त किये हैं; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इन्हें किन शर्तों पर नियुक्त किया गया था तथा प्रत्येक मामले में कितने समय के लिए "डेपुटेशन" पर नियुक्त किया गया है; और

(ग) क्या इनमें से कुछ अधिकारियों की भारतीय खाद्य निगम में स्थायी नियुक्ति कर दी गई है तथा यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी॰ एल॰ बैठा): (क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान श्रेणी-1 के 41 अधिकारियों और श्रेणी-2 के 3 अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर लिया गया था ।

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्य और केन्द्रीय सरकारों से प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों की नियुक्ति निगम और उधारदाता कार्यालय के बीच आपस में तयशुदा शर्तों पर की जाती है। सामान्यतया प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों की नियुक्ति तीन वर्षों की अवधि के लिए की जाती है ।

(ग) जी नहीं ।

[हिन्दी]

खेजड़ी वृक्षारोपण

1150. **श्री कमला प्रसाद रावत:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का खेजड़ी वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने हेतु नर्सरी लगाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उत्तर प्रदेश के जिलों विशेषकर बाराबंकी जिले में, कहां-कहां पर ऐसी नर्सरी लगाने की संभावना है तथा इनको कब लगाया जायेगा ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) राजस्थान, गुजरात और हरियाणा राज्यों में शुष्क क्षेत्रों के लिए खेजड़ी उपयुक्त है। इन राज्यों में इस प्रजाति की पौधों को पौधशालाओं में उगाया जाता है। केवल खेजड़ी के लिए पौधशालाएं अलग से स्थापित नहीं की जा रही हैं।

(ग) उत्तर प्रदेश, जिसमें बाराबंकी जिला भी शामिल है, में खेजड़ी की पौधशालाएं उगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली में बच्चों में श्वास रोगों की वृद्धि

1151. **श्री कमला प्रसाद रावत:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में श्वास रोगों से पीड़ित होने वाले बच्चों

की संख्या में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या हैं तथा श्वास रोगों से पीड़ित बच्चों की संख्या कितनी है; और

(घ) यदि नहीं, तो कोई सर्वेक्षण न किए जाने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) 1984 से 1987 तक उपलब्ध सूचना के अनुसार दिल्ली के बच्चों में हर वर्ष श्वास रोगों में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

धागा मूल्य स्थायीकरण समिति द्वारा की गई सिफारिशें

1152. **श्री के० राममूर्ति:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अखिल भारतीय हथकरघा तथा हस्तशिल्प बोर्ड द्वारा गठित धागा मूल्य स्थायीकरण समिति ने क्या सिफारिशें की हैं; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) अखिल भारतीय हथकरघा तथा हस्तशिल्प बोर्ड सम्बन्धी स्थायी समिति द्वारा स्थापित धागा मूल्य स्थिरीकरण उप समिति ने अभी अपनी अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वेतन, आय और मूल्य नीति संबंधी राष्ट्रीय आयोग

1153. **श्री शरद दिघे:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वेतन, आय और मूल्य नीति संबंधी एक ऐसे राष्ट्रीय आयोग के गठन पर विचार कर रही है, जो देश में एक ऐसी यथार्थ वेतन नीति निर्धारित करे जिससे संगठित और असंगठित क्षेत्रों में विद्यमान वेतनमानों के बीच उचित संतुलन स्थापित हो जाये; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा आयोग कब स्थापित किया जायेगा?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय): (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। राष्ट्रीय मजदूरी नीति तैयार करने के प्रश्न के बारे में समय समय पर विभिन्न मंचों पर विचार किया गया है। इस मामले के बारे में 23 सितम्बर, 1985 को श्रम राज्य मंत्रियों के ग्रुप द्वारा विचार-विमर्श किया गया था तथा बहुमत यह था कि इस अवस्था में राष्ट्रीय मजदूरी नीति तैयार करना व्यवहार्य नहीं हो सकता। 25-26 नवम्बर, 1985 को हुए भारतीय श्रम सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी के व्यवहार्य होने तक क्षेत्रीय न्यूनतम मजदूरी का होना वांछनीय होगा जिसके लिए केन्द्रीय सरकार दिशा निर्देश निर्धारित करे। यह दिशा निर्देश जुलाई, 1987 में परिचालित किए गए थे।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

समरक्त विवाहों का प्रभाव

1154. **श्री सोमनाथ रथ:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि समरक्त विवाह का भ्रूण वृद्धि एवं बच्चों के विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के विवाह को रोकने के लिए क्या उपाय करने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे): (क) पांडिचेरी में किए गए एक अध्ययन के अनुसार गैर-समरक्त वाले परिवारों के मुकाबले समरक्त विवाहों में कुरचना की दर विशेष रूप से ज्यादा थी (19.4 प्रति हजार के मुकाबले 41.4) मद्रास में किए गए दूसरे अध्ययन से समरक्त विवाहों की संतति में कुरचना की दर में निश्चित वृद्धि का पता लगता है। तथापि मानसिक मंदन के आनुवंशिक कारणों का पता लगाने पर भारतीय आर्युविज्ञ अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए अन्य बहु केन्द्रिक अध्ययन से पता चलता है कि बंगलौर केन्द्र पर समरक्तता की बढ़ती घटनाओं के बावजूद चयापचयी दोषों एवं अभिसेम आनुवंशिक संलक्षणों के समग्र मामले अन्य केन्द्रों से ज्यादा नहीं थे।

(ख) इस संबंध में लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा की जानकारी से ऐसे विवाहों पर रोक लगेगी। फील्ड के साथ- साथ चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सा अधिकारी और अर्ध-चिकित्सा कार्मिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं।

[हिन्दी]

आन्ध्र प्रदेश में हुई हिंसक घटनाओं में केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति की क्षति

1155. **श्री हरीश रावत:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में आन्ध्र प्रदेश के कुछ भागों में हुई हिंसक घटनाओं के परिणाम स्वरूप केन्द्रीय सरकार की कुछ सम्पत्ति क्षतिग्रस्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहाँ इस तरह की हिंसा की घटनाएं हुईं और केन्द्रीय सरकार की विभिन्न विभागों की कुल कितनी सम्पत्ति का नुकसान हुआ है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

12.00 मध्याह्न

सभा पटल पर रखे गए पत्र

नार्थ ईस्टर्न हैण्डलूम्स डिवेलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड शिलांग और इण्डियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल बम्बई के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन और उनके कार्यकरण की समीक्षा और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण

[अनुवाद]

वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): महोदय में निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) नार्थ ईस्टर्न हैण्डलूम्स डिवेलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नार्थ ईस्टर्न हैण्डलूम्स डिवेलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, शिलांग का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षत लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 7398/89]

(3) (एक) इण्डियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रोमोशन कांउसिल, बम्बई के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इण्डियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, बम्बई के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 7399/89]

वित्त अधिनियम, 1979 और सीमा शुल्क-अधिनियम 1962 के अंतर्गत अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) वित्त अधिनियम, 1979 की धारा 41 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा० का० नि० 1152 (अ) जो 7 दिसम्बर 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 7 से 8 दिसम्बर, 1988 तक भारत के दौरे पर आये मालदीव गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री मौमून अब्दुल गयूम तथा शिष्टमंडल के अन्य सदस्यों को विदेश यात्रा कर के संदाय से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० का० नि० 1153 (अ), जो 7 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 6 से 14 दिसम्बर, 1988 तक भारत के दौरे पर आये यमनी सोशलिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के सदस्य और यमन जनवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य के विदेश मंत्री महामहिम डा० अब्दुल अजीज अल-दाली तथा शिष्टमंडल के अन्य सदस्यों को विदेश यात्रा करके संदाय से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० का० नि० 8 (अ), जो 6 जनवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 7 से 13 जनवरी, 1989 तक भारत के दौरे पर आये माल्टा के प्रधान मंत्री महामहिम डा० एडवर्ड फैनेक-अदामी तथा शिष्टमंडल के अन्य सदस्यों को विदेश यात्रा कर के संदाय से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा० का० नि० 45 (अ), जो 20 जनवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे

तथा जो 23 से 29 जनवरी, 1989 तक भारत के दौरे पर आये वियतनाम के साम्यवादी दल की केन्द्रीय समिति के महासचिव महामहिम श्री निग्यून वैन लिन तथा शिष्टमंडल के अन्य सदस्यों को विदेश यात्रा कर के संदाय से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा० का० नि० 65 (अ), जो 31 जनवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 1 से 4 फरवरी, 1989 तक भारत के दौरे पर आये फ्रांस के राष्ट्रपति महामहिम फ्रैंकोइस मितरां तथा शिष्टमण्डल के अन्य सदस्यों को विदेश यात्रा कर के संदाय से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा० का० नि० 66 (अ), जो 31 जनवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 28 जनवरी से 1 फरवरी 1989 तक भारत के दौरे पर आये जिबोटी के विदेश कार्य और सहकारिता मंत्री महामहिम मोमिन बाहदोन फराह तथा शिष्टमंडल के अन्य सदस्यों को विदेश यात्रा कर के संदाय से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा० का० नि० 82(अ), जो 6 फरवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 9 से 12 फरवरी, 1989 तक भारत के दौरे पर आये आस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री माननीय आर० जे० एल० हाक, एसी, एमपी तथा शिष्टमंडल के अन्य सदस्यों को विदेश यात्रा कर के संदाय से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा० का० नि० 83 (अ), जो 6 फरवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 2 फरवरी, 1989 से 14 फरवरी, 1989 तक भारत के दौरे पर आये महामहिम आगा खां तथा शिष्टमंडल के अन्य सदस्यों को विदेश यात्रा कर के संदाय से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 7400/89

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा० का० नि० 1108 (अ), जो 30 नवम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मई, 1982 की अधिसूचना संख्या 127/82—सी० शु० तथा 30 नवम्बर, 1988 की अधिसूचना संख्या 513/86— सी०शु० तथा 516/86—सी०शु० की वैधता अवधि 31 दिसम्बर, 1988 तक बढ़ाई गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० का० नि० 1110 (अ), जो 1 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मुख्य रूप से शैक्षिक किस्म के वीडियो कैसेटों तथा वीडियो टेपों को सम्पूर्ण अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० का० नि० 1162(अ), जो 9 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के अध्याय 28, 71 या 74 के अन्तर्गत आने वाले तांबे के रिबर्ट, तांबा मुक्तशेष एनोड या तांबा एनोड अबयक से उत्पादित मदों, जिन्हें टोल प्रगलन या टोल प्रसंस्करण के लिए भारत के बाहर भेजा गया हो, जब उ का भारत में आयात किया जाए, की उस पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क के उतने भाग से, 25 मार्च, 1988 की अधिसूचना संख्या 110/88— सीमा-शुल्क को अधिक्रांत करते हुए, छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा० का० नि० 1179(अ), जो 15 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विद्युत पारेषण प्रणाली, मिट्टी हटाने की मशीन फोर्क लिफ्ट, ट्रकों और लोकोमोटिवों

के लिए अपेक्षित संघटकों को कुछ शर्तों के अध्यधीन मूल्यानुसार 45 प्रतिशत से अधिक मूल सीमा-शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा० का० नि० 1183(अ), जो 16 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए तथा जिनके द्वारा 17 फरवरी, 1986 की अधिसूचना संख्या 136 / 88-सी० शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा० का० नि० 1199(अ), जो 28 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कतिपय संशोधन किए गए हैं, ताकि 24 दिसम्बर, 1986 की अधिसूचना संख्या 502/86 सी० शु० की वैधता अवधि 31 मार्च, 1990 तक बढ़ाई जा सके तथा 28 दिसम्बर, 1988 की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1219(अ), में प्रकाशित उसका शुद्धि-पत्र तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा० का० नि० 1200(अ), जो 28 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ऐसे मोटरयानों के ईंधन दक्ष मानदण्डों को संशोधित करना है तथा 24 दिसम्बर, 1986 की अधिसूचना संख्या 503 / 86-सी० शु० की वैधता अवधि को 31 मार्च, 1990 तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा० का० नि० 1204(अ), जो 23 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 22 सितम्बर, 1981 की अधिसूचना संख्या 208 / 81 सी० शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि वैकुरोनियम ब्रोमाइड इन्जेक्शन को छूट प्राप्त औषधियों और दवाइयों की सूची में शामिल किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा० का० नि० 1227(अ), जो 29 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 2 अगस्त 1976, की अधिसूचना संख्या 341 / 76-सी० शु० में संशोधन करना है तथा इस अधिसूचना की वैधता अवधि 31 मार्च, 1993 तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा० का० नि० 1229(अ), जो 30 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र मे प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 जनवरी, 1985 की अधिसूचना संख्या 13 / 85-सी० शु० की वैधता अवधि 31 दिसम्बर, 1993 तक बढ़ाई गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा० का० नि० 1234(अ), जो 30 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कुछ विनिर्देशनों के कार्बन ब्लैक फीड-स्टाक पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क को कम करके 800 /- रु० प्रति किलोलीटर करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा० का० नि० 1237(अ), जो 30 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 जनवरी, 1988 की अधिसूचना संख्या 1/88-सी० शु० की वैधता अवधि 31 मार्च, 1989 तक बढ़ाई गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा० का० नि० 1238(अ), जो 31 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें ऐसे माल का उल्लेख किया गया है कि जब उस माल का तट पर तेल निकालने के लिए आयात किया जाये तो उन पर मूल्यानुसार 25 प्रतिशत मूल सीमा-शुल्क लगेगा तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा० का० नि० 1239 (अ), जो 31 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र मे प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें ऐसे माल का उल्लेख किया गया है कि जब उस माल का तट से दूर तेल निकालने के लिये आयात किया जाऐ तो उस पर मूल्यानुसार 25 प्रतिशत मूल सीमा-शुल्क लगेगा तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा० का० नि० 1240 (अ), जो 31 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित

हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 दिसम्बर, 1988 की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1238(अ) तथा सा० का० नि० 1239(अ) के अंतर्गत आने वाले माल को उस पर उदग्रहणीय सम्पूर्ण उपबंगी सीमा-शुल्क से छूट दी गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा० का० नि० 1241 (अ), जो 31 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मई, 1982 की अधिसूचना संख्या 127/82-सी० शु०, 10 सितम्बर, 1982 की अधिसूचना संख्या 210/82—सी० शु० तथा 30 दिसम्बर, 1986 की अधिसूचना संख्या 513/86-सी. शु. तथा 514/86-सी. शु. में संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन

(सत्रह) सा. का. नि. 4 (अ), जो 5 जनवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ऐसे औजारों, उपसाधनों, कंप्यूटर यंत्रेतर सामग्री को सम्पूर्ण मूल तथा अतिरिक्त सीमा शुल्कों से छूट देना है जिनकी आवश्यकता लाइट कंबेट एअरक्राफ्ट प्रोग्राम के प्रयोजनों के लिए होती है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा. का. नि. 21 (अ), जो 12 जनवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय बटन सेलों के विनिर्दिष्ट संघटकों पर 25 प्रतिशत रियायती मूल सीमा-शुल्क तथा "शून्य" अतिरिक्त शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा. का. नि. 22 (अ), में जो 12 जनवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 12 जनवरी, 1989 की अधिसूचना संख्या 5/89-सी. शु. के अन्तर्गत आने वाले माल पर मूल्यानुसार 30 प्रतिशत उपबंगी सीमा-शुल्क निर्धारित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा. का. नि. 23 (अ), जो 12 जनवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 16 सितम्बर, 1988 की अधिसूचना संख्या 250/88-सी. शु. के अन्तर्गत आने वाली मद के विवरण में संशोधन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा. का. नि. 31 (अ), जो 16 जनवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कुछ शर्तों के अध्यधीन लोक पोषित अनुसंधान संस्था अथवा विश्वविद्यालय द्वारा भारत में आयात किये गये उपभोक्ता माल को सम्पूर्ण मूल तथा अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा. का. नि. 32 (अ), जो 16 जनवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 16 जनवरी, 1989 की अधिसूचना संख्या 8/89-सी. शु. के अन्तर्गत आने बाले माल को उपबंगी सीमा-शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा. का. नि. 33 (अ), जो 16 जनवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 26 मार्च, 1981 तथा 22 सितम्बर, 1987 की अधिसूचना संख्या क्रमशः 70/81-सी. शु. तथा 321/87-सी. शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा. का. नि. 48 (अ), जो 23 जनवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 दिसम्बर, 1988 की अधिसूचना संख्या 333/88-सी. शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि जिससे अधिसूचना के साथ संलग्न सारिणी में मदों की सूची का विस्तार किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) सा. का. नि. 49 (अ), जो 23 जनवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 दिसम्बर, 1988 अधिसूचना संख्या 334/88-सी. शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं जिससे अधिसूचना के साथ संलग्न सारिणी में मदों की सूची का विस्तार किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) सा. का. नि. 50(अ), जो 24 जनवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 18-1-86 की अधिसूचना संख्या 464 / 86- सी० शु० 1-3-88 की 15 / 88 सी० शु० और 1-3-88 की 16 / 88- सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि कीटनाशी दवाईयों के मध्यवर्तियों अर्थात् क्लोरों-2,6, डाइथाइल एन-(कलोरो मिथाइल) एसिटैनिलाइड पर मूल्यानुसार 15 प्रतिशत की वर्तमान प्रतिसंतुलनकारी शुल्क छूट और रियायती मूल शुल्क को वापस लिया जा सके। इन रसायनों पर अब मूल्यानुसार 70 प्रतिशत के हिसाब से मूल शुल्क और मूल्यानुसार 15 प्रतिशत का प्रतिसंतुलनकारी शुल्क उद्ग्रहणीय होगा तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्ताईस) सा. का. नि. 51 (अ), जो 24 जनवरी, 1989 के भारत के राजपत्र मे प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 1988 की अधिसूचना संख्या 223 / 89-सी० शु० को विखंडित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठाईस) सा.का.नि. 71(अ) जो फरवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 22 सितम्बर, 1981 की अधिसूचना संख्या 208 / 81- सी० शु० और 1 मार्च, 1988 की 65 / 88- सी० शु० में संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनतीस) सा. का. नि. 72 (अ), जो 1 फरवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट वस्तुओं को मूल और अतिरिक्त सीमा-शुल्कों से छूट दी गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन

(तीस) सा. का. नि. 73 (अ), जो 1 फरवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 फरवरी, 1989 की अधिसूचना संख्या 72 (अ) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं को उपचंगी सीमा-शुल्क से छूट दी गई है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इकतीस) सा. का. नि. 76 (अ), जो 2 फरवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय भारी (बल्क) "लिकोमाइसिन हाइड्रोक्लोराइड" पर मूल सीमा-शुल्क से उस स्थिति में छूट देना है जब इसका आयात लिकोमाइसिन हाइड्रोक्लोराइड कैपसूल, शर्बत और इंजेक्शन के विनिर्माण के लिए किया जाए तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बत्तीस) सा. का. नि. 89 (अ), जो 8 फरवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2 जुलाई, 1980 की अधिसूचना संख्या 132-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि भारत-नेपाल व्यापार संधि, 1978 के अधीन भारत में अधिमानी प्रवेश के लिए अर्हित करने हेतु नेपाली मूल क्रे नौ और उत्पादों को जोड़ा जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तैंतीस) का० आ० 113(अ) जो 10 फरवरी, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा स्विस फ्रैंकों को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को स्विस फ्रैंकों में बदलने को पुनरीक्षित विनिमय दर निर्धारित की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौंतीस) सा० का० नि० 1163 (अ), जो 9 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीमा शुल्क टेरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के अध्याय 28, 71 के अन्तर्गत आने वाले तांबे के रिबर्ट तांबा, मुक्तशेष एनोड या तांबा एनोड अवपक से उत्पादित मदों, जिन्हे टोल पगलन या टोल प्रसंस्करण के लिए भारत के बाहर भेजा गया हो, जब उनका भारत में आयात किया जाए, को उस पर उदग्रहणीय उपचंगी सीमा-शुल्क के उतने भाग से, 13 मई, 1988 की अधिसूचना संख्या 168 / 88-सी० शु० को अधिक्रांत करते हुए, छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[प्रथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 7401 / 89]

53/23/LS 89 - 19

हैण्डलूम एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मद्रास का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की समीक्षा आदि

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:

(1) (एक) हैण्डलूम एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मद्रास के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेख।

(दो) हैण्डलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मद्रास के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने मे हुये विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रथालय में रखे गए|देखिये संख्या एल० टी० 7402 / 89]

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे और उसके कार्यकरण की समीक्षा आदि

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक लेखों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रथालय में रखे गए देखिये संख्या एल० टी० 7403 / 89]

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर): अध्यक्ष महोदय, क्या मैं एक निवेदन कर सकता हूं? ..... महोदय, हमारे जैसे लोकतंत्र में सदन में विपक्ष भी और सत्तारूढ दल भी होना चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि दुर्भाग्य से विपक्ष ने पहले से ही अपने आपको सामूहिक रूप से उपस्थित न रहना ही उचित समझा है। हमें कुछ रचनात्मक काम करना है। आखिरकार, जो कुछ हमें अच्छा नहीं लगता है, विपक्ष को एकाएक वह बात कहने का अधिकार है और उसी तरह हमें भी कोई ऐसी बात कहने का अधिकार है जिससे उन्हें ठेस पहुच सकता है किन्तु फिर हमें उस बात को वापस लेने का तैयार रहना चाहिए और उसे स्वीकर कर लेना चाहिए। ऐसा हुआ है जैसा आप जानते है कि प्रधान मंत्री उस दिन स्वयं आपने वक्तव्य का संशोधन किया । फिर, मुझे पता चला कि कल उन्होंने और संशोधन किया । अब क्या किया जाए ? आखिर हमें प्रधान मंत्री पद की गरिमा बनाये रखनी होती है । हमें गैर सरकारी सदस्य, विपक्ष के प्रत्येक नेता और विपक्ष के सभी सदस्यों की गरिमा का भी आदर करना चाहिए । जब तक हम एक दूसरे का एक दूसरे के स्थान का आदर करना नहीं सीखते हैं जिसके लिए हम यहां संसद में बुलाये गए हैं, तब तक हम लोकतन्त्रकी गरिमा को, इसकी शक्ति को और इसकी लोकप्रियता की भी निन्दा करते रहेंगे । इस देश में लोकतन्त्र बनाये रखना दोनों पक्षों का कर्तव्य है । हम आज तक ऐसा करते आ रहे हैं । पहली बार

विपक्ष ने ऐसा विरोध सही या गलत, बताया है जबकि प्रधान मंत्री पर आपत्ति की गई है और पहली बार ही आप न तो उनको रोक सके है और न ही प्रधान मंत्री से या उनसे हार मानने को कह सके हैं । जब कि वे सारा समय उठकर जोर से बोलते रहे। दोनों पक्ष बोलते रहे थे। वे जोर जोर से एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे । यदि हम एक दूसरे के साथ इस प्रकार का व्यवहार करेंगे तो क्या किसी के लिए अपनी गरिमा और मान-मर्यादा बनाए रखना संभव है ? अतः मैं आप से निवेदन करता हूं कि आप इस प्रकार के उपायों का पता लगाइए जिससे आप ऐसा कोई नियम निकाल सके जो विपक्ष को स्वीकर हो और साथ साथ सदन मे भी प्रधान मंत्री पद की गरिमा बनाए रखे । अन्यथा लोकतन्त्र को बदनामी और निरादर का खतरा है ।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम): महोदय, हम सभी श्री रंगा की भावनाओं से सहमत है । अध्यक्ष महोदय, कृपया आप हस्तक्षेप कीजिए और इस मामले में कुछ कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : प्रो० रंगा के अनुरोध पर मै यह कहना चाहूंगा कि मेरा सदा यही विचार रहा है कि लोकतन्त्र की गाड़ी के दोनों पाहिये पूरे सहयोग से चलने चाहिएं । यह बहुत महत्वपूर्ण है । यह चर्चा का प्रश्न है और यह तो वह मुख्य धुरी है जिस पर इस रथ के पहिये चलते हैं।

कभी-कभी ऐसा समय आया है जब गरमागरमी हुई है तथा कुछ ऐसे मामले हुए हैं जिनमें विपक्ष को कहना पड़ा, "ठीक है, हमें खेद है।" आपने अनेक बार ऐसा देखा है। यह रिकॉर्ड में है। यह उसी के सदृश स्थिति है। प्रधानमंत्री ने कल वैसी ही बात कही थी। उन्होंने कहा, "यदि किसी को चोट पहुँची है तो मुझे खेद है।" ऐसा कहने के बाद इसकी चिंता करने के बजाए हम सबको एक दूसरे के साथ समझौता कर लेना चाहिए। राष्ट्र की भलाई, संसद के हित तथा अपनी परम्पराओं के लिए दृष्टिकोण में कुछ लचीलापन होना चाहिए क्योंकि यह आदान-प्रदान का मामला है। अनेक बार हम में गरमागरमी हुई है। यह मैंने यहां देखा है। तत्पश्चात हम अनुभव करते हैं कि जो बात बीत गयी उसे भूल जायें और घनिष्ठ मित्रों की तरह कार्य करें, यही हमारी विशेषता है। हमारे दृष्टिकोण में अन्तर हो सकता है। हमारे विचार और सिद्धांत में अन्तर हो सकता है। परन्तु हम मित्र हैं और हम एक दूसरे के हितैषी हैं। हमें इसको उसी भावना से समझना चाहिए। आपने जो कुछ कहा मैं उसे समझता हूँ। मैंने कल अपील की थी और आज भी विपक्ष तथा सत्तापक्ष के सदस्यों से अपील करता हूँ कि वे संगठित हों और मतभेद दूर कर दें तथा हमें तुच्छ मुद्दे को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। जैसाकि यह है।

श्री नवल किशोर शर्मा (जयपुर): ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है जिसमें आपके हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय: मैं हमेशा प्रयत्न करता हूँ। मेरी सेवायें हमेशा आपके लिए हैं। आप तो मेरे मालिक हैं। मैं आपका सेवक हूँ। कोई समस्या नहीं है।

श्री नवल किशोर शर्मा: आप हमारे अधिकारों के रक्षक हैं।

अध्यक्ष महोदय:: इसलिए मैं जो कुछ कर सकता हूँ, उसे करने का प्रयास करता हूँ। मैं आपके लिए हूँ।

श्री बी० आर० भगत (आरा): आप दोनों पक्षों की बैठक बुलाकर मामला तय क्यों नहीं कर देते?

अध्यक्ष महोदय: हम ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं। हम पुनः प्रयास करेंगे।

12.07 म०प०

नवभारत टाइम्स के प्रधान सम्पादक, कार्यकारी सम्पादक, मुद्रक, प्रकाशक तथा नगर संवाददाता के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में विनिर्णय

श्री चिरंजी लाल शर्मा (करनाल): मैंने कुछ दिनों पहले विशेषाधिकार के बारे में एक नोटिस दिया था। मैं चालीस वर्षों से वकालत कर रहा हूं। मैं चालीस से अधिक वर्षों से सक्रिय राजनीति में हूँ। मैं

कभी शराब नहीं पीता हूँ। मैंने शराब का स्पर्श ही नहीं किया है। मैंने इसका स्वाद नहीं लिया है। मैं धूम्रपान नहीं करता हूँ। मैंने आठ यूरोपियन देशों में संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया है। कोई भी व्यक्ति मेरी ईमानदारी, निष्ठा या चरित्र के सम्बन्ध में अंगुली नहीं उठा सकता। परन्तु 13 जनवरी, 1989 के 'नवभारत टाइम्स' में मुझे बदनाम किया गया है और मेरा अपमान किया गया है। जनता की नजरों में मैं गिर गया हूँ। यह बहुत ज्यादती है। मेरा बहुत अपमान किया गया है। इसलिए महोदय ... **(व्यवधान)**

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा): यह बड़ा गम्भीर मामला है। **(व्यवधान)**

श्री नवल किशोर शर्मा (जयपुर): यदि संसद सदस्यों के साथ ऐसा व्यवहार किया जायेगा तो हम कहाँ जायेंगे? यदि बिना किसी सबूत के आरोप लगाये गये तो ... **(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय: अब आप मेरी बात सुनिये।

श्री चिरंजी लाल शर्मा: ऐसा लिखना 'नवभारत टाइम्स' की लापरवाही की चरमसीमा है। उन्हें मुझे फोन कर इसकी मुझसे पुष्टि करवा लेनी चाहिए थी। ....**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय: मेरी भी बात सुनिये।

(व्यवधान)

श्री चिरंजी लाल शर्मा: अब मैं अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता। अब पुलिस और जनता मुझ पर हँसती है। मुझे अपने चरित्र पर गर्व था। मैं बाहर नहीं निकल सकता।

अध्यक्ष महोदय: मैंने इस मामले को उतनी गम्भीरता से लिया जितनी से आप ने। मेरे विचार से इससे बुरा आघात पहुँचा है। यह लोगों की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। यदि झूठी अफवाह फैल जाए तो इसे और फैलाना बहुत आसान होता है। परन्तु यह आसानी से समाप्त नहीं होती है। बहरहाल मैंने इसे गम्भीर माना है। मैंने संबंधित व्यक्ति, सम्पादक को पत्र लिखा था और मुझे उसका जवाब भी मिल गया है। मैं उसके बारे में अपना विनिर्णय दूँगा।

23 फरवरी, 1989 को श्री चिरंजी लाल शर्मा ने 'नवभारत टाइम्स' के प्रधान सम्पादक श्री राजेन्द्र माथुर, कार्यकारी सम्पादक श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह, मुद्रक एवं प्रकाशक श्री रमेश चन्द्र तथा नगर संवाददाता श्री रमेश गौड़ के विरुद्ध दिनांक 13 जनवरी, 1989 के संस्करण में पहले पृष्ठ पर "शराब पीकर गाड़ी चला रहा सांसद गिरफ्तार, रिहा" शीर्षक के अन्तर्गत तथाकथित झूठा समाचार छापने पर विशेषाधिकार के मामले की सूचना दी थी।

श्री चिरंजी लाल शर्मा ने अपनी सूचना में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा:

"13.1.1989 को नवभारत टाइम्स के पहले पृष्ठ पर "शराब पीकर गाड़ी चला रहा सांसद गिरफ्तार, रिहा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सोनीपत (हरियाणा) के श्री चिरंजी लाल शर्मा और उनके एक एडवोकेट साथी को धौला कुंआ पुलिस द्वारा उस समय गिरफ्तार किया गया जब श्री चिरंजी लाल शर्मा शराब पीकर मारुति वेन चला रहे थे। समाचार में यह भी बताया गया है कि उन्हे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107/151 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया तथा बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। श्री चिरंजी लाल शर्मा जो वेन चला रहे थे उसे भी जब्त कर लिया गया है।"

श्री चिरंजी लाल शर्मा ने आगे यह कहा है कि "समाचार पूर्णतः निराधार, झूठा, निरर्थक और दुर्भावनापूर्ण है। वास्तविकता तो यह है कि मैंने अपने जीवन में न तो कभी शराब छुई है और न ही पी है। मेरे पास विगत 25 वर्षों से कार है परन्तु मैंने अपने जीवन में कभी गाड़ी नहीं चलायी है। मैं शराब नहीं पीता हूं।" उन्होंने यह भी कहा है कि इस समाचार से मैं न केवल मानसिक रूप से ग्रथित हुआ हूं बल्कि मैं

शारीरिक रूप से भी प्रभावित हुआ हूं। श्री चिरंजी लाल शर्मा के अनुसार वह 16 जनवरी, 1989 को स्वयं मुख्य सम्पादक के पास गये थे और उससे उस शरारत के लिए बिना शर्त क्षमा माँगने और खेद व्यक्त करने के लिए कहा जो उन्होंने आपत्तिजनक समाचार प्रकाशित करके की थी। 19 जनवरी, 1989 को उन्होंने इस सम्बन्ध में समाचारपत्र को एक रजिस्टर्ड पत्र (ए०डी०) भी भेजा था परन्तु 23 फरवरी, 1989 तक नवभारत टाइम्स के प्रधान सपादक, कार्यकारी सम्पादक, मुद्रक एवं प्रकाशक और नगर संवाददाता ने खेद व्यक्त नहीं किया था। श्री शर्मा ने आरोप लगाया है कि इस समाचार के प्रकाशन से "जनता में उनकी प्रतिष्ठा और गरिमा कम हुई है।"

24 फरवरी, 1989 को श्री चिरंजी लाल शर्मा ने जब इस मामले को सदन में विशेषाधिकार के रूप में उठाना चाहा तो मैंने कहा, "मैं इसकी जांच करूंगा और तत्पश्चात आपको बताऊंगा।"

उसी दिन नवभारत टाइम्स नई दिल्ली के प्रधान सम्पादक, कार्यकारी सम्पादक, मुद्रक एवं प्रकाशक और नगर संवाददाता के साथ इस मामले पर विचार किया गया। उनसे कहा गया कि उन्हें इस विषय के सम्बन्ध में जो कुछ भी कहना है उसे मेरे विचारार्थ हमारी सूचना प्राप्ति के तीन दिन के भीतर भेज दें।

27 फरवरी, 1989 को मुझे उनके उत्तर मिले जो एक जैसे हैं और इस प्रकार हैं सर्वप्रथम हम अपने समाचारपत्र नवभारत टाइम्स के 13.1.1989 के अंक में "शराब पीकर गाड़ी चला रहे सांसद गिरफ्तार, रिहा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की भूल के लिए बिना शर्त क्षमा माँगते हैं। यह समाचार सदाशय से प्रकाशित किया गया था तथा इसके पीछे किसी को बदनाम करने या हानि पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं था।

यह समाचार विगत महीने की 13 तारीख को प्रकाशित हुआ था। यह भूल माननीय सदस्य और अपराधी का नाम एक होने के कारण अनजाने में हुई। भूल का पता लगते ही हमने तुरंत 14 जनवरी के 'नवभारत टाइम्स' में 'नामों का चक्कर' शीर्षक से इसका स्पष्टीकरण और खंडन जारी कर दिया था। 15 जनवरी को छपे इस समाचार पत्र की प्रतिलिपि यहां संलग्न की जाती है जिसमें हमने स्पष्ट कर दिया था कि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति संसद सदस्य श्री चिरंजी लाल शर्मा नहीं है। हमने संसद सदस्य श्री चिरंजी लाल शर्मा के 16.1.1989 के नोटिस पर भी कार्यवाही की और अपने पत्र के 8.2.1989 के अंक के पहले पृष्ठ पर अपनी क्षमायाचना और स्पष्टीकरण प्रकाशित किया। उसकी एक प्रति विचारार्थ संलग्न है।

हम यह फिर कहते हैं कि हमारा उद्देश्य श्री चिरंजी लाल शर्मा की प्रतिष्ठा अथवा गरिमा को कम करना नहीं था और हम पत्रकारिता के स्तर को ऊँचा बनाये रखने में अपनी पूरी कोशिश करते हैं। चूँकि **नवभारत टाइम्स** ने पहले ही अपनी असावधानी से हुई गलती को सुधारा है, मैं इस मामले को समाप्त करता हूं। फिर भी माननीय सदस्य को जो ठेस पहुंची है, मैं उससे सहमत हूं। अतः मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि सदस्यों के संबंध में समाचार प्रकाशित करते समय प्रेस को अत्यन्त सर्तकता से काम लेना चाहिए। बेहतर होगा कि इस प्रकार के समाचार को समाचार पत्रों में, वह भी विशेष रूप से मुख पृष्ठ पर, जैसा कि इस मामले में हुआ है, प्रकाशित करने से पूर्व इनकी वास्तविकता की पुष्टि कर ली जाए।

12.13[1/2] म.प.

सभा पटल पर रखे गए पत्र-[जारी]

चीनी (1988-89) के उत्पादन के लिए मूल्य अवधारण आदेश 1988 और भारतीय मानक ब्यूरो नियम (पहला संशोधन), 1988.

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी० एल० बैठा): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत चीनी (1988-89 के उत्पादन के लिए मूल्य अवधारण) आदेश, 1988, जो 21 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1194 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7404/89]

(2) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 39 के अन्तर्गत भारतीय मानक ब्यूरो नियम (पहला संशोधन) 1988, जो 6 फरवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 7 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सँस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7405 / 89]

मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 और सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1981 के अंतर्गत अधिसूचनाएं

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राधा किशन मालवीय): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 की धारा 26 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसुचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) मजदूरी संदाय (रेल) संशोधन नियम, 1988, जो 9 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का०नि० 1159 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) असंवितरित मजदूरी संदाय (वायु परिवहन सेवा) नियम, 1988, जो 23 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1208 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) असंवितरित मजदूरी संदाय (खान) नियम, 1988, जो 18 जनवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 34 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7406 / 89]

(2) ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 की धारा 35 की उपधारा (3) के अंतर्गत ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) केन्द्रीय (संशोधन) नियम, 1988, जो 28 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1215 (अ) में प्रकाशित हुए थे, कि एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7407 / 89]

(3) सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1981 की धारा 11 की उपधारा (4) के अंतर्गत सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि (संशोधन) नियम, 1988, जो 28 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1214(अ) में प्रकाशित हुए थे, कि एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7408 / 89]

12.14 म०प०

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

59 वां प्रतिवेदन

श्री एम० तम्बि दुराई (धर्मपुरी): मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 59 वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

12.14 1/2 म०प०

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

50 वां प्रतिवेदन

श्री वक्कम पुरूषोत्तमन (अलपी): में सरकारी उपक्रमों की जवाबदेही तथा स्वायतत्ता के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 32वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 50वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

12.15 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

साहिबजादा अजीत सिंह नगर, पंजाब स्थित सेमीकंडक्टर काम्प्लेक्स लिमिटेड में लगी आग के बारे में वक्तव्य

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचित करते हुए बहुत दुख हो रहा है कि 7 फरवरी, 1989 को रात्रि लगभग 11 बजकर 40 मिनट पर इलेक्ट्रानिकी विभाग के अर्न्तगत आने वाले साहिबजादा अजीत सिंह नगर, पंजाब स्थित सेमीकंडक्टर काम्प्लेक्स लिमिटेड नामक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में आग लग गई थी। यह उपक्रम एकीकृत परिपथ (इंटीग्रेटेड सर्किट) चिपों तथा उनसे सम्बद्ध माड्यूलों और उप प्रणालियों का विनिर्माण करता है। सेमीकंडक्टर काम्प्लेक्स लिमिटेड के अग्नि-शमन के स्टाफ ने आग बुझाने के लिए तत्काल कदम उठाए और मोहाली, चण्डीगढ़, पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड, रोपड़ तथा वायु सेना सर्विस स्टेशन से आग बुझाने वाली गाड़िया मंगवाई गई। आग पर अन्ततः 8 फरवरी, 1989 की सुबह को काबू पा लिया गया।

डिवाइस बनाने वाली सुविधा और अनुसंधान तथा विकास से जुड़े क्षेत्र को भारी नुकसान पहुँचा है। किन्तु दूसरे भवन, जहाँ प्रशासन, निगम के स्टाफ, कम्प्यूटर साधित डिजाइन सुविधाएं मौजूद थीं, इस आग से एकदम अप्रभावित रहे। जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। अग्नि-दुर्घटना के कारणों की जांच करने के लिए मेजर जनरल एस० ए० मोहिले (सेवा-निवृत्त) पूर्व-निदेशक, प्रतिरक्षा अग्नि-दुर्घटना अध्ययन संस्थान, रक्षा मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को पेश कर दी है। इस रिपोर्ट पर, तथा राख में यदि कोई पेट्रोरसायन की मात्रा हो, तो उसका पता लगाने के उद्देश्य से मौके पर चार विभिन्न स्थानों से लिए गए राख के नमूनों के विश्लेषण से जो साक्ष्य उपलब्ध होंगे, उन पर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, पंजाब स्थित सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड

के निदेशक-मण्डल द्वारा विचार किया जाएगा। कम्पनी के वित्तीय रिकार्ड के आधार पर अग्नि-दुर्घटना के कारण हुई हानि का जो प्रारम्भिक अनुमान लगाया गया है, इसके अनुसार यह हानि लगभग 60 करोड़ रूपये बैठती है।

सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड में कुल मिलाकर 850 कर्मचारी काम करते हैं। जहाँ तक रोजगार का प्रश्न है। अग्नि-दुर्घटना से लगभग 50 प्रतिशत कर्मचारी प्रभावित हुए हैं। अधिकांश स्टाफ तकनीशियनों और तकनीकी सहायकों की श्रेणी में आते हैं।

इस बात का इत्मीनान करने के उपाय किए जा रहे हैं कि सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड में कार्यरत उच्च प्रशिक्षण-प्राप्त कर्मचारी प्रभावित न हों और उनकी सेवाएं लगातार उपलब्ध होती रहें। विचार यह है कि वर्तमान स्थान पर सुविधाओं को फिर से व्यवस्था की जाए और इस अवसर का उपयोग व्यावहारिक सीमा तक प्रौद्योगिकी के स्तर को और आगे बढ़ाने में किया जाए।

पुनर्वास के उपाय के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं। प्रयोगकर्ता अभिकरणों को सामान और सेवाओं की लगातार पूर्ति करते रहने का सुनिश्चय करने के उद्देश्य से कदम पहले ही उठाए गए हैं। सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड ने इस क्षेत्र में कार्य कर रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपने इंजीनियर भी इस उद्देश्य से भेजे हैं ताकि इन संगठनों से संयोजन-कार्य के लिए उप-ठेके प्राप्त हो सकें और इस संभावना का भी पता लगाया जा सके कि उनके संगठनों में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग एकीकृत परिपथों (इंटाग्रेटेड सर्किटों) की संरचना करने के लिए तो किया जा सकता है।

12.18 म० प्र०

नियम-377 के अधीन मामले

[हिन्दी]

(एक) किसानों को इंदिरा गांधी नहर से अपने खेतों में पानी ले जाने के लिए जल मार्गों का निर्माण किए जाने हेतु दिए गए ऋणों की वसूली रोके जाने के लिए राजस्थान सरकार को निदेश दिए जाने की आवश्यकता

श्री बीरबल : (गंगानगर): उपाध्यक्ष महोदय, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण केन्द्र सरकार के विशेष सहयोग और सहायता से हो रहा है। इस परियोजना क्षेत्र में वाटर कोर्स पक्के बनें। इनमें अनुमानित व्यय के अलावा प्रशासनिक खर्चा, ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज लगाकर मूल रकम से कुल रकम पांच-छः गुणा अधिक दर्शायी गई है। निर्मित खालों के लिए भूमि भी किसान की ली गई है। इन खालों को बनाए जाने से आबपाशी बढ़ी है। जिससे राज्य सरकार को अबियाना भी अधिक मिलेगा तो किसान से अधिक पैसा किस बात का? यह पैसा राज्य सरकार को ही वहन करना चाहिए। पक्के खालों में और भी कई तरह के घोटाले हुए हैं जिसकी मार किसानों पर डाली जा रही है। बैंकों द्वारा कृषकों को कुर्की के नोटिस दिए जा रहे हैं। किसान बैचेन है यदि विभागीय घोटालों का भार कृषक समुदाय पर डाला जायेगा तो इसे गरीब किसान किस तरह सहन कर सकेंगे। इस सन्दर्भ में मैंने पिछले सत्र में सदन को अवगत करवाया था।

अतः केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि विषय की महत्ता को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार को इस विषय में अविलम्ब वसूली बन्द करने की कार्यवाही करने का निर्देश देवें जिससे कि वहां के किसानों की बेचैनी दूर हो सके तथा उनकी समस्याओं का निराकरण करने का राजस्थान सरकार को उचित कार्यवाही करने का आदेश फरमावें।

(दो) गढ़चिरोली आदिवासी जिले के विकास के लिए महाराष्ट्र को वित्तीय सहायता दिये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री शांताराम पोतदुखे (चन्द्रपुर): महाराष्ट्र सरकार ने गढ़चिरोली आदिवासी जिले और नान्देड जिले के चन्द्रपुर और किन्वट तालुक के कुछ भागों के लिए एक व्यापक विकास योजना तैयार की है। लगभग 200 करोड़ रूपये की इस योजना से तथाकथित नकसलवादियों की विघटनकारी तथा राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को समाप्त करने में सहायता मिलेगी। भारत सरकार को महाराष्ट्र सरकार को वित्तीय सहायता देनी चाहिए ताकि वहां विकास गतिविधियों को प्रभावशाली ढंग से आरंभ किया जा सके। मैं योजना मंत्री से निवेदन करता हूं कि इस मामले की ओर गम्भीरता से ध्यान दें।

(तीन) "प्रीपेड ट्रेवल एडवाइस" पर जोर दिए बिना प्रव्रजन की मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

श्री वल्लम पुरूषोत्तमन (अलप्पी): हमारे देश से भारी संख्या में कुशल तथा अकुशल मजदूर रोजगार की तलाश में खाड़ी देशों को जा रहे हैं और इन में अधिक संख्या केरल के लोगों की है। इस से हमें न केवल बेरोजगारी की समस्या दूर करने में सहायता मिली है अपितु देश को बहुत मूल्यवान विदेशी मुद्रा भी प्राप्त हुई है और उनके परिवारों को आजीविका का साधन मिला है जिससे उनका जीवन-स्तर ऊँचा हुआ है। प्रति वर्ष लगभग एक लाख कुशल और अकुशल श्रमिक रोजगार की तलाश में विदेश जाते हैं और देश को प्रति वर्ष लगभग 3,200 करोड़ विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है।

फिर भी नवम्बर 1988 से प्रवासी संरक्षक प्रवास की अनुमति देने के लिए प्रीपेड ट्रेवल एडवाइस प्रस्तुत करने पर जोर दे रहे हैं। यह खंड, जो निस्संदेह कर्मकारों के कल्याण के लिए बनाया गया है, एक नकारात्मक तत्व सिद्ध हो रहा है और इसके कारण काफी संख्या में लोगों को प्रवास की अनुमति नहीं मिल रही है। इसे ऐसे समय पर लागू किया गया है जब कि खाड़ी देशों में लड़ाई लगभग समाप्त हो गई है और पाकिस्तान और बंगला देश जैसे देशों में, जहां पर अतिरिक्त श्रम शक्ति है और वे प्रीपेड ट्रेवल एडवाइज़ अवसर पर जोर नहीं दे रहे हैं, में रोजगार अवसर।

जो कर्मकार विदेशों में नौकरी प्राप्त करने में समर्थ है वे किसी भी कीमत पर विदेश जाने के लिए तत्पर हैं। उन्हें कुछ असामाजिक तत्व प्रलोभन देते हैं और वे उन्हें अनुमति दिलाने के लिए उनसे भारी रकम हडपते हैं।

कर्मकारों में प्रीपेड ट्रेवल एडवाइज़ खंड को लेकर बहुत असंतोष और उत्तेजना है।

मैं माननीय श्रम मंत्री से गम्भीरता पूर्वक यह निवेदन करता हूं कि प्रवासी की अनुमति देने के लिए प्रीपेड ट्रेवल एडवाइज़ पर अधिक जोर न दें और नवंबर 1988 से पूर्व जो स्थिति थी, उसे बहाल करें।

(चार) मलयालम में कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए पालघाट दूरदर्शन संप्रेषण केन्द्र को सूक्ष्म तरंग से जोड़े जाने की आवश्यकता

*श्री वी॰ एस॰ विजयराघवन (पालघाट): केरल के अधिकतर जिलों में लगभग सभी दूरदर्शन प्रसारण केन्द्रों में मलयालम के कार्यक्रम माइक्रोवेव लिंक के द्वारा प्रसारित करने की सुविधा आरम्भ की गई है। किंतु यह सुविधा अभी भी पालघाट दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र में आरंभ नहीं की गई है। विशेषज्ञों का विचार है कि माइक्रोवेव लिंक पालघाट तक बढ़ाया जा सकता है और इस तरह वहां प्रसारण सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। इसीलिए मैंने कई बार यह मामला सदन के समक्ष रखा और सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया है। फिर भी इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाए गए हैं।

*मूलतः मलयालम में उठाये गये मामले के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री वी० एस० विजयराघवन]

इससे इस जिले की जनता में बहुत असंतोष है पालघाट का केरल की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है और राज्य के प्रमुख पर्यटन केन्द्र इसी जिले में स्थित हैं। यदि यहां मलयालम कार्यक्रमों के प्रसारण की सुविधा उपलब्ध कराई जाए तो इससे न केवल इस जिले के अपितु समीपवर्ती कोयंबटूर और पोललाची जिलों में रहने वाले बहुत से मलयाली भाषी भी लाभान्वित होंगे।

अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस बात को पालघाट की जनता की एक महत्वपूर्ण मांग समझें और जितनी जल्दी हो सके माइक्रोवेव लिंक सुविधा को बढ़ाकर यह सुविधा वहां उपलब्ध कराएं।

(पांच) चट्टोपाध्याय आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का शीघ्र कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता

प्रो० नारायण चन्द पाराशर (हमीरपुर): भारत सरकार द्वारा वर्ष 1983 में नियुक्त चट्टोपाध्याय राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित न किए जाने के कारण विभिन्न राज्यों में प्रारंभिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक पाठशालाओं के अध्यापकों में बहुत उत्तेजना और रोष है, आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1985 के आरंभ में प्रस्तुत की और इसे संसद के दोनों सदनों के सभा-पटल पर भी रखा गया था।

जबकि अनेक राज्यों ने शिक्षकों संबंधी राष्ट्रीय आयोग दवारा रखी गयी रिपोर्ट में कालेज तथा विश्वविद्यालयों से संबद्ध अध्यापकों के लिए की गई सिफारिशों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता से लागू कर दिया है। यह विडम्बना की बात है कि स्कूल अध्यापकों के संबंध में दूसरे आयोग की सिफारिशों को अभी कार्यान्वित नहीं किया गया है। अनेक राज्यों में अध्यापक आंदोलन करके सरकार का ध्यान उसके द्वारा गठित आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की ओर दिला रहे हैं। इन दोनों आयोगों के गठन का प्रमुख उद्देश्य सरकार को अध्यापकों के पद तथा वेतन बढ़ाने और सेवा शर्तों को और अच्छा करने की सिफारिश करना था ताकि उन्हें समाज में आदर मिले और इस बात की भी आशा की गई थी कि सरकार अपनी वचनबद्धता निभाएगी।

चूंकि अध्यापक शिक्षा संबंधी किसी कार्यक्रम या नीति के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इससे भी अधिक वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए मेरा अनुरोध है कि सरकार को इस मामले की ओर तत्काल ध्यान देना चाहिए और चट्टोपाध्याय आयोग की सिफारिशों को शीघ्र लागू करना सुनिनिश्चत किया जाना चाहिए क्योंकि शिक्षा अब संविधान की समवर्ती सूची के अतर्गत आती है।

(छः) दम-दम हवाई अड्डे का नाम बदल कर नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखे जानी की आवश्यकता

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर): महोदय, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस उन विरले देश भक्तों में से थे जिनमें जन्म से ही आत्म बलिदान और समर्पण की भावना कूट-कूट कर भरी हुई थी और इन्होंने इस भावना से प्रेरित होकर अपनी प्यारी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए आत्म बलिदान दिया। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस समय के साथ-साथ विस्मृत होते जा रहे हैं क्योंकि अभी तक इधर-उधर कुछ सड़कों और संस्थाओं के नाम को छोड़कर उनके नाम पर राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है जिससे कि इस महान आत्मा की स्मृति को अमर बनाया जा सके।

देश को नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की स्मृति में एक राष्ट्रीय स्मारक बनाने पर विचार करना चाहिए और इसके लिए मेरा यह सुझाव है कि डम-डम हवाई अड्डे का नाम बदल कर नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा जाए जो उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। डम-डम हवाई अड्डे के नाम का सुझाव इसलिए दिया गया है क्योंकि यह उनका जन्म स्थान है और उन्होंने डम-डम केन्द्रीय कारावास में बहुत बार जेल की सजा काटी।

(सात) **गोंदिया-नैनपुर-जबलपुर रेलमार्ग को शीघ्र बड़ी लाइन में बदले जाने की आवश्यकता**

श्री अजय मुशरान (जबलपुर): महोदय, 26 फरवरी, 1989 को लगभग 3.30 म०प्र० नैनपुर-जबलपुर छोटी लाइन पर बहुत बड़ी रेल दुर्घटना हुई जिसमें 24 व्यक्ति मारे गए और 80 से अधिक यात्री, गंभीर रूप से तथा मामूली रूप से, घायल हुए। इस डिवीजन में पांच वर्षों में यह दूसरी बड़ी दुर्घटना हुई है। 27 फरवरी, 1989 को मैं रेल राज्य मंत्री के साथ घटना-स्थल पर और जबलपुर के दो अस्पतालों, जहां घायलों का इलाज चल रहा है, में गया। मृतकों के संबंधियों तथा घायलों को सभी संभव चिकित्सा और वित्तीय सहायता शीघ्र ही प्रदान की गई। माननीय मंत्री शीघ्र तथा अनुकरणीय कार्रवाई करने के लिये बधाई के पात्र हैं।

दुर्घटना स्थल पर लगभग 300 समाज सेवियों और स्थानीय नागरिकों ने माननीय मंत्री से गोंडिया-नैनपुर-जबलपुर छोटी लाईन को बड़ी लाइन या मीटर गेज में बदलने की लंबे समय से उपेक्षित आवश्यकता के बारे में बताया और उनसे इस संबंध में शीघ्र मंजूरी देने का अनुरोध किया। उन्होंने इस कार्य के लिए परियोजना और धन की मंजूरी न देने की अपनी कठिनाई और असमर्थता जाहिर की क्योंकि योजना आयोग इसके लिए धन की व्यवस्था नहीं कर रहा है।

यह अनुरोध किया जाता है कि योजना मंत्री और प्रधान मंत्री गोंडिया-नैनपुर-जबलपुर क्षेत्र में बार-बार हो रही दुर्घटनाओं पर गंभीरतापूर्वक विचार करें और विशेष मामले के तौर पर लोक हित तथा यात्रियों के सुरक्षा के लिए, रेलवे की आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए सामान्य आवंटन के अतिरिक्त गोंडिया-नैनपुर-जबलपुर रेलवे सेक्शन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने की परियोजना का अनुमोदन करें और मंजूरी प्रदान करें।

(आठ) **स्थानीय लोगों विशेषकर आदिवासियों के लाभ के लिए कोरबा में एक अस्पताल और मेडिकल कालेज खोले जाने की आवश्यकता**

[हिन्दी]

डा० प्रभात कुमार मिश्र (जंजगीर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन आपके माध्यम से सरकार को एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं। सरकार की नीति है कि सन् दो हजार तक सभी को स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध करा दी जायें। मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बिलासपुर जिला, मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र, जो शहरों से 50 कि० मी० दूर बसे हैं, उनके लिये जो कुछ योजना बनायी जाती है, वह उन तक नहीं पहुंच पाती।

उन क्षेत्रों में न तो अस्पताल की बिल्डिंग हैं और न ही डाक्टर रहते हैं। अगर कहीं कहीं डाक्टर है तो अस्पताल के लिये मकान नहीं है, अगर दोनों हैं तो दवा नहीं मिलती। जचकी के केस बिना उपचार के मर जाते हैं या नीम हकीम के द्वारा गलत इलाज करा कर दुख भोगते हैं और उनका आर्थिक शोषण होता है।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि सरकार की नई चिकित्सा नीति के अंतर्गत ग्रामीण अंचलों में केंसर, एड्स जैसे भयंकर बीमारियों की जानकारी देने की सुविधा करा दें ताकि वे पहले से सतर्क रहें।

इसी के अंतर्गत मैं चाहूंगा कि देश के हर संभाग स्तर पर एक मेडिकल कालेज खोला जावे तथा मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले के औद्योगिक नगरी कोरबा में मेडिकल कालेज की स्थापना की जावे जिससे वहां के सार्वजनिक उपक्रमों में काम करने वाले एवं वहां के आदिवासी क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा मिले।

12.29 म० प०

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव [जारी]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: सदन अब 23 फरवरी, 1989 को श्री वी० एन० गाडगिल द्वारा प्रस्तुत और श्री आर०एल० भाटिया द्वारा समर्थित निम्न-लिखित प्रस्ताव पर और आगे विचार करेगा:—

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए:—

'कि सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य, राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 21 फरवरी, 1989 को एक-साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं।' "

श्री बृजमोहन महन्ती (पुरी): महोदय, यह दुर्भाग्य की बात है कि जब सदन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाद-विवाद हो रहा है तो विपक्ष अनुपस्थित है। इस तथ्य के बावजूद कि प्रधानमंत्री ने कल खेद प्रकट कर दिया था उन्होंने वाद-विवाद में भाग नहीं लिया। मेरा उनसे अनुरोध है कि वे अपने विरोध पर पुनः विचार करें और वाद-विवाद में भाग लें। क्योंकि यह इस वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण वाद-विवाद है। जहां तक राष्ट्रपति के अभिभाषण का संबंध है मैं इसका पूर्णतः समर्थन करता हूं। इससे हमें नई दिशा मिली है और कार्य के विभिन्न क्षेत्रों में हमारी उपलब्धियों को भी नयी दृष्टि मिली है।

विदेश नीति के क्षेत्र में हमने बहुत अधिक सफलता प्राप्त की है और हमारे प्रधान मंत्री ने स्वयं इसकी पहल की। इसके लिए वह बधाई के पात्र हैं तथा उनकी ही उत्कृष्ट राजनीतिक समझ-बूझ से भारत विश्व में ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां इसे शांति और शांतिपूर्ण सहयोग का प्रतीक माना गया है। यही नहीं भारत ने अपने पड़ौसी देशों के साथ भी अच्छे और मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने में सफलता पाई है। मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि दुर्भाग्य से द्विदलीय विदेशी नीति को बदलने के प्रयास किए गए हैं जिसका सामान्यतः लोकतांत्रिक राजनीति में अनुसरण ही किया जाता है। कुछ विपक्षी दल स्वयं को उस विदेश नीति से जोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं जिसे सत्ताधारी दल ने तैयार किया है और इस विदेश नीति का उस समय से निरंतर अनुसरण किया जा रहा है जब पंडित नेहरु इस देश के प्रधान मंत्री थे।

जहां तक हमारा संबंध है हम सरकार की विदेश नीति का पूर्णतः समर्थन करते हैं किन्तु विपक्ष के कुछ अन्य गुटों का भिन्न मत है। यदि आप श्री लंका की बात लें तो वहां भी कुछ ऐसे विपक्षी दल हैं जो हमारी नीति का समर्थन नहीं करते हैं यदि आप चीन के प्रश्न पर विचार करते हैं तो हमारे देश में भी कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो हमारे प्रधान मंत्री की चीन यात्रा का भी समर्थन नहीं करती हैं। मैं उनसे यह पूछता हूं कि क्या यह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति क्षेत्र में एक नया दृष्टिकोण नहीं है? क्या यह शान्ति और सहयोग की दिशा में प्रगति नहीं है? इसके अतिरिक्त उन्हें उन प्रत्यक्ष फायदों को भी देखना चाहिए जिन्हें हमने प्रधान मंत्री के चीन के दौरे के दौरान और इसके बाद हुए विकास कार्यों से प्राप्त हुए हैं। हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। जब पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने अपने चीन के दौरे के दौरान कश्मीर का मामला उठाया और कहा, "हमें हमेशा आपका समर्थन मिलता रहा है," तो चीन के प्रधान मंत्री ने कहा, "हम दक्षिण-पूर्व एशिया में शान्ति चाहते हैं।" उन्होंने इसे नजर-अन्दाज किया। इसी प्रकार, जब अफगानिस्तान का प्रश्न उठा तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान का परिसंघ बनाने का प्रस्ताव रखा किन्तु जब यह मामला उठाया गया तब चीन के प्रधान मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे अफगानिस्तान को स्वतंत्र, तटस्थ और गुट-निरपेक्ष देश के

रूप में देखना चाहते हैं। इसलिए, यह प्रत्यक्ष लाभ और एक नया वातावरण, तथा नई दृष्टिकोण है। खासकर उस समय जब हमारे प्रधान मंत्री के व्यक्तिगत प्रयासों के कारण शान्ति की दिशा में कदम उठाए गए हों।

अब मैं दूसरे प्रश्न पर आता हूँ जो कि नेपाल से संबंधित है। यह बहुत ही खेद की बात है कि पंडित जवाहर लाल नेहरु की जन्मशती के वर्ष के अवसर पर हमारा दूतावास नेपाल में पंडित नेहरु की एक फोटो-प्रदर्शनी लगाना चाहता था किन्तु नेपाल ने इसकी अनुमति नहीं दी और कुछ मंत्रियों को इस प्रर्दशनी में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई। हमें इसे नजर-अन्दाज नहीं करना चाहिए। वस्तुतः मैंने प्रश्न किया था किन्तु उसकी अनुमति नहीं दी गयी। ये आधारभूत तथ्य हैं जिनपर हमें गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए।

पाकिस्तान के संबंध में मेरा अनुरोध यह है कि हम श्रीमती बेनजीर भुट्टो द्वारा दिखाई गई सहयोग की भावना और मित्रता पूर्वक संबंधों की भावना की सराहना करते हैं। किन्तु साथ ही हमें अपने मन में यह बात भी रखनी चाहिए कि उनका पाकिस्तान के मामलों पर पूरा नियंत्रण नहीं है। मुझे यह संदेह इसलिए है क्योंकि उन्हें इस बात की भी जानकारी नहीं है कि पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा है या नहीं? परमाणु कार्यक्रम के बारे में सेना सर्वोच्च प्रशासक है और आरंभ में श्रीमती भुट्टो ने इस बात से सहमति भी जताई कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनपर प्रधान मंत्री का कोई नियंत्रण नहीं होगा और इनमें इस क्षेत्र में भारत के आधिपत्य के खिलाफ लड़ाई करना और पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र अमरीका के साथ संबंध और अफगान नीति के संबंध में पाकिस्तान का दृष्टिकोण शामिल है। उनके अनुसार ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें प्रधान मंत्री को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और इनका निर्णय सुरक्षा परिषद द्वारा किया जाएगा जिसमें श्रीमती भुट्टो भी आमंत्रित है। इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए। दोनों देशों के परमाणु अड्डों पर हस्तक्षेप न करने के संबंध में पाकिस्तान में समझौता होने के बावजूद, जिससे हम भी सहमत हैं, यह समझौते होने के बाद और अफगानिस्तान से सोवियत संघ की वापसी के बाद पाकिस्तान को परमाणु कार्यक्रम आगे चलाने की क्या आवश्यकता थी और पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र अमरीका से एफ-16 लड़ाकू जहाज और चीन से एफ-7 लड़ाकू जहाज के लिए बातचीत करने की क्या आवश्यकता थी? केवल यही नहीं वे चीन के साथ अपने परमाणु सहयोग को फिर से शुरू करने का भी प्रयास कर रहे हैं। यह नहीं समझ में आता है कि यह तैयारी क्यों चल रही है? मैं तो कहूंगा कि यह तैयारी निश्चित रूप से भारत के ही खिलाफ है। इस पृष्ठभूमि में मेरा अनुरोध यह है कि हमें अपनी सुरक्षा को नजर-अन्दाज नहीं कर सकते। हमें इस संबंध में बहुत ही सावधान रहना चाहिए हमें स्वयं को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार करना चाहिए।

पाकिस्तान के प्रधान मंत्री द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि हमें सियाचीन खाली कर देना चाहिए जो अब हमारे कब्जे में है। मैं कहता हूँ 'क्यों' जबकि हर यति यह जानता है कि पाकिस्तान का इस पर कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कुछ अभियान दल भेजे और इसके बाद उन्होंने इस पर अपना दावा कर दिया। इसलिए इस पृष्ठभूमि में भारत की सियाचीन ग्लेसियर के किसी भी हिस्से से वापसी उचित नहीं है और हम यह माँग नहीं मान सकते।

जहाँ तक आर्थिक स्थिति का संबंध है इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारी उदारता की नीति सफल रही है। हमारा विकास आश्चर्यजनक रहा है फिर भी कुछ ऐसी समस्याएं है जिनपर हमें ध्यान देना चाहिए। हम भारत के प्रधान मंत्री के बहुत अभारी हैं वह व्यक्तिगत रूप से इस देश से गरीबी और बेरोजगारी हटाने के कार्यक्रमों पर विचार कर रहे हैं। इस दिशा में उन्होंने कुछ निर्णायक कदम भी उठाए हैं। कल के बजट से यह आभास हो जाता है कि भारत सरकार इस समस्या पर कितना ध्यान दे रही है।

फिर भी एक समस्या यह है कि कुछ विरोधी दलों द्वारा द्विपक्षीय नीति को छोड़ा जा रहा है। अतः

श्री बृजमोहन मोहन्तो]

आन्तरिक घरेलू नीति में विरोध की भावना भी है जिससे इस देश की लोकतान्त्रिक प्रणाली मजबूत नहीं बन सकती। जहां तक विरोधी दलों का सम्बंध है उन्होंने इस देश की प्रमुख समस्याओं का समाधान करने के लिए किसी नीति की घोषणा नहीं की है। यह मेरी टिप्पणी नहीं है। 12 वर्षों तक श्री चन्द्रशेखर जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। उन्हें इस बात का दुख है कि विरोधी पक्ष द्वारा कोई वैकल्पिक नीति विकसित नहीं की गई है। वे कहते हैं कि वे असहाय हैं। केवल यही नहीं वे यह भी कहते है कि वे जातिवाद की नीति के विरूद्ध हैं जिसे सक्षेप में 'ए जे जी आर' नीति के उपनाम से जाना जाता है। इसके अलावा पंजाब समस्या, साम्प्रदायिकता बेरोजगारी और गरीबी आदि के लिए भी विपक्ष के पास कोई नीति नहीं है। हमें गरीबी और बेरोजगारी के विरूद्ध लड़ना चाहिए। हम धन के जमाव को कैसे दूर कर सकते हैं? इस बारे में मैं एक मुद्दे का उल्लेख करना चाहूंगा। गत 3 वर्षों में 25 औद्योगिक घरानों ने 9576 करोड़ रुपया एकत्रित किया है। इस धन के जमाव के विरूद्ध कैसे लड़ा जा सकता है। हम बड़े भू-स्वामियों के हाथों में भूमि जमाव के विरूद्ध कैसे लड़ते हैं? योजना के आन्तरिक मूल्यांकन से यह पता लगा है कि 71 प्रतिशत भूमि बड़े भूस्वामियों के पास है और लगभग 28 प्रतिशत भूमि ही सीमान्त और छोटे किसानों के पास है। स्वभाविक तौर से गरीब किसानों और भूमिहीन श्रमिकों की सहायता करने के लिए कोई नीति बनाई जानी चाहिए। हम इस समस्या के विरूद्ध कैसे लड़ सकते हैं और असमानता को कैसे दूर कर सकते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में 39 प्रतिशत घरानों के पास 10,000 रुपये अथवा उससे कम धनराशि की कुल सम्पत्ति है। परन्तु उन 39 प्रतिशत घरानों का कुल स्वामित्व, कुल परिसम्पतियों का केवल 5 प्रतिशत है। इससे पता लगता है कि हम एक समानतावादी समाज विकसित करने के उद्देश्य से कितनी दूर हैं। हमें इन समस्याओं का समाधान करना चाहिए और अपने संविधान के अनुसार एक समानतावादी समाज के निर्णय के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। परन्तु इन महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में विपक्ष की राय क्या है? क्या मैं सदन का ध्यान जनता दल के अध्यक्ष द्वारा बनाये गये 71 सूची कार्यक्रम की ओर आकर्षित कर सकता हूं। क्या इससे उन विकट समस्याओं के किसी समाधान का पता लगता है? क्या इस कार्यक्रम में ऐसा कुछ है जिससे सामन्तवाद पूंजीवाद और धन के जमाव के विरुद्ध लड़ा जा सके? क्या इसमें यह उल्लेख किया गया है कि एक समानतावादी समाज का निर्माण कैसे किया जा सकता है। क्या साम्प्रदायिकता के विरुद्ध लड़ने की उनकी कोई नीति है? इन सभी बातों के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है। श्री चन्द्रशेखर को इसी बात का दुख है। वे कहते हैं कि वर्ष 1971 में मूल मुद्दों पर चर्चा की जाती थी। परन्तु अब इन मुद्दों पर चर्चा नहीं की जाती है। श्री चन्द्रशेखर की यह टिप्पणी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उनका एक भी कार्यक्रम ऐसा नहीं है जिसके बारे में दृढ़ विश्वास किया जा सके। वे यह भी कहते है कि विरोधी पक्ष के कई नेता बिना किसी ठोस आधार के स्थिति को काबू में रखने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने वास्तविक मुद्दों के लिए संघर्ष नहीं किया है और वे उन मुद्दों के बारे में उत्तेजित भी नहीं होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि नीतियां और कार्यक्रम उनके लिए केवल एक प्रकार के बाह्य अलंकरण हैं। स्वभाविक रूप से वास्तविक मुद्दों को नहीं उठाया जा रहा है और उन पर चर्चा नहीं की जा रही है। और आज देश में एक खोखलापन व्याप्त है। विरोधी पक्ष प्रत्येक बात के लिए कांग्रेस की आलोचना करता है परन्तु उन्होंने अपनी कोई नीति नहीं बनाई है। यह हमारे लोकतन्त्र की सबसे बड़ी त्रासदी है।

हमारे पास उपलब्धियों की एक लम्बी सूची है। परन्तु काले धन को नियन्त्रित करने के लिए हमें अधिक प्रभावशाली कार्यवाही करनी चाहिए। इस समस्या के बारे में भी विरोधी पक्ष की कोई नीति नहीं है। इसके विपरीत वे केवल भ्रष्टाचार जैसे बाह्य मुद्दों पर ही चर्चा करते हैं। क्योंकि वे यहां उपस्थित नहीं हैं इसलिए उनकी अनुपस्थिति में मैं जोर शोर से उनकी आलोचना नहीं कर सकता। परन्तु मेरा निवेदन यह है कि वे भ्रष्टाचार से समझौता कर रहे हैं। आन्ध्रप्रदेश और कर्नाटक में क्या घटित हो रहा है? उनका सम्पूर्ण आधार

अति उच्च पदों से भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना था। क्या उन्होंने कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और हरियाणा में भ्रष्टाचार से समझौता नहीं कर लिया है। अतः यह हमारे जन जीवन की त्रासदी है।

अब मैं एक सिनेमा गीत का उच्चारण करता हूं:

घर-घर में दिवाली
मेरा घर अन्धेरे में

प्रत्येक घर में रोशनी है परन्तु मेरा घर अन्धेरे में है।

जहां तक उड़ीसा और बिहार का सम्बंध है—श्री गफ्फूर मेरे अच्छे मित्र हैं—हम अन्धेरे में कार्य कर रहे हैं।

इन वर्षों के दौरान उड़ीसा में प्रति व्यक्ति उत्पादकता 216 थी और बिहार में प्रति व्यक्ति उत्पादकता 215 थी।

जहां तक मूल भूत ढांचे के विकास का सम्बंध है इस बारे में राष्ट्रीय औसत 100 है उड़ीसा के आंकड़े 94 हैं और बिहार के आकड़े 90 हैं। केवल यही नहीं, जहां तक उड़ीसा की प्रतिव्यक्ति आय का सम्बंध है, अन्य राज्यों की तुलना में हम उनके काफी पीछे हैं।

जहां तक सांतवीं योजना के प्रति व्यक्ति आबंटन का सम्बंध है, हम राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे हैं। उड़ीसा के आंकड़े 1023 हैं और बिहार के आंकड़े लगभग 900 हैं। अतः जहां तक राष्ट्रीय औसत का सम्बंध है इस बारे में उड़ीसा और बिहार काफी पीछे हैं।

पिछली बार राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह वायदा किया गया था कि अन्तर्राष्ट्रीय और अन्तर जिले की असमानताओं को दूर करने के लिए सक्रिय प्रयास किये जायेगें। परन्तु महोदय मुझे इसका कोई संकेत दिखाई नहीं देता। मेरा निवेदन यह है कि इस बारे में कुछ बल दिया जाना चाहिए। विषमताओं को दूर करने के लिए समय निर्धारित किया जाना चाहिए। ऐसा कैसे किया जा सकता है? सरकारिया आयोग ने इस सम्पूर्ण मसले का विश्लेषण किया है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह उल्लेख किया है कि बिहार की स्थिति 18 है और उड़ीसा की स्थिति 17 है। हमारी स्थिति में सुधार कैसे किया जा सकता है? इसमें केवल तभी सुधार किया जा सकता है जब धनवान और समृद्ध राज्यों से भारी मात्रा में संसाधनों को पिछड़े राज्यों में हस्तान्तरित कर दिया जाये। अन्यथा हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसके विपरीत उन्हें योजना आबंटन केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता धनराशि के हस्तांतरण और उसके वितरण आदि के बारे में वित्तीय आयोग से सहायता मिल रही है। परन्तु हमें पता लगता है कि हम समृद्ध राज्यों से काफी पीछे रह गये हैं। उन्हें पिछड़े राज्यों की अपेक्षा अधिक धनराशि मिल रही है। मेरा निवेदन यह है कि आन्तरिक क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के लिए साहसिक कार्यवाही की जानी चाहिए ताकि हम इस महान देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कर सकें।

[हिन्दी]

श्री के० एन० प्रधान (भोपाल): उपाध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर माननीय गाडगिल जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में हमारे घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय मोर्चे पर जो सफलताएं देश ने प्राप्त की हैं, उनका उल्लेख किया है। माननीय गाडगिल जी ने उनपर काफी विस्तार से प्रकाश डाला है। यह बात सही है कि बड़ी विपरीत परिस्थितियों में हमारे देश में जहां पर 4 वर्ष तक सूखा पड़ा हो, जहां पर बाढ़ें आई हों, जहां पर पंजाब की समस्या हो, जहां पर विदेशी षडयंत्र के फलस्वरूप स्थान-स्थान

[श्री के० एन० प्रधान]

पर दंगे कराने का प्रयास किया गया हो, उसके बाद भी हमारे देश ने उत्पादन में काफी सफलता प्राप्त की है, यह सराहनीय बात है।

इसी प्रकार से अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी हमने जहां अपने पड़ौसियों के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाकर इस देश को तनाव से काफी मुक्त किया है उसी प्रकार हमने पूरे विश्व में इस बात की एक मानसिकता बनाई है बड़ी शक्तियों को भी इस बात पर सोचने के लिए मजबूर किया है कि न्यूक्लियर वीपन्स को उन्हें खत्म करना पड़ेगा। यह बड़ी सफलतायें हैं जिन की सराहना पूरा विश्व करता है, दुनिया के सभी देश करते हैं और मैं समझता हूं इतिहास भी इसका उल्लेख किए बगैर नहीं रहेगा। लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि हमारे इस प्रजातंत्र में जो एक जिम्मेदार अपोजीशन होना चाहिए उसके बजाए एक इर्रेस्पांसिबल अपोजीशन है और ऐसा लगता है कभी कभी कि इनके सामने कोई भी इस प्रकार की कांस्ट्रक्टिव बात करना केवल भैंस के आगे बीन बजाने के तरह से है। उनकी नजर केवल कुर्सी पर है जिसका सबूत यह है कि आज वे लोग यहां से गायब हैं जबकि हमारे प्रधान मंत्री जी ने, पूरी जो घटना है उस पर प्रकाश डाला है और खेद भी व्यक्त किया है लेकिन उनका चूंकि एक ही उद्देश्य है, यह इस बात से भी साबित है कि अभी जिसे कहते हैं- सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा — उनके पास कुर्सी नहीं है फिर भी इतना लड़ रहे हैं और अगर उनके पास कुर्सी आ जायेगी तो देश का कितना कबाड़ा करेंगे इसको देश के लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कांग्रेस को ही इस देश में सब कुछ करना है। हमने जो कुछ किया है उसके बाद भी अभी हमें बहुत कुछ करने को शेष है।

हमारे देश के सामने कई समस्यायें हैं जिनका राष्ट्रपति जी ने भी उल्लेख किया है। जैसे कि राष्ट्रपति जी ने बताया है कि विदेशी मुद्रा भुगतान की स्थिति चिन्ताजनक है हमारे देश में। इसी प्रकार से मंहगाई और बेरोजगारी, यो दो-तीन समस्यायें ऐसी हैं जिनकी तरफ हमें विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा तभी हम अपने देश को आगे बढ़ा सकेंगे। अभी कल बजट भाषण में हमारे वित्त मन्त्री जी ने इस बात की ओर इंगित किया है कि विभागों के खर्चों में कमी की जायेंगी, विभागों को बताया गया है इसके लिए, लेकिन मेरा निवेदन है कि केवल विभागों को बता देने से निश्चित रूप से और आवश्यक रूप से खर्चों में जो कमी होनी चाहिए वह नहीं हो पायेगी। इसलिए हमें खास तौर से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारे इस ढांचे में हम किन किन चीजों पर खर्चों में कमी कर सकते हैं और उसके लिए इंस्ट्रक्शंस जबतक हम विभागों को नहीं देंगे तबतक हमारे विभागों में जो फिजूलखर्ची हो रही है उसको हम रोक नहीं पायेंगे।

इसी प्रकार से विदेशी मुद्रा बचाने की तरफ भी हमें विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। हमारे यहां विदेशी यात्रायें जिस प्रकार से होती हैं उनके सम्बन्ध में मैं कह सकता हूं कि निश्चित ही हमने उसमें इस बात पर ध्यान नहीं रखा है कि कितनी यात्रायें जरूरी हैं और कौन यात्रायें नहीं करनी चाहिए। इसपर भी यदि हमने विशेष ध्यान नहीं दिया तो हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पायेंगे।

इसी प्रकार से एक और भी बहुत बड़ी खराबी है और वह यह कि हमारे देश के अन्दर इंप्लीमेन्टेशन का जो ढांचा है वह कहना चाहिए कि काफी ऊबड़-खाबड़ हो गया है। आजसे लगभग 18-20 वर्ष पहले हनुमन्तैय, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन बनाया गया था, उसने अपनी रिपोर्ट भी दी थी, उसका कितना इंप्लीमेन्टेशन हुआ मैं नहीं जानता लेकिन यह निश्चित है कि जो ढांचा एक पिरामिड की तरह होना चाहिए उसके विपरीत जो हमारा ढांचा बड़ा है उसमें आफिसर्स और सुपरवाइजर्स की एक फौज खड़ी होती जा रही है — फिर चाहे वह सरकारी मशीनरी हो या पब्लिक सेक्टर की मशीनरी हो। अगर पिरामिड के ऊपर का हिस्सा ज्यादा चौड़ा हो जायेगा तो निश्चित ही इम्बैलेन्स पैदा होगा। हमारे देश के

इंप्लीमेन्टशन के ढांचे में इम्बैलेंस होता जा रहा है। बल्कि यूं कहा जाए एक प्रकार से हम मेराथन दौड़ दौड़ रहे हैं। एक निश्चित स्पीड के साथ, निश्चित दिशा में जो हमें दौड़ना चाहिए उसमें हमारी कमी है।

इसी प्रकार से हमारे सामने एक सबसे बड़ी समस्या बेरोज़गारी की समस्या है। शिक्षित बेरोज़गारी की समस्या अलग है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों के सम्बन्ध में इस बात की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उनमें सबसे बड़ी समस्या कम रोज़गारी की है। देहात में लोगों को पूरे साल भी रोजगार नहीं मिलता है। जितना काम उनको मिलता है वह उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं होता। खुशी की बात है कि इस बेरोज़गारी को दूर करने के लिए हमारे बजट में खास तौर से एक प्रविजन किया गया है — एन आर ई पी और आई आर डी पी को मिलाकर उसको एक खास रूप दिया गया है। इसी प्रकार से हर खानदान में कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार देने की गारन्टी दी गई है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा। एक बात तो यह है कि सर्विसिज में एक्सटैंशन की बीमारी को हमें खत्म करना चाहिए। एक्सटैंशन सिर्फ उसी सूरत में मिलना चाहिए, जहां बिल्कुल अनिवार्य हो। स्पैशलाइजेशन की समस्या हो, जिसके बगैर काम नहीं चल सकता, उसी सूरत में सर्विसिज में एक्सटेंशन मिलना चाहिए। जितनी भी जगह खाली पड़ी हैं, वहां नौजवान बरोज़गारों को उन जगहों पर जल्दी से जल्दी भरना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इस देश में जब पहली पंच वर्षीय योजना बनी थी, तक इत्तिफाक से एग्रीकल्चर पर जो जोर देना चाहिए था, उस वक्त जोर नहीं दिया गया। बाद में फिर उस पहली पंचवर्षीय योजना को अमेंड किया गया और कृषि पर ज्यादा जोर देकर कृषि के क्षेत्र में तरक्की की गई। उस वक्त की दूरदेशी की बात ने आज अपने देश को सैल्फ-साफिशियेंट बनाया।

इसी प्रकार जो दूसरी सबसे बड़ी चीज है, वह है श्वेत क्रान्ति की बात, जो हमने उठाई। पिछले वर्षों में श्वेत क्रान्ति की बात कही गई, लेकिन उस पर जितना जोर होना चाहिए था, वह इस देश में जोर नहीं रहा। उस पर हमने उतना ध्यान नहीं दिया, जितना कि देना चाहिए था। हमारे देश में आज भी 60-61 करोड़ पशु हैं, जिनकी स्थिति ठीक नहीं है। उनके चारे के उत्पादन की व्यवस्था आज भी ठीक नहीं है, हम खास तौर से इस बात पर जोर दें कि अगर हमें श्वेत क्रान्ति को लाना है, तो उसके लिए कितने चारे की अवश्यकता होगी, उसका प्रबन्ध करना चाहिए। इसी प्रकार उन की नस्ल को सुधारना, पशु-धन को स्वस्थ रखने के लिए दवाईयों का प्रबन्ध करना चाहिए। हमारे देहाती क्षेत्रों में बेरोज़गारी और कम बेरोज़गारी की समस्या है। हम कहते हैं कि गरीबी की रेखा से ऊपर उठानेवाले लोगों को आईडेंटिफाई किया हुआ है। हमने कल्स्टर तैयार किया हुआ है। क्या हम सब को एक साथ उठा सकते हैं, नहीं उठा पा रहे हैं। जिन लोगों की मदद हम नहीं कर पा रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि वे बराबर इन्तजार करते रहेंगे कि एक समय आएगा, जब मुझे मदद मिलेगी या कम से कम मेरे बेटे को मिलेगी। उसके लिए यह ज़रूरी है कि इस श्वेत क्रांति की तरफ ध्यान दें, जिसमें देहातों में ज्यादा से ज्यादा पशु पालन का विस्तार करें। इससे हमें एनर्जी मिलेगी और इससे हमें अच्छी खाद मिलेगी। इन सब चीज़ों से हमको फायदा होने वाला है।

इसी प्रकार से पिछले एक-दो वर्षों से धीरे-धीरे यह मानसिकता बढ़ी है कि कन्जर्वेशन आफ एनर्जी होनी चाहिए, लेकिन इस तरफ कोई कन्सर्टेड-एफर्ड नहीं किया गया है। इस दिशा में हमने कोई ऐसा कार्यक्रम बनाया नहीं है, जिससे हम देश की मानसिकता बना सकें। कन्जर्वेशन आफ एनर्जी-बगैर खर्च किए हुए एनर्जी प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है। इससे हमारे देश को आगे बढ़ने में काफी मदद मिलने वाली है। इस तरफ सरकार ने ध्यान नहीं दिया है, मुझे उम्मीद है सरकार इस पर खास तौर से ध्यान देगी।

कहा जाता है कि हमारे देश में अनाज के भंडार पहले से अच्छा है। लेकिन इस तरफ गौर नहीं किया जा रहा है कि हर प्रान्त के अन्दर गांव-गांव में राशन की मात्रा बहुत कम मिलती है। इस वजह से कितने लोगों से भला-बुरा सुनना पड़ रहा है। आज महंगाई की वजह से कितने गरीब आदमियों को सरकारी

[श्री के० एन० प्रधान]

दुकानों से गल्ला मिलता है।वह गल्ला नहीं मिल पा रहा है।मुझे ऐसा लगता है कि शायद एडमिनिस्ट्रेशन में वे लोग मौजूद हैं जो खास तौर से नाजुक मौके पर इस बात का प्रयास करते हैं कि बगैर देखे हुए कैसे कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार को बदनाम किया जाए। मैं मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पूरे देश के अन्दर कम से कम जो हम अनाज देते हैं, वह इतना तो दें जिससे उनका पेट तो भर सके। खुशहाली की बात अलग है, लेकिन मैं आप से एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि किसानों को जो अपनी नैसेसीटीज़ हैं, उनमें से सब से बड़ी नैससिटीज़ खाने-पीने की है। आज हमने पूरे देश के अन्दर इस बात को आईडेंटिफाई कर लिया है गरीबी की रेखा से नीचे कितने लोग रहने वाले हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने आदिवासियों के लिए सब्सिडाइज्ड फूड देना शुरू किया था। 1.50 रु. किलो के हिसाब से गेहूं दिया जाता था। आज सरकार को इस बात के लिए संजीगदगी के साथ विचार करना चाहिए कि खुशहाली जब होगी तब होगी, जब उत्पादन बढ़ेगा, तब बढ़ेगा, तब ज्यादा लोगों को खुशहाल कर पायेंगे, लेकिन इस वक्त जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, जिनकी स्थिति आज भी भूखमरी की है, हम यह नहीं कहते कि वे भूखे मरते हैं, लेकिन यह भी सही है कि वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। इन सभी लोगों को जो गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं, उन को सब्सिडाइज़ड फूड दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार उनको एक बत्ती का कनैक्शन भी दिया जाना चाहिए। आपने स्वतंत्रता सैनानियों के लिए पेंशन बढ़ाई है, यह आपने बहुत अच्छा कदम उठाया है।

1.00 म.प.

लेकिन इतने वर्षों के बाद भी आज भी कई केस पेन्डिंग हैं और उन के मसले तय नहीं हो पाए हैं। इन को तय होना चाहिए। पूरे देश के अन्दर हमने केन्द्र और राज्य के अलग-अलग स्वतंत्रता सेनानी बना रखे हैं। उन सब को एक करके पेंशन मिलनी चाहिए। निराश्रतों की पेंशन की तरफ़ भी ध्यान देना चाहिए।

श्रीमन्, पीने के पानी की समस्या के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। हम समझते हैं कि इस वर्ष बारिश अच्छी हुई है, इसलिए सब ठीक होगा लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि आज देश के कई कौने ऐसे हैं, जहां पर आप देखेंगे कि वाटर लेविल जितना ऊंचा होना चाहिए था, वह नहीं हुआ है और इन गर्मियों में ऐसी जगहों पर समस्या आने वाली है। खासकर में मध्य प्रदेश के बारे में कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में पानी की समस्या उत्पन्न होगी और अगर इस पर अभी से ध्यान नहीं दिया गया, तो लोगों को बहुत तकलीफ़ होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में मुसलमानों की पापूलेशन बहुत ज्यादा है और जो मुस्लिम देश हैं, उन में से कई से भी ज्यादा है। एक मुसलमान की अपनी जिन्दगी में उस की सब से बड़ी ख्वाहिश यह होती है कि वह हज कर के आए लेकिन जो हज यात्री हैं उन की जो तकलीफ़ें हैं, मुसीबतें हैं उन की तरफ़ कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। एयर इंडिया की विशेष उड़ान से वे जद्दाह जाते हैं लेकिन उस के लिए उन को दिल्ली और बम्बई जाना पड़ता है और वहां पर उन को 15, 15 और 20, 20 दिन पड़े रहना पड़ता है। उन को खाने पर, ठहरने पर और आने-जाने के लिए बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है। इसलिए ऐसी व्यवस्था हो कि उन के सभी कागजात की पूर्ति उन की राजधानी के अन्दर हों और इंडियन एयर लाइन्स से आ कर उन को बम्बई और दिल्ली में कनेक्टेड उड़ान मिले, जिससे वे यात्रा कर सकें। मैं समझता हूं कि इस को आप को देखना होगा।

अन्त में एक बात में बछावत कमीशन के बारे में कहना चाहता हूं। पत्रकारों के लिए जो यह कमीशन बना है इस की रिपोर्ट जल्दी आ जाए। उसकी रिपोर्ट आने के बाद के इम्पलीमेन्टेशन का सवाल पैदा

होगा। समाचार-पत्रों में जो एडवरटाइजमेंट्स आते हैं, मेरा सुझाव यह है कि जब तक वे इसकी सिफारिशों को इम्पलीमेंट न करें, उन को एडवरटाइजमेंट न दिया जाए। आज कई अखबारों के मालिक इन को बोनस नहीं देते हैं। मेरा यह सुझाव है कि एडवरटाइजमेंट्स का जो पैसा है, उस में कुछ हिस्सा सरकार काट कर जो श्रमजीवी पत्रकार हैं, उन की ओल्ड-एज पेंशन के लिए व्यवस्था उस में से करे। हमने दो हिस्से अखबारों के किये हैं। एक बड़े अखबार और दूसरे मझौले और छोटे अखबार। मझौले और छोटे अखबारों को अलग अलग कर दिया जाना चाहिए जिससे छोटे अखबार जिन्दा रह सकें और अपनी हकतलफी न होने दें।

डी०ए०वी०पी० के बारे में आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक जमाना था जब 45 दिन की लिमिट रहती थी और उस के अन्दर डी०ए०वी०पी० को पेमेन्ट करना होता था लेकिन आज तो छह-छह महीने तक पेमेन्ट नहीं होता है। यह जो स्थिति है, इस की तरफ आप को ध्यान देना चाहिए।

अन्त में एक बात गैस पीड़ितों के बारे में कहना चाहता हूं। फैसला हो चुका है। इस से जो पैसा मिला है, उस का पीरियोडिकल फिक्सड डिपोजिट करें। इस से हम को 20 लाख रुपये रोज मिल सकते हैं। इस से हम लोगों की मदद कर सकते हैं। जो भी स्कीम बनाई जानी है, वह जल्दी से जल्दी स्कीम सुप्रीम कोर्ट बनाए ताकि पैसे के बंटवारे का इन्तजाम हो सके और इन लोगों को राहत मिल सके।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा 2.05 म. प. पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

1.03 म. प.

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.05 म. प. तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.10 म० प० पर पुनः समवेत हुई।
[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव — [जारी]

उपाध्यक्ष महोदय: अब, मैं श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी का बुलाता हूं

[हिन्दी]

श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय। राष्ट्रपति महोदय ने संसद को संबोधित करते हुए जो उदबोधन किया है, उसके समर्थन में मैं बोल रहा हूं। यह कहते हुए मुझे परम संतोष है कि हमारे राष्ट्रपति महोदय ने भारत सरकार की नीतियों के संबंध में, उपलब्धियों के संबंध में, जन-कल्याण-कार्यक्रमों के संबंध में जिस विस्तार से प्रकाश डाला है, वह सर्वथा सराहनीय है और हम सब लोगों के लिए संतोषजनक है और आनंद की बात है। मैं 2-3 बातों की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जहां एक ओर विदेश नीति के बारे में, आर्थिक उन्नति के बारे में, नई शिक्षा नीति के बारे में, प्रौद्योगिक आकलन के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला गया है, वहीं पर कुछ चीजें नजर-अंदाज हो गई हैं। मैं विशेष रूप से नई शिक्षा नीति के बारे में ध्यान दिलाना चाहता हूं, जिसका उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति महोदय ने बहुत सुन्दरतम विचार व्यक्त किए हैं, परंतु नई शिक्षा नीति में जो एक कमी रह गई है, उस ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। आधुनिक शिक्षा के लिए जिस प्रकार ज्ञान-विज्ञान और धन की आवश्यकता है, उस पर भारत

[श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी]

सरकार का ध्यान पूरी तरह से गया है, परंतु भारतीय संस्कृति के लिए, भारतीय भाषाओं की जननी होने के नाते, भारतीय संस्कारों के लिए, प्राचीन साहित्य को संरचना के लिए जिस संस्कृत भाषा की आवश्यकता है, उसकी संपूर्ण उपेक्षा इस शिक्षा नीति में हो रही है। मैं चाहता हूं कि इस शिक्षा नीति में इस प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता है जिसमें संस्कृत का स्थान अक्षुण और सुरक्षित रहे, क्योंकि संस्कृत के बिना इस देश की अस्मिता का परिचय पाने और अस्मिता की रक्षा करने में बहुत कठिनाई होगी।

दूसरी बात इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत के राष्ट्रपति ने जिस प्रकार से संपूर्ण भारत की चिंता की है, उसमें भारतीय भाषाओं का कोई उल्लेख नहीं है। भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी के संबंध में और अष्टम सूची में जो भाषाएं हैं, उनके संबंध में, उनके विकास की जिम्मेदारी भारत सरकार पर संविधान निर्माताओं ने डाली थी, परंतु इस तरफ राष्ट्रपति महोदय ने ध्यान नहीं दिया है। मैं सदन का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि राजभाषा नीति, भारत की भाषाओं से विकास की नीति अगर संचालित ढंग से नहीं की जा सकती तो उसमें बहुत नुकसान होने की संभावना है। असंभव काम है कि किसी स्वतंत्र देश में उसकी भाषाओं की उपेक्षा होती रहे। भारतीय प्रतिभाओं के विकास और प्रतिभाओं की उन्नति होने का अवसर तब तक पूरी तरह से नहीं मिलेगा जब तक भारतीय भाषाओं के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

मैं देखता हूं कि आज शिक्षा नीति में जहां संस्कृत की उपेक्षा है, वहीं दूसरी भाषाओं के बारे में भी सावधानी नहीं बरती जा रही है, जितनी बरती जानी चाहिए। एक निवेदन यह भी है कि भारतीय भाषाओं को शिक्षा के बारे में, संविधान के बारे में और जन संपर्क के विभिन्न आयामों के बारे में भाषाओं का उपयोग जिस रूप में होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। इसके लिए जो भी नीतियां अपनाई जानी चाहिए, वह नहीं अपनाई जा रही हैं। इस बारे में मैं यह भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि संसद की राजभाषा समिति द्वारा 3 प्रतिवेदन भारत सरकार को प्रस्तुत हो चुके हैं, लेकिन उनका कोई उल्लेख नहीं किया गया है, यह होना चाहिए। मैं देख रहा हूं कि भारतीय भाषाओं का वह स्वरूप होने में बड़ी कठिनाई पैदा हो रही है, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, उच्च न्यायालय हों, जिला न्यायालय हों, सभी क्षेत्रों में यह देखने को मिल रहा है कि भारतीय भाषाओं की अपेक्षा नहीं हो रही है, उपेक्षा हो रही है और इतना ही नहीं कि अंग्रेजी को बराबर बनाए रखा जा रहा है जिसमें न तो देश की आम जनता ज्ञान-विज्ञान ले पा रही है और न आम जनता किसी चीज को समझने में समर्थ हो पा रही है। परन्तु हमारा ध्यान उस ओर उतनी सावधानी से नहीं जाता जितना जाना चाहिए। श्रमिक नीति के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। हम जब उद्योग की अधिक माडर्नाइज करके उत्पादन क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तब हम यह भूल जाते हैं कि भारतीय उद्योग नीति जिसको स्व० इंदिरा जी ने और भी परवान चढ़ाया था आज श्री राजीव गांधी जी के नेतृत्व में मजदूरों और किसानों के लिए जो पिछड़े और गरीब हैं उनको उन्नत बनाने के लिए जिस प्रकार से सुन्दरतम नीतियों की व्याख्या की जा रही है, जो कदम उठाए जा रहे हैं, जिन कार्यक्रमों को बनाया जा रहा है वे सब एक जगह पर आकर उपेक्षित हो जाते हैं। जब कभी हम उद्योग नीति को और बढ़ाना चाहते हैं अच्छे विकास के मार्ग पर और माडर्नाइजेशन के नाम पर जब मजदूरों की छंटनी करना चाहते हैं तो और क्लेश बढ़ता है। अभी मैंने अपने क्षेत्र कानपुर में देखा कि एन० टी० सी०, बी० आइ० सी० जो इस तरह के भारत सरकार के संस्थान हैं, इनकी मिलों में पांडे अवार्ड लागू हुआ। लेकिन पांडे अवार्ड के विरूद्ध मजदूरों ने हड़ताल की और पांच-पांच, छह-छह दिन तक रेल की पटरी पर हजारों मजदूरों ने लेटकर उस काम को नहीं होने दिया। आम जनता को

उससे तकलीफ हुई। परन्तु हमने वही काम पांच-छह दिन बाद किया। मेरा निवेदन यह है कि उद्योग नीति बनाते वक्त, उत्पादन क्षमता बढ़ाते वक्त इस बात को बराबर ध्यान में रखे कि देश के गरीब मजदूरों का कहीं भी कोई अहित न होने पाए नहीं तो लोक-कल्याणकारी राज्य में इस प्रकार की चीजों को चलाना बड़ा कठिन हो जाता है। जो मिलें सौ साल पुरानी हैं जिनको माडर्नाइज नहीं किया गया है और जिनकी पुरानी मशीनरी में उतना वर्कलोड नहीं हो सकता जितना वर्कलोड बम्बई की आधुनिक मिलों में हो सकता था। कानपुर की मशीनों पर उतना वर्कलोड डालना संभव नहीं है जितना कि बम्बई की मशीनों में डाला जा सकता है। माडर्नाइज करते वक्त यह बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि श्रमिक नीति में इस प्रकार का कोई भी कदम न उठाया जाए जिससे मजदूरों का अहित हो। मजदूरों के कल्याण के लिए, नौकरी के लिए और मजदूरों के विकास के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं तब हमारी उद्योग नीति में इस प्रकार का कोई भी कदम नहीं होना चाहिए जिसमें मजदूरों की नौकरी और रोजी-रोटी पर असर पड़े तथा मजदूरों को आंदोलन के लिए निकलना पड़े और मजदूरों को उन कठिनाईयों में जाना पड़े जिनसे आम जनता को तकलीफ होती है। हम सब लोगों ने यह प्रयत्न किया कि इस प्रकार के कदम मजदूर भाई न उठाएं। लेकिन मजदूर भाईयों की मांग का समर्थन करना उचित लगा। हम जब उद्योग को माडर्नाइज करने जाएं तब इस बात का ध्यान रखें कि इन मजदूरों की न तो छंटनी हो और जिन मजदूरों को काम मिलना चाहिए उनको काम दे सकें। हम जब मजदूरों को काम देने की स्थिति में रहेंगे तो तभी उद्योग बढ़ेगें, प्रौद्योगिकी बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा और देश के गरीब से गरीब आदमी को जो श्री राजीव गांधी का नारा है और श्री राजीव जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम है उसको सफलता मिलेगी। मैं समझता हूं आत्मा की आवाज को सुनने के लिए भारतीय भाषाएं और उसकी जननी और उसकी संस्कारजन्य संस्कृत भाषा, इनकी उपेक्षा नहीं की जायेगी। इन शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा गया है उसका समर्थन करता हूं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्यमंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं संसद में राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण पर धन्यवाद देने और मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित कुछ विषयों से संबंधित कुछ विशेष मुद्दों का उल्लेख करने के लिए, खड़ी हुई हूं। गत चार वर्षों से राजीव गांधी सरकार द्वारा कार्यभार संभालने के बाद युवा कार्य तथा खेल विभाग तथा महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए बहुत से नये कार्यक्रम आरंभ किये गये हैं और मैं समझती हूं कि कुछ ऐसे कार्यक्रमों का आज सदन में उल्लेख करना मेरा कर्तव्य है। महिला और बाल विकास के लिए आबंटन में छठी योजना में 256 करोड़ रुपये के सातवीं योजना में 741 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जिससे देश के जीवन के बहुत से क्षेत्रों में काफी लंबे समय से उपेक्षित महिलाओं के लिए नई योजनाएं और नये कार्यक्रम आरंभ करने की काफी गुजाइंश उत्पन्न हुई है। यह सत्य है कि विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों से वे आज यहां उपस्थित नहीं हैं द्वारा प्रस्तुत एक संशोधन इस देश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों का उल्लेख न करने के बारे में है। मैं यह कहते हुए अपना भाषण आरंभ करना चाहूंगी कि यदि अधिक आंकड़े उपलब्ध हों, यदि अधिक अपराधों को दर्ज किया गया है और यदि अधिकाधिक महिलायें शिकायत कर रही हैं और कानूनी उपचारों की मांग कर रही हैं तो इसका अभिप्राय यह है कि कानून अधिक प्रभावशाली बने है उनमें जागरूकता बढ़ रही है और महिलायें यह जानती हैं कि उन्हें अत्याचारों से अपनी रक्षा करने और संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार है और मैं समझती हूं कि यह पिछले कुछ वर्षों से की गई कार्यवाही का एक सकारात्मक परिणाम है। वर्तमान कानूनों में संशोधन सहित बहुत से उपाय किये गये हैं। भर्ती के समय और भर्ती के बाद महिलाओं के साथ किये जा रहे भेदभाव को रोकने के

[श्रीमती मारग्रेट आल्वा]

लिए वर्ष 1976 के समान पारिश्रमिक अधिनियम में संशोधन किया गया। उपबंधों को अधिक कड़े बनाने और कार्यक्षेत्र में विस्तार करने के लिए स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम में पुनः संशोधन किया गया। दहेज प्रतिषेध अधिनियम में संशोधन किया गया और दहेज हत्या के मामलों में साक्ष्य का दायित्व पतियों के परिवारों पर डालने और उसके परिणाम स्वरूप दांडिक कानून और साक्ष्य अधिनियम में संशोधन करने के लिए नये उपबंध बनाये गये।

1984 में पारित कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम के संबंध में हम राज्य सरकारों को इसे लागू करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि आज देश में छः राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों ने इसका जवाब नहीं दिया है। हमें आशा है कि सभी राज्य इस बारे में कार्यवाही करेंगे क्योंकि यह मुख्य रूप से उनका दायित्व है। हमने प्रचार माध्यमों तथा अन्य तरीकों से महिलाओं को गलत तरीके से प्रदर्शित करने को रोकने के लिए महिला अनैतिक व्यवहार निवारण अधिनियम 1986 पारित किया। हमने पिछले चार वर्षों के दौरान दो आयोग गठित किए। एक तो न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर की अध्यक्षता में महिला कैदियों पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति थी और इस समिति की सिफारिशों को संबंद्ध विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से लागू किया जा रहा है। श्रीमती इला भट्ट की अध्यक्षता में स्व-रोजगार वाली महिलाओं पर राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट भी हमारे पास है। इसने बहुत ही सही सिफारिशें की हैं जिनका अध्ययन किया जा रहा है और इन्हें यथा संभव लागू किया जाएगा। इसमें असंगठित क्षेत्र की महिलाओं के बारे में मुख्य रूप से कहा गया है, ये महिलाएं अपनी कमजोर स्थिति के कारण सबसे ज्यादा शोषित वर्ग है। महिलाओं पर राष्ट्रीय समिति को प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में गठित किया गया था और इसी पहले ही दो बैठकें हो चुकी हैं। हमने इसमें महिलाओं से संबंधित मामलों पर सलाह देने के लिए सभी क्षेत्रों की महिलाओं को शामिल किया है।

हमने अनेक नए कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। एक कार्यक्रम महिलाओं का विकास निगम था और मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि 11 राज्य पहले ही यह निगम स्थापित कर चुके हैं और तीन राज्य इन्हें स्थापित करने वाले हैं। इसके लिए कल के सामान्य बजट में भी धनराशि के प्रावधान में वृद्धि की गई है। इनमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ये निगम महिलाओं के उन कार्यरमों के विकास के मुद्दों पर बल दे रहे हैं जिनमें प्रशिक्षण के लिए धनराशि देने और नए रोजगार कार्यक्रम तथा कर्जे की व्यवस्था और बाजार तथा उनकी सहायता के लिए ऐसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना शामिल है। राज्य सरकार द्वारा 51% धनराशि देने पर इसके बराबर केन्द्र 49% धनराशि देता है। हमने लोक सहयोग तथा बाल विकास राष्ट्रीय संस्थान में एक महिलाओं का प्रभाग खोला है जो पिछले दो वर्षों से बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। हम इसे महिलाओं के लिए राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र के रूप में बनाना चाहते हैं जो महिलाओं के कार्यक्रमों का अध्ययन करने के लिए एक केन्द्रीय स्थल होगा, इसकी आवश्यकता काफी लंबे अर्से से महसूस की जा रही थी तथा महिलाओं के मामलों पर आवश्यक अनुसंधान तथा योजना आयोजन में अन्य बातें उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पूरी करेगा। हमने अपने कार्यरत महिलाओं को होस्टल कार्यक्रम का विस्तार किया है। क्योंकि हमें इस कार्यक्रम पर बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है, हम इस योजना अवधि में 600 नए होस्टल स्थापित करना चाहते हैं और हमें विश्वास है कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इसके अतिरिक्त, थोड़े समय के लिए अल्पावधिआश्रय की योजना भी चालू की गई थी और सारे देश में जरूरतमंद महिलाओं की मदद के लिए हमने ऐसे 49 घर स्थापित किए हैं।

अनेक महत्वपूर्ण प्रशासनिक उपाय किए गए हैं और मैं इनमें से कुछ का उल्लेख करना चाहूंगा।

सबसे पहले तो कार्मिकी विभाग ने ये हिदायतें भेजी हैं कि यदि पति और पत्नी दोनों सार्वजनिक उद्यम या सरकार में कार्यरत हैं तो जहां भी संभव हो वहां एक ही स्थान पर दोनों की नियुक्ति की जाए। दूसरा यह है कि सरकारी तथा स्वायत्त निकायों के सभी चयन मंडलों में एक महिला का होना अनिवार्य कर दिया गया है।

तीसरा यह है कि प्रसूति अवकाश के नियमों के उपबंधों की सही व्याख्या की गई है और एक और कदम यह है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और अन्य अधिकारियों सहित प्रशासनिक अधिकारियों को सुग्राही बनाने का कार्यक्रम। इस नीति को लागू करने के लिए सुग्राही बनाने की प्रक्रिया उन के प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रारंभ की गई थी और यह मुख्य रूप से अधिकारी वर्ग पर निर्भर है। इस कार्यक्रम को उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक अनिवार्य भाग के रूप में प्रारंभ किया गया है। इसके अलावा महिलाओं के कार्यक्रमों पर कार्यवाही करने ओर इनको लागू करने पर बल देने के लिए विभिन्न मंत्रालयों में विशेष कक्ष स्थापित करने के लिए हमने पहल की। अभी हमारे 5 मंत्रालयों में यह कक्ष हैं। हमने विभिन्न मंत्रालयों में शिशु गृह खोलने का कार्यक्रम भी चलाया है। क्योंकि सरकार एक आर्दश नियोक्ता है इसलिए हम चाहते थे कि दिल्ली में मंत्रालय पहले महिलाओं की आवश्यकताओं पर कार्यवाही करें। अनेक मंत्रालयों ने बहुत अच्छी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और इसके लिए कार्य शुरू किया है। हमने महिलाओं के लिए अर्द्ध-कानूनी प्रशिक्षण और कानूनी साक्षरता का एक बड़ा कार्यक्रम भी प्रारंभ किया है क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक महिलाएं अपने अधिकार नहीं जानती और उन्हें लागू करने की प्रक्रिया नहीं जानती हैं, हमारे सभी कानून व्यर्थ हैं। हमने पीड़ित महिलाओं के लिए गृहों के अतिरिक्त मुफ्त कानूनी सहायता तथा सलाह केन्द्र भी चालू किए हैं। महिलाओं पर ज्यादतियों को रोकने के लिए शैक्षिक तथा प्रचार माध्यमों के अभियान भी बड़े स्तर पर चालू किए गए हैं। प्रचार माध्यमों में प्रदर्शनियों, पोस्टरों, टी० वी० तथा रेडियो के कार्यक्रमों को शामिल किया गया है। हमें आशा है कि शीघ्र ही हम महिलाओं के अधिकारों पर आयोग बनाने की पुरानी मांग पर कार्यवाही कर सकेंगे। यह प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है और इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जा रहा है।

हमारा विभाग महिलाओं के कार्यक्रम पर निगरानी रखने का कार्य भी कर रहा है। कार्यक्रम लागू कर रहे मंत्रालय के अलावा भी हमारा विभाग 27 लाभार्थी-उन्मुख कार्यक्रमों पर निगरानी रख रहा है। हमें आशा है कि जब राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र स्थापित हो जाएगा तो हम इस क्षेत्र में और अधिक कार्य कर सकेंगे।

नई शिक्षा नीति में समानता पर शिक्षा में बल दिया गया है और इस बारे में हमारा विश्वास है कि यह तो महिलाओं के स्तर को बदलने के संबंध में शुरुआत है। 1985 में राजीव गांधी की सरकार ने पहली घोषणा यह की थी कि उच्च विद्यालय स्तर तक लड़कियों को निशुल्क शिक्षा दी जाए। राज्य सरकारों द्वारा महिलाओं की उच्च विद्यालय तक की शिक्षा पर किया गया खर्च केन्द्र देता है। दुर्भाग्यवश यह कार्य राज्यों में काफी पिछड़ा हुआ है और हमें आशा है कि राज्य सरकारें इसका लाभ उठाएंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि लड़कियों के लिए अधिक से अधिक स्कूल तथा सुविधाएं उपलब्ध हों। महिलाओं की शिक्षा से संबंधित विशेष समस्याओं से निपटने के लिए हमने शिक्षा विभाग में एक विशेष कक्ष खोला है। तथा लड़कियों के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा तकनीकी शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। अब विश्वविद्यालयों मे महिलाओं के अध्ययन के लिए 25 केन्द्र हैं जो अनुसंधान तथा अन्य कार्यों के अलावा समुदायों को सुग्राही बनाने के विशेष मुद्दे तथा महिला छात्रों के मामलों पर भी कार्य कर रहे हैं।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमने देखा है कि 1971 में 1000 पुरुषों के पीछे 930 महिलाओं के अनुपात में भी सुधार हुआ है। हम एक दशक में 1981 में 100 पुरुषों के पीछे 935 महिलायें पाते हैं। महिलाओं की अपेक्षित आयु भी 1951 में 31.7 वर्ष से बढ़कर 1981 में 51.2 वर्ष हो गई है। इससे पता लगता है कि महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय महिलाओं को टेटनस से बचाने के टीके लगाने तथा अनेक अन्य कार्यक्रम प्रारम्भ कर रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान

[श्रीमती मारग्रेट आल्वा]

हमने महिलाओं पर 'सार्क' की तकनीकी समिति की अध्यक्षता की। वास्तव में इस समिति की अध्यक्षता करने वाला भारत पहला देश था और हमने अनेक उपयोगी तथा संतोषजनक कार्यक्रम प्रारम्भ किए। एक कार्यक्रम यह था कि हमने 'सार्क' देशों में ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया जिसे आनन्द स्थित ग्रामीण प्रबन्ध संस्थान में आयोजित किया गया। हमने जयपुर में उद्योगों में महिलाओं पर एक कार्यशाला प्रारम्भ की। हमने बालिकाओं पर 'सार्क' का सम्मेलन आयोजित किया जिसके बारे में यूनिसेफ ने कहा कि 1942 के बाद बालिकाओं पर आयोजित यह पहला सम्मेलन था। इस कार्यवाही पर आगे कार्य करने तथा बालिकाओं के दर्जे में सुधार करने पर बल देने के लिए मुझे यह बताते हुए खुशी है कि हाल ही में इस्लामाबाद में 'सार्क' देशों की सरकारों के अध्ययनों ने 1990 को बालिका वर्ष घोषित किया है।

हमने महिलाओं पर एक राष्ट्रीय संदर्शी योजना प्रस्तुत की है जिसका राष्ट्रपति ने भी संसद में अपने अभिभाषण में उल्लेख किया है। योजना में विकास की मुख्यधारा से बाहर न मानकर महिलाओं को विकास प्रकिया की मुख्यधारा में लाने पर बल दिया गया है। यद्यपि प्रारम्भ में कुछ महिला सगंठनों ने एतराज किया था और आलोचना हुई थी लेकिन मुझे यह कहते हुए खुशी है कि पिछले दो महिनों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में 10-12 सम्मेलनों में काफी विचार विमर्श के फलस्वरूप अब इस योजना को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया है और इसकी प्रशंसा हुई है और यह योजना मंत्रीमंडल की एक समीति के पास है और हमें आशा है कि शीघ्र ही इसके अनेक कार्यक्रमों को लागू करने के लिए मंजूर कर लिया जाएगा और मुझे विश्वास है कि एक बार ऐसा होने के बाद इसका महिलाओं के दर्जे तथा राष्ट्रीय जीवन में उनके शामिल होने पर बहुत प्रभाव पड़ेगा।

बाल विकास के बारे में मुझे यह कहते हुए खुशी है कि एक समन्वित बाल विकास सेवा 1975-76 में 33 परियोजनाओं के साथ प्रारम्भ की गई थी। इसे स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 0-6 वर्ष की आयु श्रेणी में स्कूल जाने से पूर्व के बच्चों की देखभाल तथा विशेष ध्यान देने के लिए प्रारम्भ किया था। 1975 में 33 खंडों से यह कार्यक्रम 1985 में 1,030 खंडों में पहुंच गया है। मुझे यह बताते हुए खुशी होती है कि इस कार्यक्रम के प्रति प्रधानमंत्री की निजी रुचि तथा वचनबद्धता के कारण तथा पिछले चार वर्षों में इसके विस्तार के लिए किए गए विशेष आवंटनों के कारण हम इसे 1,736 खंडों में लागू कर चुके हैं। हमने तीन वर्षों की अवधि में लगगभग 700 खंडों की वृद्धि की है। यह एक व्यापक विस्तार है और मुझे यह कहते हुए खुशी है कि इस बार बजट में इस कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए आवंटन में वृद्धि की गई है।

मैं आशा करती हूं कि आगे चलकर यह ऐसा कार्यक्रम होगा जो देश के प्रत्येक ब्लाक में चलाया जायेगा। इसमें प्रतिरक्षण, स्कूल पूर्व गतिविधियां, विशेष पौष्टिक आहार गर्भवती और पोष्क माताओं की देखभाल करना शामिल है। आज हमारे यहां 1,45,380 आंगनवाड़िया हैं। उन सबका प्रबन्ध महिलायें करती हैं। यह भी एक ऐसा क्षेत्र है जो ग्रामीण महिलाओं को रोजगार प्रदान कर रहा है।

इसके अतिरिक्त प्रारम्भिक बचपन में देखभाल सम्बन्धी कार्यक्रम को शिक्षा विभाग से हमारे विभाग में भेज दिया गया है। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि 1987 में जब इसका हमारे पास अंतरण किया गया उस समय 1023 केन्द्र थे जो बढ़कर 4300 केन्द्र स्थापित हो गये हैं। इस कार्यक्रम से अधिक आयु की लड़कियों को सहारा भी मिलेगा। इन केन्द्रों को मुख्यरूप से प्राइमरी और मिडिल स्कूलों से जोड़ा गया है जहां लड़की छोटे बच्चों को छोड़ सकती हैं और इन प्रारम्भिक बचपन की देखभाल करने वाले केन्द्रों में छोटे बच्चों की देखभाल की जा सकती है। ये मुख्यतः देश के पिछड़े राज्यों में शिक्षा की दृष्टि से बहुत लोकप्रिय हो गये हैं।

प्रधानमंत्री की पहल पर 1986 में हमनें सूखाग्रस्त और पिछड़ें क्षेत्रों में बच्चों के लिए गेहूं पर आधारित विशेष पूरक पोषण कार्यक्रम शुरू किया। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि 1986 में 40 लाख

मिलियन टन गेहूं दिया गया जिसे 1989 में बढ़ाकर 100 लाख मिलियन टन कर दिया गया है। बच्चों के पोषण सम्बन्धी कार्यक्रम को उन क्षेत्रों में अधिक प्रोत्साहन दिया गया है जिनमें पोषण एक समस्या बन गयी है। विगत दो वर्षों में सूखा के दौरान हमने बच्चों के पोषण सम्बन्धी कार्यक्रम का विस्तार किया है जिसके लिए राज्यों को 55.51 करोड़ रुपये की धनराशि दी गयी है। हमनें कुछ केन्द्रों का दौरा किया है। यह माना गया है कि हमने विगत दो वर्षों में यह अनुभव किया कि इस कार्यक्रम से भयंकर सूखा के दौरान अनेक बच्चों की देखभाल हुई जिसे स्वयंसेवी दलों तथा राज्य सरकारों द्वारा शुरू किया गया था।

महोदय, राष्ट्रपति ने भविष्य में नवयुवकों की भूमिका का विशेषरूप से उल्लेख किया है। उन्होंने उन्हें भी शामिल करने के बारे में कहा है। युग मामलों कये विभाग को इसके कार्यों में प्रोत्साहित किया गया है। छठी पंचवर्षीय योजना में हमारा व्यय 18 करोड़ रुपये था जो सातवीं पंचवर्षीय योजना में बढ़कर 100 करोड़ रुपये हो गया। विगत कुछ वर्षों के दौरान बहुत से कार्यक्रम शुरु किये गये हैं। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि विगत वर्ष स्वतंत्रता की 40वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रीय युवा नीति को अन्तिम रूप दिया गया और इसे संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। मुझे आशा है कि स्वीकृति मिलने के पहले इस पर चर्चा की जायेगी। हमने राष्ट्रीय युवा सलाहकार समिति का भी गठन किया है जिसमें कार्यक्रमों के सम्बन्ध में हमें सलाह देने के लिए स्वंय सेवी दलों, राज्यों के प्रतिनिधियों, युवा सगंठनों तथा दूसरों को शामिल किया गया है। युवा उत्सव 1960 में बंद कर दिया गया था परन्तु अब 1985 से पुनः शुरू किया गया है यह अधिक लोकप्रिय कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम है। प्रत्येक वर्ष सांस्कृतिक और दूसरे क्रियाकलापों सम्बन्धी युवा उत्सव में विभिन्न विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी एकत्रित होते हैं।

महोदय, हमने नेहरू युवक केन्द्र सगंठन की भी स्थापना की है। अब इसे स्वायत्तशासी सगंठन बना दिया गया है। 1985 में जब हमने दायित्व संभाला उस समय देश में अर्थात 196 जिलों में 196 केन्द्र थे। 1989 तक हम 357 केन्द्रों की स्थापना कर चुके हैं। हमने आश्वासन दिया है कि नेहरू जन्मशती के दौरान समारोह के रूप में देश के प्रत्येक जिले में एक नेहरू युवक केन्द्र की स्थापना की जाएगी। इस कार्यक्रम का विस्तार किया जा रहा है। हम नेहरू युवक कोपरेटिव का पंजीकरण कर रहे हैं जो वित्तीय सहायता देगी तथा ग्रमीण क्षेत्र में हमारे कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्व-रोजगार युवकों की वित्तीय तथा अन्य सहायता करेगी और उनके उत्पादों के लिए बिक्री केन्द्र उपलब्ध करायेगी।

हमने साहसिक कार्यक्रम भी शुरू किये हैं। हमने ग्रामीण खेलकूद गतिविधियां शुरू की हैं और पर्वतारोहण तथा गतिविधियों के लिए हिमालय में नेहरू ट्रैल अत्याधिक प्रसिद्ध हो रहे हैं। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि सूखा के दौरान पंजाब में युवक केन्द्रों ने चारे के लिए बहुत अधिक धनराशि एकत्रित की जिसका राजस्थान के युवक केन्द्रों के माध्यम से राज्य के सूखा प्रभावित युवकों के प्रति सहानुभूति के रूप में वितरण किया।

1985 से राष्ट्रीय सेवा योजना का भी विस्तार किया गया है। हम योजना बना रहे हैं कि इस पंचवर्षीय योजना के अन्त तक राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वंयसेवकों की संख्या 40 लाख हो जाए। आज 9.72 लाख स्वंयसेवक हैं जो 1985 से साढे तीन लाख अधिक हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वय शिविर, कार्य शिविर तथा दूसरे कार्यों का विस्तार किया गया है। नेहरू युवक केन्द्रों और राष्ट्रीय सेवा योजना का संयुक्त समन्वय शिविर एक सफल प्रयोग ह इसमें विश्वविद्यालय तथा ग्रामीण युवकों के बीच की दूरी कम होती है जो बहुत दिनों से शहरी और ग्रामीण युवकों के बीच रही है। हमने युवा होस्टल कार्यक्रम भी शुरू किया है जिसका बहुत विस्तार हुआ है। 1985 में 18 होस्टल थे। विगत चार वर्षों के दौरान हमने 38 होस्टलों की मंजूरी दी है आशा है कि इस पंचवर्षीय योजना के दौरान 12 और होस्टलों की मंजूरी देकर होस्टलों की संख्या 50 हो जाएगी।

[श्रीमती मारग्रेट आल्वा]

1985 में हमने पहली बार राष्ट्रीय युवा पुरस्कार शुरू किया है जो देश के युवकों उनके विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष उस संगठन को एक लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा जो युवकों के विकास सम्बन्धी क्षेत्र में अच्छा कार्य करेगा।

हमने बहुत बड़ी संख्या में युवकों को सम्मिलित करने का प्रयास किया है। मतदान की आयु घटाकर 18 वर्ष करने से युवक निर्णय लेने और राजनैतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे तथा मैं अनुभव करती हूं कि उन्हें हमारी राजनैतिक और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में शामिल करने पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। परन्तु बेरोजगारी सबसे विकट समस्या है। मुझे खुशी है कि बजट में नयी योजना के अन्तर्गत ग्रामीण युवकों को रोजगार के अवसर प्रदान किये जायेंगे इससे उन्हें इनमें सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

खेलकूदों के सम्बन्ध में सभा में अनेक बार विचार-विमर्श हुआ है मैं विस्तार से नहीं बताना चाहती परन्तु इतना कहना चाहती हूं कि 25 वर्ष पुराने पटियाला केन्द्र के अतिरिक्त 1986 से हमने समूचे देश में छः क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किये हैं ऐसा प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को देखते हुए किया गया है। ये छः केन्द्र बंगलौर, इम्फाल, कलकत्ता और एक शिमला में स्थापित किया जा रहा है।इनके अतिरिक्त गाँधीनगर और दिल्ली में भी स्थापित किये जायेंगे। ये विगत दो वर्षों से चालू किए जा चुके हैं।

जहां तक राज्यों को अनुदानों का सम्बन्ध है छठी पंचवर्षीय योजना में 3 करोड़ रुपये दिये गये जिसे सातवी पंचवर्षीय योजना में बढ़ाकर 60 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

विभिन्न राज्यों में तथा विभिन्न क्षेत्रों में कृत्रिम सतह तथा संश्लेषित पथ (ट्रैक्स) बनाये जा रहे हैं। हमने विगत दो वर्षों में तीन संश्लेषित हाकी मैदान की सतह बनायी है।और तीन सतहें और बनायी जा रही है। हमने दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किये हैं। इसकी बहुत अधिक आलोचना हुई है कि हमने बच्चों को कम उम्र में ही प्रशिक्षण देना शुरू नहीं किया है। इसलिए राष्ट्रीय खेलकूद प्रतिभा योजना शुरू की गयी जो 12 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए है। हम इन बच्चों को विशेष प्रशिक्षण दे रहे हैं।

जहां तक दूसरे क्षेत्र कार्यक्रमों का सम्बन्ध है इन में विशेष क्षेत्र खेल कूद कार्यक्रम शुरू किया गया है अज्ञात क्षेत्रों से मेधावी बच्चों का पता लगाया जा रहा है और उन्हें प्रशिक्षण के लिए विशेष होस्टलों में रखा जा रहा है। हमने देश के विभिन्न भागों में 12 खेलकूद होस्टलों की स्थापना की है यदि राज्य हमें इमारतें देंगे तो हम चालू लागत देंगे। 1985 में हमने देश के विशिष्ट कोचों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार शुरू किया है पुरस्कार की राशि 20000 रुपये से बढ़ाकर 40000 रुपये कर दी गयी है। 1961 में विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए अर्जुन पुरस्कार शुरू किया गया था इसकी धनराशि मात्र 5000 रुपये थे। इस वर्ष से इसे बढ़ाकर 20000 रुपये कर दिया गया है।

हमने खेलकूद के क्षेत्र में युवा मामलों और खेलकूदों की तरफ से अनेक देशों के साथ समझौते किये हैं। संभवतः अधिक सहयोग की आवश्यकता होगी। मैं सोवियत संघ को विशेष धन्यवाद देना चाहती हूं क्योंकि हमें विशेषतः हमारे बंगलौर राष्ट्रीय केन्द्र को हर किस्म की सहायता मिल रही है।

दो महत्वपूर्ण बातें ऐसी हैं जिनमें सभा को शामिल होना होगा। सबसे पहले हम खेलकूद को समवर्ती सूची में सम्मिलित करने का प्रयास कर रहे हैं। जहां तक खेलकूद के विकास का सम्बन्ध है यह मांग की गयी है कि कोई भी प्रणाली तैयार करने में केन्द्र को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। विगत सत्र में हमने राज्य सभा में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया था। परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि जो लोग इसकी आलोचना करते हैं वे यहां नहीं हैं वे चाहते हैं प्रत्येक कार्य होना चाहिए परन्तु इसे समवर्ती सूची में सम्मिलित करने में हिचकिचाते हैं ताकि केन्द्र की भूमिका यथासम्भव कानूनी बन सके।

रंगभेद विरोधी विधेयक पर राज्यसभा में विचार किया जा रहा है जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को प्रभावी बनाने के लिए हमने भी हस्ताक्षर किये हैं जिसमें उन देशों तथा व्यक्तियों के साथ खेलकूद समझौता

मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी है कि पहले अफ्रीकाई एशियन खेल 1991 में दिल्ली में आयोजित होंगे। यह हमें हाल ही में बताया गया है। ये एशियाई खेलों से बड़े और लगभग ओलम्पिक के मुकाबले के होंगे। हमें आशा है कि देश तब तक इन खेलों का आयोजन करने के योग्य हो जाएगा।

यह सच है कि जहां तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कार्यक्रम और योजनाओं का सम्बन्ध है उनका विस्तार किया गया है। जो काम किया गया है उसे मैंने सभा के समक्ष रखा है। परन्तु दुर्भाग्यवश मेरे विपक्षी साथियों की आलोचना करने, त्रुटि निकालने तथा यह कहने की प्रवृत्ति बन गयी है कि कुछ नहीं किया जा रहा है और कुछ नहीं किया गया है।

वित्तीय कठिनाइयों और अन्य सभी दूसरी समस्याओं का सामना करने के बावजूद, हम विगत चार सालों में सक्षम रूप से आगे बढ़े हैं।

लेकिन दुर्भाग्यवश आज कुछ ऐसा रुख अपनाया जा रहा है कि यह समझा जाता है कि प्रजातंत्र के नाम पर कुछ भी कहा और लिखा जा सकता है और सरकार, जो मात्र सरकार होने के कारण सभी प्रकार की आलोचनाओं को सुनने और स्वीकार करने के लिये तैयार रहना चाहिए।

मैं विपक्ष द्वारा शासित राज्य से हूं जहां प्रजातंत्र क्या है और क्या हो रहा है, मैंने देखा है। मैं कर्नाटक की हूं जहा पर श्री रामकृष्ण हेगड़े की सरकार से गृह मंत्री के विरुद्ध आज हत्या के मामले में विचार हो रहा है। उनके लड़के को आपराधिक विश्वासघात के कारण न्यायालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। मेरे पास यहां सभी कतरने हैं। कर्नाटक में उनके दल के सदस्यों ने करीब 125 भूमि संबंधी लेनदेन के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें उनके 14 रिश्तेदार सम्मिलित हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: मैडम.....

श्रीमती मारग्रेट आल्वा: मैं वही कह रही हूं जो कि लोग बाते करते हैं मैं इस संबंध में समाचारपत्रों में प्रकाशित खबरों का उल्लेख कर रही हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: वो ठीक है; लेकिन आप आरोप नहीं लगा सकतीं।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा: उनके ऊपर एक मुकदमे में आरोप लगाए गए हैं जो कि न्यायालय में विचाराधीन है। इस मुकदमें के बारे में सब जानते हैं तथा इसमें कुछ भी गोपनीय नहीं है। मैं आरोप नहीं लगा रही हूं। मैं केवल उस सच्चाई को दर्शा रही हूं जो कि न्यायालय में हो रहा है। फिर भी, क्यों से यह कहा गया है कि यह एक स्वच्छ लोगों का समूह है जबकि वह सभी लोग जो कि इस तरफ बैठते हैं, वे अस्वच्छ तथा भ्रष्ट हैं। मैं यह कहने की कोशिश कर रही हूं कि सरकार चलाना एक उत्तरदायित्व है। साथ ही मैं यह सोचती हूं कि विपक्ष को भी अपना काम निभाने का एक उत्तरदायित्व है जिसके लिये जन-समूह ने उन्हें निर्वाचित किया है केवल चरित्र हनन और दूसरे को बदनाम करने का एक सूत्री कार्यक्रम न तो युवाओं की समस्या हल कर सकता है और न ही किसी अन्य का। दुर्भाग्यवश विपक्ष के द्वारा केवल नाकारात्मक पक्ष को ही दर्शाया जाता है। जिसके परिणामस्वरूप युवा लोग यह अनुभव करने लगे हैं कि यह व्यवस्था स्वतः काम नहीं कर सकती।

इसलिये मैं सोचती हूं कि लोगों के प्रतिनिधि होने के कारण, तथा जो लोग इस व्यवस्था को मजबूत बनाने में सम्मिलित है, इस बात की बहुत आवश्यकता है कि हम अपनी प्रजातंत्रिक संस्था को मजबूत बनायें अन्यथा यह प्रजातांत्रिक प्रक्रिया स्वतः नहीं टिक सकती। यह सच है कि उनकी आवाज को सुना जाय लेकिन

[श्रीमती मारग्रेट आल्वा]

उनके वक्तव्य में कुछ हद तक उत्तरदायित्व की भावना हो जो कि कहा गया है और जो दोषारोपन लगाया गया है क्योंकि यह इस बात का द्योतक नहीं कि जो भी दूसरे तरफ बैठे हैं वह सही रूप से उस बात को करना चाहते हैं जिसे हम सभी प्राप्त करना चाहते हैं।

इन शब्दों के साथ, महोदय, मैं एक बार फिर राष्ट्रपति ने महिलाओं की भूमिका और युवाओं के लिये जो कुछ कहा है उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देती हूं। और मैं आशा करती हूं कि हम लोगों ने सरकार में होने के नाते जो संकल्प किया है वह इस साल के अन्त तक पूरा कर दिया जायेगा ।

श्री आर० धनुषकोड़ी अरीतन (तिरुचेन्दूर): महोदय, मैं इस सभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के शताब्दी समारोह का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने उन सभी उपायों का उल्लेख किया है जो कि भारत को सभी दिशाओं में ऊपर उठाने के लिये सरकार द्वारा उठाये गये हैं। सरकार, श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में सही पथ और दिशा की ओर अग्रसर हुई है।

महोदय, पिछले दो सालों में हम लोगों ने देश में अभूतपूर्व सूखे का सामना किया है। प्रधान मंत्री ने देश से सूखे का निवारण करने के लिये विशेष ध्यान दिया है। मुझे यह कहने में गर्व होता है कि भारत के इतिहास में किसी भी दूसरे प्रधान मंत्री द्वारा इतनी बड़ी दूरी तय और दूरदराज के गांव का दौरा नहीं किया गया और न ही वहां के लोगों के रहन-सहन को देखा और उन्हें ढांढस बंधाया है, जैसा की हमारे प्रिय प्रधान मंत्री ने किया है। जब वह हमारे क्षेत्र में आये तो उन्होंने बिना भोजन किये हुए उस सूखे क्षेत्र को देखने और उससे प्रभावित लोगों को देखने की इच्छा जाहिर की। मुझे इस बात का गर्व है कि हमें ऐसा प्रिय प्रधान मंत्री मिला है।

आंतरिक सुरक्षा और स्थिरता को ध्यान में रखते हुए तथा हमारे प्रिय प्रधान मंत्री के भरसक प्रयास के द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति बहाल की जा सकी जो कि एक विद्रोही क्षेत्र था। मिजोरम में 18 साल के लड़कों के पास उत्तम किस्म के हथियार थे और उन्होंने हमारी सरकार के साथ मोर्चा लिया और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को मार डाला। विद्रोहियों के नेता श्री लालडेंगा को लंदन से विचार विमर्श के लिये बुलाया गया और एक समझौता किया गया। कांग्रेस के मुख्य मंत्री को पद त्याग करने के लिये कहा गया और श्री लालडेंगा को मुख्य मंत्री के लिये आमंत्रित किया गया। अतः प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने अपने दल की अपेक्षा राष्ट्रीय एकता को अधिक महत्व दिया। इसी तरह, मिजोरम में हाल ही के चुनावों में कांग्रेस को श्री राजीव गांधी ने नितियों और सिद्धान्तों के कारण शानदार जीत हासिल हुई। असम और पंजाब में भी हमने कांग्रेस को गंवा कर शान्ति कायम की है। श्री राजीव गांधी ने अपने दल की कीमत पर राष्ट्रीय एकता को प्राथमिकता दी है। उन्होंने गोरखालैंड की समस्या को हल कर वहां पर शांति बहाल की। पंजाब में भी, 99 प्रतिशत लोग शांति चाहते हैं। लेकिन एक छोटा-सा भाग हमारे पड़ोसी देशों के भड़काने पर हिंसा में लिप्त है। इन पड़ोसी देशों द्वारा उग्रवादी प्रशिक्षित किये जाते हैं। इसलिये, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह पंजाब में इन आतंकवादियों के खिलाफ कड़े कदम उठाये।

अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, भारत की स्थिति बहुत ऊंची है। हमारे प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों के नेता माने जाते हैं। वे तीसरी दुनियां का नेतृत्व करते हैं। ऐतिहासिक दिल्ली शिखर वार्ता के बाद महाशक्तियों ने अमरीका और सोवियत संघ इस बात का निर्णय लिया कि परमाणु शस्त्रों और दूसरे घातक प्रक्षेपास्त्रों का नाश किया जाय। यह प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी के प्रयत्न की महान सफलता है।

हमें यह जानकर खुशी है कि यह सरकार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बिना किसी बदलाव के मजबूत करने के लिए पंडित जवाहर लाल नेहरू और मां इंदिरा की नीतियों का अनुसरण कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी

उपलब्धियां अत्यन्त सराहनीय रही हैं। हम पहले देश हैं जिसने फिलिस्तीन को मान्यता प्रदान की है। और फिलिस्तीन मुक्ति संगठन नेता, श्री यासर अराफात को हर तरह की सहायता प्रदान की है। जो अपने नागरिकों के लिये जमीन प्राप्त करने के लिये संघर्ष कर रहे हैं। यद्यपि अफगानिस्तान के प्रश्न पर हम सोवियत संघ का पूर्ण-रूपेण समर्थन करते हैं, हमने सोवियत संघ सरकार को अफगानिस्तान से सेना वापस बुलाने के लिये राजी किया है। हम पाकिस्तान की ओर मित्रता का हाथ बढ़ा रहे हैं, जिसने चुनाव की लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा श्रीमती बेनजीर भुट्टों को प्रधान मंत्री चुना है। ढाई दशक के बाद हमारे प्रधान मंत्री चीन यात्रा पर गए और सभी विकासात्मक क्षेत्रों में उसका सहयोग मांगा। हम शांति, समृद्धि और विकास चाहते हैं।

एक विकट स्थिति में हमारी रक्षा सेनाओं ने तुरंत कार्यवाही करके एक मुस्लिम राज्य मालदीव को सशस्त्र गुण्डों से बचा कर वहां लोकतांत्रिक शासन कायम किया।

श्री लंका में जातीय युद्ध 40 वर्ष से अधिक समय से जारी है। श्री राजीव गांधी ने श्रीलंका में तमिलों की समस्या हल करने के लिए ईमानदारी पूर्वक प्रयत्न किया है। उन्होंने एक राजनयिक भूमिका अदा की और श्रीलंका को तमिलों के साथ समझौता करने को मजबूर किया। शांति समझौते के पश्चात् एक पृथक ईलाम के अतिरिक्त उग्रवादियों की सभी मांगे मान ली गई हैं और तमिलों को श्रीलंका के संविधान के ढांचे के भीतर प्रत्येक न्यायोचित अधिकार हैं।

तामिल राज्य-उत्तर पूर्व प्रान्त का गठन किया गया है, जो श्रीलंका के कुल क्षेत्र का एक तिहायी है। समझौते के अनुसार शांतिपूर्ण चुनाव करवाए गए और एक तमिल श्री वरदाराजा पेरूमल को उत्तर पूर्व प्रांतीय परिषद के मुख्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। तमिल भाषा को अब श्रीलंका की सरकारी भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया है।

यदि भारत श्रीलंका समझौता नहीं हुआ होता तो शत्रु देशों ने वहां अपने पांव जमा लिए होते और न केवल श्रीलंका के तमिलों बल्कि भारतीय सुरक्षा के लिए भी खतरा उत्पन्न हो जाता।

3.00 म०प०

भारतीय शांति सेना उस द्वीप में शांति स्थापित करने के लिए अपना बलिदान दे रही है। कुछ लोग, विशेषकर, द्रविड़ मुनेत्र कडगम के नेता जिन्होंने एक समय श्रीलंका में अपनी सेना भेजने की मांग की थी, अब भारतीय शान्ति सेना को वापस बुलाने की मांग कर रहे हैं। डी०एम०के० के कुछ गैर जिम्मेदार नेता वक्ता भारतीय सेना की निन्दा कर रहे हैं। इससे भारतीय सेना के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए प्रधान मंत्री से मेरा अनुरोध है कि संसद में एक विधेयक पारित करके भारतीय सेना को बदनाम करने वालों को कड़ा दण्ड दिया जाए।

मैं श्री करुणानिधि से पूछना चाहता हूं कि श्रीलंका के तमिलों के बारे में उनका क्या रवैया है।

यदि हम भारतीय शांति सेना को वापस बुलाते हैं तो उसके क्या परिणाम होंगे? क्या करुणानिधि तमिल लोगों को सिंहाली उग्रवादियों और जे०वी०पी० उग्रवादियों से बचा पाएंगे? स्थितिशान्त होने पर हम श्रीलंका के भारतीय शांति सेना को वापस बुला सकते हैं। भारतीय शांति सेना को वहां भेजने से पूर्व हम हर रोज अखबारों में पढ़ते थे कि इतने तमिल मारे गए, तमिल लोगों की दुकानें लूटी गई और तमिल लड़कियों से बलात्कार किया गया। भारतीय शान्ति सेना की तैनाती के पश्चात, क्या किसी तमिल पर सिंहालियों के आक्रमण का समाचार मिला। मैं भारतीय शान्ति सेना को श्रीलंका में उनकी शानदार सेवा के लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री करुणानिधि श्रीलंका के बारे में अपना रुख बदल रहे हैं। एक बार इन्हीं श्री करुणानिधि ने श्री कुट्टीमणि तथा अन्य तमिल उग्रवादी नेताओं को श्रीलंका सरकार के हवाले किया था। एक बार उन्होंने

[श्री आर० धनुषकोड़ी अरीतन]

लिट्टे नेता श्री प्रभाकरन को...** कहा था और अब उसी प्रभाकरण की तमिलनाडु के बहादुर बेटे के रूप में प्रशंसा की जा रही है।

चुनाव से पहले उन्होंने, श्रीलंका के मामले में सरकार के रवैये की आलोचना की थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका दृष्टिकोण बदल गया है। किन्तु किस सीमा तक? मुझे बताया गया है कि एक प्रमुख डी०एम०के० संसद सदस्य को लिट्टे नेता श्री प्रभाकरण से मिलने के लिए श्रीलंका भेजा गया। किन्तु डी०एम०के० के पार्टी सचिव ने बताया कि संसद सदस्य का दौरा व्यक्तिगत है। उसने डी०एम०के० आला कमान से अनुमति नहीं ली। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या डी०एम०के० पार्टी ने उस संसद सदस्य के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की है, जो डी०एम०के० आला कमान की अनुमति के बिना उग्रवादियों से मिलने श्री लंका गए। मेरा श्री करुणानिधि से कहना है कि वह नाटक न करें। लोग बहुत समझदार हैं। वह उन्हें धोखा नहीं दे सकते। विदेश मंत्रालय ने संसद सदस्य को वीज़ा देने से इन्कार किया है। तो, कानून बनाने वालों के लिए क्या सजा होनी चाहिए जो.....**

तमिलनाडु में, राज्यपाल के एक वर्ष के शासन के दौरान प्रशासन में चुस्ती आ गई और भ्रष्टाचार समाप्त हो गया। इसने अवैध अर्क को समाप्त करने तथा कालेजों के प्रध्यापकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमानों के अनुसार वेतन बढ़ाने के लिए कदम उठाए। राज्यपाल का एक वर्ष का शासन तमिल लोगों के लिए स्वर्ण शासन था। कितने ही रुग्ण एककों का पुनरोद्धार किया गया। भारत में निर्मित विदेशी शराब पर कर में वृद्धि की गई और विपणन निगम की आय में पर्याप्त वृद्धि हुई। उसी आय से ही औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्यपाल ने करों पर विभिन्न रियायतों की घोषणा की। राज्यपाल को शासन में—मेरे निर्वाचन क्षेत्र में नामलियार और पायगैयार योजनाएं मंजूर की गईं। जो 20 वर्ष से लम्बित थीं। उनके लिए 10 लाख रुपये का वित्तीय आवंटन किया गया। यह वास्तव में एक उपलब्धि है।

राज्यपाल के शासन में अर्क कांड सहित पिछली सरकार की सभी गलतियों का पता लगाया गया और एम०जी० रामचन्द्रन जो अपने निधन से पूर्व चार वर्षों से बिमार थे की छवि को धूमिल किये बिना उसे सुधारा गया।

किन्तु श्री करुणानिधि, यह आशा करते थे कि जानकी ग्रुप डी०एम०के० के साथ मिल जाए। उनकी आशा के विपरीत यह ग्रुप जय ललिता ग्रुप से मिल गया और तब उन्होंने अपने मित्र श्री एम०जी०आर० की छवि को धूमिल करने का प्रयत्न किया। उन्होंने एम०जी०आर० शासन काल के दौरान हुए अर्क कांड का पर्दाफाश इस प्रकार किया जैसे उन्होंने स्वयं इसका पता लगाया हो। राज्यपाल शासन में भारत में निर्मित विदेशी शराब से पहले ही राजस्व बढ़ाया जा चुका था श्री करुणानिधि की कार्यवाही इस प्रकार थी जैसे कोई मरे हुए सांप को पीटे। राज्यपाल के शासन में कालेज प्रध्यापकों के वेतन बढ़ाए गए। किन्तु करुणानिधि सरकार ने इस प्रकार प्रचार किया जैसे डी०एम०के० सरकार ने कालेज अध्यापकों के वेतन में वृद्धि की हो। इसी प्रकार हर मामले में श्री करुणानिधि नाम चाहते हैं।

पंचायत राज के मामले में भी, पंचायतों को अधिक शक्तियां देने के लिए, हमारे प्रधान मंत्री संविधान में संशोधन करना चाहते हैं। यह जानकर करुणानिधि ने भी पंचायत संघों को कुछ शक्तियां दी हैं। पहले, डी०एम०के० शासन के दौरान वह पंचायत संघों की शक्तियां छीनने के लिए उत्तरदायी थीं। अब उसी डी०एम०के० सरकार को जब यह पता चला कि कांग्रेस सरकार का विचार संविधान में संशोधन करने का है तो उसने पंचायत संघों को कुछ शक्तियां दे दीं। उसी करुणानिधि ने राजनैतिक पैंतरेबाजी के लिए बताया कि

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

खजाना और अन्न भंडार खाली हो चुके हैं। इसी प्रकार का तमाशा 1967 में किया गया था जब डी०एम०के० सत्ता में आयी। यह कोई नई बात नहीं है; राज्यपाल शासन की तारीफ करने के स्थान पर वह उसकी आलोचना करना चाहते हैं।

इस बात में कोई शक नहीं है कि तमिलनाडु में लोग राजीव गांधी और उनके नेतृत्व को चाहते हैं। द्रविड़ मुनेत्र कडगम को, तमिलनाडु चुनावों में डाले गए कुल मतों का केवल 33 प्रतिशत प्राप्त हुआ। यदि श्री करुणानिधि लोगों से यह कहते हैं कि डी०एम०के० की सफलता राष्ट्रीय मोर्चे की सफलता है तो लोगों ने डी०एम०के० को वोट नहीं दिए होते। 65 प्रतिशत से अधिक वोट द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के विरुद्ध हैं। इन 33 प्रतिशत मतों में से 10 प्रतिशत जाली वोट भी शामिल हैं। बहत से निर्वाचन क्षेत्रों में डी० एम० के० लोगों ने सुनियोजित ढंग से जाली मतदान करवाया। सभी मतदान केन्द्रों में उन्होंने जाली वोट डलवाने के लिए स्वयंसेवक तैनात किए। कुछ स्थानों पर बूथों पर कब्जा किया गया और समाज के कमजोर वर्ग मतदान नहीं कर पाए। उनके वोट डी० एम० के० के गुण्डों द्वारा डाले गए।

इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह इसका ध्यान रखे और संसदीय चुनावों के लिए सभी मतदाताओं को फोटो परिचय पत्र जारी करे। चुनावों के दौरान श्री करुणानिधि ने राष्ट्रीय मोर्चे का जिक्र नहीं किया। किन्तु चुनावों के बाद जब वह मुख्य मंत्री के रूप में दिल्ली आए उन्होंने प्रेस को बताया कि उनके दल की विजय राष्ट्रीय दल की विजय है। चुनावों से पहले के नेशनल फ्रंट के कई नेता सीटों के बंटवारे के संबंध में बातचीत के लिए मद्रास गए, और उन्हें केवल 10 स्थान ही मिले। श्री करुणानिधि एक चतुर व्यक्ति हैं। अब वह अगामी संसदीय चुनावों के बारे सोचते हैं। उन्हें विश्वास है कि अब उनकी हार होगी। तमिलनाडु में संसदीय चुनावों में उनके दल की हार के पश्चात भी वह आसानी से यही जवाब दे सकते हैं वह कह सकते दे यह नेशनल फ्रंट की हार है। चुनावों के बाद भी डी० एम० के कई स्थानों पर गुंडागर्दी और हिंसा की। तूतीकोरिन में कांग्रेस के उम्मीदवार को धमकी दी गई। कांग्रेस के लोगों से मारपीट की गई। न केवल कांग्रेस बल्कि कई स्थानों पर तो ए० डी० एम० के० के लोगों को भी पीटा गया और डी० एम० के० के लोगों द्वारा उनकी हत्या भी की गई। इसलिए, गृह मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वह गृह सचिव को आवश्यक अनुदेश दें कि वह कानून और व्यवस्था कायम करें और लोगों को उनके जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा प्रदान करें।

महोदय, मैं काफी समय से लम्बित कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में सुझाव देना चाहता हूं। सेतु-समुद्रम योजना, जो समुद्र मार्ग को छोटा करने के साथ-साथ, दक्षिण क्षेत्र में हमारी नौसेना को भी सुदृढ़ बनाती है, कार्यान्वित की जानी चाहिए। इसी प्रकार, प्रस्तावित वैगइकुलम हवाई अड्डे का काम भी तेजी से पूरा होना चाहिए। तत्पश्चात, हम गंगा-कावेरी लिंक योजना आरम्भ कर सकते है।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपके सारे भाषण को देखूंगा कि इसमें कोई आपत्ति जनक टिप्पणियां तो नहीं हैं। श्री वीर सेन

[हिन्दी]

श्री वीर सेन (खुर्जा): उपाध्यक्ष महोदय, यह पण्डित जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी का वर्ष है और राष्ट्रपति महोदय ने तो अपने अभिभाषण में दूसरे पैरा में इसका जिक्र किया है कि जो आधारभूत खम्भे हैं उनको खड़ा किया जाये तो उनमें से एक खम्भा लोकतंत्र का है। लोकतंत्र का खम्भा उन्होंने खड़ा किया था। हमने प्रजातंत्र के खम्भे को स्वीकार किया और अपने संविधान की रचना की, वह उसी प्रजातंत्र के आधार पर की गई है। लेकिन मैं इस बात का भी जिक्र करना चाहता हूं और मुझे बहुत बड़ा खतरा नजर आ रहा है कि प्रजातंत्र की नींव हिलने ही वाली है। वह खतरा इस बात का है कि प्रजातंत्र आधारित है मतदान के ऊपर, लेकिन वास्तविकता में आजकल इलेक्शन का जो तरीका हो गया है उसमें मत पत्र पीछे हटता जा रहा है और

[श्री वीर सेन]

बुलेट सामने आती जा रही है। यानि कि बुलेट के सामने बैलेट दबता जा रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में पंचायतों के, ग्राम सभाओं और ब्लाक्स प्रमुख के चुनाव हुए हैं। इन चुनाव में ऐसे व्यक्ति जीत कर आये हैं जो कि संगीन अपराधों के कारण जेल में बन्द हैं और जिनका आतंक फैला हुआ है। कमजोर वर्ग और गरीब वर्ग के लोगों के वोट देने का अधिकार करीब-करीब समाप्त होता जा रहा है। मैंने अपने चालीस साल के राजनीतिक जीवन में यह देखा पहले पहल 1952 के चुनाव में, जब यह प्रक्रिया शुरू हो गई थी। विशेष कर छपरौली के हलके में जहां गरीब वर्ग के लोगों को वोट देने के अधिकार से रोक दिया जाता था। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मताधिकार का उपयोग होना नामुमकिन है। डण्डे के बल पर और बुलेट के दम पर सरकारें बनाई गई हैं, विशेषकर हरियाणा में सरकार बनाई गई है वहां पर यह सम्भव नहीं है कि जब तक वह सरकार रहेगी तब तक गरीब लोगों को वोट देने का अधिकार होगा। फरीदाबाद का चुनाव हुआ उसमें हमने देखा कि गांवों में जो गरीब वर्ग के लोग थे वे कहते थे कि हमें वोट देने नहीं जाने दिया गया। फिर यह प्रजातंत्र कैसा होने वाला है। अगर यही गतिविधि रही तो देश में प्रजातंत्र नाम मात्र का रह जायेगा। पैसे के बल पर, डण्डे के बल पर जो जीतने वाले हैं उनके हाथ में देश का शासन आ जायेगा।

3.15 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

मैं समझता हूं कि इस वार्निंग इस चेतावनी की तरफ ध्यान देने की जरूरत है, उसका इलाज करने की जरूरत है। चुनावों में रिफार्म्स या सुधार के बारे बहुत चर्चा की जाती है, यह ख्याल किया जाता है कि आइडैन्टिटी कार्डस जारी कर देने से समस्या हल हो जायेगी लेकिन मेरा विचार है कि जो लोग आईडैन्टिटी कार्डस के जरिये इस समस्या को हल करने का विचार है, वे गलतफहमी में हैं। कोई एक आदमी 15-20 लोगों के आइडैन्टिटी कार्डस इकट्ठा करके पेश कर सकता है और पचासों आदमियों की वोट डाल सकता है। आजकल भी जैसे एक आदमी 15-20 आदमियों के वोट अकेले ही डाल आता है। इससे तो आने वाले जमाने में यह समस्या और जटिल हो जायेगी। मेरी समझ में एक ही बात आती है कि यदि आप कुछ ऐसा प्रबन्ध कर दें कि हर पोलिंग स्टेशन पर वोट डालने वाले व्यक्ति का फोटो ले लें तो आपके पास सबूत रहेगा कि जो व्यक्ति वोट डालने आया वह वाकई वोटर था। यदि कोई व्यक्ति दो-तीन दफा वोट डालने आता है तो वहीं पकड़ा जायेगा कि यह फर्जी वोट डालने या इम्परसोनेशन के लिये आया है। इसमें संदेह नहीं कि इस व्यवस्था में काफी पैसा खर्च आयेगा लेकिन यह शुबहा नहीं रहेगा कि हमारे देश में सिर्फ खानापूरी या नाममात्र के लिये डैमोक्रेसी है।

सभापति महोदय, पिछले दिनों हमारे यहां जिला परिषदों, ब्लाक प्रमुखों और ग्राम प्रधानों के जो इलैक्शन्स हुए, आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि ग्राम प्रधान के लिये एक-एक आदमी ने डेढ़-डेढ़ लाख रुपया खर्च किया, बोर्ड का चेयरमैन होने के लिए कई-कई लाख रुपया खर्च किया, जिला अध्यक्ष होने के लिए लाखों रुपया खर्च किया। यदि इसी तरह से लोग काले धन के बल पर चुनाव जीतते रहे, ऐसे लोगों के हाथों में शक्ति जाने लगी तो आप समझ लीजिये कि हम सब के लिए बड़ी भारी मुसीबत के दिन आने वाले है। फिर हमारे देश में नाममात्र के लिए डैमोक्रेसी रह जायेगी। अगले चुनावों में फिर शायद वे ही लोग आयेंगे जिनके पास गोली, राइफल या अपार धन है और हम लोगों में से कोई नजर नहीं आयेगा जो यहां डैमोक्रेटिक तरीके से चुन कर बैठे हैं। हमें इस चेतावनी की तरफ अभी ध्यान देना होगा।

इस सदन में महिलाओं की बड़ी चर्चा की जाती है और राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में भी उल्लेख आया है कि देश में महिलाओं को उचित स्थान मिले लेकिन दूसरी तरफ यदि हम महिलाओं की हत्या के आंकड़े देखें, डौरी डैथ्स के आंकड़े देखें तो आपको पता चलेगा कि तमाम कानूनों के बावजूद, सख्त से सख्त डौरी कानून बनाने के बावजूद, हत्याओं में कोई कमी नहीं आयी है। मेरे पास जो महिलाओं

की हत्याओं के पिछले आंकड़े हैं उनसे साबित होता है कि उनमें दिन-पर-दिन बढ़ोत्तरी होती जा रही है। सारे देश में करीब 1700 हत्याएं सिर्फ इस तरह की हुई हैं। तुर्रा यह है कि हम महिलाओं की रक्षा करना चाहते हैं। अदालतों में हत्याओं के जितने मामले जाते हैं, वे गिनती के होते हैं, यदि उनका प्रतिशत देखा जाये तो 10 प्रतिशत भी नहीं होते होंगे बल्कि पुलिस के लोग उन्हें दबाकर बैठ जाते हैं। इन हालात में हम महिलाओं को कैसे उचित स्थान दे सकते हैं। अभी हमारी मंत्री जी महिलाओं के प्रोटैक्टन पर लम्बा-चौड़ा भाषण दे गयी, परन्तु मेरी जानकारी के अनुसार इस देश में कहीं महिलाओं को प्रोटैक्शन नहीं है, कोई सम्मान उन्हें नहीं दिया जाता। आज भी लोग महिलाओं को गुलाम समझते हैं। मेरी इस बात पर कोई प्रोटैस्ट नहीं कर सकता। शास्त्रों में बेशक यह लिखा हुआ है:

'नारियस्तु यत्र पूज्यंते, वसंते तत्र देवताः।

लेकिन घरों में उसकी पिटाई होती है और गुलाम की तरह रखा जाता है। यह तो सभी जानते हैं कि दुनिया में सबसे सस्ता नौकर बीबी ही है। इस तरह से कैसे उन्हें उचित सम्मान मिल सकता है। यदि हमें महिलाओं का सम्मान करना है, उचित स्थान दिलाना है तो उसका एक ही तरीका है कि महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिये। जब तक उसे आर्थिक मुक्ति नहीं होगी, महिलायें किसी के ऊपर आश्रित रहेंगी, अपने पैरों पर खड़ी नहीं होंगी, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। भाषण आप भी देकर चले जायें, मैं भी दे दूं। वह चलता रहता है।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे चारों तरफ बड़ा खतरा है। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में यद्यपि डैमोक्रेसी आयी है और हम उसका स्वागत करते हैं लेकिन इस बात को नहीं भूलना चाहिये कि लोकतंत्र के बावजूद वहां अभी भी मिलिटरी शासन ताकत में है। और यह भी नहीं भूलना चाहिए कि वहां बुश आ गए हैं रीगन की जगह, तो नीति में परिवर्तन हो जाएगा। ऐसा नहीं है। नीति में कोई परिवर्तन नहीं है। रीगन के समय में जिस तरह से सी० आई० ए० छिपकर सरकारें उलटने की कोशिश करती थीं, अब यू० एस० ए० के शासक खुलकर कोशिश करते हैं। पनामा में, निकारागुआ में और अफगानिस्तान में इस तरह से खुलकर मदद करना, हथियार देना, सब इसी बात का प्रतीक है। लीबिया में इसी तरह हो रहा है। जो शासक उनके इशारों के मुताबिक नहीं चलते, उनकी सरकारों को गिरा दिया जाता है।

सभापति महोदय, इस फैक्ट को हमें नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान बम बना रहा है। उसके पास ऐसी मिसाइलें हैं, जो दिल्ली के ऊपर हमला कर सकती हैं। इस बात की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। यह अच्छी बात है कि वहां पर प्रजातांत्रिक शासन कायम हो गया है। आज जो पाकिस्तान के प्रधान मंत्री हैं, उनके पिता का तो कहना था कि हम हजार वर्ष तक हिन्दुस्तान से लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा था कि हमने हंस कर लिया था पाकिस्तान, अब लड़कर लेंगे हिन्दुस्तान" चायना व्यापार के बारे में तो समझौता करने के लिए तैयार है, लेकिन भूमि के बारे में, बार्डर के बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है। मैं समझता हूं कि इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए।

मैं आखिर में एक बात कहना चाहता हूं फिजी में हिन्दुस्तानी ओरिजन के लोगों की स्थिति आज बहुत खराब है। वहां पर दूसरा साउथ अफ्रीका बन रहा है। राष्ट्रपति ने सिर्फ इस बात का इशारा किया है कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसे इंस्टीट्यूशनलाइज करने का हम विरोध करें। मैं समझता हूं कि यह जो पायस फ्रेज है, कम से कम इससे कोई सहारा नहीं लगने वाला है। हमें तो दुनिया में जहां कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन है उसके लिए संघर्ष करना चाहिए। फिजी में तो कम से कम वे लोग हैं जो हिन्दुस्तान के ही रहने वाले हैं, जिनका ओरिजन हमारे देश से है। जो हम साउथ अफ्रीका में सैंक्शन करते हैं, उसी तरीके की सैंक्शन हमें फिजी के बारे में भी सप्लाई करनी चाहिए और सारे देशों का आह्वान करना चाहिए कि वे भी उसी तरह का व्यवहार करें।

[श्री वीर सेन]

सभापति महोदय, बातें तो मुझे बहुत कहनी थीं चूंकि ज्यादा वक्त नहीं है इसलिए मैं एक बात कहकर समाप्त करता हूं। पंचायत सज के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। जो हमारा पंचायत राज के बारे में तजुर्बा है वह बतलाता है कि अगर केन्द्रीय सरकार की नीति के तहत मकान बनाने हैं, तो अनुसूचित जाति और हरिजनों के लिए मकान ऐसी जगह पर बनाए जाएंगे जिन का कोई प्रयोग नहीं हो सके। खरजे बनाएंगे तो सवर्णों के हल्कों में बन जाएंगे और हरिजनों के हल्के छोड़ दिए जाएंगे। इसी प्रकार से नल लगने हैं, तो अच्छी जगहों पर लग जाएंगे हरिजनों के लिए नहीं लगेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि नीति बनती है, सहायता दी जाती है, तो इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेशन न हो। अधिकारों के साथ-साथ प्रतिबन्ध भी जरूरी है देखभाल की भी जरूरत है। ऐसा न हो कि अनुसूचित जाति और हरिजनों का ऐसा फेट हो जाए कि वे गुलामों से भी बदतर हो जाएं।

सभापति महोदय, मैं एक ही सेटेंस कह कर खत्म करना चाहता हूं। पंचायतों के इलैक्शन में और ब्लॉक प्रमुखों के इलैक्शन में हरिजन ग्राम सभा में तो आ जाते हैं, लेकिन एक भी ब्लॉक ऐसा नहीं है जहां पर जिले में हरिजन प्रधान बना हो। इसलिए मेरा कहना यह है कि इस बात को देखें कि जहां पर रिजर्वेशन नहीं है, वहां पर हरिजन लोग आ नहीं सकते हैं। जो लोग यहां बैठकर इस रिजर्वेशन की मुखालफत करते हैं, उनका और सरकार का ध्यान मैं इस तरफ दिलाना चाहता हूं।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा): सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश में 18 जिला परिषदों में उपाध्यक्ष हरिजन बने हैं।

श्री वीर सेन: उपाध्यक्ष बनने से क्या होता है। अध्यक्ष तो कोई नहीं बना। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप रिजर्वेशन नहीं रखेंगे, तो ये लोग नहीं बन सकते हैं। हमारे एक सदस्य ने पिछली बार जिक्र किया था कि डायरेक्ट इलैक्शन हों, तो हमें डायरेक्ट करने चाहिएं। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मनोज पांडे (बेतया): सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा जो अभिभाषण पढ़ा गया है और माननीय गाडगिल जी द्वारा जो धन्यवाद का प्रस्ताव लाया गया है, उसका समर्थन करता हूं।

आज लग रहा है कि प्रतिपक्ष हमारे पास नहीं है लेकिन प्रतिपक्ष का रोल, लगता है कि शायद हमारे ही व्यक्ति करने जा रहे हैं। यदि प्रतिपक्ष है तो अच्छी बात है लेकिन कुछ अच्छी बातें अपने लोग ही यदि कहें तो यह भी अच्छा होता है। लेकिन हमारे माननीय मित्र ने जो बातें कही हैं, उनके कुछ-एक जगह पर मैं डिफर करता हूं।

महिलाओं के सम्बन्ध में जो बात कही गई है, यह जानना बहुत आवश्यक है कि सरकार ने जो कोशिशें की हैं, उसका असर आज आपको नहीं मिलेगा, यह लांग-ऑम प्रासेस है और जो कार्यक्रम बनाए गए हैं, उनको जमीन पर आने में समय लगेगा ही। यह बात अलग है कि हर घर में महिलाओं की कद्र पुरूष किस ढ़ंग से करते हैं। अलग-अलग घर में अलग अलग बातें हैं, लेकिन मेरे माननीय दोस्त यह जरूर मानेंगे कि अपने घर में भी अगर वह देखें तो वह तो कम-से-कम अपने घर में महिलाओं की कद्र करते होंगे, इतना मैं जानता हूं। यह बड़ा ही स्वाभाविक है कि हमारे समाज में महिलाओं का जो स्थान है, उसको सही रूप में दिखाने के लिए हर व्यक्ति को बदलना होगा और कोई भी सरकार एक-दो दिन में ही हर व्यक्ति और हर पुरूष को नहीं बदल सकती। कार्यक्रमों द्वारा ही उसके मनोबल और मनोदशा को बदला जा सकता है। जो कार्यक्रम हमारी सरकार चला रही है, उनको जमीन पर आने में कुछ समय तो लगेगा ही।

हमारे माननीय मित्र काफी पुराने और बुजुर्ग हैं और 40 बरसों से राजनीति में हैं। 40 बरस पहले की राजनीति आप जानते हैं कि अंग्रेजों के जमाने में क्या रही। इसका ज़िक्र भी हमारे राष्ट्रपति जी ने अपने

अभिभाषण में किया है। खासकर बिहार और आन्ध्र प्रदेश के उग्रवाद के विषय में जो बातें कही गई हैं, यह तथ्य बिल्कुल सत्य है कि सामन्तवादी विचारधारा का सबसे बड़ा कुप्रभाव हमारे बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के राज्यों पर पड़ा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अंग्रेजों का आना पश्चिम बंगाल से ही शुरू हुआ था और बिहार और उत्तर प्रदेश में ज़मींदारी प्रथा का कुप्रभाव हमारे यहां सबसे ज्यादा पड़ा है। इन 40 बरसों में परिवर्तन बहुत हुए हैं। यह बात कहना कि बिहार में ही सारे के सारे उग्रवादियों का समन्वय है, यह सही नहीं है लेकिन सामन्तवादी बिहार और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रहे हैं, यह सभी जानते हैं। लेकिन 40 बरसों में हमारी सरकार ने जो कार्यक्रम चलाए हैं उसके मातहत इसमें काफी कमी आई है। समयानुसार जब व्यक्ति विकास की ओर बढ़ा है तो विकास के साथ-साथ उसकी नैगेटिव परिकल्पनाओं का भी विकास होता है। इसको हम बराबर भूल जाते हैं। विकास का मतलब सिर्फ पौजिटिव-वे में ही नहीं लेना चाहिए बल्कि उसका कुछ नैगेटिव आस्पैक्ट भी होता है और जब पैसा घर में आता है और एक व्यक्ति जो गरीब रहा है और अब अमीर हो जाता है तो इसकी कल्पनाएं नहीं बदलती हैं। उसको समय लगता है अपनी कल्पनाओं को बदलने में इसका एक जीता-जागता नमूना हमारे बिहार में भी है। मैं नहीं कहता कि यह सिर्फ बिहार में ही लागू होता है बल्कि अन्य प्रदेशों में भी है। मुझे दुःख इस बात का होता है कि यह जो अंग्रेजों की देन है खासकर बिहार के उग्रवाद के सम्बन्ध में जो माननीय राष्ट्रपति जी ने कहा लेकिन आंध्र प्रदेश में उग्रवाद अंग्रेजों की देन नहीं था।

हमारे विपक्ष के लोग आज यहां नहीं हैं, आन्ध्र प्रदेश में सामन्तवाद को बढ़ावा देने में राज्य की सरकार का सबसे बड़ा हाथ है।

मान्यवर, उनके कार्यक्रम यदि देखें तो उनसे यह स्पष्ट हो जायेगा कि वहा** वहां के स्वयं मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा हाथ है और उनके कार्यक्रमों द्वारा .... **(व्यवधान)**....

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मुख्य मंत्री के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाइए अनुमति नहीं दी जाती। कार्यवाही वृतांत में शामिल न करें।

[हिन्दी]

श्री मनोज पांडे: मैं मुख्यमंत्री के बारे में नहीं कह रहा हूं। मैं तो उनके कामों का यहां उल्लेख कर रहा हूं। उन्होंने जो ....** ... और वहां जो चुनाव कराये उनको देखने से पता लगता है कि एक बहुत बड़ी ताकत उनके साथ लगी थी। इसी कारण महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी आन्ध्र प्रदेश में भी उग्रवाद को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही। आगे वाले समय में इस तरह की यदि कोई बातें या वारदातें होती हैं तो केन्द्र सरकार चुप नहीं बैठेगी, वह उनके खिलाफ अवश्य कार्यवाही करेगी।

दूसरी महत्वपूर्ण बात कृषि क्षेत्र के बारे में कही गई है। यह सर्वविदित है कि भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है। कृषि पर पिछले दस वर्षों में जितना ध्यान दिया गया है उतना पहले कभी नहीं दिया गया। यह एक प्रशंसनीय कदम है। इसका सही-सही आकलन हम इस बात से लगा सकते हैं और जैसा कि राष्ट्रपति जी ने भी अपने अभिभाषण में कहा है कि सूखा पड़ने के बाद हमारा ग्रोथ रेट 3.6 परसेंट है। यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतना ही नहीं इस वर्ष 166 मिलियन टन अनाज की उपलब्धि हमारी रही है और यह उपलब्धि बढ़कर 170 मिलियन टन भी हो सकती है। इसके लिये भारतवर्ष के किसान और मजदूर धन्यवाद के पात्र हैं। यह जो उपलब्धि हमें प्राप्त हुई है उसमें सबसे बडे सहायक हमारे कार्यक्रम रहे हैं। भारत सरकार द्वारा जो कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं,

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[श्री मनोज पांडे]

खास कर पिछले बजट में जितने कार्यक्रम किसानों के लिये चलाये गये उसका बहुत बड़ा असर इस अनाज के रिकार्ड उत्पादन पर पड़ा है। इसी तरह आने वाले समय में भी हम दुनिया को यह दिखा पायेंगे कि कृषि में भारतवर्ष लगभग अन्य विकसित देशों के बीच में है।

सबसे बड़ी बात जो हमारी सरकार ने की है और जो कि हमारे प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हुई है वह है साईस और टैक्नालॉजी के विकास की। हमारे प्रधान मंत्री जी ने इस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। यह बात जानने की है कि आज हम एम्बरो ट्रांसपोर्ट टैक्नालॉजी की बात करते हैं। बहुत सी ऐसी बातें हो रही हैं जिन की परिकल्पना आज से 10-15 साल पहले हम नहीं कर पा रहे थे। हम ऐसी व्यवस्था के विषय में सोच पा रहे हैं जिससे कि हमारा पुशधन अच्छे से अच्छे तरीके से बढ़ सकता है। पशुधन की बढ़ोत्तरी से ही किसान की बढ़ोत्तरी होती है। हम इस बात को जानते हैं और सब मानते भी हैं कि किसानों की समृद्धि में इस देश की समृद्धि है और किसी रूप में ग्रामीण क्षेत्र में किये गये कार्यों से ही देश की उन्नति होती है। कल के बजट में भी कई ऐसे प्रावधान किये गये हैं जो बहुत ही प्रशंसनीय हैं और अच्छे कदम हैं। ऐसे अच्छे कदमों का हमें स्वागत करना चाहिये। ग्रामीण इलाकों के विकास की बात जब भी हो या उनके उन्नयन की बात हो तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए।

दुख की बात है कि जब भी कोई ऐसा बजट आता है तो कई तरह की बीच में अड़चनें भी आती हैं। पिछले वर्ष के बजट में जो कुछ अच्छे प्रावधान किये गये थे उनमें से कुछ को हम अभी तक जमीन पर नहीं उतार पाये हैं। मेरा सुझाव यह कि जितने भी प्रावधान केन्द्रीय बजट में किये जाते हैं उनका सही मूल्यांकन राज्य स्तर पर और खास कर जिला स्तर पर किया जाये। "जलधारा" नामक कार्यक्रम पिछले वर्ष के बजट में सम्मिलित था लेकिन आज तक जलधारा" कार्यक्रम सब जगह लागू नहीं हो पाया है। इसी तरह से जो कुटीर ज्योति की बात कही थी वह भी लागू नहीं हो पायी है। हरिजनों के मकानों में वन प्वाइंट बल्ब की देने की बात कही थी। वह भी हमारे ब्लाकों में अभी तक नहीं पहुंचा है। लागू नहीं हो पाया है तो मेरा सुझाव होगा कि जो भी प्रावधान हम अपने इस केन्द्रीय बजट में करते हैं, उसका असर जब तक ब्लाक की पंचायतों में और पंचायत के गांवों में नहीं पड़ता है, उसको साल भर हो गया लेकिन अभी तक उस का असर नहीं दिखाई पड़ रहा है तो हमारे कहने का कोई अर्थ नहीं होता। जब तक वह सरजमीं पर नहीं देख जाये। इसको लागू करने में जो देरी होती है, उस देरी को ठीक करना चाहिए लेकिन उसमें बहुत सारी अड़चनें हैं। मैं यह मानता हूं और यह बात मेरे पूर्व के फाज़िल मित्रों ने बहुत जबरदस्त तरीके से करी है, यह कहा गया है कि ब्यूरोक्रेसी बहुत जबरदस्त हावी है। बहुत सारे प्रोग्राम्र हमारे यहां से तो चलते हैं लेकिन राज्य सरकारों में जाकर पता नहीं कहां लुप्त हो जाते हैं तो वहां लुप्त हो जाते हैं और जिले से अगर चलें तो ब्लाक हैड क्वार्टर पर लुप्त हो जाते हैं। हमारे इन प्रोग्राम्स को, जो हम यहां बनाते हैं, जब तक हम पंचायतों तक नहीं पहुंचा पायेगें, हमारे इस बजैट का कोइं मतलब नहीं होगा।

तीसरी बात, जो कहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यूं तो कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं लेकिन आपने हमें समय भी कम दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर माननीय राजीव गांधी जी के प्रयास से हुई है। मुझे दुख एक बात का है कि जब भी अपनी सेना के जवानों की तारीफ करने के अवसर आते हैं, वहां हमारे विरोध पक्ष एकदम चुप हो जाते हैं, यह बहुत ही शर्म की बात है। आज हमारे चाहे जो भी नेशनल इश्यूज़ हों, हमारे अजय मुशरान जी बैठे हुए हैं, वह हमसे इत्तफाक करेंगे, आज श्रीलंका एकोर्ड का सही प्रारूप हमें श्रीलंका में देखने को मिल रहा है, कल तक हमारे विरोधी मित्र इस बात को बराबर कहते रहते थे कि कहीं हमने कोई कमी तो नहीं की, कोई गलती तो नहीं की लेकिन आज श्रीलंका में डेमोक्रेसी की बहाली करके हम इस बात को सही रूप दे सके हैं कि हमने जो एक्शन श्रीलंका में लिया था

वह सर्वथा उचित था और आज हम अपने जवानों की तारीफ करते हैं। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में उनकी तारीफ की है कि आज उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि भारतवर्ष डैमोक्रेसी बहाल करने में कहीं भी अपनी पूरी ताकत लगा सकता है, कहीं नुकसान उठाकर भी डैमोक्रेसी बहाल करने की बात होती है तो भारतवर्ष इसमें सर्वथा आगे है, यह एक बहुत ही बढ़िया विषय है लेकिन इसमें विरोध पक्ष के लोग यहां नहीं हैं वरना उनका रीएक्सन भी हम लोगों को सुनने को मिलता, इसकी तारीफ की जानी चाहिए थी जो कि हमारे विरोध पक्ष के लोगों ने नहीं की।

दूसरी मुख्य बात यह है कि एक बहुत बड़ा अभियान ड्रग एब्यूज पर चलाया गया। यह बहुत ही प्रशंसा का विषय है कि केन्द्रीय सरकार ने ड्रग एब्यूज पर कार्यक्रम चलाया है, असर पड़ रहा है, खास करके हमारे मैट्रोपोलिटन सिटीज में इसका बहुत अच्छा असर पड़ा है लेकिन जितने डी-डिक्शन कलीनिक्स खुलने चाहिए थे, उतने नहीं खुल पाये। इन डी-डिक्शन क्लीनिक्स को और भी मजबूत करने की आवश्यकता है क्योंकि ऐसे लोग बराबर डी-एडिक्शन क्लीनिक्स में अब जा रहे हैं और उनका लाभ उठा रहे हैं। ऐसे डी-डिक्शन क्लीनिक्स और अधिक तादाद में खोलने की आवश्यकता है ताकि इन लोगों को फायदा मिल

आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री अजय मुशरान (जबलपुर): सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति के संसद के अभिभाषण पर गाडगिल जी द्वारा प्रस्तुत और माहिया जी द्वारा समर्पित धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

1965 से सैनिक की और जनता के प्रतिनिधियों ने ध्यान दिया है। मैं केवल दो मुद्दों की ओर ध्यान देना चाहूंगा जो नारा स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर ने दिया था—"जय जवान, जय किसान।" आज हम "जय किसान" की बात करते हैं जो प्रचलित है और आवश्यक भी। किंतु लगता है कि हम इसके जय जवान भाग को भूल गए हैं। पिछले पांच वर्षों में मैंने प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और वास्तव में इस भव्य सदन के सभी सदस्यों द्वारा सिपाही की, उसकी कर्तव्य के प्रति निष्ठा और देश की प्रभुसत्ता और अखंडता को बचाने के लिए बलिदान की बातें करते हुए सुना। किंतु यह सारी बाते इस संबंध में हैं।

सदन के सभी वर्गों और मंत्रिमण्डल के प्रत्येक सदस्य द्वारा विश्वसनीय प्रशंसा के बावजूद हम पिछले तीस वर्षों में सैनिकों अथवा भूतपूर्व सैनिकों की ओर वास्तव में ध्यान नहीं दे सके हैं।

महोदय, जैसा आप जानते हैं देश में लगभग 40 से 50 लाख भूतपूर्व सैनिक हैं और प्रत्येक वर्ष 55 से 60 हजार सैनिक सेवानिवृत होते हैं। वे अपेक्षाकृत छोटी आयु में सेवानिवृत होते हैं और इनका पुनर्वास और बहाली एक ऐसी समस्या है जिसकी और रक्षा मंत्रालय का पुनर्वास महानिदेशालय बहुत कम ध्यान देता है। किन्तु आजकल, भूतपूर्व सैनिकों की एक मांग गम्भीर प्रकार का आर्थिक और राजनीतिक स्वरूप अपना रही है। विभिन्न राजनीतिक दल ऐसे हैं जो इस समस्या के संबंध के भूतपूर्व सैनिकों का शोषण करते हैं। और वह यह है कि "बराबर पद के लिए बराबर पेंशन", अथवा "एक पद एक पेंशन"। जैसा कि आप जानते हैं भूतपूर्व सैनिकों के लिए पेंशन के तीन स्केल दिए गए हैं। कई वर्षों में तीन बार वृद्धि की गई है। आज एक सैनिक को जो पेंशन मिलती है वह 1962 से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले सिपाही से लगभग दस गुना अधिक है। वर्ष 1947 से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले सिपाही अपनी आजीविका के संबंध में अत्यन्त तंग स्थिति में हैं। यह मांग माननीय प्रधान मंत्री तक पहुंचाई। माननीय प्रधान मंत्री से यह सुनकर मैं प्रसन्न हुआ था कि वह इस

[श्री अजय मुशरान]

बात से सहमत हैं और सिद्धान्तिक रूप से समर्थन करते हैं कि एक रैंक (पद) प्राप्त करने के पश्चात् जो सेवानिवृत्त होता है उसको बराबर पेंशन मिलनी चाहिए। किन्तु धन की कमी के कारण यह संभव नहीं हुआ है। ... **(व्यवधान)**

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर): इसे समय-समय पर मूल्यों में वृद्धि के साथ-साथ बढ़ाया जाना चाहिए। इस संबंध में कोई समझौता होना चाहिए।

श्री अजय मुशरान: प्रत्येक वेतन आयोग के पश्चात्, पेंशन की राशि बढ़ाई जाती है। किंतु उन संशोधित वेतनमानों की निर्धारण तिथि ऐसी थी कि 1947 से पूर्व 1963 से पूर्व और 1981 से पूर्व, सेवानिवृत होने वाला व्यक्ति इतनी पेंशन नहीं लेता हैं जितनी आज सेवानिवृत होने वाला भूतपूर्व सैनिक लेता है। मुख्य समस्या यही है...**(व्यवधान)**

प्रो० एन० जी० रंगा: अतः आप सुझाव देते हैं कि इसे मूल्यों में वृद्धि के अनुसार 10 वर्ष में एक बार या कुछ ऐसे ही बढ़ाया जाना चाहिए।

श्री अजय मुशरान: मैं इस संबध में कहूंगा। मैं एक उदाहरण देता हूं। आज जो पेंशन एक कैप्टिन को मिलती है वह 1947, 1948, 1949, 1950 आदि में सेवानिवृत होने वाले मेजर जनरल को मिलती है। जो पेंशन आज एक सेवानिवृत सूबेदार मेजर को मिलती है उतनी ही विगत में ब्रिगेडियर को मिलती थी। जो अधिक समय जीते हैं किंतु जल्दी सेवानिवृत्त किए जाते हैं उन्हें इतनी ही पेंशन नहीं मिलती है। अतः मेरी मांग, यानी भूतपूर्व सैनिक की मांग यह है कि "बराबर पद बराबर पेंशन" के सिद्धांत को अपनाया जाना चाहिए। इस मामले को उच्चतम न्यायालय में भी लिया गया और मेरे विचार में उच्चतम न्यायालय ने हमारे पक्ष में आधा निर्णय दिया। वृद्धि के संबंध में एक और आवेदन पत्र उच्चतम न्यायालय में लम्बित पड़ा है। माननीय प्रधान मंत्री और माननीय वित्त मंत्री जो कल शानदार शब्दों में सैनिकों के बारे में बोल रहे थे, से मेरा अनुरोध है कि इस स्थिति का गम्भीरता से पुरीक्षण करें क्योंकि अब यह राजनीतिक आकार पकड़ रही है। विपक्षीय दलों ने खुले तौर पर भूतपूर्व सैनिकों को सलाह दी है कि वे हड़ताल करें, धरना दें और सार्वजनिक प्रदर्शन करें, यद्यपि मैं इसे विद्रोह नहीं कहूंगा। आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर इस प्रकार के अनुशासित लोगों को प्रदर्शन का सहारा लेना पड़े तो यह देश में कानून और व्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। यही उचित समय है जब सरकार गम्भीरता से इसकी ओर ध्यान दे। हमारे यहां इंडियन एक्स-सर्विसमेन लोग हैं जो एक गैर-राजनीतिक निकाय है। एक राजनीतिक दल के हस्तक्षेप के कारण—मैं दल का नाम नहीं लूंगा—यह पूर्णरूप से एक राजनीतिक निकाय बन गया है। हाल ही मैं उन्होंने प्रत्येक सदस्य को एक प्रश्नावली भेजी है जिसमें जनता से हड़ताल करने को कहा गया है। मेरा निवेदन है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करने के बदले, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और इन भूतपूर्व सैनिकों की ओर ध्यान देकर श्रेय प्राप्त करना चाहिए। आखिर पुराने पेंशन-मान प्राप्त करने वाले व्यक्ति बहुत थोड़े हैं। वे वयोवृद्ध हैं और वे अधिक समय नहीं जिएंगे। यदि आने वाले वर्षों में राजकोष पर भार कम होने वाला है। किंतु हमें इसको कानून और व्यवस्था का या राजनीति उद्देश्यों या दबावों का मामला बनने नहीं देना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि जहां तक—इस सदन का संबंध है, इसमें सदा भूतपूर्व सैनिकों का समर्थन किया है। किंतु भूतपूर्व सैनिकों के एक जैसे पदों के लिए एक जैसी पेंशन न देने वाला यह एक मात्र तत्व आने वाले समय में गम्भीर रूप धारण करने वाला है। मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे हमारे राष्ट्रपति ने भी उल्लेख किया है कि सैनिकों द्वारा की गई सेवा को ध्यान में रखा जाएगा। यह देश के लिए अत्यन्त गर्व की बात है कि स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन 750 रुपये तक बढ़ा दी गई है। यदि स्वतन्त्रता सेनानियों को यह अधिक पेंशन दे दी जाती है तो मैं समझता हूं कि जो स्वतन्त्रता की रक्षा करते है उन्हें उसका श्रेय दिए जाने पर विचार किया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने अपनी पेंशन के संबंध में एक ऐसा निर्णय

लिया कि सभी न्यायधीशों को, सेवानिवृत्ति की तिथि का ध्यान किए बिना नवीनतम संशोधित पेंशन मिलेगी, किंतु यह मामला समाज के सभी वर्गों के लिए उदाहरण नहीं होगा अब यह एक अलग न्यायिक मामला है कि उच्चतम न्यायालय भूतपूर्व सैनिकों के मामले में क्या निर्णय देता है। जहां तक सरकार का संबंध है इसको स्थिति का सामना करना चाहिए और भूतपूर्व सैनिकों को उनका उचित हक देना चाहिए।

अंत में मैं जय किसान के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। प्रत्येक सत्र के दौरान अफवाह उड़ाई जाती है कि कृषि आय पर कर लगाया जाएगा। मैं जानता हूं कि सरकार का ऐसा करने का कोई निश्चय नहीं है। किंतु स्पष्ट रूप से सरकार, कृषि मंत्री अथवा वित्त मंत्री को बजट वाद-विवाद के उत्तर में इन अफवाहों को रोकना चाहिए और एक ऐसी पक्की घोषणा करनी चाहिए कि कृषि आय पर कर लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

शहरी क्षेत्रों के विकास के कारण आस-पास की कृषि भूमि का अधिग्रहण हुआ है। यह जमीनें बहुत कम मूल्य, जहां तक कि उससे भी कम मूल्य पर ली गई हैं जिस पर किसान अपनी कृषि भूमि को कृषि भूमि के रूप में बेचता है। व्यक्तिगत रूप से मैं समझता हूं कि सरकार को शहरी विकास के लिए आसपास की कृषि भूमि प्राप्त करने के लिए अलग मूल्य निर्धारित करना चाहिए ताकि जो किसान अपनी भूमि और आजीविका खो रहा है उसको सही मुआवजा मिले।

इन शब्दों के साथ, मैं आप का आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया है।

[हिन्दी]

श्रीमती ऊषा ठाकर (कच्छ): सभापति महोदय, हमारे विद्वान और सौम्य राष्ट्रपति महोदय ने जो अभिभाषण दिया, उस पर मुझे बोलने का मौका दिया गया, इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूं।

सभापति महोदय, महात्मा गांधी ने जो दिशा दी, उस पर चलकर हमारे महा मानव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हमारे देश को विश्व में एक स्थान दिलाया, आज उनकी शताब्दी मनाई जा रही है। उनके बाद जनता ने शास्त्री जी को अपना विश्वासी बनाया, पर वे ज्यादा समय हमारे बीच नहीं रह सके। उनके बाद देश की बागडोर जनता ने इंदिरा जी को सौंपी और इंदिरा जी ने लोगों, के दिलों में अपना एक अलग स्थान बनाया, लेकिन दुर्भाग्य से इंदिरा जी अचानक हमारे बीच से चली गई और समस्याओं के बीच में हमारे युवा प्रधान-मंत्री राजीव जी के हाथ में जनता ने बागडोर दी और राजीव जी सिरं पर कफन बांध कर, प्रजा के लाभ के लिए जूझ रहे हैं, रात-दिन काम कर रहे हैं। हालांकि मैं राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर बोल रही हूं, लेकिन कल जो बजट प्रस्तुत किया गया, उसके लिए धन्यवाद दिए बगैर मैं नहीं रह सकती। इसमें प्रजा के लिए सुन्दर योजनाएं बनाई गई हैं, इसमें आदरणीय राजीव जी का बहुत हिस्सा है।

सूखे के बारे में मैं कहना चाहती हूं कि सदी का भयंकर सूखा देश में पड़ा, गुजरात में 4 साल लगातार सूखा था, मेरे क्षेत्र में भी भयंकर सूखा था, लेकिन वहां पर पशुओं के लिए चारे, रोजी और पानी की तकलीफ नहीं होने दी गई। राजीव जी ने दो बार मेरे क्षेत्र का दौरा किया और लोगों को पूरी तसल्ली दी। इसके लिए कच्छी की प्रजा, गुजरात की प्रजा केन्द्र सरकार और राजीव जी की ऋणी है। प्रधान मंत्री जी ने मेरे क्षेत्र में पानी की प्राप्लम पर नजर रखने के लिए सैटलाइट का उपयोग करने के लिए कहा है, इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। हमारे यहां किसानों की एक मांग है कि सिंचाई के लिए क्योंकि वहां पर कोई नदी नहीं है, इसलिए ट्यूबवैल उनको उपलब्ध कराए जाएं। इसी तरह से कांडला कांप्लेक्स पर मच्छू डैम नंबर दो का निर्माण पीने के पानी की समस्या से निपटने के लिए आवश्यक है। पहले माननीय शंकरानंद जी ने कहा था कि इसके लिए विश्व बैंक से मंजूरी लेने के लिए प्रोसीजर जारी है। इसके लिए गुजरात सरकार भी सहमत है, इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि यह पीने के पानी के लिए योजना है और इसके लिए

[श्रीमती ऊषा ठक्कर]

विश्व बैंक की मंजूरी भी आसानी से मिल सकती है, इसलिए इस योजना को जल्दी स्वीकृत कराया जाना चाहिए और वहां पर पीने के पानी की समस्या को हल करना चाहिए।

बेरोजगारी की समस्या के बारे में भी राष्ट्रपति महोदय ने कहा है। आज युवकों के लिए रोजगार की समस्या जटिल बनती जा रही है, युवा वर्ग निराश हो रहा है, उनको कोई काम नहीं मिलता है। खासकर जो पिछड़े जिले हैं, उनके अंदर नेहरू रोजगार कार्यक्रम की योजना है, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूं। हालांकि मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोल रही हूं, लेकिन जब मैंने बजट में सुना कि नेहरू रोजगार कार्यक्रम बनाया गया है, तो इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूं मेरा कच्छ जिला बहुत पिछड़ा हुआ जिला है। मैं एक सुझाव देना चाहती हूं। जहां भी पिछड़ा जिला हो वहां कोई भी उद्योग हो चाहे वह केन्द्र सरकार, राज्य सरकार का हो, प्राइवेट हो या कोई शिक्षण संस्था हो उसमें उस जिले के सत्तर परसेंट लोगों की भर्ती होनी चाहिए। जब प्रधानमंत्री जी हमारे यहां आए थे तो उन्होंने बार्डर एरिया में एजुकेशन के विकास की बात कही थी। वहां पर एक पोलिटैक्नीक खोल दिया गया है जिसमें सत्तर परसेंट स्थानीय लोगों को शिक्षा देने का तय किया गया है। मैं यह कहना चाहती हूं कि कोई भी शिक्षण संस्था हो, कोई भी उद्योग हो उसमें सत्तर परसेंट स्थानीय लोगों की भर्ती होनी चाहिए। मेरा क्षेत्र कच्छ भारत में दूसरा बड़ा डिस्ट्रीक्ट है। हमारे प्रधान मंत्री जी ने एक नीति बनायी है कि हर राज्य में जो पिछड़ा हुआ जिला हो वहां एक ग्रोथ सेंटर बनाकर औद्योगिक जिला बनाना चाहिए, उसके लिए केन्द्र सरकार मदद करेगी। मेरी प्रार्थना है कि मेरा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है वहां पर ग्रोथ सेन्टर बनाकर मदद की जानी चाहिए। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि सरकार पिछड़े हुए लोगों की मदद करने के लिए कटिबद्ध है।

3.57 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि पंचायती राज से हमारे देश का उत्थान और विकास होगा और पिछड़े हुए लोगों की उन्नति होगी। हमारे प्रधानमंत्री जी देश के हर गांव-गांव में घूमे हैं, उसका परिणाम यह निकला है कि पंचायती राज से पिछड़े हुए लोगों को पूरा फायदा मिलेगा। अभी उन्होंने पंचायती राज का सम्मेलन भी बुलाया था। कल व्यास जी कह रहे थे कि मैं शुरू से ग्रास रूट लेवल से जुड़ा रहा हूं और सरपंच रहा हूं। मैं भी यह कहना चाहती हूंकि मैं भी 25 साल तक सरपंच रही हूं। इस धन्यवाद प्रस्ताव का मैं समर्थन करती हूं और अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण के पैरा-9 में आतंकवाद को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय संकल्प व्यक्त किया है, उसके लिए मैं उनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूं। आज आतंकवाद हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा बन रहा है। इस प्रवृत्ति का विनाश जनता के सहयोग से ही किया जा सकता है। अगर माननीय राष्ट्रपति जी एक और टेंडेंसी का उल्लेख करते तो वह सामयिक होता। आतंकवाद राष्ट्रीय अखण्डता के लिए खतरा हो सकता है। आतंकवाद का सामना हम अपने प्रजातांत्रिक संकल्प से और परम्परा से कर सकते हैं। लेकिन जो टेंडेंसी हमारे प्रतिपक्ष के लोगों के बीच में पैदा होती जा रही है किसी न किसी प्रकार से राष्ट्रीय नेतृत्व को बदनाम करने की, लांछन लगाने की, चरित्र हत्या की, मैं समझता हूं वह किसी भी मायने में आतंकवाद के खतरे से कम खतरनाक नहीं है।

4.00 म०प०

माननीय उपाध्यक्ष जी, आतंकवाद का सामना तो हम अपनी प्रजातांत्रिक मान्यताओं और मूल्यों के सहारे कर सकते हैं, मगर जिस प्रवृति का सहारा विपक्ष ले रहा है और जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के राजनीतिक चरित्र को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है उससे हमारे प्रजातंत्र के ऊपर घुन लग रही है। मैं समझता हूं यह प्रवृति आतंकवाद की प्रवृति से किसी भी रूप में कम खतरनाक नहीं है। 1977 में हमने देखा कि हिन्दुस्तान के अन्दर इसी प्रकार का भ्रम पैदा करके इसी प्रकार से चरित्र हत्या की साजिश करके एक ऐसी पार्टी, जिसको हम उस समय जनता पार्टी के नाम से पुकारते थे, वह सत्ता में आई और यकीनन वह पार्टी परिवार नियोजन के विषय में फैलाये गये भ्रम की अवैध सन्तान थी और आज भी 1989 में इसी प्रकार की भ्रामक धारणायें पैदा करके उसी प्रकार के भ्रामक आरोप लगाकर जनता के मन में भ्रम पैदा कर एक अवैध शिशु को जन्म देने की साजिश की जा रही है। चाहे बोफोर्स के प्रकरण को लें या किसी और प्रकरण को लें जिसकी कि चेष्टा हमारे विपक्ष के लोग कर रहे हैं उससे यह बात साफ हो जाती है। यह दूसरी बात है कि विपक्ष के अन्दर जो तथाकथित जनता दल बना है और वह जिस शिशु को जन्म देना चाहता है उसकी दाइयां, जो कि इस दल में शामिल राजनैतिक व्यक्तित्व हैं उनको मालूम नहीं है कि वह शिशु किस के पेट में है इसलिए वे दाइयां एक दूसरे के पेट में मुक्के मारने की कोशिश कर रही हैं। मुझे पूरा यकीन है कि उस शिशु को वह दाइयां प्री-मेच्योर्ड डिलीवरी करके गिरवा देंगी। हमें केवल चिन्तित होने की ही जरूरत नहीं है बल्कि लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली ताकतों को इस टेंडेंसी के प्रति सजग होने की जरूरत है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इस बात का भी उल्लेख होता तो यह बहुत अच्छा होता। हमने देखा है कि कांग्रेस में, जब तक कोई व्यक्ति रहता है या मंत्रि-परिषद में रहता है उसके ऊपर नाना प्रकार के आरोप लगाये जाते हैं, मगर जब वह विपक्ष में होता है तो उसके सारे तथाकथित पाप ऐसा लगता है कि धुल गये हैं और वह बिलकुल साफ, स्वच्छ और निर्मल हो गया है। हमें तकलीफ तब होती है जब इस प्रवृति को हम अपने पत्रकार भाइयों में भी देखते हैं। जब तक कांग्रेस में कोई व्यक्ति रहा, मसलन मैं अरूण नेहरू जी का जिक्र करना चाहूंगा, जब तक वे कांग्रेस में थे तब तक उनको भ्रष्टाचार का मसीहा बताने की चेष्टा की जाती थी। लेकिन जब वे विपक्ष में गये तो वह विपक्ष में स्वच्छ और धवल प्रकृति के नेता हो गये। श्री विद्याचरण शुक्ल जब तक कांग्रेस में थे उनको इमरजेंसी का बड़ा पोषक और उसका भूत कहा जाता था, लेकिन आज यही भूत विपक्ष में देवता के रूप में प्रतिस्थापित हो गया है। मुफ्ती मोहम्मद सईद जब तक कांग्रेस में थे उनके ऊपर नाना प्रकार के लांछन लगाये गये। आज वे विपक्ष में स्वच्छ और उजली प्रकृति के नेता हैं। वी०पी० सिंह जब तक कांग्रेस में थे उनको कहा गया कि अनुदारवादी बजट बनाते हैं और पूंजीवादियों के समर्थक हैं और भी कई बातें उनके बारे में कही गई। लेकिन आज वे विपक्ष में आ गये हैं तो उनको विपक्ष के प्रगतिशील नेता के रूप में बनाने की चेष्टा की गई है। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है विपक्ष केवल अपने को देख लेवे इस टेंडेंसी को रोकने के लिए कांग्रेस को, सरकार को ही नहीं बल्कि समस्त जनमत को आगे आना चाहिए, बल्कि मैं कहूँगा कि पूरे विपक्ष को भी आगे आना चाहिए। आज वी०पी सिंह और.....**.....में कोई अन्तर नहीं है। जिस तरीके का.....**.....और आडम्बर का सहारा लेकर वी०पी० सिंह जी हिन्दुस्तान में और कांग्रेस के राजनैतिक नेताओं के चरित्र की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं उसी तरह की बात.....**.....कह रहे हैं जिसको कि अखबार वाले दबाने की कोशिश कर रहे हैं और उसको प्ले डाउन करने की कोशिश की जा रही है। अभी हमारी माननीय मंत्री मार्गरेट अल्वा जी ने कर्नाटक का जिक्र किया कि हेगड़े साहब के ऊपर कई प्रकार के आरोप लगे, कोई उसकी जांच की मांग नहीं कर रहा, यहां तक कि वी०पी० सिंह जी भी नहीं कहते कि उसकी जांच होनी चाहिये। वहां के भूतपूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं, कोई उन्हें डिस-ओन करने की कोशिश नहीं कर रहा। हमारे एक साथी

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

[हरीश रावत]

राज्यसभा में बैठकर खालिस्तान का समर्थन करते हैं, कोई उन्हें भी डिस-ओन करने की चेष्टा नहीं कर रहा है। एक प्रान्त के मुख्यमंत्री के खिलाफ हाई कोर्ट में दो बार स्ट्रिक्चर पास हुआ, किसी ने ह्यू एण्ड क्राई नहीं मचाई। यह कांग्रेस पार्टी और राजीव गांधी जी का ही चरित्र है कि जैसे ही एक हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ थोड़ी सी टिप्पणी की, हमें यह विश्वास होते हुए भी कि वह मुख्यमंत्री निर्दोष हैं, उनकी निर्दोषता पर संदेह नहीं किया जा सकता, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वैसी मौलिक और चारित्रिक मान्यता आज हमारे विपक्ष के लोगों में नहीं है जो बहुत दुख का विषय है।

माननीय राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में इस सरकार की उपलब्धियों का चित्रण किया है, जिसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं यहां राजीव जी की तुलना माननीय नेहरू जी या माननीय इंदिरा जी के साथ नहीं करूंगा, वे दोनों महान व्यक्तित्व थे, महान राजनेता थे, लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि उनके प्रधानमंत्रित्व काल के चार वर्षों की तुलना यदि पिछले प्रधानमंत्रियों के काल से की जाये, राजीव जी की उपलब्धियां किसी भी माने में पहले की सरकारों की उपलब्धियों से कम नहीं हैं, बल्कि बराबर हैं, समकक्ष हैं। आप पंजाब के एकौर्ड को देख लीजिये। यद्यपि पंजाब में आज भी आतंकवाद समाप्त नहीं हो पाया है लेकिन उस एकौर्ड के माध्यम से वहां डायलौग और पोलिटिकल प्रोसैस शुरू हुआ है। वर्ष 1984 से पहले नहीं लगता था कि पंजाब में कभी पोलिटिकल प्रोसैस स्टार्ट हो पायेगा लेकिन राजीव जी के एफर्टस से, लौंगोवाल के साथ बातचीत करके पोलिटिकल प्रोसैस स्टार्ट किया गया। हमें यकीन है कि पंजाब में कमोवेश शान्ति स्थापित हो जायेगी और राजनैतिक प्रोसैस फिर से जारी होगा।

असम को ले लीजिये, पहले कितना जलता हुआ असम था। राजीव गांधी सरकार ने असम में शान्ति स्थापित की और वहां भी पोलिटिकल प्रोसैस स्टार्ट करवाया। मिजोरम में जिस तरह कुछ लोग बागी होकर बैठ गये थे, उन्हें मेनस्ट्रीम में लाया गया। त्रिपुरा के कुछ भटके लोगों को मेनस्ट्रीम में लाया गया। गोरखालैंड की समस्या हमारे सामने नई चुनौती पेश कर रही थी और एक समय हमें खतरा उत्पन्न हो गया था कि हमारे महान गोरखा लोग कहीं गलत रास्ते की ओर न जाने लग जायें। आज दार्जिलिंग में शान्ति है। विदेशी मोर्चे पर भी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजीव सरकार ने जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं, वे किसी पिछली सरकार की उपलब्धियों से कम नहीं हैं, बल्कि ज्यादा है। आप सार्क के मामले को देख लीजिये। माले में हमारे सैनिकों ने जो भूमिका वहां की लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को स्थायित्व प्रदान करने में निभाई, वह अपने आप में स्तुत्य है। श्रीलंका और चीन के विषय में हमारी जो नीति रही, आज सर्वत्र उसकी तारीफ की जा रही है। यही कारण है कि पाकिस्तान की प्रजातांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार हमसे दोस्ती चाहती है। चीन के साथ हमारा डायलौग और पोलिटिकल प्रोसैस बिल्कुल बंद था, उसे राजीव गांधी ने फिर से खोला। हमें यकीन है कि चीन के साथ हमारा सीमा-विवाद जल्द हल हो जायेगा और दोनों देशों में जो दोस्ती होनी चाहिये, हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे।

मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आर्थिक क्षेत्र में राजीव गांधी की सरकार ने उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की हैं। जब हमारे देश में लगातार दो साल तक भयंकर सूखा पड़ा तो कल्पना यह की जाती थी कि वस्तुओं के मूल्य बढ़ जायेंगे, लोग अभाव से त्रस्त होंगे, लेकिन सरकार ने जिस मजबूती से कदम उठाये, किसी को भी सूखे से प्रभावित नहीं होने दिया, भयावह स्थिति पैदा हो सकती थी, उससे किसी को पीड़ित नहीं होने दिया, ऐसा हमारी उन नीतियों के कारण हो सका जो हमने इस देश में आरम्भ से अपनायीं। हमने अपने अनाज के उत्पादन को कम नहीं होने दिया, बल्कि उत्पादन लगातार बढ़ा। हमारे सकल उत्पादन की दर, राष्ट्रीय विकास दर, किसी में भी गिरावट नहीं आई, बल्कि वृद्धि हुई। कृषि उत्पादन की दर में वृद्धि हुई, औद्योगिक उत्पादन की दर बढ़ी। ये सारी उपलब्धियां इस बात की द्योतक हैं कि जिन नीतियों और

सिद्धांतों को लेकर हम चलते आये, पण्डित नेहरू और इन्दिरा गांधी ने जिन नीतियों और सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, राजीव गांधी सरकार भी उन्हीं नीतियों के सहारे आगे बढ़ रही है, मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए देश को विकास के पथ पर अग्रसर कर रही है।

उपाध्यक्ष जी, गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम, हमारी आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हमारे राजीव गांधी की सरकार ने माननीय राष्ट्रपति महोदय के मुंह से उनके अभिभाषण के माध्यम से इस संकल्प को फिर से पुरजोर तरीके से व्यक्त किया है। मैं उसके लिए माननीय राष्ट्रपति महोदय को और उनकी सरकार को हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा।

मान्यवर, कल प्रस्तुत बजट में जिस तरीके से नेहरू जी के नाम पर एक रोजगार योजना को प्रारम्भ करने की बात कही गई है, उसके लिए भी मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा और मुझे यकीन इस बात का है कि गरीबी को हटाने के लिए जिस तरीके से हमारी सरकार आगे बढ़ रही है, इसके स्तुत्य परिणाम होंगे। राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण के समापन में कहा है कि "यदि हम इन सिद्धान्तों का सच्चाई से पालन करते रहेंगे और अपनी प्राथमिकताओं और लक्ष्यों के प्रति निष्ठावान रहेंगे; तो इस संक्रमण काल से नए भारत का अभ्युदय होगा और वह अपना ध्येय प्राप्त करने में सफल होगा।" मुझे भी पक्का यकीन है कि राजीव जी के नेतृत्व में हम माननीय राष्ट्रपति महोदय के इस संकल्प को पूरा करने में सक्षम-सिद्ध होंगे। 1984 में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी जब राजीव अपनी मां की चिता पर शांतचित्त खड़े थे, उस वक्त हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी मजबूती से, लोकतांत्रिक,धर्मनिरपेक्षता और गुटनिरपेक्षता के रास्ते पर भारत को आगे बढ़ाने में सक्षम सिद्ध होंगे। माननीय नेहरू जी की नीतियों, माननीय इंदिरा जी की नीतियों का कार्यान्वयन करते हुए जिस प्रकार से राजीव जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है वह सराहनीय है।

अन्त में, मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय को उनके स्तुत्य अभिभाषण के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी (खजुराहो): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया गया है, उसका समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में जो नेहरूजी का जिक्र किया है, वह वास्तव में स्तुत्य है, क्योंकि यह नेहरू शताब्दी चल रही है। नेहरू जी ने इस देश की तरक्की के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए, यहां की गरीबी को दूर करने के लिए, कुछ मौलिक सिद्धान्त अपनाए थे। समाजवाद जिसके द्वारा गरीबों को आगे बढ़ाना चाहते थे, बेकारों को रोजगार देना चाहते थे। इस देश को मजबूत बनाना चाहते थे। उन्होंने लोकतंत्र की स्थापना की जिसमें सब को समान अधिकार मिले। देश का हर गरीब, हरिजन या अधिकारी, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा, हर आदमी को बराबर का, समान अधिकार मिले, यह लोकतंत्र के द्वारा स्थापित किया जाना है। इसके साथ-साथ उन्होंने धर्मनिरपेक्षता का जो एक सिद्धान्त अपनाया था जिसके द्वारा सभी धर्मों का समान आदर हो, सब के साथ समभाव हो, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमने उस धर्मनिरपेक्षता का आज सदुपयोग नहीं किया। आज देश में कहीं, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, कहीं प्रांतीयता के नाम पर, इस तरह से जो अराजकता फैलाई जाती है, यह ठीक नहीं है। धर्म के कट्टरपंथी, चाहे किसी भी धर्म के हों, देश में भाई-भाई को लड़ाकर के, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। बच्चों को अनाथ और महिलाओं के सुहाग उजाड़ रहे हैं। देश में आज जो यह धर्म के नाम पर हो रहा है, यह हमारे लिए बहुत ही घातक है। आज हमें नेहरू जी के उन सिद्धान्तों पर फिर से पुनर्विलोकन करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। हम आज कहां जा रहे हैं, हम इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं, आज हमें पंजाब के अंदर दृष्टिपात करना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे अभी जो, पूर्व वक्ता बोले हैं, मैं उनसे सहमति व्यक्त करते हुए कहना चाहती हूं कि हमने बहुत काम किए हैं। हमने असम की समस्या को हल किया। मिजोरम में जो इतना उग्रवाद था,

[श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी]

वहां की समस्या को हल किया। मणिपुर में समस्या को हल किया। पंजाब में भी बहुत काम किया है। लेकिन अगर आज हम यह कहें कि हम वहां पर पूर्ण रूप से शांति ला पाए हैं, तो यह ठीक नहीं होगा। आज अखबार उठाकर जब हम देखते हैं तो हम पहले पेज पर ही पाएंगे कि इतने परिवारों की सामूहिक हत्या कर दी गई। इतने लोगों को फांसी पर लटका दिया गया, इतने बेगुनाह बच्चे मार दिये गये, खून की नदियां बहाई गईं। आज भी हम उस पर पूरी तरह काबू नहीं पा रहे हैं, जब कि हमारी सरकार इसके लिए कटिबद्ध है, हर तरह के प्रयास कर रही है। उन प्रयासों में, मैं यह मानती हूं कि बहुत कामयाबी भी हमें मिली लेकिन अभी हमें यह नहीं दिखाई दे रही है। हम बार-बार सदन के अन्दर कह रहे हैं कि कुछ चन्द सिरफिरे लोग हैं जो उपद्रव करते हैं। मैं जानना चाहती हूं कि वह कुछ चन्द सिरफिरे लोग कौन से हैं जिनमें से कुछ तो मारे गए हैं और सैकड़ों जेल के अन्दर बन्द हो जाने के बाद भी ये हनुमान की पूंछ की तरह कहां से बढ़ते जा रहे हैं? कौन से देश से और कहां से इनको सहायता मिलती है और किस जगह ये पनाह पाते हैं? इसके लिए हमें कठोर कदम उठाने पड़ेंगे क्योंकि अब यह बहुत बढ़ चुका है, अब इसकी इन्तहा हो गई है। पंजाब के अन्दर जो हो रहा है, भाई-भाई के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, खून की नदियां बहाई जा रही हैं और इसकी इन्तहा हो चुकी है। अब समय आ गया है कि उस पर कुछ करना होगा। मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं।

मैं प्रधानमंत्री जी की बड़ी आभारी हूं, हमारे राष्ट्रपति जी ने इस बात का ज़िक्र किया है कि प्रधानमंत्री हमारी पंचायतों को अधिक शक्तिशाली बनाकर उन्हें अधिक अधिकार देना चाहते हैं। महिलाओं को भी 35 प्रतिशत, जो ग्रामों में उनका टेलेन्ट है, ग्रामों से महिला लीडरशिप को वह बाहर लाना चाहते हैं, उनको उबारना चाहते हैं ताकि देश में हम समान रूप से आगे बढ़ सकें और इस देश की तरक्की कर सकें। लेकिन केवल अधिकार देने मात्र से ही हम पंचायतों को मजबूत नहीं कर पाएंगे, हमें उनको कुछ आर्थिक सहायता देनी पड़ेगी। जब तक हम उनको आर्थिक सहायता नहीं देंगे आर्थिक स्थिति को मजबूत नहीं कर सकेंगे। हमें पंचायतों के द्वारा जो ग्राम विकास के कार्य करने हैं उनकी हम पूर्ति नहीं कर पाएंगे। और पंचायतें सफल नहीं हो पायेंगी।

हमारे पहले किसी प्रवक्ता ने कहा भी है, हमें इसमें एक सबसे बड़ी चीज देखनी होगी कि जो अराजक तत्व फैल रहे हैं जो दादा लोग फैल रहे हैं और बन्दूक व पैसे के बल पर और अपनी दादागिरी के बल पर अपना सिक्का जमाते हैं और पंचायतों पर अपना कब्ज़ा कर लेते हैं, ऐसे तत्वों से हमको पंचायतों को बचाना पड़ेगा। पंचायतों में अच्छे लोग, ऐसे लोग जो हमारी नीतियों को शक्ति दे सकते हों, और ग्रामों को मजबूत बनाना चाहते हैं, स्वच्छ परम्पराएं डालना चाहते हैं, ऐसे लोगों को आगे लाने के लिए हमें उन्हें संरक्षण देना पड़ेगा।

मैं राष्ट्रपति जी की आभारी हूं कि उन्होंने अपने अभिभाषण में क्षेत्रीय असंतुलन की बात कही। वास्तव में इन 40 बरसों के बाद भी इस बात को भुलाया नहीं जा सकता है कि आज भी क्षेत्रीय असंतुलन कई जगह बहुत बड़ी मात्रा में है। मैं आपके सामने अपने क्षेत्र बुन्देलखंड की बात कहूंगी। बुन्देलखंड क्षेत्र छोटी-छोटी रियासतों से बना हुआ है जहां कोई विकास के कार्य नहीं होते थे। वहां के जिले आज भी 40 साल पहले की स्थिति में हैं। जिसका विकास होता है, उसका विकास होता चला जा रहा है, जो पीछे हैं वे पिछड़ते चले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने बार-बार इस बात की घोषणा की है कि हम क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करेंगे, अच्छे से अच्छे और कड़े कदम उठाएंगे अच्छी से अच्छी योजनाएं बनाएंगे और उनके असंतुलन को दूर करेंगे लेकिन अफसोस है कि इस बारे में सक्रिय कदम नहीं उठाए गए हैं।

जिस खजुराहो क्षेत्र से मैं आती हूं वहां बहुत गरीबी, बेकारी और बेरोजगारी है और वह दस्युग्रस्त क्षेत्र था। आज वहां से लाखों की तादाद में लोग बम्बई, दिल्ली और पंजाब व दूसरी जगहों पर अपनी

रोजी-रोटी कमाने के लिए जाते हैं क्योंकि वहां न तो कोई रेलवे लाइन है और न सिंचाई के साधन हैं और वहां पर कोई उद्योग भी नहीं है। वहां पर उद्योगपतियों से उद्योग खोलने के लिए कहा जाए, हालांकि वहां पर उद्योग खोलने के लिए सरकार ने काफी सुविधाएं दी हैं, काफी साधन देने की घोषणाएं की हैं, लेकिन इतना होने के बावजूद भी रेलवे लाइन न होने के कारण उद्योगपति वहां जाने से कतराते हैं।

मेरा कहना यह है कि अगर उद्योगपति नहीं जायेंगे तो क्या वह जिले भूखे बैठे रहेंगे। क्या हमारे शासन की यह जिम्मेदारी नहीं है कि वह इस तरफ ध्यान दे। हमारा शासन यह बराबर कहता है कि हम हर जिले को एक बड़ा उद्योग देंगे। आज भी ऐसे अनेक जिले हैं जहां पर कि उद्योग नहीं लग पाये हैं। शासन की यह जिम्मेदारी है कि वह ऐसी जगहों में एक बड़ा उद्योग लगायें और वहां के लोगों को रोजी-रोटी दे व वहां की उन्नति के लिए प्रयास करें। ....**(व्यवधान)**....वहां हीरा है, पन्ना है, लोहा है और बहुत सी चीजें हैं। आप यहां बैठकर क्या समझेंगे।

खजुराहो एक विश्व विख्यात टूरिस्ट स्थल है लेकिन यहां कोई रेल लाइन की सुविधा नहीं है। यहां तक कि कोई संचार सेवा भी उपलब्ध नहीं है। पता नहीं आप उसके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। यह अनुचित है। लोगों ने टैलेक्स के लिए पैसे भी जमा कर दिये लेकिन यह सुविधा अभी तक उनको नहीं दी गई। आपने छोटी से छोटी जगह पर भी एस०टी०डी० की सुविधा दे दी है लेकिन खजुराहो जहां पर कि हजारों टूरिस्ट विदेशी और देशी जाते हैं, वहां पर सुविधायें प्रदान नहीं की हैं। इससे पर्यटकों को कई तरह की परेशानियां होती हैं। अगर किसी टूरिस्ट को बम्बई आदि बड़ी जगहों से सम्पर्क स्थापित करना होता है तो बड़ी परेशानी होती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से संचार मंत्रालय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगी।

बेरोजगारों को रोजगार मिले इस हेतु हर जिले में एक बड़ा उद्योग लगाना नितान्त जरूरी है। शासन इसको देखे और उसके तहत एक रूपरेखा बनाये। जिन जिलों में पिछड़ापन है और जो जिले उद्योग की दृष्टि से शून्य हैं उन जिलों का नक्शा लेकर, वहां प्राथमिकता के आधार पर उद्योग लगाया जाये।

मैं पुनः धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए आपको धन्यवाद देती हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अगले वक्ता का नाम पुकारने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि हम आज इस विषय पर चर्चा पूरी करेंगे। सम्भवतः कल प्रधानमंत्री उत्तर देंगे। अतः वे माननीय सदस्य, जो बोलना चाहते हैं, आधे घण्टे की चर्चा समाप्त होने तक प्रतीक्षा करें।
अब श्री सी०पी० ठाकुर.....

श्री सी०पी० ठाकुर (पटना): मैं श्री गाडगिल द्वारा पेश किए गए राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

एक प्रमुख समाचारपत्र ने इस अभिभाषण पर दो टिप्पणियां की हैं। इसमें कहा गया है कि इस भाषण में सरकार की भावी दिशा के बारे में कुछ भी नहीं है; दूसरा, इसने सरकार की गतिविधियों की प्रशंसा की है। पहले तो मैं यह कहता हूं कि अभिभाषण के पैरा 51 और अन्य पैराओं में लिखा है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की अध्यक्षता में यह सरकार एक अच्छा और उज्ज्वल भारत बनाएगी जिसमें सभी जातियों और पन्थों के लोग समृद्ध होंगे और विकसित होंगे। दूसरी और मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले 4 वर्षों के दौरान प्राकृतिक आपदाओं और कुछ विदेशी शक्तियों के षड्यंत्रों के बावजूद प्रधानमंत्री ने आर्थिक, घरेलू और विदेशी क्षेत्रों में इतना काम किया है जो एक सच्चाई है और इसमें कोई अत्युक्ति नहीं है।

महोदय, अभी इस सदन के एक सदस्य महोदय ने दो महत्वपूर्ण मुद्दे उठाये हैं। उन्होंने कहा है कि इस देश में लोकतन्त्र समाप्त हो रहा है।

[श्री सी॰ पी॰ ठाकुर]

मेरे विचार से यह सच नहीं है। इस देश में लोकतंत्र का विकास हो रहा है। दूसरे, उन्होंने महिलाओं की स्थिति के बारे में कहा है। इस देश में महिलाओं की स्थिति के संबंध में प्रधानमंत्री ने महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने पर हाल ही में अत्यधिक बल दिया है। हमारे समाज में भी बहुत पहले से ही महिलाओं को आदर की दृष्टि से देखा जाता है। हमारे कवि जयशंकर प्रसाद ने कहा है:

[हिन्दी]

"नारी तू केवल श्रद्धा है।"

[अनुवाद]

हमारी परम्परा ऐसी रही है। हमारे प्रधान मंत्री ने हाल ही में बहुत सी सभाओं में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है। युवा मामलों और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग में राज्य मंत्री द्वारा भी यह घोषणा की गई है कि इस देश में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे।

यदि हम विदेशी क्षेत्र में सरकार के क्रियाकलापों का सर्वेक्षण करें तो मैं यह कहूँगा कि इस सरकार ने इस क्षेत्र में शानदार कार्य किया है। हमारे प्रधान मंत्री ने क्या किया है? उन्होंने लोकतंत्र पर आक्रमण किये जाने की दशा में लोकतंत्र की बहाली के लिए प्रयास किया है। उन्होंने कुछ पड़ौसी सरकारों, उदाहरणार्थ, श्री लंका, की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए प्रयास किया है। वस्तुतः श्रीलंका समझौता एक बहुत ही उत्तम समझौता था। यदि भारत वहाँ न गया होता तो कोई न कोई बड़ी शक्ति वहाँ पहुँच जाती। इससे हमारे देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता था। इसलिए हमारे प्रधान मंत्री ने यह शानदार कार्य किया है। इसके बाद माले में सरकार की कार्रवाई से उस देश के लोकतंत्र को बचा लिया गया। हमारे प्रधान मंत्री के चीन के दौरे से दोनों बड़े पड़ोसियों के बीच सम्बंध सुधरे हैं। अब, मेरे विचार से, हमारे लम्बे-अर्से से पड़े विवादों को बातचीत से निपटाने का वातावरण बन गया है जैसा कि श्रीमती बेनजीर भुट्टो के चीनी दौरे के दौरान चीनी नेताओं के वक्तव्यों से भी स्पष्ट है।

हमारे प्रधान मंत्री के पाकिस्तान के दौरे से भी दोनों देशों के बीच संबंध सुधरे हैं। मेरा सुझाव यह है कि भारत सरकार को भी श्रीमती भुट्टो को भारत यात्रा के लिए आमंत्रित करना चाहिए। इस समय पाकिस्तान की लोकतांत्रिक सरकार को भारत की ओर से कुछ प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है। हमारे प्रधानमंत्री द्वारा पाकिस्तान के प्रति अपनाए गए रवैये को जारी रखा जाना चाहिए। इससे उस देश का लोकतांत्रिक विकास होगा।

आर्थिक क्षेत्र में देश ने आश्चर्य जनक प्रगति की है। बहुत से अर्थशास्त्री यह कहा करते थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्णतः कृषि पर निर्भर करती है। सूखे के बावजूद भी देश की अर्थव्यवस्था अच्छी है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन का पता चलता है। हमारे प्रधान मंत्री द्वारा अपनाई गई आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से भारतीय अर्थव्यवस्था वास्तव में उच्च स्थान पर पहुँच गई है। आने वाले कुछ वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था अत्यधिक विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं से मुकाबला करने की स्थिति में होगी।

आतंकवाद के संबंध में मैं यह कह सकता हूँ कि राजीव गाँधी इतिहास में समझौतों के प्रधान मंत्री के नाम से जाने जाएंगे। उन्होंने बातचीत, मेल मिलाप और आपसी समझ की प्रक्रिया द्वारा देश के सभी असन्तुष्ट लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया है। उन्होंने पंजाब, मिजोरम, नागालैण्ड और अन्य स्थानों पर तथा गोरखाओं के साथ ऐसे प्रयास किए। अभिभाषण में पंजाब समस्या को हल करने का संकल्प निहित है। मैं यहाँ यह कह देना चाहता हूं कि पंजाब समस्या बहुत ही नाजुक समस्या है। इस समस्या पर तीन-तरफा आक्रमण होना चाहिए। प्रथम आक्रमण प्रशासन की ओर से होना चाहिए। आतंकवाद को हर

तरीके से दबाया जाना चाहिए। दूसरा आक्रमण राजनीतिक होना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों को चाहे यह मेरी पार्टी हो, कांग्रेस हो या अन्य दल हों, इस समस्या को हल करने के लिए अपने-अपने तरीके से प्रयास करने चाहिए।

तीसरे ऐसा दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। जिससे वास्तव में दिगभ्रमित युवकों को सही मार्ग पर लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। यह दृष्टिकोण भी अपनाया जाना चाहिए।

अब मैं ग्राम पंचायतों की बात पर आता हूँ। यह वह दूसरा क्षेत्र है जिसमें हमारी सरकार, हमारे प्रधान मंत्री के नेतृत्व में, तीन टीयर सरकार शुरू कर रही है। हमारे कुछ लोग इस बात से डर रहे हैं कि यदि सत्ता ग्राम पंचायतों को दे दी गई तो इसका दुरुपयोग किया जाएगा। यह सच नहीं है। मैं एक अच्छा सुझाव यह दूँगा कि सभी शक्तियाँ जिला मजिस्ट्रेट के पास नहीं होनी चाहिए। वह बहुत ही व्यस्त होता है। अतः उस पर अधिक भार नहीं डाला जाना चाहिए। इसलिए, ग्राम पंचायतों का कार्य देखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के बराबर या उसके वरिष्ठ पद का एक अलग अधिकारी होना चाहिए।

रिपोर्ट में बिहार का भी उल्लेख किया गया है। यदि मैं इस राज्य के बारे में कुछ शब्द न कहूँ तो मैं अपना कार्य पूरा नहीं कर पाऊँगा। अब बिहार राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से रोग ग्रस्त हो गया है और जिस प्रकार किसी रोगी व्यक्ति को इलाज की आवश्यकता होती है उसी प्रकार बिहार को भी इलाज की आवश्यकता है। यह इलाज बड़ी मात्रा में आर्थिक निवेश करके किया जाना चाहिए। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय बिहार की प्रतिव्यक्ति आय देश में तीसरे या चौथे स्थान पर थी। अब यह सूची में सबसे नीचे है। इसलिए, द्वितीय बड़े राज्य को सरकार की कृपा-दृष्टि की आवश्यकता है। जब तक इस राज्य में भारी आर्थिक निवेश नहीं किया जाएगा तब तक, मेरे विचार में, यह अपने आर्थिक पिछड़ेपन से नहीं उभर पाएगा।

बिहार में उग्रवाद पनपने का ज़िक्र किया गया है। हमने इस पर एक गोष्ठी की और हम उग्रवादी लोगों से मिले और उन्होंने इसके बाद उग्रवादी विचार धारा छोड़ दी। यह उग्रवाद सामाजिक-आर्थिक विषय है। मैं क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने का सुझाव देता हूँ। किसी क्षेत्र विशेष के विकास पर दृष्टि रखने के लिए वित्त विभाग या अन्य किसी विभाग में एक पृथक सेल (कक्ष) होना चाहिए और यदि वहां कोई कमी नजर आए तो उन्हें इसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए।

बिहार में अन्य समस्याएं भी है जिन्हें बहुत बार बहुत से माननीय सदस्यों ने उठाया है और मैं उन्हें दोबारा दोहराना चाहूँगा। इनमें से एक सोन नदी के नवीकरण के बारे में है जो इस देश की सबसे पुरानी नदी है और जो 110 वर्षों तक प्रयोग में लायी जा चुकी है। अब इसके किनारे टूटने और दरारें पड़ने के कारण यह बिहार के पाँच जिलों में पर्याप्त पानी की पूर्ति करने योग्य नहीं रही है। इस कारण से इस वर्ष इन जिलों में सूखा पड़ा जिससे लाखों लोगों को नुकसान हुआ है। अतः मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करता हूँ कि राज्य सरकार को केन्द्र सरकार के साथ मिलकर वह योजना शुरू करनी चाहिए जिसे विश्व बैंक से भी मंजूरी मिल चुकी है।

दूसरे, एक पश्चिम दार्शनिक ने कहा है कि यदि आप समाज की समस्या हल करना चाहते हैं तो शिक्षा पर ध्यान दीजिए! बिहार को इसकी बहुत आवश्यकता है अतः बिहार के कम से कम एक विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाना चाहिए। प्राचीन विश्वविद्यालय होने के कारण पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्व विद्यालय बनाया जाना चाहिए।

उत्तरी और दक्षिणी बिहार को जोड़ने के संबंध में बहुत पहले यह सर्वेक्षण किया गया था कि गंगा नदी पर एक रेल पुल होना चाहिए किन्तु अभी तक यह कार्य नहीं किया गया है। यह मामला बहुत से सदस्यों ने उठाया है और अब मैं आपके माध्यम से रेलवे मंत्रालय से यह अनुरोध करता हूँ कि गंगा नदी पर इस रेल

[श्री सी॰पी॰ ठाकुर

पुल का कार्य शीघ्र ही शुरू किया जाना चाहिए। बिहार में बहुत से बड़े उद्योग रुग्ण हो चुके हैं। इन्हें सरकार की सहायता की आवश्यकता है। ऐसे उद्योगों में कुछ उद्योग रोहतास उद्योग, फुलवाड़ी कॉटन मिल और अशोक पेपर मिल आदि हैं। बिहार में पहले ही उद्योगों की कमी है और जो उद्योग वहाँ हैं उनमें से अधिकांश उद्योग रुग्ण हो गए हैं। जैसा कि मैंने कहा, इन उद्योगों पर सरकार द्वारा शीघ्र ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

[हिन्दी]

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह): उपाध्यक्ष जी, सब से पहले तो मुझे बड़ा खेद होता है जब मैं देखता हूं कि सामने बैंचेज खाली पड़ी हैं। हमारे देश में लोकतंत्र पूरी दृढ़ता के साथ और पूरे तौर पर चल रहा है। लोकतंत्र की कुछ रवासियतें, कुछ परम्परा होती हैं और उन के अनुसार सत्ताधारी दल और विरोधी दल, दोनों का अपना अपना दायित्व होता है परन्तु चाहे कोई भी दल सत्ता में हो या सत्ता से बाहर हो, कुछ मान्यताएं ऐसी रहती हैं, जिस से कभी भी आपस में दोफाड़ नहीं हुआ जाता। वह है राष्ट्र की एकता, राष्ट्र के प्रति निष्ठा और कुछ मूलभूत ऐसे आदर्श हैं, जिन को सामने रखते हुए पूरे राष्ट्र का अस्तित्व रहता है। वे आदर्श सौभाग्यवश हमारे देश को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दिये। उन्हीं आदर्शों के ऊपर चल कर न केवल हमने अपने देश के लिए आजादी हासिल की, देश का नवनिर्माण किया बल्कि इन्हीं आदर्शों पर चल कर भारतवर्ष ने पूरे विश्व के उपेक्षित लोगों, उपेक्षित वर्गों को और उपेक्षित देशों को मार्गदर्शन दिया। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जिनके ऊपर कभी भी आपस में विवाद हो ही नहीं सकता और इन के ऊपर हमें हमेशा मिल कर चलना चाहिए। जिस बात को लेकर हमारे विरोधी दलों के मान्यवर नेतागण इस सदन से रूठे हैं, वह भी एक ऐसा ही मुद्दा है, ऐसा ही प्रश्न है, जिस में राष्ट्र का एकता और अखण्डता का प्रश्न है। आतंकवाद पंजाब में हो, आन्ध्र में हो, बिहार में या कहीं भी हो, आतंकवाद जो हमारे देश को कमजोर करता है, देश के टुकड़े करता है, सभी दलों को मिल कर उसके खिलाफ़ देशवासियों को साथ ले कर जूझकर देश की एकता और अखण्डता को कायम रखना चाहिए। यही कारण था कि इस सदन में हमारे देश के तेजस्वी प्रधान मंत्री ने देश की एकता और अखण्डता के नाम पर एक ऐसी अपील की थी कि सभी लोगों को मिल कर जो अलगवाद की शक्तियां हैं, जो आतंकवाद की शक्तियां हैं, विघटनवाद की शक्तियां हैं, उन के खिलाफ़ जेहाद करना चाहिए। आज इस संदर्भ में कोई चर्चा हो या कोई विवाद हो, कोई मतभेद, असंगति नज़र आती हो, तो यह ठीक नहीं है। हमारे देश में यदि लोकतंत्र को कायम रहना है, देश की एकता और अखण्डता को कायम रहना है, तो इस पर कोई भी विवाद नहीं हो सकता। जब एकता के लिए हम मिल कर आगे चलेंगें, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है और फिर लोकतंत्र तो खड़ा ही इन दो स्तंभों के ऊपर है, परामर्श और आपस में बातचीत करके ही देशवासियों की समस्याओं का समाधान करना। इसलिए विरोधी दलों का अपना कर्त्तव्य है और सत्तारूढ़ दल का अपना कर्त्तव्य है। दोनों ही एक ही गाड़ी के दो पहिये हैं। वे बराबर चलें, तभी लोकतंत्र की गाड़ी आगे बढ़ सकती है। उर्दू के किसी शायर ने कहा है:—

चमन में इख्तिलाफे रंगो बू से बात बनती है
तुमहीं तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं?

हमारा देश इस बात के लिए माना हुआ है कि हम अनेकता में एकता कायम रखे हुए हैं। आपस में विचारों में मतभेद होते हुए भी हम राष्ट्र को मजबूत करते हैं। यही हमारे देश का रहस्य है, हमारी एकता का, मजबूती का और हमारी एक जुटता का।

राष्ट्रपति जी का अभिभाषण जहां हमारी लोकतंत्रीय प्रणाली में एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर है, राष्ट्र के लिए एक बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण संदेश है। यह केवल एक औपचारिक प्रक्रिया ही नहीं है। इसमें पूरे राष्ट्र को एक संदेश और देशवासियों के नाम एक प्रेरणा रहती है। हमें मौका मिलता है कि हम अपने अतीत के ऊपर नजर डालें, वर्तमान की समीक्षा करें और भविष्य के लिए अग्रसर हों। ये तीन पहलू राष्ट्रपति जी के भाषण में रहते हैं जब भी वे संसद् के सम्मिलित दोनों सदनों के माननीय सदस्यों को सम्बोधित करते हैं। यह जो इस बार राष्ट्रपति जी ने महान् कृपा की है कि संसद् के सामने अपना अभिभाषण रखा। इसमें ये तीनों पहलू बहुत ही निखर के सामने आये हैं। महामहिम जी ने अपने संक्षिप्त से अभिभाषण में बहुत स्पष्ट शब्दों में इन तीन पहलुओं पर नजरशानी की है और देशवासियों में एक उत्साह पैदा हुआ है, एक उम्मीद पैदा हुई है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में हमारी सरकार की वर्तमान कार्यावधि का, चार साल का एक निरीक्षण हुआ है, एक समीक्षा हुई है। इसमें उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है।

सब से पहले मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं जो कि दो भ्रम पैदा किये गये हैं पत्रकारों के माध्यम से और इस सदन में भी हमारे मान्यवर सदस्यों ने भी उसकी चर्चा की है। मान्यवर श्री दिघे जी और श्री दिनेश गोस्वामी जी ने कहा कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में एक दो वाक्य ऐसे हैं जिनका कि स्पष्ट अर्थ नहीं मिल रहा है। उनके ऊपर थोड़ी विविधा व्यक्त की गयी। एक तो पहले पन्ने पर जो लिखा हुआ है, पैरा फोर में—

[अनुवाद]

"क्योंकि हम इस संसद के अन्तिम वर्ष में प्रवेश कर गए हैं अतः हम पिछले 4 वर्षों के रचनात्मक कार्यों पर सन्तोष प्रकट कर सकते हैं।"

[हिन्दी]

यह तो सही बात है कि दिस पार्लियामेंट मींस लोक सभा। इस लोक सभा का यह आखिरी बजट अधिवेशन होगा। अगले बजट अधिवेशन के लिये नयी लोक सभा होगी। जो हमारे वर्तमान संविधान के अंतर्गत प्रावधान है, उसके मुताबिक इस सदन का यह आखिरी बजट अधिवेशन होगा। चूंकि मैं अंग्रेजी भाषा को इतना ज्यादा नहीं जानता हूं मगर मैं इतना जरूर समझता हूं कि यह जो इस वक्त वर्तमान लोक सभा है, इसकी कार्यावधि का यह आखिरी बजट अधिवेशन होगा।

इसी तरह से एक और बात की तरफ श्री शरद दिघे जी ने ध्यान आकर्षित किया कि इस अभिभाषण के पैरा 30 में लिखा है—

[अनुवाद]

"राष्ट्रीय आवास नीति पारित हो चुकी है"

[हिन्दी]

पार्लियामेंट का मतलब राज्य सभा में यह पालिसी पास हो गयी है। मैं समझता हूं कि इस सदन में यह इसी अधिवेशन में पास हो जायेगी। तो दो जगहों पर थोड़ा-सा, मामूली-सा भ्रम हुआ था। मैं समझता हूं कि इस स्पष्टीकरण से यह दूर हो जायेगा।

नेशनल हाउसिंग पालिसी में जो बातें हैं वे खास कर निम्न वर्ग के लोगों के लिये जो प्रयास किये जा रहे हैं उनके बारे में हैं। वे बहुत ही सराहनीय कदम है भारत सरकार का। वह इसी सदन में भी पास होगी। उसमें बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर थोड़े समय में ही मैं अपने विचार व्यक्त करूंगा जिनसे यह सिद्ध

[सरदार बूटासिंह]

होगा कि सरकार ने देश के गरीब लोगों, उपेक्षित वर्गों, आदिवासियों, बैकवर्ड लोगों, किसानों के लिए, विशेषकर हमारी महिला वर्ग और युवा वर्ग के लिए क्या कुछ किया है। इसमें इसका विवरण बहुत विस्तार से मिलता है।

बहुत से माननीय सदस्यों ने कई मुद्दे अपने भाषण में उठाए हैं, मैं सब का एक-एक कर के जवाब देने की कोशिश करूंगा, जितने भी प्वाइंट रेज किए गए हैं। सबसे बड़ी बात जो हमारे देश में आज चुनौतियां हैं, उनके ऊपर अपनी ओर से कुछ कहना चाहूंगा। आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती जनता में एक नए किस्म का ख्याल और विचार जो दिया जा रहा है, उसकी है, जिससे हमारे देश की एकता और अखण्डता को चुनौती दी जा रही है। सदन में भी कई बार इस बात की चर्चा हुई है, हमारे देश में दुनिया के सभी धर्म एक साथ पनप रहे हैं, यह विचित्र बात है, सभी धर्मों को पूर्ण आजादी है। सभी को पूजा आदि करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। आज दुर्भाग्यवश कुछ भाषाओं का नाम धर्म के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन भाषा का धर्म से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। धर्म किसी भी भाषा में प्रचलित हो सकता है, परंतु केवल हमारे देश में कुछ भाषाओं को धर्म के साथ जोड़ा गया है। उसके माध्यम से लोगों में ऐसी उकसाहट पैदा की जाती है कि एक धर्म के लोग भाषा के माध्यम से अलग किए जा सकें। जब हमारे पूर्वजों ने यह सोचा था कि भाषा के माध्यम से हमारे देश का पुनर्गठन होना चाहिए, प्रांतों का निर्माण भाषा के आधार पर होना चाहिए तो उसका मतलब यह नहीं था कि एक प्रांत में दूसरी भाषा बोलने वाले भारतवासी यह महसूस करें कि वे किसी दूसरे प्रांत के लोग हैं या किसी दूसरे प्रदेश के लोग हैं। आज सबसे बड़े दुख की बात यह है कि हम ऐसे शावनिज्म के शिकार हो गए हैं कि एक प्रांत में जो लोग सदियों से, पीढ़ियों से आबाद हैं, उनकी मातृभाषा उस प्रांत की भाषा न होने से उनको बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं किसी एक प्रदेश विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत से प्रांतों में इस तरह की बात देखने को मिल रही है, असम से लेकर जम्मू-कश्मीर तक, कोई भी प्रांत इससे मुक्त नहीं है। राजीव जी के नेतृत्व में हमारी कोशिश रही है और नई शिक्षा नीति में यह कोशिश की गई है, उसमें इस बात का खासतौर पर ध्यान रखा गया है कि इस प्रकार के संकीर्ण विचार, भाषा के माध्यम से, जाति के माध्यम से, कबीले के माध्यम से, प्रांत के माध्यम से आने वाली पीढ़ी पर इस प्रकार का प्रभाव न पड़ सके जिससे देश की एकता और अखण्डता कमजोर हो, बल्कि सभी प्रांतों और राष्ट्रीय भाषाओं का इस तरह से प्रचार हो और शिक्षण हो, जिससे हम गौरान्वित महसूस कर सकें। यदि मैं पंजाबी हूं और दक्षिण की कोई भाषा जानता हूं, तमिल, कन्नड़, तेलगू जानता हूं तो मुझे गौरव महसूस हो। इसी प्रकार से यदि दक्षिण भारत का कोई व्यक्ति पंजाबी, गुजराती या मराठी जाने तो वह भी अपने आपको गौरान्वित महसूस करे, लेकिन आज क्या हो रहा है, अगर मैं किसी प्रांत का नाम लूंगा तो कोई न कोई विरोधी दल महसूस करेगा कि उसके प्रान्त पर टिप्पणी करने की कोशिश की गई है, लेकिन असलियत यह है कि किसी एक प्रांत में, चाहे महाराष्ट्र-कर्नाटक की बात हो, वहां पर इस तरह के आदेश जारी किए गए हैं जिससे एक प्रांत के लोग जो उसी प्रदेश में पैदा हुए और न जाने कितनी पीढ़ियों से उस प्रदेश में रहते हैं, क्योंकि वे सीमा पर हैं, जिसकी वजह से उनकी मातृभाषा दूसरे प्रांत की है तो उनके लिए सभी सरकारी नौकरियां बंद हो चुकी हैं। न केवल प्रांतीय सरकार की नौकरियां बंद हो चुकी हैं बल्कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों की भी जो वहां पर स्थानीय ब्रांचें हैं, जहां पर मैन पावर की जरूरत पड़ती है, वहां भी उनकी एंट्री पर यह कह कर बेन लगा दिया गया है कि वे इस प्रांत की भाषा नहीं जानते। यह एक चुनौती है जो हमारे सामने है और इसका सामना हम सब को मिलकर करना है। इस की भावना पैदा करनी है जिससे हमारे राष्ट्र की सभी राष्ट्रीय भाषाओं को एक ही स्तर पर पनपने और फैलने का मौका मिले क्योंकि हमारी भाषाओं में अत्यंत ही ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। किसी भी भाषा को

उठाकर देख लीजिए, सभी भाषाएं पुरातन हैं। इन सभी के साहित्य की चोटियां हिमालय से कम नहीं है। हमें इस बात का गर्व है कि हमारे देश की जितनी भाषाएं हैं उनमें बहुत गहराई तक ज्ञान है, साहित्य है, कल्चर है, उससे हमें लाभान्वित होना चाहिए न कि भाषा का नाम लेकर लोगों के सिर फोड़े जाएं, मासूम लोगों की हत्या की जाए और छोटी-मोटी लकीर खींचकर देश को विभाजित किया जाए। दूसरी चुनौती रीलिजियस फंडामेंटेलिज्म की है। हमारा देश इस बात से जाना जाता है कि हमारे देश में सभी धर्म के लोग बहुत मोहब्बत और प्यार के साथ सदियों से रहते चले आ रहे हैं। आप जम्मू-काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किसी भी प्रान्त का इतिहास देख लीजिए। सभी लोग एक दूसरे के साथ मैत्री भाव और प्यार के साथ खुशी और गमी में शरीक होते है। लेकिन कभी-कभी न जाने कहां से प्रेरणा लेकर ऐसी शाक्तयां उठ खड़ी हो जाती हैं जो कि सदियों से एक साथ रहते हुए पड़ौसियों का खून करने के लिए प्रेरित कर देती हैं। आजादी के चालीस वर्ष बाद हमारे देश में जब भी साम्प्रदायिक दंगे होते हैं तो हमारा सिर शर्म से झुक जाता है कि क्या हम उसी भारतवर्ष के भारतवासी हैं जहां पर पूज्य महात्मा गांधी जी ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया इसलिए कि देश में किसी एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति से लड़े-झगड़े नहीं, हत्या नहीं करे, सत्य और अहिंसा के ऊपर यह देश चले। इतनी भारी कीमत देकर के भी आज रीलिजियस फंडामेंटेलिज्म का नाम लेकर मासूम लोगों की हत्या करवा देते हैं। छोटे, बड़े साधारण या पेचीदा मसले हों, जब हमारे देश में लोकतांत्रिक प्रणाली है, हमारे देश के संविधान ने पूर्ण स्वतंत्रता और पूर्ण आजादी दे रखी है कि पंचायत, परिषद और लोक सभा में तमाम मसले उठाये जा सकते हैं। संविधान में संशोधन करना है, या अन्य पहलू ऐसे हैं जो हम इस सदन में चर्चा कर सकते हैं और फैसला कर सकते हैं। जितने भी विचार इसके ऊपर आते हैं उनको लेकर जो देश के लिए बेहतर हो या जो भी प्रावधान है, जो सुविधाएं की गई हैं, जो संस्थान कायम किए गए है, वे किसके लिए हैं। वे देशवासियों के लिए हैं और देश की खातिर हैं। होता क्या है कि किसी एक छोटे से स्थानीय मसले को लेकर किसी एक अखबार में किसी ने कोई कहानी छाप दी, न जाने कब छापी और न जाने उसका कितना सर्कुलेशन है, मगर एक हवा ऐसी चलती है कि पूरे देश में वह फैल जाती है। जिन लोगों ने उस चीज को न सुना हो और न देखा हो, वह उसका शिकार हो जाते हैं जैसे बाबरी मस्जिद और राम जन्म भूमि। एक पुस्तक का नाम लेकर नयी बात खड़ी हो गई है। आज सुबह ही मैंने दोनों सदनों के माननीय सदस्यों से एक साथ बात की है। हमने उनके सामने विवरण रखा कि हम हमेशा इस बात की कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा मसला हमारे सामने आ जाए जिससे हमारे देश की कम्युनल हारमनी को खतरा हो। हमारे देश के सैक्यूलरिज्म सैटअप को चुनौती हो सकती है। हम हमेशा उस पर कदम लेते हैं। जब हमें यह पता चला था अक्तूबर 1981 में तो हमने उसी वक्त होम मिनिस्ट्री की तरफ से फाइनेंस मिनिस्ट्री को प्रधान मंत्री जी ने आदेश के मुताबिक कहा कि सभी जो कस्टम पाइंट्स हैं उनको अलर्ट कर दिया कि इस प्रकार की पुस्तक छप रही है या छप चुकी है तो उसकी हमारे देश में नहीं आने दिया जाये। उसके बाद हमने कोशिश की कि न केवल यही कि उसकी एंट्री बैन हो गई, बल्कि अगर कहीं से वह किताब आ चुकी हो हमारे देश में तो उसको कांफीस्केट किया जाये। मुझे खुशी है कि हमने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को सर्कुलर भेजा, एक वार्निंग भेजी जिससे तमाम प्रान्तों की सरकारों को अलर्ट किया, अलार्म किया कि इस प्रकार की एक चीज आ गई तो हमारी समझ के मुताबिक वह सही नहीं होगी। इससे देश में एक ऐसा वातावरण पैदा हो सकता है जिससे देश को नुकसान होगा, हमारे कम्युनल हारमोनी को नुकसान होगा, हमारी सेक्यूलिरिज्म सेटअप को नुकसान होगा लेकिन मुझे खुशी है कि उस पर पूरी तरह से अमल हुआ। मगर आज एक अच्छा काम हुआ, आज सुबह चालीस-पचास सांसद आये थे। उन्होंने प्रधान मंत्रीजी से मिलकर उनको मुबारकबाद दी और भारत सरकार की सराहना की कि अच्छा कदम लिया जिससे देश में बहुत भारी मात्रा में एक खून-खराबा हो सकता था। उससे बच गये। लेकिन आज कुछ ऐसी फंडामेंटेलिस्ट फोर्सेज हैं जो

[सरदार बूटासिंह]

कि इस बात को भी एप्रिशिएट किये बगैर इस तरह का हालात पैदा कर रही हैं कि यह एक अच्छा कदम उठाया गया है, उसके बावजूद इस तरह का वातावरण पैदा किया जा रहा है जिस से हमारे देश में एक नया साम्प्रदायिक माहौल पैदा किया जाये और लोगों को मुसीबत में डालकर उन्हें आपस में लड़ाया जाये। दुर्भाग्यवश महाराष्ट्र में बम्बई में ऐसी दुर्घटना हुई, मैंने तुरन्त वहां के मुख्य मंत्री से सम्पर्क किया और उन्होंने मुझे पूरा विवरण दिया कि कैसे उन्होंने इसे रोकने की पूरी कोशिश की और उन लोगों को यह भी कहा गया कि आप अपने चन्द लीडर्स को आगे भेज दीजिए हम उनको ले जायेंगे और उनका प्रोटेस्ट लाज करवा देंगे।

[अनुवाद]

प्रो. सैफुद्दीन सोज़ (बारमूला): किन्तु पूरे समुदाय ने भारत सरकार के कदम की सराहना की है।

सरदार बूटा सिंह: यही तो मैं कह रहा हूं। किन्तु मैं उन लोगों के बारे में अधिक चिन्तित हूं जो अभी भी इस मामले को उठाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि इसमें कोई तर्क नहीं है और हमारे देश से इस मामले का कोई ताल्लुक नहीं है। उन्हें यह मामला क्यों उठाना चाहिए। यही मेरी चिन्ता है,

[हिन्दी]

जहां कोई अच्छा काम होता है उसमें सबको मिलकर न केवल ऐसी चीज की सराहना करनी चाहिए बल्कि मोबीलाइज करना चाहिए कि इससे सबको फायदा होगा। इस देश में कोई धर्म दूसरे धर्म से बड़ा नहीं है, हमारे लिये सभी धर्म बराबर हैं, हम सब धर्मों की समान रूप से इज्जत करते हैं, सत्कार करतें हैं और श्रद्धा रखते हैं। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह नहीं है कि हम धर्म से दूर हैं और हमने धर्म को तिलांजलि दे दी। मतलब यह है कि हमारा जितना पुरातन इतिहास है वेदों के समय से लेकर आज तक का उसमें सहनशीलता सिखाई गई है। आप हमारे कोई से ग्रन्थ को उठाकर देख लें हमारी सबसे बड़ी जागीर, सबसे बड़ा खजाना सहनशीलता है। अगर सहनशीलता नहीं है तो फिर हमारे और दूसरे देशों में फर्क क्या है। बहुत से देश ऐसे मैं मन्दिर बनाने, मस्जिद बनाने, गुरुद्वारा बनाने आदि को इजाजत नहीं है। लेकिन भारतवर्ष में एक ही मोहल्ले मे कई धर्मों के धर्म स्थल मिल जायेंगे पूजा-पाठ करते हुए लोग मिल जायेंगे। यह सबसे बड़ी चिन्ता आज फंडामेंटेलीस्ट फोर्सेज की है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अभी तक भी हमारे देश को मल्टी नेशनल कहते हैं। उस सदन में एक बार चर्चा हुई थी वहां लोगों ने इंसीस्ट किया। मैंने कहा कि हमारा देश एक नेशन है, एक सिटीजनशिप है।

5.00 म. प.

हम सब महान भारतवर्ष के नागरिक हैं। हमें खुशी है कि हम भारतवासी हैं। हमें फख्र है कि हमारी नागरिकता एक है। कोई इस पर संदेह नहीं कर सकता। किसी व्यक्ति का कोई भी धर्म हो सकता है, अनेक धर्मों को मानने वाले लोग आपको यहां मिल जायेंगे, जहां हमारे देश में नास्तिक हैं, वहां आस्तिक भी हैं, कोई यह नहीं कह सकता कि हमने कभी किसी नास्तिक को यह कहा हो कि तुम कोई धर्म विशेष क्यों नहीं अपना लेते, या किसी आस्तिक से यह कहा हो कि तुम नास्तिक क्यों नहीं बन जाते। हमने हमेशा सभी धर्मों को बराबर का दर्जा दिया, सभी धर्मों का सम्मान किया। हमारे देश में विशेष क्षमता है और मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि शायद ही विश्व के किसी देश में एक जगह करीब डेढ़-दो करोड़ लोग इकट्ठा होकर, पवित्र पर्व के अवसर पर स्नान करते हों, जैसा कुछ दिनों पूर्व हमारे देश में देखने को मिला। इसे मैं सौभाग्य कहूंगा, ईश्वरीय कृपा कहूंगा कि हमारे देश में ऐसा माहौल सम्भव है, लोगों में एक दूसरे के प्रति इतनी श्रद्धा और सहानुभूति है। मैंने अपने जीवन में इतना बड़ा हजूम एक जगह इकट्ठा होकर स्नान करते नहीं देखा और शायद किसी दूसरे देश में आपको ऐसा उदाहरण नहीं मिल सकेगा। केवल भारतवर्ष में ही यह सम्भव है।

उसका कारण है कि हमारे देश में सहनशीलता है, मैत्रीभाव है, भ्रातृत्व भाव है, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा है, हम अतिथि को भगवान मानते हैं। इन सब चीजों के कारण ही हमारा देश महान है, आगे बढ़ने में समर्थ है। मगर जिस तरह से हमारे सामने भाषावाद, प्रान्तवाद, रिलीजस फंडामैंटलिज्म की गम्भीर चुनौतियां हैं, उनका मुकाबला केवल शासन के माध्यम से नहीं किया जा सकता। मैं मानता हूं कि शासन का दायित्व संविधान के अंतर्गत देश में शान्ति व्यवस्था कायम करना है, संकट के समय देश को एक साथ लेकर चलना है, लेकिन इन चुनौतियों का मुकाबला करने का भार केवल शासन पर नहीं छोड़ा जा सकता, इसमें सम्पूर्ण भारतवासियों के सहयोग की आवश्यकता है, विशेषकर हमारे विरोधी दलों की, क्यों कि सरकार पर दोहरा दायित्व है: जहां उसने देश निर्माण का काम करना है, गरीबी से जूझना है, डैवलपमैंट करना है, विकास करना है, वहीं सभी लोगों को पार्टिसिपेट करा कर देश को आगे ले चलना है। सौभाग्य से पूरे देश को एक साथ मिलकर आगे ले चलने का सिद्धांत हमें विरासत में मिला है। जैसा मैंने शुरू में कहा था, हम शुरू से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलते आये है। इस साल हम पण्डित जवाहर लाल नेहरू जी की शताब्दि मना रहे हैं, जिसमें सारे देश के लोग शामिल हैं। सारी दुनिया के लोग देख रहे हैं कि भारतवर्ष में उस महान नेता की शताब्दि मनायी जा रही है जिसने भारतवर्ष को ही नहीं, पूरे विश्व की मानवता के सामने एक आदर्श स्थापित किया, जिनकी नीतियां सोशलिज्म, सैक्यूरिज्म और पार्लियामैंटरी डैमोक्रेसी की रहीं, जिनमें लोगों को अपने साथ लेकर आगे चलने की सामर्थ्य थी, चाहे वे इस देश के लोग हों या विदेश के, नॉन-एलाइण्ड मूवमैंट के हों। पण्डित जवाहर लाल नेहरू ऐसे आदर्श पुरूष हुए, जिन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को साकार किया। हम आज भी उन्हीं के दिखाये रास्ते पर चलकर देश को आगे ले जा रहे हैं। पण्डित जी ने सैक्यूलरिज्म पर बार-बार बल दिया था, सोशलिज्म पर बल दिया, जो इस बात का परिचायक है कि हम किसी भी हालत में इस देश की एकता और अखंडता को क्षति नहीं पहुंचने देंगे। सही मायनों में प्रैक्टिकली देखा जाये तो सैक्यूलरिज्म का अर्थ है देशवासियों को रखना एक और देश की एकता, अखंडता बनाये रखना, सभी धर्मों को समान रूप से सत्कार देना, देश के विकास के लिए सोशलिज्म को आधार मानना। एक बार नहीं, अनेक बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने सदन में और सदन के बाहर सोशलिज्म के माने यही बताये कि हमें देश से एक्सप्लायटेशन को दूर करना है, गरीब और अमीर के बीच की खाई को पाटना है और आने वाली पीढ़ी के लिये ऐसे अवसर प्रदान करने हैं, जिससे वे विकास कर सकें, उपेक्षित वर्ग की सहायता करना है, चाहे वे आदिवासी हो हरिजन भाई हों, बैकवर्ड क्लास के लोग हैं और सबसे ज्यादा हमें महिलाओं पर ध्यान देना है जो शिक्षा के मामले में अभी तक बहुत पिछड़ी हुई हैं। और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां से उनको पूरा मौका मिला। उनको पूरे-पूरे मौके दे कर बराबर का हिस्सा दे कर अपने देश के निर्माण में लगाकर के आगे ले जाने का नाम ही सोश्यलिज्म है। यह हमारे कर्णधार पं० जवाहर लाल नेहरू की नीति का ही परिणाम है जो आज महिलाएं हर क्षेत्र में अग्रसर हैं। उन्हीं आदर्शों पर इंदिरा जी चलीं और अपने प्रधान मंत्री की कार्यावधि में ही नहीं बल्कि जब वे सत्ता से दूर हुई, तब भी उन्होंने इनके लिए काम किया। सौभाग्यवश हमें उनकी सेवा करने का मौका मिला। मैंने श्रीमती इंदिरा गांधी को उन दिनों में देखा जब कि वे प्रधान मंत्री नहीं थीं। तब भी उनके मन में सबसे ज्यादा बोझ था, फिकर था, तो यह था कि जो देश के सबसे पिसे हुए लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, महिलायें है, आदिवासी हैं उनका कल्याण कैसे हो। मैं समझता हूं कि जितने ज्यादा दौरे इंदिरा जी ने प्रधान मंत्री पद से हटने के बाद किए, उतने प्रधान मंत्री पद पर रहते हुए एक साल में कभी नहीं किए। इसका मतलब है कि देशवासियों के प्रति और खासकर देश के जो उपेक्षित लोग हैं, उनके प्रति उनके मन में कितना आदर था। जहां वे खुद नहीं चल सकती थीं वहां बैलगाड़ी के ऊपर, हाथी के ऊपर, घोड़े के ऊपर, जो भी माध्यम उनको मिला उस पर चलकर उन्होंने देशवासियों से मुलाकात की। यह है हमारा आदर्श, ये हैं वे कांग्रेस की मूलभूत नीतियां जिन को हम कभी छोड़ नहीं सकते।

[सरदार बूटासिंह]

आपने देखा होगा कि कल हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने एक बजट पेश किया है । यदि कोई भी दूसरा दल होता, तो एक इस तरह का बजट पेश करता, जैसा अक्सर कहा जाता है, मदारी जैसा बजट पेश करता । बहुत चीप स्लोगन देकर और बाजारी किस्म के प्रोग्राम दे कर लोगों को भ्रम में डालने की कोशिश करता, लेकिन यह कांग्रेस की नीति नहीं है । हम कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दल को फायदा हो । हम ऐसा काम करेंगे जिससे देश को फायदा हो ।

उपाध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी जी का पिछले 4 साल का समय यदि इतिहास के लिए लिखना हो, तो मैं कहूंगा कि ऐसे पहले प्रधान मंत्री हैं जिन्होंने दफ्तर में पहुंचते ही, देश के अंदर कोने में जो अलगाववाद की भांति की शक्तियां चल रही थीं उनके ऊपर ध्यान दिया । आपको याद होगा कि उन दिनों में क्या हो रहा था । असम जल रहा था, पंजाब में बुरी हालत थी, मिजोरम जल रहा था, गोरखा लैंड की बात उठ रही थी, त्रिपुरा में आए दिन हत्याएं हो रही थीं । उन्होंने सारी चीज को सामने रखकर, सारे भारत में इस बात का प्रयास किया और एक रास्ता खोजा, एक रास्ता निकाला जिसमें सभी को एक नारा दिया कि आपकी सभी समस्याओं का हल हो सकता है यदि आप संविधान के अन्तर्गत देश की एकता और अखंडता को कायम रखते हुए, बात करना चाहें, तो हम बड़ी से बड़ी बात पर, जो बहुत दूर जा चुके लोग हैं । उनसे भी बात करने के लिए तैयार हैं । उसके फलस्वरूप आसाम में एक सरकार बनी । यदि उनके सामने केवल एक दल का फायदा होता, एक दल की नीति होती, तो इस तरह का वातावरण पैदा न किया जाता । हमें खुशी हुई आसाम में एक नई सरकार आई और उस सारी स्थिति को समझकर फैसले किए गए । आज दुर्भाग्यवश यहां पर हमारे विरोधी दल के नेता नहीं हैं, जो अक्सर इस बात को कहते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितना इम्प्लीमेंटेशन भारत सरकार की तरफ से आसाम अकॉर्ड का हुआ है, इसके मुकाबले में राज्य सरकार की ओर नहीं हुआ है । हमने उस अकॉर्ड के सभी कलाजेज को वहां के मुख्य मंत्री के साथ बैठकर, वहां के मंत्रिमण्डल की टीम के साथ बैठकर एक बार नहीं अनेक बार, मैंने स्वयं गौहाटी में जाकर, ऐसी जटिल समस्याएं थी, उनका समाधान खोजा, मगर इम्प्लीमेंटेशन के लिए जितना ज्यादा होना चाहिए था वह भी नहीं हुआ। मैं कोई एक्यूज़ नहीं कर रहा हूं, आज भी हम तैयार हैं। मैंने पुनः वहां के मुख्य मंत्री को बुला रखा है, जहां कहीं भी रुकावट होती है, हम कोशिश करते हैं कि उस रुकावट को हटाकर जो असम में लोगों के लिए समझौता हुआ, उस पर पूरा-पूरा अमल हो जाए । मगर यहां इस सदन में आकर माननीय सदस्य तरह-तरह की बातें करते हैं, मुझे दुःख हुआ जब मैंने यहां श्री दिनेश गोस्वामी का भाषण पढ़ा । उसमें उन्होंने इस तरह की बेबुनियादी बातें कहीं, न केवल असम के एकॉर्ड के बारे में बल्कि ऐसी निराधार बातें कहीं और उन्होंने कहा कि जो बोडो का एजीटेशन चल रहा है, उसमें यहां के गृह मंत्री का हाथ है । इससे ज्यादा शर्म की बात हो नहीं सकती कि देश का कोई भी गृह मंत्री इस तरह की बात करे कि किसी प्रान्त का विभाजन हो जाए । उसको गृह मंत्री रहने का हक नहीं है ।

हम तो रोज कोशिश करते हैं कि जितने भी इस तरह के असंतुष्ट वर्ग हैं हमारे देश के उनको साथ लेकर चले । अगर वह साथ नहीं चलते हैं तो हम कानून के मुताबिक उनको समझाने की कोशिश करते हैं अगर वह नहीं समझते हैं तो हम हर सख्ती करते हैं और देश की एकता और अखंडता बढ़ाते हैं । कौन सी ऐसी जगहें हैं, जहां कि हमने यह कदम नहीं उठाए ?

आन्ध्र प्रदेश में, श्री माधव रेड्डी साहब यहां बैठे नहीं हैं, हमने सबसे पहले इनीशियेटिव लिया और वहां के मुख्य मंत्री और वहां की सरकार को कहा कि आपके यहां बहुत बड़ा आतंकवाद है, जो उठ रहा है, इसके बारे में आप खबरदार हो जाएं । हमने कोशिश की यहां से बड़े अफसरों को भेजा, गृह सचिव ने वहां के मुख्य सचिव से बातचीत की, प्लानिंग कमीशन के सैक्रेटरी वहां पर गए, हमने उनके सामने यह बात रखने की कोशिश की कि दो तरीके से यह मसला हल हो सकता है । एक तो ला एंड आर्डर की सिचुएशन में हम

आपकी मदद करेंगे दूसरे जो सामाजिक मुश्किल है जिनकी बजह से लोग नक्सलिज्म की और आतंकवाद की तरफ जाते है, उन चीजों को आप इम्प्लीमेंट कीजिए । उनकी लैंड एलीमिनेशन की प्राबलम है, रूरल इन-डैटनैस की प्राबलम है, आदिवासियों के एक्सप्लायटेशन की बात है, आप ऐसे प्रावधान कीजिए जिनसे उनका एक्सप्लायटेशन बन्द हो, लैंड रिफार्म लागू हो और उनकी लैंड एलीमिनेशन न हो । उसके लिए हमने सुझाव के रूप में कहा कि प्लानिंग कमीशन की तरफ से प्लानिंग सैकेट्री वहां जाकर वहां की सरकार के साथ बैठकर एक विस्तृत प्रोग्राम बनाए । वह प्रोग्राम केवल आन्ध्र प्रदेश के लिए नहीं बनाया बल्कि बिहार और मध्य प्रदेश के लिए भी बनाया। बिहार में तो कुछ कदम उठाए गए लेकिन दुःख की बात है कि आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने आज तक यह पता नहीं दिया है कि बावजूद इसकेकि हमने बार-बार लिखा है लेकिन उन्होंने इतनी भी खबर नहीं दी कि उन्होंने उस पर एक्शन भी लिया या नहीं लिया । फिर कहा जाता है कि केन्द्र की तरफ से राज्यों के साथ दुर्व्यवहार होता है और उपेक्षा होती है जबकि हम हर कोशिश करते है, हमने इस बात की परवाह नहीं की कि किस राज्य में, किस प्रान्त में, किस पार्टी का राज्य है । हम हमेशा लोगों की बात रखते हैं, और कोशिश करते हैं कि उनकी दिक्कते दूर हो जाएं । जब भी कोई उपद्रव उठता है, तो सबसे पहले सिगनल फ्लैश कर दिया जाता है कि यहां पर सी० आर० पी० और बी० एस० एफ० भेजो । संविधान के अन्तर्गत हम एसेस्मैंट कर के उस स्थिति से निपटने के लिए कितनी ताकत चाहिए, उसके हिसाब से हम यहां से केन्द्रिय दल के दस्ते भेजते हैं, मगर उस मुख्य मंत्री का हम क्या करें जो पब्लिकली लोगों को कहते फिरते हैं कि ये नक्सलवादी हमारे भाई है, और ये बडा अच्छा काम करते हैं । काम वे क्या करते है, आदिवासियों को मारते हैं और गांवों में आंतकवाद फैलाते हैं वायोलैंस फैलाते हैं और जब यह वायोलैंस बढ़ती है तो उसके बाद वहां की पुलिस कुछ नहीं करती।

आज दुःख की बात है कि बोडो में क्या हो रहा है? यही कुछ तो हो रहा है। असम की पुलिस अपनी साधारण ड्यूटी देने से भी भाग रही है। कहा जाता है कि सी.आर.पी. और बी.एस.एफ. को भेजो। गोरखालैंड, बोडो प्राबलम और आन्ध्र प्रदेश में वहां की लोकल बाडीज़ सरकारी माध्यम से और राजनीतिक दलों के माध्यम से यह प्रचार किया जाता है कि यह तो राजीव की पुलिस है जो मार रही है, हम तो नहीं चाहते थे। दुःख की बात है कि कुछ प्रान्तों में सी.आर.पी. को बदनाम करने के लिए सी.आर.पी की वर्दी पहनाकर वही के लोकल मसलमैन से सी.आर.पी. को बदनाम करने के लिए वहां पर लोगों की हत्याएं करवाई गई हैं। यह सारी चीजें सामने आई। मुझे नहीं समझ लगता कि किस प्रकार से यह विरोधी दल के नेतागण लोगों को भ्रम में डालते हैं, एक्सप्लायट करते हैं और कहते हैं कि सेंटर की तरफ से हमारे साथ उपेक्षा होती है। आज भी यही कुछ हो रहा है। आज जब में आपके सामने यहां खड़ा हूं तो 2-3 जगहों पर बंद चल रहे हैं। असम में, बिहार में, बंद चल रहा है, गुजरात में बंद की तैयारी हो रही और पंजाब में एक हड़ताल चल रही है।

जैसा कि शुरू में मैंने कहा कि केन्द्र सरकार की तरफ से हम हमेशा तैयार रहे। कहीं पर भी देश की एकता और अखंडता को खतरा हो-- चाहे जम्मू-कशमीर में हो, चाहे दूसरी जगह पर हो, या फिर बिहार, असम, बंगाल और पंजाब में हो, हम हर तरह से कोशिश करते हैं कि केन्द्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को पूरा-पूरा सहयोग दिया जाये, पूरा-पूरा सामान दिया। इसके लिये न केवल केन्द्रीय सुरक्षा बल भेजे जाते हैं, अच्छी कम्युनिकेशन के यंत्र दिये जाते हैं बल्कि अच्छी ट्रांसपोर्टेशन के भी इंतजाम किये जाते हैं ताकि वहां की स्थानीय पुलिस और वहां के अधिकारी अच्छे ढंग से वहां के आतंकवाद का या अलगाववाद की शक्तियों का मुकाबला कर सकें। मगर दुख इस बात का है कि यह सारा कुछ होने के बावजूद भी यदि वहां की सरकार विरोधी दल की है तो ऐसे में सबसे पहला हमला आतंकवादियों के ऊपर न होकर राजीव गांधी की सरकार के ऊपर होता है और कहा जाता है कि हम कन्फ्रेंटेशन पैदा करते हैं।

[सरदार बूटासिंह]

उपाध्यक्ष महोदय, अब आप इस बात का फैसला करें कि कन्फ्रंटेशन किस तरफ से होती है। हम सहायता के लिये वहां जाते हैं और भारत सरकार के पास जितने भी यंत्र हैं, उन सब को भेजते हैं। इतना ही नहीं हम बल भी भेजते हैं। लेकिन लोगों के सामने उनको इस तरह से पेश किया जाता है जैसे कि लोगों की हम हत्यायें करते हैं। फिर अखबारों में भी उसको उछाला जाता है। यह कन्फ्रेंटेशन छोटे दलों की तरफ से हो रहा है।

श्री माधव रेड्डी जी ने बड़े जोर-शोर से कहा कि इलेक्शन में रीगिंग हुआ मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में रीगिंग हुआ। उन्होंने यह क्यों नहीं कहा कि तमिलनाडु में रीगिंग हुआ। जहां उनको अच्छा लगता है वहां रीगिंग नहीं होती है और जहां किसी प्रान्त के लोग कांग्रेस को सत्ता में लाते हैं तो वहां रीगिंग हो जाती है। हरियाणा में, रीगिंग हुई। उसका एक नमूना इस सदन में पेश हुआ। यह पहली बार थी जब हमारे देश में एक ही कांस्टीटूएंसी में बहुत सारे पोलिंग बूथ पर दुबारा पोल करने के आदेश दिये गये। उस वक्त विरोधी दल के नेता लोग खामोश थे। न केवल खामोश थे बल्कि हरियाणा सरकार को यहां पर शाबाशी दी गई। यदि रीगिंग विरोधी दलों की तरफ से होती है तो उनको शाबाशी दी जाती है। सत्ता अगर कांग्रेस के हाथ में चली जाये तो कहा जाता है कि रीगिंग हो गई। इससे लोगों में ग्रप ही पैदा नहीं होता बल्कि हमारे देश की लोकतांत्रिक प्रणाली को भी ठेस पहुंचती है। लोकतांत्रिक प्रणाली तभी कायम रह सकती है यदि पूरे देशवासियों को एक जैसा हक मिले और वह मतदान बगैर किसी डर के और बगैर किसी लिहाज के करें।

मैं विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। अगर आप आन्ध्र प्रदेश की मिसाल उठा कर देख लें जहां पर डायरेक्टर जनरल पुलिस ने कहा कि सरकार राज्य की पुलिस को सरकारी गुंडागर्दी में तबदील कर रही है और वहां की आई०ए०एस० एसोसिएशन और आई०पी०एस० एसोसिएशन जो कि किसी भी सरकार के बहुत मजबूत दो बाजू होते हैं, वह दोनों बाजू जवाब दे दें और वहां के टॉप-मोस्ट आफिसर यह लिख कर दे दें कि हम से ऐसी सरकार के साथ काम नहीं किया जाता तो उनका हाल आप जान ही जायेंगे। न जाने कितने आफिसर काम छोड़ कर चले गये। यदि मुझे आज इसका विस्तार इस सदन के सामने देना पड़ जाये तो बहुत ही दुख होगा। कितने ही लोग वहां की सरकार की बात नहीं चला पाये उनको निकाल दिया गया और उनके खिलाफ डिसमिसल की सिफारिशें हुई। बहुतों को सस्पैंड किया गया और आधे दर्जन के करीब लोग ऐसे थे जिनको रिव्यु करने के बाद कम्पीटीटिव एथारिटी ने रेस्टॉर किया।

यह तो एक छोटा सा नमूना है कि जो लोग आज कांग्रेस का आल्टरनेटिव सोच रहे हैं, किस प्रकार से एक छोटे से प्रान्त में, हिन्दुस्तान के एक हिस्से उन्होंने किस तरह से प्रशासन का तहस-नहस किया और देश की दो सबसे बड़ी सेवाएं आई०ए०एस० और आई०पी०एस० उनके बोझ के नीचे दब गई और जो चिल्लाई। आई०ए०एस० आफिसर्स की एसोसिएशन ने बाकायदा रैजोल्यूशन पास किये। वहां की ज्यूडिशियरी कांप रही है और वह लोग आज स्वप्न देख रहे हैं कि वह काग्रेस का आल्टरनेटिव बन पायेंगे। जैसा मैंने शुरू में कहा कि काग्रेस

[अनुवाद]

यद्यपि यह एक राजनीतिक दल है।

[हिन्दी]

मगर हमारे आदर्श राजनीति से कहीं ज्यादा आगे हैं। हमारे आदर्श मानवता के ऊपर हैं, हमारे आदर्श देश की एकता और अखण्डता को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। हमारे आदर्शों में गरीब का दर्जा सबसे ऊंचा है, चाहे वह किसी जाति का हो। हमारे आदर्शों में सभी धर्मों को एक जैसा सम्मान मिलता है। बार-बार कहा गया, मैंने भी कई बार पूछा, जवाब नहीं मिला, देश के सामने कुछ ऐसी समस्याएं खड़ी हैं जिनके

ऊपर न नैशनल फ्रंट के लोगों ने और जनता दल का तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि ब्रेक फास्ट के वक्त जनता दल कुछ और होता है, लंच के वक्त कुछ और होता है और डिनर के वक्त कोई भी नहीं होता, सभी छोड़कर भाग जाते हैं। वह तो एक ऐसा गोरखधन्धा है, जिसको मैं नहीं समझता कि आने वाले अगले 5 वर्षों में भी पूरा हो सके, उसका हमारे सामने कोई रूप होने वाला ही नहीं है क्योंकि उसकी बुनियाद ही बेईमानियों पर है, यहां से निकले हुए लोगों ने उसको बनाया है। हां, नेशनल फ्रंट को मैं मानता हूँ क्योंकि इसके खिलाफ कोई आये, कोई जाय, उसमें कोई पाबन्दी नहीं है, उन्होंने एक नई पार्टी खड़ी की और शुरू से उसकी बुनियाद ही यह रखी गई कि कौन किसकी जेब काटता है, किसी एक का नाम लेना मेरे लिए ठीक नहीं होगा, जितने भी बड़े टॉप के लीडर्स हैं, सब कैंची हाथ में लिए खड़े हैं और जिसको मौका मिलेगा, जिस वक्त मौका मिलेगा, उसी वक्त उसकी जेब काट देगा और उसके चेयरमैन बेचारे ऐसे ही हवा में रह जायेंगे। यह पहली बार है कि किसी दल का चेयरमैन अपने दल की बैठक से वाक-आउट करके जाय। इससे पता चलता है, खोखलेपन का, इससे पता चलता है कि उनके अन्दर कोई आदर्श नहीं हैं, कोई नीति नहीं है। इकट्ठे चलेंगे तो कैसे चलेंगे, खाली जाति के नाम से? जाति के नाम से नहीं चल पायेंगे। आज जिस तरह से कांग्रेस की नीतियां सुदृढ़ हो चुकी हैं, लोगों के मस्तिष्क में जा चुकी हैं, उसके सामने कांग्रेस का विकल्प जनता दल नहीं हो सकता और मैंने एक बार नहीं, अनेक बार पब्लिकली जनता दल और नेशनल फ्रंट के लोगों से पूछा है कि उनका देश की बड़ी-बड़ी समस्याओं के बारे में क्या विचार है। अब नेशनल फ्रंट को पंजाब के ऊपर ही ले लीजिए, नेशनल फ्रंट ने आज तक पंजाब के बारे में एक शब्द नहीं कहा। शायद वह यह देख रहे हों कि न जाने अकालियों में कौन आगे आयेगा, उसी को देखकर कह देंगे कि वह अच्छे आदमी हैं, उसकी बात मान ली जाय। उनकी पोलिटिक्स अपोर्चुनिज्म की पोलिटिक्स है। कभी एक वक्त वह बरनाला के साथ थे, अब बरनाला को भी छोड़ गये। अब न जाने किस की तरफ देख रहे हैं कि कोई एक उनकी मर्जी का, उनके ढंग का लीडर पंजाब में आ जायेगा तो वह पंजाब के बारे में अपनी नीति की घोषणा करेंगे। पंजाब की हालत यह है आज कि पंजाब के लोग जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार की तरफ से हम हर कोशिश कर रहे हैं कि देशवासियों की जान और माल की हिफाजत की जाय। सबसे ज्यादा कठिन समस्या के ऊपर नेशनल फ्रंट के नेता की आज तक घोषणा नहीं हुई। अगर हुई तो एक सज्जन ने चण्डीगढ़ में जाकर की, जिसने ओपनली जाकर खालिस्तान का नारा दिया और कहा कि जो आतंकवादी हैं, खालिस्तान इनकी मांग है और सरकार को इसके बारे में बैठकर बात कर लेनी चाहिए कि हम भारत सरकार में रहें, भारत सरकार में न रहें हम देश के टुकड़े करने वाली कोई भी शक्ति होगी, उसका डटकर मुकाबला करेंगे और आज भारत सरकार की ओर से फिर मैं दोहराना चाहता हूं कि आतंकवाद की जड़ें पंजाब में से काटकर फेंकी जायेंगी, आतंकवाद को खत्म किया जायेगा। आतंकवाद के साथ हमारी लड़ाई चल रही है और जो आतंकवाद का साथ दे रहा है, जो उनको प्रोत्साहन दे रहा है उसको हम देश का दोस्त नहीं कह सकते। नेशनल फ्रंट ने आज तक इस के बारे में कोई नीति घोषित नहीं की, नेशनल फ्रंट के किसी भी नेता ने नहीं कहीं इसलिए मैं मानता हूं कि यह कांग्रेस का जो विकल्प सोचा जा रहा है, इसमें देश की कोई बात नहीं है। क्योंकि देश की एकता और अखण्डता की उनको फिक्र ही नहीं है। अगर उन्हें फिक्र होती तो बाबरी मस्जिद पर बोले होते जितने नेता हैं उतने ही दृष्टिकोण हैं। नेशनल फ्रन्ट के सभी लोगों के अपने अपने विचार हैं। राष्ट्र-भाषा के बारे में आज क्या उनमें आपस में तालमेल है? उनमें आपस में क्या कामन है? क्या करुणानिधि और देवीलाल भाषा के ऊपर इकट्ठे हो सकते हैं? मैं नहीं समझता । इसलिए नेशनल फ्रंट के पास कोई भी विकल्प नहीं है देश की समस्याओं के बारे में। रामजन्म भूमि -बाबरी मस्जिद का चर्चा यहां पर हुआ था और हमने पिछले सेशन में जो कहा था उसको हमने पूरा भी किया । हमने कोशिश की, सभी अपने समाज के बड़े-बड़े नेताओं से बातचीत करके, इंडिवीजुअली, क्लक्टिवली, ग्रुप में, और हमने एक रास्ता निकाला और यह

[सरदार बूटा सिंह]

तय हुआ कि इसको उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट के सामने पेश कर दिया जाए, जिस जिसको भी अपना केस, अपना मुकदमा वहां रखना हो उसको पूरी तरह से अपना केस रखना चाहिए और उसके बाद जो भी निर्णय होगा यह सभी के ऊपर बाध्य होगा। मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही एक कदम ले लिया है और हमने उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को इस बात के लिए बुलाया है ताकि बैठकर आगे के लिए कैसे कदम उठाने हैं, उनसे हम सुने कि उत्तर प्रदेश सरकार कैसे कदम लेगी। खुशी की बात यह है कि इनमें लगभग— यह तो मैं नहीं कहता कि सौ-फीसदी सब मिलकर साथ हुए अधिकतर लोगों ने इसमें कहा है कि यही एक राइट एप्रोच है। पर दुःख इस बात का है कि जब हमने निर्णय ले लिया, कदम उठा लिया तो जनता दल के चेयरमैन का एक स्टेटमेन्ट आ गया कि अब इसको कोर्ट के पास भेज देना चाहिए। यह था आंखे पोंछने के लिए। इसलिए मैं कहता हूं कि किसी भी राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न के ऊपर न नेशनल फ्रंट और न जनता दल के लोगों के पास कोई विकल्प है।

इस सदन ने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर पिछले 5-6 दिनों में जो चर्चा की इसमें बहुत से माननीय सदस्य, खासकर गोडगिल जी का मैं बहुत आभारी हूं जिन्होंने इस सदन में धन्यवाद का प्रस्ताव रखा, उनकी तकरीर मैंने पढ़ी है। उन्होंने बहुत कांस्ट्रक्टिव सुझाव दिए हैं। उसी तरह से हमारे शरद दिघे जी, भाटिया जी, राम स्वरूप राम जी, माधव रेड्डी जी, प्रो॰ चन्द्रेश ठाकुर जी ने और अन्य बहुत से दोस्तों ने जो मुद्दे उठाए उनका कुछ का तो मैंने जवाब दे दिया है और बाकी मुद्दों का जवाब भी हम उनके पास लिखकर भेजेंगे। मैं पूर्ण विश्वास करता हूं कि आज के सन्दर्भ को सामने रखते हुए हमारी जो पास्ट पर्फारमेंस थी उसके ऊपर हमें फख्र है चाहे वह हमारी एकोनामिक पालिसीज़ थी, एग्रीकल्चरल पालिसीज़ थी, सोशल पालिसीज़ थी, चाहे इन्टर्नेशनल ट्रेड की पालिसीज़ थी और हमारी जो इन्टर्नेशनल पालिटिक्स है उसके बारे में तो हमने नहीं बल्कि। दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां कह रही हैं, बड़े बड़े शक्तिशाली देश कह रहे हैं कि प्रधान मंत्री राजीव गांधी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने भारतवर्ष की तरफ से एक बहुत सुन्दर प्रोग्राम रखा, बड़ा विस्तृत प्रोग्राम रखा टाइम शड्यूल देकर प्रोग्राम रखा, वही एक रास्ता है जिससे पूरे विश्व में शांति स्थापित हो सकती है और परमाणु शस्त्रों का विनाश हो सकता है। हमने न केवल लोकतन्त्र को अपने देश में परिपक्व किया, दृढ़ किया बल्कि जहां कहीं भी लोकतन्त्र को चुनौती हुई, हमारे पड़ोस में श्रीलंका में वहां भी हमने जाकर लोकतन्त्र की मदद की । आज हमारी नीति के कारण, हमारे फैसले के कारण श्रीलंका में लोकतन्त्र पूरी तरह से उभर पाया है। मालदीव में भी हमारे लोग गए। वहां नवनिर्वाचित राष्ट्रपति की हत्या करने की कोशिश की गई और वहां राष्ट्रपति की रक्षा करके हमारे देश ने लोकतन्त्र की सुरक्षा की, लोकतन्त्र को बचाया। इसलिए में समझता हूं माननीय सदस्यों ने राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण सुना वह एक बहुत सुंदर सागा है। चार साल में भारत सरकार ने, प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में लोगों की सेवा की, बहुत कठिन परिस्थितियों में सेवा की। सूखा तो अभूतपूर्व, बाढ़ आई तो अभूतपूर्व, ऐसे-ऐसे कठिन परिस्थितियों में ने केवल देश को बचा कर रखा , एकता को बचा कर रखा, अखण्डता को बचा कर रखा और सरहदों को मजबूत किया । आज कौन नहीं जानता सियाचीन में हमारे शूरवीर सैनिकों ने फौजी भाइयों ने किस प्रकार वहां का कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसकी मिसाल नहीं मिलती है। हम उनका जितना भी यशगान करें उतना ही थोड़ा है। श्रीलंका में उनकी कार्यवाही से न केवल शांति व्यवस्था कायम हुई बल्कि लोकतन्त्र कायम हो गया । इसलिए मैं पूरे देश की ओर से और पूरे सदन की ओर से अपने शूरवीर सैनिक सिपाहियों को मुबारकबाद देता हूं और जो अपनी ड्यूटी करते-करते बलिदान हो गए उन को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है, इस प्रकार से राजीव गांधी जी के नेतृत्व में हमारा देश इसी तरह से अग्रसर रहा तो एक दिन भारतवर्ष पूर्ण शिखर की चोटी पर पहुंचेगा, जिनका स्वप्न हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, स्व॰ पंडित जवाहर लाल नेहरू और भारत की राष्ट्रमाता श्रीमती इंदिरा गांधी जी देख कर गए हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम आधा घंटे की चर्चा आरम्भ करेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आधे घंटे की चर्चा के बाद जारी रहेगी। मैं सदन को इस बारे में पहले ही अवगत करा चुका हूँ । मेरे विचार के सभी इसे स्वीकार करेंगे। आज कभी सदस्यों को समय दिया जाएगा कल मेरे विचार से, संभवतः प्रधान मंत्री उत्तर देंगे ।

5.31 म०प०

आधे घंटे की चर्चा

राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग की सिफारिशें

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम आधे घंटे की चर्चा प्रारम्भ करते हैं । मैं सदस्यों को संक्षेप में बोलने का अनुरोध करता हूं यह आधे घंटे की ही चर्चा हो, एक घंटे की चर्चा न हो श्री शरद दिघे जी बोलें।

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, में आपकी अनुमति से राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग की सिफारिशों के संबंध में 22 फरवरी, 1989 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 14 पर शहरी विकास मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर से उठे मुद्दों पर चर्चा करना चाहता हूं।

मेरा प्रश्न मुख्य रूप से यह था :

"क्या सरकार ने राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग की रिपोर्ट और विशेषकर स्थानीय निकायों की वित्तीय तथा प्रबन्धकीय क्षमता को सुधारने और बजट तथा संस्थानों के माध्यम से अधिक धन उपलब्ध कराने के प्रस्तावित उपायों पर विचार किया है।"

उस दिन यद्यपि इसका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाना था लेकिन दुर्भाग्य से समय की कमी के कारण इसका मौखिक उत्तर नहीं दिया जा सका । लिखित उत्तर यह कहा गया था कि सभापटल पर एक वक्तव्य रखा गया है। और इस वक्तव्य में अन्य बातों के साथ साथ यह कहा गया था कि रिपोर्ट में 78 मुख्य सिफारिशें हैं। रिपोर्ट केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों तथा एजेंसियों और राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों के पास भेजा गया है। उत्तर में यह भी कहा गया है कि रिपोर्ट पर आवास मंत्रियों के अखिल भारतीय सम्मेलन, शहरी विकास मंत्रियों और स्थानीय प्रशासन के केन्द्रीय परिषद तथा महापौरों के अखिल भारतीय परिषद में चर्चा हुई है तथा सरकार द्वारा स्वाकार की जाने वाली सिफारिशों के संबंध में उपयुक्त कार्य योजना तैयार की जा सकती है। फिर यह भी कहा गया था कि राष्ट्रीय आवास बैंक शहरी मूल भूत ढांचे की व्यवस्था आदि आयोग की कुछ सिफारिशें लागू कर दी गई हैं और औद्योगिक विकास मंत्रालय ने राज्य सरकारों को लिखा है कि वे उद्योग लगाने के स्थानों के लिए विकास केन्द्रों का पता लगाए फिर यह आयोग द्वारा दिए गए स्थानों की सूची को ध्यान में रखते हुए अन्तिम रूप से कहा गया कि सरकार विभिन्न एजेंसियों की प्रतिक्रिया को देखकर स्वीकार की जाने वाले सिफारिशों के आधार पर एक कार्य योजना बनाना चाहती है।

राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग की इस रिपोर्ट को अन्तिम रूप से अगस्त, 1988 में प्रस्तुत किया गया था। जैसा कि प्रस्तावना में लिखा है अन्तरिम रिपोर्ट तो बहुत पहले जनवरी, 1987 में दे दी गई थी। शहरीकरण के दृष्टिकोण से यह रिपोर्ट अत्यंत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है । अतः मेरा अनुरोध है कि इस देश के तीव्र शहरीकरण के कारण उत्पन्न हुई कठिन समस्याओं को देखते हुए इस रिपोर्ट पर अत्यंत तेजी से कार्य करने की आवश्यकता है। इस रिपार्ट की सिफारिशों के प्रति सरकार का रवैया बहुत ढीला है और इस आयोग द्वारा की गई अनेक अच्छी सिफारिशों पर शीघ्र निर्णय लेने होंगे निःसन्देह जैसा कि उत्तर में कहा गया है, दो या तीन

[श्री शरद दीघे]

प्रस्तावों को पहले ही स्वीकार कर लिया गया है और इस पर कार्यवाही कि जा चुकी है लेकिन ऐसी अनेक महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं जो इस मामले की गहराई से जांच करती हैं। और यदि शीघ्र कार्यवाही हो जाए तो इससे शहरों के विकास में अत्यधिक मदद मिलेगी।

जैसा कि इस रिपोर्ट में कहा गया है, आजादी के बाद से शहरी आबादी में चार गुणा वृद्धि अर्थात् 1947 में 50 मिलियन से 1988 में लगभग 200 मिलियन हुई है जबकि सम्पूर्ण आबादी दुगुनी अर्थात् 1947 में 350 मिलियन से आज लगभग 800 मिलियन ही हुई है।

इसके अलावा, 301 नगरीय केन्द्र हैं और बड़े महानगर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। 1981 में एक मिलियन से अधिक आबादी वाले नगरों की संख्या 12 से बढ़ कर लगभग 40 हो जाएगी। इस तीव्र शहरीकरण को देखते हुए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस रिपोर्ट पर संसद में तत्काल चर्चा कराए तथा शहरों के संबंध में की गई इन सभी अच्छी सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए तत्काल कदम उठाए।

मेरे प्रश्न में वास्तव में मुख्य रूप से सि बात पर बल दिया गया था क्या स्थानीय निकायों की वित्तीय तथा प्रबन्धकीय क्षमता को सुधारने और बजट तथा संस्थानों के माध्यम से अधिक धन उपलब्ध करानें के प्रस्तावित उपायों से संबंधित इन सिफारिशों पर तत्काल विचार किया गया है या नहीं । दुर्भाग्य से माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिए गए मेरे प्रश्न के उत्तर में इस विशेष मुद्दे का कोई विशेष उल्लेख नहीं है। इस देश के शहरीकरण को देखते हुए यह अत्यत महत्वपूर्ण है। इस आयोग की इस रिपोर्ट में दिए गए विभिन्न सुझावों में से कुछ तो अत्यंत महत्वपूर्ण सुझाव हैं। उदाहरण के लिए इसमें कहा गया है कि जिस प्रकार केन्द्र तथा राज्यों के बीच धन राशि के नियतन का निर्णय करने के लिए वित्त आयोग है उसी प्रकार यह आवश्यक है कि संविधान में संशोधन करके उसी तरह का राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया जाए ताकि राज्यों के बीच धनराशि अर्थात् राज्य में नगरपालिका निकायों को धनराशि आवंटित करने पर विचार किया जा सके। इस समय विभिन्न राज्यों में सभी स्थानीय निकाय तथा नगरपालिका निगम इस समस्या से ग्रस्त हैं कि उनके द्वारा हल की जाने वाली कठिन समस्याओं की तुलना में उनकी धनराशि में गिरावट आ रही है। इस प्रकार इन शहरों में उनके द्वारा जिन समस्याओं का सामना किया जा रहा है उसकी तुलना में उनके संसाधन पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए यह बहुमूल्य सुझाव दिया गया है कि एक राज्य वित आयोग गठित किया जाए जो राज्य सरकार द्वारा नगरपालिकाओं तथा नगरनिगमों तथाऐसे अन्य स्थानीय निकायों को धनराशि आवंटित करने पर समय समय पर विचार कर सके। उदाहरण के लिए हाल ही में हमने संविधान के तहत, संविधान का संशोधन करके, व्यायसायिक कर 250 रु० से बढ़ा कर 2500/- रुपये करने की अनुमति दे दी है । वास्तव में शुरू से ही व्यावसायिक कर में इस वृद्धि के पीछे यही विचार था कि इन स्थानीय निकायों को भी कुछ संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। लेकिन विभिन्न राज्य सरकारें इस संसाधन को नगरपालिका निकायों के साथ किस हद तक बांटेगी यह अत्यंत सन्देहपूर्ण मामला है। अतः जब तक एक राज्य वित्त आयोग गठित नहीं होता तब तक संसाधन के बारे में नगर निगमों तथा नगरपालिका निकायों और ऐसी अन्य स्थानीय निकायों को न्याय दिलाना कठिन होगा।

इसके अतिरिक्त, सातवीं योजना में इस शहरी समस्या के लिए केन्द्र सरकार की योगदान की राशि भी बहुत कम है। सातवीं योजना के आवंटन में आवास, जलपूर्ति तथा मल विसर्जन व्यवस्था आदि के लिए चार प्रतिशत धनराशि की व्यवस्था है जबकि ये तो मुख्य शहरी समस्याएं हैं । यह आश्चर्यजनक बात है कि इस चार प्रतिशत में केन्द्र सरकार का हिस्सा सिर्फ 0.25 प्रतिशत है। इन शहरों के संसाधन में इतनी कम धनराशि से बड़े शहरों में शहरीकरण की बढ़ती समस्या का सामना करना कठिन होगा अतः

आठवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्र सरकार के आवंटन को बढ़ाना होगा । फिर इस आयोग ने सिफारिश की है कि चार प्रतिशत की बजाय कम से कम 8 प्रतिशत होना चाहिए। अतः केन्द्रीय स्तर पर आठवीं पंचवर्षीय योजना बनाते समय हमें इन सिफारिशों पर तत्काल विचार करना होगा।

महोदय, इस आयोग ने विशिष्ट वितीय संस्थाओं की सिफारिश भी की है ये संस्थाएं राष्ट्रीय महानगर विकास बैंक, राष्ट्रीय शहरी ढांचा विकास बैंक, शहरी लघु व्यवसाय विकास बैंक, आदि की तरह की हैं। लेकिन इनमें से केवल राष्ट्रीय आवास बैंक की ही स्थापना हुई है। अतः सरकार को इन अन्य संस्थाओं को भी स्थापित करने पर शीघ्र विचार करना चाहिए ताकि शहरी समस्याओं के समाधान हेतु शहरों को संसाधन उपलब्ध हो सकें।

महोदय, हमारा दृष्टिकोण ऐसा प्रतीत होता है कि हम शहरों की निगमों और उनके रखरखाव में निवेश को केवल एक कल्याणकारी उपाय ही मानते हैं। मेरे मत के अनुसार यह दृष्टिकोण गलत है क्योंकि यह तो शहरी बुनियादी ढांचे में निवेश है और यह एक कल्याणकारी कार्य नहीं है बल्कि यह तो इस देश की आर्थिक उन्नति के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण निवेश है । धनराशि का एक बड़ा भाग बम्बई जैसे शहरों से प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए सभी शुल्कों और करों के रूप में एक बड़ी धनराशि ऐसे शहरों के प्राप्त होती है लेकिन इसकी बहुत कम मात्रा उनकी समस्याओं को हल करने के लिए उन पर खर्च होती है। वहां अत्यधिक समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। बम्बई तथा अन्य शहरों जैसे बड़े नगर अपनी समस्याएं हल करने में असमर्थ हैं। अतः मेरा अनुरोध है कि सरकार स्थानीय निकायों की वित्तीय तथा प्रबन्धकीय क्षमता में सुधार लाने पर तत्काल विचार करे। बजट तथा संस्थानों के माध्यम से अधिक धन उपलब्ध करने पर भी तुरन्त विचार किया जाना चाहिए जब तक ऐसा नहीं होता है, समस्याएं और अधिक बढ़ेंगी और ये जटिल हो जाएंगी । अन्त में इन समस्याओं को भविष्य में हल करना कठिन हो जाएगा।

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं श्री शरद दिघे जी की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट प्वाएंट को रेज किया है इस डिस्कशन के जरिये से जो उनका क्वेश्चन था अगर उस दिन आ जाता तो उसी दिन उनके शुबहा को दूर करने की कोशिश की जाती।

उपाध्यक्ष जी, जैसा कि आपको मालुम है कि 1985 में पहली मर्तबा अरबन पापुलेशन पर ध्यान देने के लिए यह कमीशन बनाया गया था। प्राइमिनिस्टर ने इसके बारे में बहुत इनीशियोटिव लिया था। इसने रिपोर्ट दी थी। जैसा कि आपको मालूम है इन्टेरिम रिपोर्ट दी थी।

यह भी पता है कि मैंने पिछले सेशन में दोनों हाउसों में इसको प्लेस कर दिया था, दूसरे सदन में तो इस पर थोड़ी चर्चा भी हुई है, यहां भी आप चाहेंगे तो चर्चा होगी। जहां तक अरबन प्राब्लम्स की बात, है, दिघे जी ने सही कहा है कि जिस तेजी सें अरबनाइजेशन बढ़ रहा है, उस तेजी से अमेनिटीज, फेसिलिटीज हम नहीं दे पर रहे हैं, खासतौर से बिग सिटीज में। अगर इसी तरह से अरबनाइजेशन बढ़ता रहा तो जैसा दिघे साहब ने कहा है, बहुत जल्दी बहुत से शहर चार लिंग सिटिज की रेंज में आ जाएंगे। इसके बारे में नेशनल कमीशन ने बहुतसी सिफारिशें की हैं और दिघे साहब भी इसको मानेंगे कि कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा होगा, और ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट पर निर्भर होगा कि वह किस तरह से इंप्लीमेंटेशन करती है और कितनी सिफारिशों को मानने के हक में वे हैं, कितनी के नहीं है। अभी स्टेट मिनिस्टर्स, कान्फ्रेंस हुई थी, मेयर्स कान्फ्रेंस हुई थी, इन लोगों ने बहुतसी सिफारिशों को माना है, लेकिन जहां पावर का सवाल आ जाता है, विकेन्द्रीकरण का सवाल आ जाता है जो लोगों में थोड़ी हिचकिचाहट होती है, लेकिन खुशी की बात है कि इस कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद मुझे मौका मिला कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से इस बारे में बातचीत कर सकूं। उन सब की सिफारिशें और सजेशंस आए हैं। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल उस सिफारिशों

[श्रीमती मोहसिना किदवई]

को मंजूर करने का है कि किस तरह से उनको इंप्लीमेंट किया जाए। सिफारिशें तो 78 हैं, लेकिन खास फाइनेनशियल कैपेसिटी की है, उसको बारे में दिघे साहब बात कर रहे थे।

[अनुवाद]

जैसा कि आपने कहा एन० सी० यू० ने योजना परिव्यय में भारी वृद्धि करने का प्रस्ताव किया है शहरी क्षेत्र के लिए वार्षिक परिव्यय 3000 करोड़ से लेकर 35,000 करोड़ रुपये होना चाहिए, इसमें पानी की सप्लाई के लिए 1,000 रुपये और जोड़े जाने चाहिए। नगरीय योजना को राज्य और राष्ट्रीय पचंवर्षीय योजनाओं के साथ एकीकृत कर दिया जाना चाहिए। राज्य वित आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकारों से स्थानीय संस्थाओं को धन का हस्तान्तरण किया जाना चाहिए। इसने यह सिफारिश की है कि महानगरीय विकास बैंक शहरी लघु व्यापार विकास बैंक और 'अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेबलपेट बैंक' स्थापित किये जाने चाहियें। इसने यह भी सुझाव दिया है कि सम्पति कर से होने वाली आय को अधिक से अधिक जुटाने के लिए स्थानीय संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। नगरीय प्रशासन को पुनर्गठित किया जाना चाहिए और लाख तथा उससे अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में द्वि-स्तरीय प्रशासन की स्थापना की जानी चाहिए और छोटे शहरों के लिए एक स्तरीय प्रशासन की स्थापना की जानी चाहिए। शहरी सेवाओं से सम्बधित सम्पूर्ण कार्य स्थानीय सस्याओं में निहित होना चाहिए जिनके पास इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन होना चाहिए। स्थानीय संस्थाओं को अधिक्रर्मित करने की राज्य सरकारों की शक्ति को सख्ती से नियन्त्रित किया जाना चाहिए। हमने कुछ सिफारिशों पर कार्यवाही की है। परन्तु राज्य सरकारों और स्थानीय संस्थाओं से इस बारे में उचित सिफारिशों के बिना हम सभी सिफारिशों पर कार्यवाही नहीं कर सकते।

जैसा कि आप जानते हैं, स्थानीय संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 'हुडको' में शहरी मूल ढांचा काउन्टर खोला गया है। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना भी की गई है। कल, वित्तमंत्री ने गृह ऋण योजना की घोषणा की थी। योजना आयोग, शहरी क्षेत्र में आवंटन बढ़ाने के प्रश्न पर विचार कर रहा है।

आई० डी० एस० एम० टी० के अन्तर्गत स्थानीय संस्थाओं को केन्द्रीय सहायता दी जा रही है। दिल्ली किराया नियन्त्रण अधिनियम में संशोान किया गया है। आवास नीति का निर्धारण किया गया है । प्रशासनिक और वित्तीय विकेन्द्रीकरण के बारे में एन० सी० यू० की सिफारिशों पर उनके कार्यान्वयन के लिए मुख्यतः राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाना है। जैसा की आपने कहा है, यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें लाभदायक सिफारिशें की गयी हैं। परन्तु अन्य मंत्रालयों और राज्य सरकारों से विचार किये बिना हम इसे कार्यान्वित करने की स्थिति में नहीं हैं। इन सिफारिशों को राज्य-सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जायेगा। हम इस मामले में सुस्त नहीं हैं। हम इस रिपोर्ट के बारे में बहुत अधिक चिन्तित हैं हम इसे यथा शीघ्र कार्यान्वित करना चाहते हैं।

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अरबनाइजेशन के बारे में पूरे देश में चिंता है। सवाल यह है कि लोग गांव छोड़कर शहर की ओर क्यों भागते हैं। गांधी जी के समय में एक नारा था 'गांव की ओर चलो'। आज नारा है "भाग चलो शहर की ओर" ऐसा इसलिए होता है कि जो भी सुविधाएं हैं वे शहरों में ही हैं । दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में लोग खासतौर से देहात से आते हैं। कलकत्ता और दिल्ली में ज्यादा आबादी बिहार से और पूर्वी उत्तर प्रदेश से आने वालों की है। आप इस कमीशन की रिपोर्ट पढ़िए। आंख खोलने वाली रिपोर्ट है। वहां पर रोजगार की अपोरच्युनिटी नहीं है और रोटी की खोज में लोग शहरों की ओर आते हैं। आप दिसम्बर के महीने में रात

को फुटपाथ पर लोगों को सोते हुए देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बिहार, पूर्वी उत्तरप्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान से रोटी की खोज में आए हैं। लोग कहते हैं कि उन्होंने यहां आकर गंदगी फैला दी । उनके देहात में रोजी-रोटी का उपाय कर दीजिए तो वे गंदगी क्यों फैलायेंगे। यह बहुत ही गंभीर समस्या है। पिछले साल जब यमुनापार इलाके में हैजा फैला था तो पूरा देश चौंक गया था। दिल्ली निवासी चौंक गए थे कि यह हैजा फैलकर के कहीं दक्षिण दिल्ली तक न आ जाए। क्यों आपने ऐसी हालत रहने दी कि वहां पर हैजा फैला। शरद दीघे साहब का प्रश्न इससे उठता है कि आप इन लोकल बाडीज के पास क्या फाइनेंशियल रिसोर्सेज देंगे जिससे कि ये एमीनिटीज प्रोवाइड कर सकें । मैं तो यह कहूंगा कि और जगह छोड़िए दिल्ली से शुरू कीजिए। दिल्ली में आपकी सरकार है, आप इसको कर सकती हैं। जब आप एमीनिटीज नहीं दे सकते तो क्या हक है कि आप बेरहमी से प्रापर्टी टैक्स बढ़ा रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। गवर्नमेंट प्रापर्टी पर क्यों नहीं प्रापर्टी टैक्स लगाती। उसकी इन्कम लोकल बाडीज को जानी चाहिए।

यह तो कोई बात नहीं हुई कि कोई अपना छोटा-सा मकान बनाए और उस पर प्रापर्टी टैक्स दे। बड़े-बड़े सरकार के जो महल खड़े हैं उस पर क्यों नहीं प्रापर्टी टैक्स लगना चाहिए। दिल्ली में ज़मीन का भाव आसमान को छू रहा है। दिल्ली में पिछले छह-सात साल में जितना भाव ज़मीन का बड़ा उतना न्यूयार्क और लन्दन में भी नहीं बढ़ा। साऊथ दिल्ली में सन् 31 में दो सौ गज ज़मीन को पांच लाख में डी० डी० ए० ने बेचा। आज उस ज़मीन की कीमत डेढ़ करोड़ रूपए है। नयी दिल्ली में मिनिस्टरों के बड़े-बड़े बंगले हैं, वे बहुत पुराने हैं। दूसरे देशों में मैंने देखा है कि मिनिस्टर फ्लैट में रहते हैं। अगर एक मकान के बदले आप दो-तीन फ्लैट दे दें तो इसमें क्या बुराई है। जो पुराने बंगले हैं उनको डिमालिश कराकर मल्टी स्टोरी फ्लैट बना सकते हैं।

मैं इसलिए कहता हूं कि अगर कोई मंत्री हट जाता है और उसे छोटे मकान में आना पड़ता है तो उसे बहुत तकलीफ होती है। रूस में, चीन में और सारे सोशलिस्ट देशों में मंत्रीगण छोटे-छोटे फ्लैटस में रहते हैं। मैं कहता हूं कि आप उन्हें 2-3 फ्लैट दे दीजिए। एक-एक बंगले में कम से कम 300-400 फ्लैट बन सकते हैं, लोगों को आप एकोमोडेशंस दीजिए। आप समाजवाद का नाम लेते हैं, लेकिन क्या जस्टिफिकेशन है कि चार-पांच एकड़ में बंगला बनाये और दूसरी तरफ हजारों-लाखों की संख्या में लोगों को अवसर नहीं मिले तो वह फुटपाथ पर सोयें । सरकार इस पर गौर से ध्यान दे और सरकार बड़े-बड़े बंगलों को गिराकर वहां फ्लैट बनाये। आपने कहा कि डिवेल्यूएशन आफ पावर और डिवेलुएशन आफ रिसोर्सेज होना चाहिए स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात की गई है यह जरूरी है लेकिन डिवेलुएशन ऐसी जगहों से शुरू किया जाये जहां पर हम एक उदाहरण पेश कर सकें। आप दिल्ली से डिवेलुएशन आफ रिसोर्सेज शुरू करवायें, नहीं तो पूरे देश में कयास हो जायेगा। चार मेट्रोपोलिटनसिटी हैं, इनको आप नेशनल प्राब्लम लेकर चलिये। जैसे नेशनल हाइवेज़ हैं, उसी प्रकार से नेशनल प्राब्लम लेकर चलें इस सिटीज को बढ़ाइये। आप गावों को गरीब रखेंगे तो लोग भागकर आयेंगे शहरों में और आप किसकी झुग्गी झोपड़ियां हटायेंगे। उनको जहां रोटी मिलेगी वहीं वे लोग जायेंगे। इसकी इम्पीरीकल स्टडी होनी चाहिए। इन सारे शहरों में लोगों को यह सुविधा हो कि गरीब से गरीब लोग आते हैं तो वह अच्छी तरह से रह सकें। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चार प्रतिशत से बढ़ाकर आठ प्रतिशत तक अगले प्लान में खर्च किया जाये, मैं इसका समर्थन करता हूं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि छोटे-छोटे शहर बनाइये, और उन्हें विकसित करिये। एन०सी०आर० का कंसेप्ट है, लेकिन वह कंसेप्ट आगे कहां बढ़ रहा है। आप एन० सी० आर० का कंसेप्ट इन छोटे-छोटे शहरों में बनाइये, जैसे बिहार में छोटे शहर हैं उनमें 12 महीने में 11 महीने बिजली नहीं आती है, सैनिटेशन की प्राब्लम है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, वे क्या करेंगे।

[डा० गोरीशंकर राजहंस]

शहरीकरण को केवल दिल्ली की निगाह से न देखिए। उसको छोटे-छोटे शहरों की निगाह से देखिये और कोशिश कीजिए कि जो आबादी है वह छोटे शहरों में आ सके जिससे आपकी सुन्दर दिल्ली खराब न हो। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो बिहार, यू० पी० के गरीब लोग लाचार होकर आयेंगे और आपके महल के सामने झोपड़ी बनाकर रहेंगे, इसका कोई जवाब उनके पास नहीं है।

श्री हरीश सक्त (अल्मोड़ा): कांग्रेस ने रूरल प्रोपर्टी की जो सीलिंग की और उसके लिए जमींदारी उन्मूलन एक्ट और कई प्रकार के एक्ट बनाये, लेकिन जो शहरी सम्पत्ति है उसकी भी सीलिंग फिक्स होनी चाहिए। बड़े-बड़े शहरों के अन्दर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास अरबों रूपये की सम्पत्ति है नामी और बेनामी दोनों प्रकार की। हम उनको किसी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मैं समझता हूं इस विषय पर राज्य सरकारों के साथ अण्डर स्टेंडिंग बनानी चाहिए, आप ओफर लिमिट कोई भी रख लीजिए, मगर वह ओफर लिमिट फिक्स होनी चाहिए कि जिनके पास इससे ज्यादा प्रोपर्टी है उसको जब्त करना चाहिए। इस दिशा में सरकार को कोई न कोई स्टेप उठाना चाहिए। अब समय आ गया है कि अगर कदम नहीं उठायेगें तो हम रूरल एरिया में लैंड सीलिंग एक्ट ठीक तरीके से इन्फोर्स नहीं कर पा रहे हैं, वेस्टेड इंटेरेस्ट इसका उदाहरण देते हैं कि अर्बन प्रोपर्टी के ऊपर कुछ नहीं रखा है, रूरल प्रोपर्टी में कर रहे हैं। पिछले दिनों आपकी राज्य सरकारों के मंत्रियों के साथ जो कांफ्रेस हुई उसमें कोई अण्डर स्टेंडिंग बनानी चाहिए थी और विशेषकर जो छोटे-छोटे शहर हैं जैसा कि राजहंसजी ने कहा, उन शहरों को विकसित करने में उनमें एमिनिटीज को जेनरेट नहीं करेंगे तो लोग बड़े शहरों की ओर जायेगें। जो छोटे-छोटे शहर हैं वहां आप छोटे-छोटे उद्योग लगायें।

6.00 म० प०

हमें वहां सिविक अमैनिटीज़ प्रोवाइड करने की ओर ध्यान देना होगा। आपकी छोटे और मझोले शहरों को मदद करने की जो योजना है, उस योजना के तहत इतना कम पैसा रखा है और हर साल आप इतने कम टाउन्स को लेते हैं, जिसे मैं अपर्याप्त समझता हूं। उस योजना में ज्यादा पैसे का प्रावधान किया जाना चाहिये, ज्यादा पैसा उपलब्ध कराया जाना चाहिये। दूसरे, सरकार को जितनी रिकमैण्डेशन्स प्राप्त होती हैं, उन्हें मोटे तौर से दो भागों में विभक्त किया जा सकता है : एक तो वे रिकमैण्डेशन्स जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की होती है और दूसरी, वे जिनमें फाइनैन्श्यल बर्डन इन्वौल्व होता है। कम से कम एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की रिकमैण्डेशन्स के सम्बन्ध में हमें स्टेट गवर्नमैंट से बातचीत करके अपनी यह इंप्रैशन जाहिर करनी चाहिये कि ऐसी रिकमैण्डेशन्स को, जिनमें कोई फाइनेन्श्यल बर्डन पड़ने वाला नहीं है, हम एक्सैप्ट करने जा रहे हैं। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, फाइनैन्श्यल बर्डन से सम्बन्धित रिकमैण्डेशन्स के लिए भी कुछ नहीं कर सकते। जिन रिकमैण्डेशन्स में पूंजी की आवश्यकता हो, उनके लिये बैंकों से बात की जा सकती है, स्टेट गवर्नमैंटस से बात की जा सकती है, दूसरे हमारे देश में कुछ ऐसे रिच लोग हैं जो उसमें इन्वेस्टमैंट कर सकते हैं, इन सारे रिसोर्सेज को पूल करके, सैन्ट्रल गवर्नमैंट मिनिस्ट्री और स्टेट गवर्नमैंट के रिसोर्सेज को लगाकर, जब तक हम इस दिशा में कारगर कदम नहीं उठायेंगे, स्टेट गवर्नमैंट के मिनिस्टर्स से इस उद्देश्य को लेकर बात नहीं करेंगे, कोई काम होने वाला नहीं है। इस ध्येय को सामने रखकर एक कान्फरेंस होनी चाहिये जिसमें सारे बिन्दुओं पर बातचीत हो।

[अनुवाद]

श्री शान्ताराम नायक (पणजी) : उपाध्यक्ष महोदय, इस आधे घंटे की चर्चा में भाग लेते हुए मैं श्री कोरियों को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने स्वयं; और अपने सहयोगियों के साथ काफी अध्ययन करके इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है। वास्तव में श्री कोरियों मेरे क्षेत्र गोआ से सम्बंध रखते हैं। शहरीकरण जारी है- - -

श्री हरीश रावत : इसीलिए उन्होंने इतनी कड़ी मेहनत की।

श्री शान्ताराम नायक : यदि आप तुलना करें तो वर्ष 1947 की तुलना में जनसंख्या बढ़कर लगभग 200 मिलियन हो चुकी है अथवा होने जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2001 तक जनसंख्या लगभग 350 मिलियन होगी। और अधिक विकास के लिए आयोग ने शहरी केन्द्रों को राष्ट्रीय प्राथमिकता शहर, राज्य प्राथमिकता शहर, विशेष प्राथमिकता शहरीकरण क्षेत्र और छोटे कस्बों के रूप में विनिर्दिष्ट किया है अतः जैसा श्री हरीश रावत ने उल्लेख किया है, रिपोर्ट में छोटे कस्बों का भी उल्लेख किया गया है।

दिये गये उत्तर मैं यह उल्लेख किया गया है कि इस रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार ही राष्ट्रीय अवास बैंक की स्थापना की गई है। वास्तव में, आवास बैंक की स्थापना इस मुददे से पहले ही की जा चुकी थी। रिपोर्ट को बाद में प्रस्तुत किया गया है। अतः दिये गये उत्तर के बारे में इस स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

दूसरे, मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार द्वारा आज तक किन-किन सिफारिशों को स्वीकृत किया गया है। मैंने देखा है कि आपने इन रिपोर्टों को विभिन्न राज्य-सरकारों और अन्य एजेन्सियों को, इस बारे में अपनी टिप्पणियां देने के लिए भेज दिया है। परन्तु आज तक कितनी सिफारिशों को स्वीकृत किया गया है।

एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय संस्थाओं की धन के वितरण के बारे में है । वास्तव में, विकेन्द्रीकरण योजना- जो प्रधानमंत्री के ध्यान में है- और सम्भवतः संवैधानिक संशोधन को प्रस्तुत किया जायेगा। मैं समझता हूं कि उस संशोधन में यह पहलू भी शामिल होगा। राज्य से स्थानीय संस्थाओं को धन का वितरण करने के लिए हमें एक अलग आयोग बनाने की आवश्यकता नहीं है। राज्य से जिलों, स्थानीय संस्थाओं और अन्य संस्थाओं में धनराशि का वितरण केवल राज्य वित्त आयोग द्वारा किया जाना चाहिए। राज्य द्वारा स्थानीय संस्थाओं को धन का वितरण करने के लिए एक अलग आयोग बनाने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि एक संशोधन द्वारा पहले ही उस आयोग की स्थापना की जा रही है, मैं समझता हूं कि वह आयोग इस पहलू पर भी ध्यान देगा।

जहां तक नगर योजना कानूनों का सम्बन्ध है इस बारे में इस रिपोर्ट में काफी अच्छी टिप्पणियां की गई हैं। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा शहर योजना कानूनों को बनाया जाता है क्योंकि हम अपने कस्बों की योजना बनाना चाहते हैं। परन्तु वास्तव में इन शहर योजना अधिनियमों का दृष्टिकोण नकारात्मक है। उनमें शहरों और शहरी संगुटीकरणों का उल्लेख किया गया है परन्तु उसमें शहरी व्यक्तियों का उल्लेख कभी नहीं किया गया है। उन्होंने कभी भी शहरी क्षेत्र के लोगों को अपने ध्यान में नहीं रखा है। वास्तव में उनमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि शहर योजना और उनकी उपशाखायें ही योजना से सम्बन्धित मूल कानून हैं। उनमें से अधिकांश कानूनों का दृष्टिकोण नकारात्मक है। उनमें उन बातों का उल्लेख किया गया है जिन्हें किया नहीं जा सकता है। वे कानून सकारात्मक नहीं है। मान लीजिए, यदि एक व्यक्ति एक छोटा सा घर बनाना चाहता है। तब, शहर योजना कानून सामने आ जाते हैं। यदि एक होटल अथवा एक उद्योग का निर्माण करना है तो शहर योजना प्राधिकारी सभी प्रकार की स्वीकृति देते हैं। शहर योजना अधिकारियों का दृष्टिकोण शहरी क्षेत्र में रहने वाले छोटे लोगों को अपने मकान बनाने से रोकने वाला नहीं होना चाहिए।

इस रिपोर्ट में शहर परिवहन के बारे में एक अन्य पहलू का उल्लेख किया गया है। यह अति आवश्यक है। यदि हम शहरीकरण का विकास करना चाहते हैं तो परिवहन के प्रबन्धन में सुधार किया जाना चाहिए। वास्तव में आयोग की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि व्यक्तिगत परिवहन को ठीक किया जाना चाहिए और जन परिवहन को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। आजकल, बहुत से लोग कारों का उपयोग करते

[श्री शान्ताराम नायक]

हैं। जहां कार चलाने की कोई सुविधा नहीं है वह आरामदेय बसों अथवा मिनी बसों अथवा परिवहन के ऐसे साधनों में वृद्धि की जा सकती है। लोग अपने कार्यालयों में काम करते हैं। थकाने वाले काम के बाद उन्हें, विशेषरूप से महिलाओं को थकान बढ़ाने वाली यात्रा करनी पड़ती है। यदि हम परिवहन पर पर्याप्त धनराशि खर्च करें तो स्थिति में सुधार होगा। अतः मैं यह जानना चाहूंगा कि आज तक आपने किन-किन सिफारिशों को स्वीकृत किया है अथवा कितनी आपको स्वीकार्य हैं और आपने कौन-कौन सी सिफारिशों पर बाद में विचार किया है।

[हिन्दी]

श्रीमती मोहसिना किदवई:- उपाध्यक्ष जी, मैं बहुत आभारी हूं मैम्बरान्स की, जिन्होने कुछ मुददे यहां पर उठाए। पहले तो हमारे बिहार के साथी ने जो बात कही, इसमें तो कोई दो राय नही हैं कि आज टाउन्स बढ़ते जा रहे हैं। गांवों के लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं। छोटे शहरों के लोग बड़े शहरों की तरफ जा रहे हैं और इस सब के पीछे सबसे बड़ी प्राब्लम जो है, जिसके बारे में आज सुबह भी सवाल था वह पापुलेशन ग्रोथ की है। पापुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है जिसके कारण लोग यहां शहरों में आते हैं। इस रिपोर्ट में आप देखें सबसे पहले अर्बन पावर्टी का भी इसमें तस्किरा किया गया है और उसका काम कैसे किया जाए, यह भी बताया गया है। उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम की बातें कही गई है। चार लाख नौजवानों को हर साल ट्रेनिंग देगें।

मैं सब मैम्बरान की शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने डैप्थ में जाकर स्टडी करने के बाद यह रिपोर्ट तैयार की है। चार्ल्स कोरिया ने भी इसी रिपोर्ट में बहुत मेहनत की है। इसमें आपने जो मुद्दे उठाए हैं, यह बात सही है कि इन्होंने अपनी रिक्मेंडेशन भी की है कि बहुत से लॉज ऐसे हैं जिनको अमेंड करना है। रैंट कंट्रोल एक्ट के बारे में कहा था। दिल्ली का तो हुआ है और का अभी अमेंड करना बाकी है। अर्बन लैंड सीलिंग की बात भी कही है। गवर्नमेंट उसको एक्टिवली कंसीडर कर रही है और मैं समझता हूँ कि वह भी एक बहुत बड़ी हरडल है अर्बन के सिलसिले में जमीन की कीमतों के सिलसिले में, जिस तरह से जमीन की कीमतें बढ़ रही हैं। तीसरी बात आपकी प्लानिंग लॉ की, कंट्री की प्लानिंग ला या स्टेट प्लानिंग ला की है। उसमें भी हर स्टेट में अलग-अलग हैं और उसी तरह से वे इम्पलीमेंट करती हैं या उसके तहत काम करती हैं। इसीलिए मैने कहा था कि हम कितनी रिक्मेडेशन एक्सैप्ट करें, स्टेट गवर्नमेंट इम्पलीमेंट करने वाली अथॉरिटी होगी वही इसको करेगी। बिना स्टेट गवर्नमेंट की रिक्मेंडेशन के कोई काम नहीं होगा। उनकी कोई स्पेसिफिक रिक्मेंडेशन्स हों कोई सजैशन्स हों, उनको हम एक्सैप्ट करेंगे। इसके बाद ही काम हो सकता है।

एक बात आपने कही कि आपने कितनी रिक्मेडेशन्स मानी हैं। कितनी नहीं मानी हैं, इस सिलसिले में, जहां तक नैशनल हाउसिंग बैंक का ताल्लुक है, बहुत दिनों से यह डिमांड थी और उन्होने रिक्मेडेशन भी की थी, हालांकि हमने उनसे पहले इस बात को कहा था इसलिए गर्वर्नमेंट समझती थी कि हाउसिंग की क्या प्रोब्लम हैं। गवर्नमेंट समझती है कि हाउसिंग की क्या प्राबलम है। उसके लिए हमने एक नेशनल हाउसिंग प्लान बनाया है। लेकिन जितनी रिक्सैडेशन हैं उनके लिए एक ग्रुप हमारी मिनिस्ट्री में भी है और हमारा प्लानिंग कमीशन देख रहा है कि कितनी रिकमैडेशन हम एक्सैप्ट करेंगे। उसके बाद एक्शन प्लान बनाने के लिए हमने हर स्टेट को कहा है ताकि जल्दी से जल्दी एक नेशनल परस्पैक्टिव प्लान बने और वह स्टेट उस प्लान के जरिए देखे कि कितनी जल्दी से जल्दी उस पर वह काम शुरु कर सकते हैं।

जहां तक ट्रांस्पोर्टेशन का सवाल है, वह भी एक बड़ा इम्पार्टेन्ट फैक्टर है। जिसने भी बिग सिटीज़ हैं या छोटे सिटीज़ हैं, सब ज्यादा परेशान हैं। इसके बारे में एक यूनिफाइड ट्रांस्पोर्ट अथारिटी की बात चल रही है हम चाहतें हैं कि सैंटर की तरफ से हम अपनी स्टेटस की कुछ न कुछ मदद करें। अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम उनकी मदद करना चाहते हैं लेकिन सबसे बड़ी परेशानी हमारे सामने पैसे की कमी की है। हम चाहते हैं कि हम किसी भी सूरत में इन तमाम बातों पर ध्यान दें गौर करें। आपने यह कहा कि ट्रासपोर्टेशन का कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे मास लैवल पर लोग इधर से उधर जा सकें तो बसेज़ कि बोझ कहां तक सिटीज़ की सड़कें उठा सकती हैं। दिल्ली की ही मिसाल आप ले लीजिए। मुझे यह कहने में हिचकिचाहट नहीं कि जो अर्बन प्राबलम हैं उनकी तरफ हमें बहुत पहले ध्यान देना चाहिए था लेकिन हम दे नहीं सके क्योंकि और बड़ी प्राबलम हमारे सामने थी रुरल एरियाज़ की और एग्रीकल्चर व इंडस्ट्रीज़ की। उन तमाम के बिनाह पर जितना ध्यान स्टेट गवर्नमैंट्स को देना चाहिए था, उन्होंने भी नहीं दिया।अब हमारा ध्यान इस तरफ जरा तेजी से लग रहा है।

जहां तक लोकल बाडीज़ की बात है। मैं आपसे सहमत हूं आज ऐसी लोकल बाडीज़ हमारे देश में हैं जो अपने कर्मचारियो को सैलरीज तक नहीं दे पा रही है और स्टेट गवर्नमैंट भी उनकी मदद नहीं कर पाती। इसलिए कोई न कोई चीज़ हमे तय करनी पड़ेगी कि उनको हम किस तरह से डायरेक्टली पैसा दें, स्टेट गवर्नमैंट की तरफ से दें फाइनेन्स कमीशन दे। फाइनेन्स कमीशन के लिए कांस्टीटयूशन को अमैंड करना पड़ेगा और मैं समझती हूं कि हमें यह कदम उठाना पड़ेगा ताकि जो फाइनेन्स कमीशन की बात है वह कर सकें।

लेकिन ये सारी चीजें करने के बाद किस तरह से इन्फ्रा-स्ट्रक्चर मजबूती के साथ बने ताकि जोअर्बन ऐरियाज़ हैं उनको मदद मिले और गरीबों को किस तरह से मदद मिले। इस वक्त सबसे बड़ी प्राबलम हमारे गरीबों की है जो फुट-पाथ पर रहते हैं, गन्दी से गन्दी बस्तियों में रहते हैं और इसीलिए हम लोकल बाडीज़ को एन्करेज कर रहे हैं कि जो हमारी वर्ल्ड बैंक की स्कीम है, वह भी उन शहरो में दें और जो दूसरी इंटरनेशनल बाडीज़ से आती हैं चाहे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की हो या सैनीटेशन की हो, उन सारी चीजों के बहुतसे ऐसे प्रोग्रांस चल रहे हैं। इस वक्त वक्त नहीं है कि मैं आपको बताऊ, जो कि बडे शहरों में चल रहे हैं हमारी कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा उनको एनकरेज करें। जितनी भी उनकी रिकमैंडेशन्स एक्सैप्ट करने के काबिल हैं की जाएंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि एक्शन प्लान बनाकर कितनी जल्दी हम उनको इम्प्लीमैंट कर सकते हैं। रिपोर्टस तो बहुत सी आती हैं। लेकिन अगर उनका इम्प्लीमैंटेशन न हो तो उनका क्या फायदा? इसलिए हमारी पूरी कोशिश है कि सिंसियारिटी के साथ इस मिनिस्ट्री की कोशिश है कि इस कमीशन की रिपोर्ट को हम इस तरह से एक्सैप्ट करें और उसका बराबरी के साथ बंटवारा छोटे और बड़े शहरों में हो और उनकी प्राबलम्स को दूर किया जा सके। मिसाल के तौर पर दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता है। कलकत्ता में तो मैट्रो रेलवे हो गई है लेकिन और शहरों में यह सबसे बड़ी जरूरत है कि मास रुप से ट्रांस्पोर्ट शुरू करें। लेकिन इतना कास्टली सिस्टम है कि उसको इम्पलीमैंट करने के लिए पैसे की जरूरत है। ऐसी राय है कि कही से भी पैसा आए, इस वक्त प्रापर टाइम है कि इन चीजों को स्टार्ट किया जाए ताकि आने वाले वक्त में जो आबादी बढ़ने वाली है, उसके साथ जो प्राबलम वढ़ने वाली है उनमें किसी भी सूरत में हम काम कर सकें।

राजहंस जी ने एन० सी० यू० का तस्किरा किया हम भी चाहते हैं कि दिल्ली के बर्डन को कम करें लेकिन उसमें भी पैसे का ही सवाल आता है। हर चीज़ में पैसे का सवाल है। उनकी मिनिसटीरियल बंगलोज़ से परेशानी है, मैं भी आपकी राय की हूं कि बड़े बंगलोज़ में बहुत जगह है लेकिन उसके लिए भी पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। आज नहीं तो कल छोटे बंगले तो करने ही पड़ेगे।

डा० गौरी शंकर राजहंस : यह तो करना ही होगा।

श्रीमती मोहसिना किदवई: खुदा करे उसमें आपको भी रहना हो, तो आपको मालूम होगा कि उन बंगलों कि हमारा प्राब्लम क्या है अगर उसमें रहने का मौका मिले तो आपको मालूम होगा कि उन बड़े बंगलों की कैसी समस्यायें हैं।

मैं माननीय सदस्यों को यह कहना चाहती हूं कि हम सब आपकी राय पर सहमति जाहिर करते हैं और दिघे जी से मैं यह कहना चाहूंगी कि उनके द्वारा दिये गये सुझावों को लागू करने की पूरी कोशिश की जायेगी।

6.13 म० प०

कार्य मंत्रणा समिति

66 वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत): महोदय, मै कार्य मंत्रणा समिति का 66 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

6.13 1/2 म० प०

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव - जारी

उपाध्यक्ष महोदय: मैं सदन को यह सूचना देना चाहूगां कि इस चर्चा के लिए निर्धारित समय पहले ही समाप्त हो गया है। मुझे ऐसे लगभग दस सदस्यों के नाम प्राप्त हुए है जो इस चर्चा में भाग लेने में रुचि रखते हैं। अतः मैं एक सदस्य को अधिक से अधिक पांच मिनट तक भाषण देने का समय दूगां।आप कृपया संक्षेप में अपना भाषण देने का प्रयास कीजिये। मैं समझता हूँ कि आप इस में सहयोग देंगें।

श्री भरत सिंह

[हिन्दी]

श्री भरत सिंह (बाह्य दिल्ली): सभापति जी, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। आजादी के बाद भारत ने काफी तरक्की की है। यह तो सभी जानते हैं कि आजादी के समय भारत की आबादी बहुत कम थी और अब वह बढ़ गई है। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिये पंडित जवाहर लाल नेहरू और इन्दिरा जी ने कई प्रयास किये। इतना ही नहीं हमारी कांग्रेस की सरकार ने किसानों को अच्छे बीज, खाद और कीटनाशक दवायें दीं। यही वजह है कि आज हमें अनाज के लिये दूसरे देशों के आगे हाथ पसारने नहीं पड़ रहे हैं।

आपने देखा होगा कि आज से कुछ साल पहले बहुत कम सड़कें थी, स्कूलो की बिल्डिगें कम थीं और पानी भी पीने के लिये नहीं मिल पाता था। मैं बाहरी दिल्ली की बात बताना चाहूंगा । आज वहां सड़कें, स्कूल और पानी आदि की सुविधा उपलब्ध हो गई है। कहने का मतलब यह है कि वहां का काफी विकास हुआ है।

6.15 म० प०

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

हमने विकास कार्यों में पिछले चार वर्षों में इतना पैसा लगाया है जितना कि पिछले 20 सालों में नही लगाया था। आपने देखा होगा कि दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली में जो गांव सभा की जमीन थी, वह पचांयतों के जरिये गरीब लोगों को दी। उनको 120 गज के प्लाट फ्री दिये गये और भूमिहीनों को एक-एक एकड़ जमीन जिस में कि वह अनाज की काश्त करते थे, वह दिये। हमारी सरकार ने जगह जगह पर सरकारी ट्यूबवैल लगाये जिससे कि अनाज का अच्छा उत्पादन हुआ।

बेरोजगारी कम करने के लिये हमने थ्री-व्हीलर स्कूटर नौजवानो को दिये और महिलाओं के लिये कई छोटे-छोटे उद्योग लगाये। लकडी और लोहे का काम करने वालों की काफी मदद की जिससे इस देश की काफी तरक्की हुई है।

इन्दिरा जी ने दिल्ली में कई पुनर्वास कालोनियों का निर्माण कराया और वहां पर सड़के और स्कूल बनवायें लेकिन वहां सीवर की कमी रही। आज मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, नांगलोई आदि में सीवर का काम पूरा नहीं हुआ है। मेरा आपसे आग्रह है कि यहां पर सीवर का काम कराया जाये। इसके साथ-साथ उनको जमीन का मालिकाना हक भी दिया जाये जिससें कि वह 25 गज जमीन के मालिक बन जायें।

जिस गांव मे भूमिहीन और किसानों को जो प्लाट दिये गये थे सरकार ने उसके लिये उनको लोन दिया था। और उनसे चार परसेण्ट सूद लेते हैं और एक चौथाई माफ करते है। हम चाहते हैं कि इनको ज्यादा से ज्यादा लोन दिया जाय और हर तरह से इनकी मदद की जाय। एक चीज की कमी रहती है, आज गरीब लोगों को कहते हैं कि अगर उनकी आमदनी ज्यादा होगी तो लोन नहीं मिलेगा। आज एक सरकारी कर्मचारी जो फोर्थ क्लास है वह भी 1200 रुपये लेता है तो उसकी पूरी मदद नहीं हो पाती हम बेरोजगारी के लिए हर तरह से पूरी कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि बेरोजगारी दूर हो।

दिल्ली में स्कूलों की 80-85 बिलडिंगें बनाई जिसमें बच्चे अच्छी तरह से पढ़ सकें और धूप और बारिश से बचें। किसानों ने भी पूरी मेहनत करके अनाज पैदा किया हालांकि पिछली बार सूखा पड़ा। मैं तो प्राइम मिनिस्टर जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्ही के आर्डर से देहात में सूखे से डवलपमैण्ट का कार्यक्रम चला जिसमें चारे का इंतजाम किया, बीज का इंतजाम किया, खाने के अनाज का इंतजाम किया और हर तरह से किसान का हौसला बढ़ाया। उन किसानों ने अपने ट्यूबवैलों से सिंचाई की और सरकार द्वारा लगाये गये ट्यूबवैलों से भी सिंचाई करके सूखे का मुकाबला किया जिससे किसानों की बहुत बुरी हालत नहीं हुई। जिससे आज किसान पूरी तरह से काम करके अनाज की पैदावार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा पाया है। हम चाहते हैं कि आज काम में जो थोड़ी बहुत कमी है उसको भी दूर किया जाय।

हम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़े हुए हैं इसमें हमारा काम पूरा हो जाना चाहिए। आज देहात की अनआथोराइज्ड कालोनीज में तकरीबन 15 लाख लोग रहते हैं। अनआथोराइज्ड कालोनीज 1976 में पास हुई थीं, उसके बाद से कोई अनआथोराइज्ड कालोनी पास नहीं हुई। मैं चाहूंगा कि 1984 तक बनी जितनी अनआथोराइज्ड कालोनीज़ हैं उनको आप पास कर दें। आप उनको बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं सारी सुविधाऐं दे रहे हैं तो उसको पास कर दें जिससे उनके उपर जो कारपोरेशन की तलवार लटकी हुई है, वह हट जाय और वह बेफिक्र होकर अपना कारोबार कर सकें। इनमें लाखों लोग इस किस्म के बसे हुए हैं जो सुबह मजदूरी करने आते हैं और शाम को वापस जाते हैं। उनको पता नहीं होता कि उनके मकान में जो एक छोटा सा कमरा है, जो 100 रुपये गज की जमीन लेकर

[श्री भरत सिंह]

उन्होने बनाया था, वह बचा हुआ मिलेगा या नहीं। दिल्ली प्रशासन ने काफी काम किये है, डी० डी० ए० ने भी काफी मकान बनाये हैं, अच्छे मकान बनाये हैं और एलाट भी किये हैं चूंकि दिल्ली में आबादी काफी बढ़ गई है इसलिए मैं चाहूंगा कि इस बढ़ी हुई आबादी के लिए ज्यादा से ज्यादा मकान बनाकर दिये जाये। साथ-साथ मैं चाहूंगा कि जिस तरह से दिल्ली प्रशासन जमीन दो-दो, चार-चार और आठ-आठ रुपये में एक्वायर करके आठ-आठ हजार रुपये गज में बेचता है तो उसमें किसान को भी 100 रुपये गज का मुआवजा दिया जाये जिससे किसान को यह तसल्ली हो कि उसका पैसा ठीक मिला है। अगर उसको थोडा ठीक पैसा मिलेगा तो वह अनआथोराइज्ड कालोनीज को नहीं देगा और दिल्ली में अनआथोराऐइज्ड कालोनीज नहीं बनेंगी। आप जानते हैं कि दिल्ली काफी बढ़ गई है लेकिन अभी किसी गांव का लालडोरा नहीं बढ़ा है। लालडोरा बढ़ना चाहिए और लालडोरा के बाहर जो मकान बने हुए हैं उनको भी वही सहूलियतें मिलनी चाहिए जैसी कि लालडोरा में बिजली, पानी और पावर की मिलती है। 1954 में कन्सोलिडेशन हुआ था लेकिन उसके बाद 20 साल तक पावर लोगों को मिलती रही और लोग कारोबार करते रहे लेकिन 1983 से पावर नहीं मिलती जिससे लोग बेरोजगार हो रहे हैं। मैं चाहूंगा कि दिल्ली के गांवों में, देहात में लालडोरा को बढ़ा हुआ लालडोरा लिखने लग गये हैं, उसको लालडोरा लिखा जाय जिससे गांव के सभी नौजवान, लोगों को थोडा बहुत काम मिले। दिल्ली में लीज की बात आई। इसके ऊपर इतना शोर मचा हुआ है, इसका फायदा कोई नही है। लीज में आमदनी कम है और खर्चा ज्यादा है। इसलिए दिल्ली में जो लीज लगी हुई है उसको खत्म किया जाए। और गांव सभा व प्रचायतों को जो पावर आप देने जा रहे है, वह बहुत अच्छी बात है। गांव वालों को पता रहता है कि यह किसकी ज़मीन है, जिसका मकान है। बहुत अच्छा न्याय वहां पर मिल सकता है।

एक बात और कहकर मै खत्म करुगां। खेती के साथ-साथ हमारे लिए पशुपालन बहुत जरूरी हैं। हम चाहते हैं किसानो के पास अच्छी नस्ल के पशु हो। उनके पास अच्छी दूध देने वाली गाये हो, अच्छी दूध देने वाली भैसे हो, उससे दूध की कमी भी पूरी हो जायेगी और गावों मे जो किसान है, हरिजन व बैकवर्ड है वे भी अपना गुजारा अच्छी तरह से कर सकेगें।

मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया। इस सदन के सामने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री राम श्रेष्ठ खिरहर (सीतामढ़ी): श्रीमान, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में सरकार द्वारा विगत दिनों में समाज और देश मे परिवर्तन लाने के लिए जो कदम उठाए गए है और आगे आने वाले समय में क्या किया जायेगा, उसके ऊपर प्रकाश डाला है और वह अपने आप मे एक कठोर सत्य है। यदि हम अवलोकन करे कि देश और विदेश मे सरकार ने क्या किया है तो यह साबित होता है कि विदेश मे पिछले सालों मे श्री राजीव गांधी द्वारा या उनकी सरकार द्वारा जो कुछ किया गया है उससे हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है तथा हमारे देश मे भी जातिवाद, धर्मवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद के जो मसले खासकर पूरव और पश्चिम मे थे उनको सुलझाने के लिए भी काफी प्रयास किए गए है और झगड़े काफी सुलझे भी है। इन तमाम बिन्दुओं पर हमारे तमाम साथियों ने बहुत कुछ कहा है। चूंकि आपने समय कम दिया है इसलिए कुछ ऐसे मसले जो देश और समाज मे अभी भी विद्यमान है उनके सम्बन्ध में ही कुछ कहना चाहूंगा।

एक मसला अनएम्पलायमेन्ट का है और दूसरा मसला सीलिगं का है। अनएम्पलायमेन्ट की समस्या भूत बनकर हमारे सामने खड़ी है। हमारे प्रशासन के लोग उससे काफी चिन्तित है और काफी कुछ उसके लिए किया जा रहा है। लेकिन बैंकिंग सिस्टम के जरिए फाइनन्स करके जो हमारे अनएम्पलायड यूथ है उनको रोज़गार देने के लिए एक सिलसिला जारी किया गया है उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और मै समझता हूं हमारे साथी इस बात मे सहमत होंगे। उसमे एक बिन्दु भ्रष्टाचार का आता है सब्सीडी जोकि सरकार देती है। बैंक

द्वारा अगर 20 हजार रुपया किसी नौजवान को लोन देते है तो 5 हजार रुपया सब्सीडी के तौर पर दिया जाता है। इसके सम्बन्ध में हमारा सुझाव होगा कि सब्सीडी का वह 5 हजार रुपया 10 वर्षों के लिए बेरोज़गार युवकों को ऋणयुक्त लोन के रुप में दें दिया जाया करे तो इस 5 हजार की सब्सीडी के चक्कर में बैंकों में जो करप्शन बढ़ रहा है वह करप्शन समाप्त हो जायेगा।

दूसरी समस्या सीलिंग के सम्बन्ध में है। मैं ऐसे भाग से आता हूं जो देश का उत्तरी कोना है, नेपाल के बार्डर से मैं आता हूं और मैं मुक्तभोगी हूं। खासकर रूरल सीलिंग के बारे में हम समझ बैठे हैं कि हमने पूर्णता प्राप्त कर ली लेकिन मैं कहूंगा कि अभी भी ये बातें बाकी है। इस सदन मैं, इसके अतिरिक्त दूसरे सदन मैं और असेम्बलीज़ में भी हमारी कांग्रेस, हमारे प्रधान मन्त्री या दूसरे लोगों के जो साथी हैं उन्होंने बेनामी ज़मीनें दीगर लोगों के नाम से, कुत्ते-बिल्ली के नाम से अभी भी छिपाकर रखी हुई हैं। उन साथियों की बेईमानी की वजह से आज भी सीलिंग बकाया है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अभी भी रूरलसीलिंग आधी हुई है और आधी बाकी है। इसके करने के लिए मेरे अनुमान मैं, मेरी अपनी राय में एक इस तरह की सूची बननी चाहिए, खासकर कांग्रेस के अन्दर जिसके ऊपर कि जिम्मेदारी है, जिसने यह जिम्मेदारी ली है कि रूरल सीलिंग के जरिए जमीन को निकाल कर गरीब बेरोज़गर लोगों में बाटी जाए, उसके ऊपर यह बहुत बड़ी रेस्पांसिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि इस बात को वह पूरा करे।

अक्षरशः पूरा करना है और अक्षरशः पूरा करने मैं कांग्रेस के हम अपने बड़े नेताओं से इस बात के लिए आग्रह करेगे। कि उनके पास एक ऐसी सूची होनी चाहिए, जिसमें ऐसे साथी जिन्होंने हज़ारो-सैकड़ों एकड़ जमीन कुत्ते-बिल्ली के नाम से बेनामी दबोच कर बैठे हुए हैं और सीलिंग को लागू नहीं होने देते हैं, ऐसे लोगों को न एसेम्बली में और न पार्लियामेंट में टिकट मिलना चाहिए। ऐसे लोगों को तो पार्टी में भी समर्थन नहीं मिलना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि एक तरफ अर्बन सीलिंग की बात करते हैं, जिसका आपको समर्थन हासिल है, मैं आपके साथ हूं, लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ा स्टैप मदरली ट्रीटमेंट हुआ है, जहां आप अर्बन सीलिंग को छू नहीं पाए हैं। हमारे कुछ साथियों ने अर्बनाइजेशन की बात कही, उनके भाषणों को मैंने भी सुना। बातें तो की जा रही हैं, लेकिन अर्बन सीलिंग एक परसेंट भी अभी कहीं लागू नहीं किया गया है। प्रश्न उठता है, क्यों ? मेरी समझ में यह इसलिए नहीं लागू किया गया, क्योंकि बड़े-बड़े सरकारी कर्मचारी जिन के पास बड़ी सम्पत्ति है शहरों में या बड़े-बड़े हमारे साथी लोग जिनको शहरों में रहने का मौका मिला है और बड़ी सम्पत्ति अर्जित कर ली है, ये दोनों मिलकर सारा धन दबोच कर बैठे हैं। इन्हीं दोनों को इस को लागू करना है और ये ही दोनों दबोच कर बैठे हैं। इस काम को कौन करेगा ? हमारी शहरी मंत्री महोदया यहां पर बैठी हुई हैं, मैं उनसे अर्ज करूंगा कि ये दो व्यक्ति, एक मेरे साथी और दूसरे सरकारी कर्मचारी, इन्हीं की वजह से सीलिंग लागू नहीं हो पा रही है। इसका कारण यही है कि ये दोनों बड़े लोग धन को दबोच कर बैठे हुए हैं, उनकी सम्पत्ति को हम पकड़ नहीं पाए हैं, छीन नहीं पाए हैं, जब कि ये दोनें ही पकड़ने वाले और छीनने वाले हैं। ...(**व्यवधान**)..... बड़े सरकारी कर्मचारी और बड़े नेता - इन दोनों के पास हीं अधिक सम्पत्ति है। ईमानदारी से यह काम तब ही हो सकता है, जब ये दोनों जिसको कि लागू करना है, इसको लागू करें। आप हरिजन भाई है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पर मुझे समर्थन देंगे। मेरी अर्ज है कि दोनों साथियों के ऊपर प्रधान मंत्री और यह सरकार बड़ी कड़ाई से इस बात को अमल करवाए, तब जाकर शहरी सम्पित्ति का बंटवारा हो सकता है, अन्यथा शहरी सम्पत्ति को निकालना मुश्किल है।

ऐसे मौके पर मैं अपने विपक्ष के साथियों से भी कुछ कहना चाहूंगा। बहुत सारी बातें चली हैं। कांग्रेस हमारा दल है और कांग्रेस की जो हमारी सरकार है, उसकी जो नीतियां हैं, यह महात्मा गांधी से लेकर आज तक उद्घोषित रही है। मुझे उस पर कुछ विशेष नहीं कहना है। लेकिन आज हमारे अपोजीशन के

[श्री राम श्रेष्ठ खिरहर]

भाइयों में क्या एब है और क्या गुण हैं, वह मैं आपको बताता हूं। हमारे जो वरिष्ठ साथी लोग हैं, वे जानते हैं कि राजनीति के चार अवगुण होते हैं - जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद, भाषा-वाद। इन चारों ही अवगुणों पर अपोजीशन का संगठन हुआ है। कोई पश्चिम से आता है क्षेत्रवाद को लेकर और कोई भाषावाद को लेकर और कोई जातिवाद को लेकर, इन चारों का ही अपोजीशन संग्रह है। ऐसी विकारयुक्त जो हमारी अपोजीशन है, जो विपक्ष है, उस विपक्ष में जान नहीं है। इसलिए हमारी सरकार जो कुछ कर रही है, अगर मनसूबे के साथ करती रही, तो उसी में उसकी भलाई है और उसका भविष्य उज्ज्वल है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

डा० दिग्विजय सिंह (सुरेन्द्र नगर): महोदय, भारत के राष्ट्रपति के अभिभाषण पर टिप्पणी करते हुए और उसकी प्रशंसा करते हुए—जैसा कि आपने कहा है समय की कमी है—मैं उन पांच विषयों के बारे में लगभग 1½ मिनट लगाना चाहूंगा जिनके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ। मुझे आशा है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बातों को अनसुना न किया जाये।

पहला विषय कृषि है। हम सभी जानते हैं कि भारतीय कृषि उत्पादों में कपास एक ऐसा उत्पाद है जिसमें अकसर आधिक्य हो जाता है और जब आधिक्य हो जाता है तथा जब कृषक उपादन की तुलना उसे मिलने वाली कीमत से करता है तो उसे पता लगता है कि उसका गुजारा नहीं हो सकता है। अतः हमें इस बारे में गम्भीर कार्यवाही करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कपास निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाये ताकि एक ओर कीमतों को बनाये रखा जा सके तथा दूसरी ओर हमारे महाराष्ट्र, गुजरात तथा 5 अथवा 6 अन्य राज्यों में, जहां यह कपास सम्बंधी समस्या है,—हमें इस प्रश्न की जांच करनी चाहिए कि फसल बीमा योजना में कपास को सम्मिलित क्यों नहीं किया गया है।

यह आवश्यक है कि हमें चालू सत्र में ही यह निर्णय लेना चाहिए कि फसल बिमा योजना में कपास को सम्मिलित किया जाना चाहिए।

मैं ऊर्जा के बारे में कुछ बातें कहना चाहूँगा। गत पंच वर्षीय योजना में, जोकि इस वर्ष समाप्त हो जायेगी, ऊर्जा के लिए निर्धारित धनराशि में से केवल एक प्रतिशत धनराशि गैर-परम्परागत ऊर्जा उत्पादन के लिए आबंटित की गई है। यह मांग की जा रही है कि आने वाली पंच वर्षीय योजना में इसके लिए कम से कम 10 प्रतिशत धनराशि दी जानी चाहिए। मैं चाहूंगा और मैं इस बारे में दोनों सदनों के सभी सदस्यों का सहयोग चाहता हूँ कि हम इस बात का समर्थन करते है कि ऊर्जा के लिए किये गये सम्पूर्ण आबंटन में से गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के लिए अधिक आबंटन किया जाना चाहिए। चाहे सौर ऊर्जा हो अथवा वायु ऊर्जा अथवा कच्छ की खाड़ी में ज्वारीय तरंगों से विश्व में सबसे अधिक ऊर्जा उत्पादन हो, इससे ऊर्जा उत्पादन की अधिक गुजांइश है। लगभग 1400—1500 करोड़ रूपया आबंटित किया जायेगा, यह योजना बनाई गई है कि कच्छ की खाड़ी अथवा उसके आस-पास के क्षेत्र से 900 मेगावाट बिजली प्राप्त करने के लिए यह धनराशि आबंटित की जायेगी। परन्तु मुझे आशा है कि इसके लिए आबंटन किया जायेगा और आधारशिला रखी जायेगी तथा इस क्षेत्र में कुछ प्रगति की जायेगी।

हम सभी जानते हैं कि हमारा घाटा विशेषतः पारेषण सम्बन्धी नुकसान हो रहा है जो एक किस्म की चोरी है, इसे रोकना पड़ेगा अन्यथा हम उस मांग को कभी पूरा नहीं कर सकते जो प्रतिं वर्ष बढ़ती जा रही है। इस चोरी को रोकने के लिए कोई नया तरीका ढूँढना चाहिए और वह उपलब्ध है। हम उसे क्यों नहीं

अपनाते? हम उसका सहारा क्यों नहीं लेते? हम और दूसरे लोग चोरी के इस जघन्य अपराध को क्यों नहीं रोकते?

तीसरी बात मैं प्राकृतिक पर्यावरण के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ। जब मैं पर्यावरण के सम्बन्ध में कहता हूँ तो पर्यावरण के साथ-साथ मैं दो विषयों का उल्लेख करूंगा। एक विषय ऐसा है जिसका सम्बन्ध शहरी विकास मंत्री महोदय से है मैं विगत 3-4 वर्षों से कह रहा हूँ कि एक ऐसे विशेष निगम की स्थापना की जानी चाहिए जिसके कोष का उपयोग नगरपालिका को अपने मल व्यवस्था सम्बन्धी कार्यक्रम के लिए करना चाहिए तथा निगम द्वारा नगरपालिका को मामूली ब्याज दर पर बहुत कम ब्याज दर के आधार पर अग्रिम ऋण दिया जाना चाहिए। मैं बता रहा हूँ कि वर्तमान बजट में भी अभी मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोल रहा हूँ राष्ट्रीय शहरी अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन बोर्ड या ऐसे निगम की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं किया गया है जो ऐसा ऋण दे सकती है। हम मंगोलपुरी की समस्या के बारे में कहते रहे हैं, केवल एक ही मंगोलपुरी नहीं है भारत के प्रत्येक शहर में मंगोलपुरी है। यहां तक कि बम्बई जो कि भारत की सबसे धनी नगरपालिका है, वह भी खतरे में है जिसके पास भूमिगत सीवर डालने तथा मल व्यवस्था के लिए धन नहीं है। हम 'हुडको' की तरह कोई तरीका क्यों नहीं निकालते? हम इस प्रकार की निगम की स्थापना क्यों नहीं करते जो मल व्ययन के उपचार की माँग से निपटने के लिए नगरपालिकाओं को अग्रिम ऋण दे सकें? अन्यथा आप पर्यावरण के सम्बन्ध में कितनी भी चर्चा क्यों न करें आपके पानी की गुणवत्ता, चाहे वह पानी नदी का हो या झील का हो, प्रतिदिन खराब होती रहेगी तथा विश्व में इस बात की चर्चा होती रहेगी कि इस प्रकार के पेय जल को पीकर भारतीय लोग किस प्रकार जीवित रहते हैं यह केवल भगवान ही जानता है।

राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड के लिए उन्होंने सबसे पहले 250 करोड़ रुपये दिये थे जिन्हें बढ़ाकर 300 करोड़ रुपये कर दिया गया है। मेरे विचार से उन्हें यह भी पता नहीं है कि देश के विभिन्न जिलों में कितनी भूमि परती भूमि है; यदि फिर भी हम ऐसा करते हैं तो मेरे विचार से ऐसी कोई नीति नहीं बनायी गयी है जिसके द्वारा हम चरागाह क्षेत्र में ईष्टतम वृद्धि कर सकें। चरागाह सम्बन्धी कोई नीति नहीं बनायी गयी है। पर्यावरण मंत्रालय और कृषि मंत्रालय को राष्ट्रीय चरागाह नीति के सम्बन्ध में सहयोग करना चाहिए। हमने वन नीति तो बनायी है परन्तु चरागाह नीति के बारे में हमने कुछ भी नहीं सोचा है। यदि आपकी कोई चरागाह नीति नहीं है तो आप परती भूमि सम्बन्धी परियोजनाओं और कार्यक्रमों को किस प्रकार कार्यान्वित करेंगे? परती भूमि विकास कार्यक्रम केवल वनारोपण ही नहीं है। परती भूमि विकास कार्यक्रम सीमांत क्षेत्रों में भी चलाया जाना चाहिए जिनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और अर्द्ध सूखा क्षेत्र सम्मिलित होने चाहिए। ये सभी चरागाह हैं। हम अच्छे चरागाह चाहते हैं जिनमें हमारे पशु चर सकें। इन क्षेत्रों में चरागाह कम हैं परन्तु पशु अधिक हैं तथा चरागाहों का प्रबंधन अच्छा नहीं है। यही परती भूमि सम्बन्धी प्रबंधन है। इन आधारों पर कुछ विचार नहीं किया जा रहा है। मेरे विचार से इस क्षेत्र के सम्बन्ध में सभा में चर्चा होनी चाहिए।

एक बात मैं उद्योग के सम्बन्ध में भी कहना चाहता हूँ। मेरा अनुभव है कि औद्योगिक लाइसेंस देने में अत्यधिक विलम्ब किया जाता है। बड़े उद्धम स्थापित किये जाने चाहिए। तीन-चार राज्यों ने 'फ्लोट ग्लास' बनाने की परियोजनायें स्थापित करने के लिए कहा है—भारत में नहीं बनाया जाता है परन्तु इसके निर्माण की यहां बहुत क्षतमा है, चार-पाँच राज्यों ने इस 'फ्लोट ग्लास' के निर्माण हेतु एक उद्धम लगाने के लिए कहा है। इस पर 250 करोड़ से लेकर 300 करोड़ रुपये तक की लागत आयेगी। उद्योग मंत्रालय ने अब तक इन प्रस्तावों का जवाब नहीं दिया है। एक ही जवाब दिया जाता है कि 'हमने कोई नीति ही नहीं बनायी है तथा हम यस किस प्रकार निश्चय करेंगे कि इस फ्लोट ग्लास का लाइसेंस किस व्यक्ति को दिया जाए' —इसके लिए विगत तीन वर्षों से विचार किया जा रहा है। मेरा समझ में नहीं आता कि इसमें इतना विलम्ब क्यों किया जा रहा है।

[श्री दिग्विजय सिंह]

नमक निर्माता भी उद्योग में शामिल हैं। मेरे विचार से यह भारत के सभी श्रम समुदायों से अधिक प्रभावित समूह है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कुल खाद्य नमक उत्पादन का 25 प्रतिशत उत्पादन होता है। मेरे यहाँ आप सब के लिए खाने का नमक बनाया जाता है। गुजरात में खाद्य नमक के कुल उत्पादन का आधा उत्पादन होता है। परन्तु एक ऐसा वर्ग है। जो नमक बनाता है परन्तु उसकी स्थिति बहुत दयनीय है। ये सभी केन्द्रीय सरकार के ऐसे कार्यक्रम हैं जो तैयार पड़े हैं परन्तु उन्हें कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है।

मैं अपना भाषण समाप्त करने से पहल एक योजना अर्थात परिवार नियोजन का उल्लेख करना चाहता हूँ। परिवार नियोजन एक ऐसा विषय है जिसके बारे में मैंने सुबह प्रश्न में कहा था और विगत 13 वर्षों से कहता आ रहा हूँ कि सरकार ने परिवार नियोजन के कार्यक्रम कार्यान्वन को प्रोत्साहित करने के लिए कोई तरीका नहीं निकाला है ताकि उसे स्वीकार्य बनाया जा सके। हम कोई तरीका क्यों नहीं ढूँढ सकते? बजट में, राष्ट्रपति के अभिभाषण में तथा विगत 13 वर्षों से इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यद्यपि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और अनेक स्वयंसेवी संगठनों ने सरकार से सिफारिश की है कि यह अप्रिय हो गया है परन्तु प्रोत्साहन द्वारा इसे आसानी से कार्यान्वित किया जा सकता है तथा जहाँ तक इसे स्वीकार्य बनाने का सम्बन्ध है, इसके परिणाम निकल सकते हैं। उसके बारे में विचार क्यों नहीं किया गया ?

इन टिप्पणियों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री गोपेश्वर (जमशेदपुर): मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध में श्री गाडगिल द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। हमें राजीव जी को बाह्य क्षेत्र में विशेषतः 'सार्क' के सम्बन्ध में उनकी पहल के लिए धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि इससे निरस्त्रीकरण का अच्छा वातावरण बनेगा। सार्क देशों के श्रमिक वर्ग 'सार्क ट्रेड यूनियन कांउसिल' के लिए सहयोग देना चाहते हैं। मेरा सुझाव है कि इसे 'सार्क' देशों के कर्मचारी संगठन कि तरह प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

गरीबी की रेखा के सम्बन्ध में राष्ट्रपति के अभिभाषण में कुछ अच्छी तस्वीर पेश की गयी है। कल प्रश्न काल के दौरान बताया गया था कि चालीस प्रतिशत लोग अब भी गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं। बिहार में यह 51 प्रतिशत से अधिक है। यह बहुत खराब स्थिति है। इससे स्पष्ट है कि उठाये गये कदमों के परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं। प्रत्येक वर्ष बेरोजगारी बढ़ जाती है। रोजगार कार्यालयों में तीन करोड़ से अधिक ऐसे व्यक्ति पंजीकृत हैं जिन्हें रोजगार नहीं मिला है। मेरा सुझाव है कि भारत सरकार को योजना आयोग के कार्य का पुनरीक्षण करना चाहिए और योजना आयोग के कार्य के मूल्यांकन हेतु एक आयोग का गठन करना चाहिए।

पचायती राज एक स्वागतयोग्य विचार है। हमें इसके लिए प्रयास करना चाहिए।

सरकारी क्षेत्र अच्छा कार्य कर रहा है। मैं राष्ट्रपति का आभारी हूँ क्योंकि सरकारी क्षेत्र के सम्बन्ध में उन्होंने अच्छे विचार व्यक्त किये हैं। परन्तु प्रबंधन सरकारी क्षेत्र का भाग नहीं है। यह नागरिक क्षेत्र है क्योंकि नागरिक इसकी व्यवस्था करते हैं। आधे दर्जन सरकारी क्षेत्रों में संयुक्त सचिव और सचिव सदस्य होते हैं। सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में सामाजिक कार्यकर्ताओं के पद विगत अनेक वर्षों से खाली पड़े हैं। 'ब्यूरो ऑफ पब्लिक इन्टरप्राइजेज' अप्रत्यक्ष रूप से कार्य कर रहा है जिससे बड़ी विकट स्थिति पैदा हो गयी है। इसके अतिरिक्त, मजदूरी संबंधी समझौतों में बहुत अधिक विलंब किया गया है, जिसके कारण सरकारी क्षेत्र में गम्भीर समस्या पैदा हो गयी है।

मैं अनुभव करता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में सभी पदों पर महिलायें होनी चाहिए, तभी देश में सुधार की आशा है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में औद्योगिक रुग्णता के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है। अभिभाषण में औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में कहा गया है। क्या औद्योगिक विकास रोजगार के अवसरों के अनुरूप है?

प्रत्येक समझौते में औद्योगिक विकास के कारण मानवशक्ति में वृद्धि का उल्लेख किया जाना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है।

आवास के बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए कोई आवास कार्यक्रम नहीं बनाया गया है। पहले कुछ कार्यक्रम बनाये गये थे परन्तु इस समय प्रत्येक व्यक्ति चुप है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए आवास बोर्ड बनाया जाना चाहिए। सेवानिवृत्त होने से पहले कामगार का अपना मकान होना चाहिए ताकि सेवानिवृत्त के बाद वे शहर वापस न आयं और समस्या पैदा न करें।

नवोदय विद्यालय और आपरेशन ब्लैक बोर्ड सफल नहीं हुए हैं और उस पर हो रहे खर्च से गम्भीर असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। शिक्षकों को डाक्टरों और इंजीनियरों से अधिक वेतन मिल रहा है। डाक्टरों को प्राइवेट प्रेक्टिस की अनुमति नहीं है। दूसरी ओर अध्यापकों को अच्छा वेतन मिलता है और उन्हें प्राइवेट ट्यूशन की भी अनुमति है। दूसरे स्कूलों के अध्यापकों को वह वेतन नहीं मिल रहा है जिसके परिणाम स्वरूप गम्भीर असंतुलन उत्पन्न हो रहा है और शिक्षा आन्दोलन ठप्प पड़ गया है। इसमें कोई प्रगति नहीं हो रही है।

मैं, मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने के लिए प्रधान मंत्री को बधाई देता हूं। लोगों का विचार है, यह युवकों के लिए है। मैं इस बारे मे दूसरी तरह से सोचता हूं। एक युवा व्यक्ति या महिला 18 वर्ष की आयु में किसी संयत्र, फैक्टरी या कार्यालय में नौकरी प्राप्त कर सकता है। लेकिन उसे कोई राजनैतिक अधिकार नहीं है। यह हमारी राजनैतिक प्रणाली की एक गम्भीर कमी है। प्रधान मंत्री ने मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया है। यह बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है। स्वतंत्रता के 40 वर्ष बाद मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष किया गया है।

लोग राष्ट्रीय अखंडता की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय अखण्डता केवल एकीकृत योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर चलाने से आती है। देश के सभी भागों में प्रत्येक स्थान पर कामकाजी लोगों के लिए एकता संबंधी योजनाएं दी जानी चाहिए और उन्हें एकता के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस समय उन्हें प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है। इसीलिए विघटनकारी प्रवृत्तियां सर उठा रही हैं।

औद्योगिक विकास और रोजगार विकास संबंधी बैंक की भूमिका का मूल्यांकन करना होगा। मेरे विचार से बैंकों को जिस प्रकार कार्य करना चाहिए, वह नहीं कर रहे हैं।

अन्त में मैं अपने क्षेत्र अर्थात बिहार में छोटा नागपुर के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियो. क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। वहां पर लड़कियों को पानी का एक मटका लाने के लिए तीन या चार किलोमीटर जाना पड़ता है। पम्प और ट्यूबवैल आदि काम नहीं कर रहे हैं। इन सभी कार्यक्रमों से भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा मिला है, और कुछ नहीं हुआ है। मेरा यह सुझाव है कि, पिछड़े क्षेत्रों में, विशेष कर उन स्थानों पर जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का बाहुल्य है कतिपय केन्द्र प्रशासित मशीनरी होनी चाहिए। पीने के पानी के अलावा यह आवश्यक है कि स्कूल शिक्षा, अस्पताल, आबासं आदि के लिए विशेष कार्यक्रम होना चाहिए। हम तभी उन लोगों से न्याय कर पाएंगे।

इस व्यवस्था में सिविल सेवा का अत्यंत महत्व होता है और सिविल सेवा प्रणाली ईस्ट इण्डिया कैंपनी के ढर्रे पर चलती है। भारतीय सिविल सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा तक केवल नामों का ही अन्तर है और कोई अन्तर नहीं है।

राष्ट्रपति ने भी अपने अभिभाषण में, सिविल सेवा के अधिकारियों के लिए कुछ सुविधाओं की घोषणा की? इसी प्रकार की सुविधाएं औद्योगिक श्रमिकों को उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात क्यों नहीं दी जाती ? मेरे विचार से इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए।

इन्ही शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

हम आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी मना रहे हैं। उन्होंने इस देश में लोकतंत्र की नींव रखी और आधारभूत ढांचा तैयार किया तथा विश्व को गुटनिरपेक्षता का मार्ग दिखाया। पंडित जी के पश्चात, इन्दिराजी के कारण इस देश में हरित क्रान्ति आई और उन्होंने इसे मान दिलाया। अब इस देश को 21वीं सदी में ले जाने का भार हमारे प्रधान मंत्री पर है। यदि हम राजीव शासन के पिछले 4 वर्षों का विश्लेषण करें तो हम निश्चित रूप से कह सकते है कि हमने आर्थिक मोर्चे पर अच्छा कार्य किया है। हमारी वार्षिक विकास दर ने पिछले सारे रिकार्ड तोड़ दिए हैं। सूखा वर्ष में भी हमारी विकास दर 3.2 प्रतिशत से अधिक रही पिछले दो वर्षों में हमारे निर्यात में लगभग 50 प्रतिशत वृद्धि हुई। प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। उनके शासन में हमने असम, मिजोरम, नागालैण्ड और त्रिपुरा की समस्याएं हल कर ली है। यदि संत लोंगोवाल की हत्या न हुई होती तो लोंगोवाल समझौता सफल रहता। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे प्रधान मंत्री इस बात का हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं कि पंजाब में सामान्य स्थिति बहाल हो। विदेश नीति के मोर्चे पर भी हमें इस बात का गर्व है कि हमारे प्रधान मंत्री गुट निरपेक्ष आन्दोलन को आज की विश्व राजनीति में एक शक्ति बनाने में सफल हुए हैं। यह सब सरकार की दीर्घावधिक वित्तीय नीति, एक अत्यंत सूझबूझ पूर्ण औद्योगिक नीति और निर्यात प्रोत्साहन, स्वैच्छिक परिणात्मक और गैर स्वैच्छिक वित्तीय नीति नियंत्रणों, लाइसेंसिग संबंधी नियंत्रणों में ढील देने के कारण संभव हुआ है। अब हम 1989 में, आगामी वर्षों में एक बड़े आर्थिक परिवर्तन लाने को तैयार हैं। हम खाद्यान्नों के मामले में आत्म-निर्भर हैं और अब प्रोद्योगिकी मिशनों की स्थापना से हम अपनी तिलहनों और दालों की जरूरत पूरी कर पाएंगे तथा पेय जल, शिक्षा, दूर संचार के लिए भी प्रौद्योगिक मिशन बनाए गए हैं जिससे ग्रामीण क्षेत्रों मे लोगों की दशा बेहतर होगी। आज देश में हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती, डिलीवरी प्रणाली की असफलता की है। हमारे प्रधान मंत्री ने स्वयं कहा है कि खर्च किए जाने वाले 6 रूपयों में से 5 रूपए दूसरे कामों पर खर्च होते हैं तथा केवल एक रुपया ही लाभार्थी को मिलता है। यह एक सबसे बड़ा कारण हैं जिसके कारण हमारी योजनाएं निचले स्तर तक नहीं पहुंच पाती। इसको सही परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। यह व्यवस्था अपने आप में लड़खड़ा रही है और मैं प्रधान मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने पंचायत राज की प्रक्रिया आरम्भ की है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके योग्य नेतृत्व में हम देश में एक समान पंचायत राज की स्थापना कर पाएंगे। ताकि शक्तियों का निचले स्तर पर विकेन्द्रीकरण किया जा सके।

महोदय, मैं अपनी सरकार, तथा माननीय प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूं कि हम उत्तराखण्ड और झाड़खण्ड क्षेत्रों के लिए भी उसी प्रकार का समझौता करें जैसा कि हमने गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट के साथ अर्थात, गोरखालैंड हिल कॉन्सिल समझौता किया है। हमारे यहां ऐसी स्थिति है जिसमें उत्तराखण्ड और झाड़खण्ड तथा दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के लिए इस प्रकार का समझौता आवश्यक है। स्थानीय लोगों को स्वतः शासन का अधिकार मिलना चाहिए ताकि वह लोग अपने भाग्य के निर्याता स्वयं बन सकें। महोदय, आज उन स्थानों की दुर्गम्यता के कारण वह पूर्णतः अधिकारियों द्वारा अधिशासित होते हैं और सन्देश उन तक पहुंच नहीं पाते, योजनाएं उन तक नहीं पहुंचती, और इससे पहले कि उत्तराखण्ड में कोई आन्दोलन आरम्भ हो, और झाड़खण्ड में तो काफी समय से आन्दोलन चल रहा है, यह सही समय है कि इस बार में कोई सहीं निर्णय लिया जाए तथा परिषद जैसी किसी संस्था की स्थापना हो सके जिसमें आदिवासियों के चुने हुए प्रतिनिधि हों और वह अपने फैसले स्वयं कर सकें।

महोदय, इसी प्रकार बस्तर क्षेत्र में, जहां नक्सलवादी सक्रिय है और मैं उसी राज्य से आया हूं जहां

इस प्रकार की बातें हो रही हैं। महोदय, उन सभी क्षेत्रों में, जहां पहुंच कठिन है निचले अधिकारी व्यवस्था के साथ रिवलवाड़ करते हैं और जब तक स्थानीय लोगों अर्थात जनजातीय लोगों को शासन का अधिकार नहीं दिया जाता, तब तक सत्ताधारी सरकार के साथ हमेशा ही असंतोष और मोह बना रहेगा। इसलिए, मैं इस बात की पुरजोर पैरवी करता हूं कि पंचायत राज या एक विशेष अधिनियम के माध्यम से उन क्षेत्रों, विशेष कर उत्तराखण्ड और झाड़खण्ड तथा मध्यप्रदेश में बस्तर के जनजातीय क्षेत्रों और आन्ध्रप्रदेश में उन्हें अपना शासन स्वयं संभालने का अधिकार मिलना चाहिए।

महोदय, आज देश को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। साम्प्रदायिकता उन सब से बड़ी है। कट्टरवादिता का उद्भव एक ऐसा अभिशाप और कैंसर है जिसका प्रत्येक स्तर पर मुकाबला किया जाना चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि साम्प्रदायिक किस्म के कुछ संगठन साम्प्रदायिक हिंसा और साम्प्रदायिक घृणा फैला रहे हैं। मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि राष्ट्रहित में इस प्रकार के संगठनों पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाना चाहिए चाहे यह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ हो या शिवसेना या जमात-ए-इस्लामी या कोई अन्य संगठन जो साम्प्रदायिक घृणा फैला रहा हो उस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए ताकि देश में साम्प्रदायिक सद्भावना पैदा हो सके। महोदय, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बाबरी मस्जिद का मामला पिछले तीन वर्ष से लम्बित है।

7.00 म०प्र०

सरकार को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पैनल बनाने में तीन वर्ष लगे और उसकी प्रक्रिया भी अभी आरम्भ नहीं हुई। यह एक ऐसा मामला है जो अत्यंत नाजुक बन गया है। यह केवल उत्तर प्रदेश के जिलों तक ही सीमित नहीं है बल्कि पूरा उत्तरी भारत इससे प्रभावित है और मैं गृह मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में निश्चित कदम उठा कर इसे हल करें।

महोदय, इस देश के अल्पसंख्यक अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं और मैं यह बात रिकार्ड में लाना चाहता हूं। मेरठ के साम्प्रदायिक उपद्रवों के बारे में आयोग की स्थापना की गई, मैं नहीं जानता कि आयोग की रिपोर्ट का क्या हुआ- मैं गृह मंत्री से पुरजोर अपील करता हूं कि वह, इस प्रकार की साम्प्रदायिक गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करें। यदि इन घटनाओं के दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जाती, तो प्रयोजन ही निष्फल हो जाएगा।

इसी प्रकार यह दुर्भाग्यपूर्ण हैं कि सलमान रशदी की पुस्तक 'सेटेनिक-वर्सेस' से विवाद उत्पन्न हुआ। हमारी सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। मैं प्रधान मंत्री और गृह मंत्रालय को बधाई देता हूं कि इस पुस्तक पर आन्दोलन आरम्भ होने से पहले ही इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। इस देश में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन की रुचि केवल इस देश की शान्ति भंग करने और नफरत फैलाने में है। इस प्रकार के लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमारे यहां एक ऐसा लोकतंत्र है जो धर्मनिरपेक्षता के उच्च आदर्शों पर स्थापित है और हमें इसकी रक्षा करनी होगी।

दूसरी बात जो मैं अनुभव करता हूं कि हम लोकतंत्र के रूप में जहां असफल रहे हैं वह न्यायिक व्यवस्था है। आज जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है वह ब्रिटिश काल की देन है। कोई भी निर्धन व्यक्ति अपने जीते जी किसी सिविल कोर्ट मामले के समाप्त होने की बात स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। हम अपनी कोई ऐसी न्यायिक व्यवस्था शुरू क्यों नहीं करते जोकि हमारी भारतीय परिस्थितियों और भारतीय प्रकृति के अनुरूप हो? कई सदियों तक हमारी अपनी न्याय व्यवस्थायें हुआ करती थीं; हम क्यों न ऐसी व्यवस्था को अपनाएं जिसमे हम सबसे निचले स्तर पर सबसे निर्धन लोगों को न्याय दे सके? हमें उन्हें छः विभिन्न स्तरों पर अपील करने के अधिकार की अनुमति क्यों दे? एक व्यक्ति को सबसे निचली अदालत से मामला शुरू करना होता है और वहां से उसे प्रक्रिया में उसे अपील के छः विभिन्न स्तरों से गुजरना पड़ता है। इस तरह कोई भी निर्धन

[श्री दिग्विजय सिंह]

व्यक्ति न्याय के बारे में स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। इसलिए मैं आज अपनी न्यायिक व्यवस्था में बुनियादी तौर पर रचनात्मक परिवर्तन करने की पुरजोर हिमायत करता हूं और जब तक हम ऐसा नहीं करते, हम किसी प्रकार के विधान क्यों न लाएं, उन्हें लागू नहीं किया जा सकता।

हमारी जो अपर्याप्त न्यायिक व्यवस्था है उसकी वजह से हम अपने भूमि सुधारों को बहुत ही प्रभावकारी ढंग से लागू नहीं कर सकते हैं।

महोदय, बेरोजगारी आज एक बहुत बड़ी समस्या है। माननीय प्रधान मंत्री ने इस बजट में इसे प्राथमिकता दी है और मुझे पूरा यकीन है कि ग्रामीण भूमिहीन बेरोजगार लोगों को इसमें रोजगार प्रदान किया जाएगा, लेकिन फिर भी शिक्षित बेरोजगार लोगों की समस्या तो रह ही जाएगी और मेरा ऐसा विचार है कि या तो बेरोजगारी उत्पादन समस्या ऐसी ही किसी अन्य चीज के बारे में सोचना होगा जिससे शहरी क्षेत्रों में हमारे शिक्षित बेरोजगार लोगों को भी इसमें कोई काम दिया जा सके।

आज की जो हमारी व्यवस्था है, उसमें जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है वह हमारे विपक्षी दलों का गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार है। दो दिन पहले महने देखा सि इस माननीय सभा में हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने एक टिप्पणी की थी और वह भी एक ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जिसने खालिस्थान का समर्थन करने जैसी बातें कही थीं, इसके बाद वे दिल्ली में एक बैठक में गए जहां पर बाबरी मस्जिद के मामले पर चर्चा की गई और उसमें साम्प्रदायिक घृणा को भड़काया गया।

यही व्यक्ति देश भर में भड़काने वाले भाषण देता रहा है। इन बातों को सहन नहीं किया जा सकता। जब हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने उसका उल्लेख किया था, तो यह इस देश के एक नेता की सच्ची अभिव्यक्ति थी और इसे सही परिप्रेक्ष्य में ही किया जाना चाहिए। यह दुर्भाग्य की बात है कि उन्होंने इस विषय को भी राजनीतिक रूप देने का प्रयास किया। जोकि उनकी एक आदत-सी बन गई है। इसी बात का सहारा लेकर विपक्षी दल मामलों को राजनीतिक रूप देते रहे हैं और भारतीय लोकतंत्र की सबसी बड़ी असफलता यह है कि इसके लिए कोई व्यवहार्य विकल्प नहीं है। हालांकि यह हमारे लिए फायदेमंद रहा है क्योंकि उनकी असमर्थता की वजह से हम काफी समय से सत्ता में रहे हैं, मेरा यह पक्का मत है कि यहां व्यवहार्य विकल्प होना चाहिए। मैं विपक्षी नेताओं से अनुरोध करता हूं कि वह अपने दृष्टिकोण और प्रयासों में और अधिक जिम्मेदार बनें। उन्हें इस मामले में बहुत ही सावधान रहना चाहिए कि किन मामलों को राजनीतिक रूप दिया जाए और किन मामलों को राजनीतिक रूप न दिया जाए।

[हिन्दी]

इन शब्दों के साथ, आपने जो मुझे अवसर दिया उसके लिए मैं आप का धन्यवाद करता हूं।

श्री भीष्म देव दुबे (बादा): सभापति महोदय, माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में जहां गत वर्षों की एक विश्लेष्णात्मक उपलब्धियों की विवेचना प्रस्तुत की है, वही भविष्य में सरकार द्वारा चलाई जाने वाली अन्य योजनाओं के बारे में एक बड़ा विस्तुत नोट भी प्रस्तुत किया है। यदि इन सारी योजनाओं को जिनको उन्होंने अपनी सरकार के संकल्प के रूप में प्रस्तुत किया है सही तरीके से कार्यान्वित किया जाता है, तो इसमें संदेह नहीं कि देश की शक्ल बदल जाएगी।

सभापति महोदय, पिछली साल जो सूखा पड़ा, उसके पहले साल भी देश के कुछ हिस्सों में सूखा रहा और इस साल भी देश के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां अब भी सूखा है। लगातार तीन सूखों के बाद हमारी आर्थिक स्थिति गड़बड़ाई नहीं, चरचराई नहीं, यह निश्चित ही हमारी सरकार की क्षमता है, उसकी योग्यता है, उसकी सूझबूझ है, जो देश को ऐसी स्थिति से बचाकर ले गई। इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। देश में

अनन्त प्रकार की सम्पदा पृथ्वी के नीचे छिपी हुई है। यदि इस सबका सही तरीके से दोहन किया जाए और उसका उपयोग यहां के जनमानस की बेहतरी के लिए, उसके कल्याण के लिए किया जाए, तो कहीं कोई कमी नजर नहीं आ सकती है। लेकिन मैं देखता हूं कि इसको करने में भी बड़ा पक्षपात सा है। बहुत से स्थान ऐसे हैं जिनको डवलप नहीं किया गया है, जहां तमाम सम्पदाएं छिपी हुई हैं, उनका दोहन नहीं किया जा रहा है और दूसरी जगह, अधिक कार्य हो रहा है। इससे क्षेत्रीय असमानता भी विकसित हो रही है। क्षेत्रीय असमानता असन्तोष का कारण बनती है, असन्तोष राष्ट्रीय एकता में बाधा बनता है और साथ-साथ तमाम तरह की आन्दोलनों को भी जन्म देता है। जैसा कि अभी पहले के वक्ता ने कहा कि झारखंड की समस्या है। असम में नया बोड़ो स्टूडेंट आन्दोलन चल रहा है। अभी हाल ही में सिक्किम का आन्दोलन हुआ था, उस पर समझौता किया गया। इसी तरह इस क्षेत्र से मैं आ रहा हूं, उस क्षेत्र से भी थोड़ी-थोड़ी सुगबुगाहट, मरमरिंग शुरू हुई है, और वह बुंदेलखण्ड प्राप्त की है। बुंदेलखण्ड ऐसा क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, दो प्रदेशों से मिलकर बना है और इन दोनों प्रदेशों में बटे होने के कारण उस की पूरी तरक्की नहीं हो रही और आपको सुनकर आश्चर्य होगा श्रीमान कि अभी भी बुंदेलखण्ड में ऐसे क्षेत्र हैं जहां खेती से सिर्फ दो मन का बीगा अन्न पैदा होता है। उस क्षेत्र में न तो कोई इंडस्ट्री है, न सिंचाई के साधन हैं, न स्कूल और कॉलेज हैं। इस तरह की जो क्षेत्रीय असमानता है, वह निश्चय ही असन्तोष को जन्म देती है। सबसे पहले आवश्यक है कि इस असमानता को दूर किया जाए। जब तक अफसरशाही पर काबू नहीं किया जाता तब तक इस देश का कल्याण नहीं होने वाला है। जहां भी स्कीमें जाती हैं, हम क्षेत्रों में जाते हैं और देखते हैं उन स्कीमों के लिए जो पैसा भेजा जाता है और जिस कल्याण कार्य के लिए भेजा जाता है उसका पूरा लाभ जनता को नहीं पहुंच पाता। यह बीच में न मालूम किस तरह कहां खो जाता है। हमारा सरकार से अनुरोध है कि वह अफसरशाही पर विशेष ध्यान दे और इस पर कहीं न कहीं रोक लगाए।

सरकार की विदेश नीति की जो उपलब्धियां हैं वह किसी से छिपी हुई नहीं है। सदन में उसका बहुत जिक्र हुआ है और यह बात सही है कि न केवल देश में ही बल्कि विदेश में भी उसकी बड़ी प्रशंसा है और इस वक्त विदेश नीति के अन्दर हमारे पड़ोसी देशों में और तमाम बड़े देशों में जो सदभावना पैदा हुई है, जो आपसी अंडरस्टैंडिंग हुई है, ऐसी इसके पहले कभी नहीं थी।

देश के अन्दर तमाम संस्थाओं में जहां चुनाव नहीं हुए थे, हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने वहां चुनाव कराये और वहां प्रजातंत्र कायम किया। तमाम जो लोकल बडीज थीं और जिनमें चुनाव नहीं हुए थे वहां हमारे उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हुए हैं। जिन स्थानों में चुनाव हो सकते थे, सब जगह चुनाव हुए। जबकि यह देखा गया कि अगर चुनाव कराये जाते हैं तो हो सकता है कि कांग्रेस बहुमत में न आए। इसको जानते और समझते हुए भी चुनाव कराये गये। यह इस बात का द्योतक है कि हमारी पार्टी और हमारे प्रधान मंत्री प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं। प्रजातांत्रिक पद्धति यहां कायम रहती है तो आज कांग्रेस नहीं तो कल आयेगी, आज कांग्रेस है तो कल दूसरी पार्टी आयेगी। अभी जैसा कि गृह मंत्री जी ने कहा कि तुम्हीं तुम हो तो क्या तुम हो, हमी हम हैं तो क्या हम है। इस सिद्धान्त को लेकर जो प्रधान मंत्री जी ने चुनाव कराए स्थानीय निकायों के, उनकी इंस्टीट्यूशन्ज़ को कायम किया है वह एक प्रशंसनीय कार्य है। उनको और अधिक अधिकार देने के बात चल रही है वह भी बहुत स्वागत वाली बात है। मैं इस बारे में एक निवेदन करना चाहता हूं कि जब अधिकार दें तो इसमें थोड़ी सतर्कता बरतनी आवश्यक है क्योंकि स्थानीय निकायों में आमतौर पर जिस तरह के लोग चुनकर आये हैं उनको अपने काम की ट्रेनिंग नहीं है जो कि होनी चाहिए और फिर उनको अधिकार दिया जाना चाहिये। बिना ट्रेनिंग के अधिकार वरदान की जगह अभिशाप सिद्ध हो जाता है। इसलिए सबसे पहले आवश्यक है कि उन स्थानों पर चुने हुए प्रतिनिधियों को उनके अधिकार देने के पहले अधिकारों का उपयोग करना सिखाना बहुत आवश्यक है।

[श्री भीष्म देव दुबे]

देश के सामने विशेष रूप से सिंचाई के साधन, बढ़ती हुई आबादी, बढ़ती हुई कीमतों पर अंकुश लगाना, ये विशेष समस्याएं हैं जिनको देखा जाना चाहिए और विशेष ध्यान देना चाहिए।

इसमें सबसे बड़ी समस्या बढ़ती हुई आबादी की है। मैं सूक्ष्म में बता दूं कि हमारे देश में कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती जब तक बढ़ती हुई आबादी पर रोक नहीं लगाई जाती।

अंत में एक बात और कहना चाहता हूं कि मतदान के अधिकार के लिए जो आयु 21 साल से घटाकर 18 साल की गई है, इसे देश में बहुत ज्यादा लोगों ने पसन्द किया है। जब हम चुनाव लड़ते हैं तो वास्तव में 19, 15 और 25 साल की उम्र के लोग ही चुनाव का सारा काम करते हैं। जब चुनाव का सारा काम वह करते हैं तो उन्हें वोट देने का अधिकार न हो, यह बड़ी विडम्बना की बात थी। अब सरकार की यह नीति बहुत उचित है लेकिन इस ग्रुप में एक बात और पाई जाती है, इनमें पूरी मैच्योरिटी, राजनीतिक परिपक्वता नहीं आ पाई है। इसलिए राजनीतिक परिपक्वता लाने के लिये यह आवश्यक है कि इनको कुछ ऐसी ट्रेनिंग दी जाये जिससे कि वह अपने अधिकार का सही इस्तेमाल कर सकें। कहने का मतलब यह है कि उनमें पूरी सूझबूझ आ जाये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया और मैं पुनः धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री आई० रामा राय (कासरगौड): सभापति महोदय इस वर्ष के लिए संसद के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूँ। भावी पीढ़ियां इस अभिभाषण को याद रखेंगी क्योंकि इसमें हमारे देश की इमारत का चित्रण किया गया है और उस इमारत के खंड हैं (क) जनतंत्र जो गांव-गांव तक पहुंचा है, (ख) धर्मनिरपेक्षता जिसमें सभी धर्मों और सभी अल्पसंख्यकों का आदर किया जाता है, (ग) समाजवाद, जिसका उद्देश्य गरीबी और बेरोजगारी को दूर करना है और (घ) आत्मनिर्भरता, जिसमें विश्व के राष्ट्रों के सौहार्द में अपना उचित स्थान बनाए रखना।

महोदय, निःसन्देह, बहुत से माननीय सदस्यों ने इस समय देश में व्याप्त आतकवाद, सम्प्रदायवाद और ऐसी बहुत सी बातों का उल्लेख किया है, मजबूत इरादे से, हम इन समस्याओं का मुकाबला कर रहे हैं और हम इस प्रभाव में सफल रहेंगे और हम विश्व के उन्नत लोकतांत्रिक देशों को भारतीय लोकतंत्र की मुख्य बातों को दिखाएंगे।

महोदय, वर्तमान सरकार ने युवकों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी है और इससे उन्हें राष्ट्र निर्माण की गतिविधि में एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और यह एक अन्य बड़ा कदम है जो वर्तमान सरकार ने उठाया है।

गरीबी को समाप्त करना सरकार के सामने एक बहुत ही कठिन काम है। राष्ट्रपति ने विभिन्न दृष्टिकोणों के बारे में स्पष्ट रूप से बताया है और गरीबी-रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की रूप-रेखा भी दी है। गरीबी समाप्त करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के साथ-साथ प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रोजगार देना और प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था करने जैसी लोकप्रिय योजनाओं का भी उल्लेख किया गया है। उसे पहले ही शुरू किया जा चुका है। मेरे राज्य में, वर्तमान सरकार ने दोपहर के भोजन कार्यक्रम के महत्व को कम कर दिया है। उन्होंने जिन बच्चों के पास भोजन है और जिनके पास नहीं है, ऐसे बच्चों को दो वर्गों में बांट दिया है। वास्तव में

उन्होंने युवा पीढ़ी के उन लोगों का पता नहीं लगाया है। जिनके पास भोजन है और जिनके पास भोजन नहीं है। जिनके पास भोजन है उन्हें दोपहर का भोजन नहीं दिया जाता है। सरकार द्वारा तैयार की गई सूची के आधार पर जिनके पास भोजन नहीं है केवल उन्हें ही भोजन दिया जाता है।

जहां तक रोजगार की व्यवस्था का संबंध है, चुनावों के दौरान झूठे वायदे किये जाते हैं। चुनाव घोषणा-पत्र में, बहुत सी बातें कही जाती हैं लेकिन वास्तव में किया कुछ भी नहीं जाता है।

महोदय, निकट के पड़ौसी देशों के साथ हमारे सम्बन्धों में काफी हद तक सुधार हुआ है। हमने चीन के साथ बातचीत शुरू की है। पाकिस्तान के साथ हमारे संबन्ध बेहतर हुए हैं। श्रीलंका में, विश्व समुदाय ने हमारे कार्यों की प्रशंसा की है। यहां तक की मालदीव द्वीप में भी हमारे कार्यों का विदेशों ने स्वागत किया था। लगभग सभी क्षेत्रों में हमें काफी हद तक सफलता मिली है।

मेरे बहुत से मित्रों ने इस बात का उल्लेख किया है कि गरीबी दूर करने वाले उन सभी कार्यक्रमों और अन्य योजनाओं के होते हुए, सरकार ने जिन विभिन्न योजनाओं की रूपरेखा दी है, जब तक उन्हें कर्यान्वित किये जाने के लिए पक्का इरादा नहीं होगा, तब तक उस आदमी के पास कुछ नहीं पहुंचेगा जोकि उन चीजों की प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे बहुत से माननीय मित्रों ने इस बात का उल्लेख किया है कि उनका कार्यान्वयन ठीक प्रसार से क्यों नहीं किया गया। सरकार के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए विशेषकर गरीबी दूर करने के लिए कार्यक्रमों के हेतु इस देश के लिए प्रतिबद्ध नौकरशाही जरूरी है। मुझे एक घटना याद है जोकि उस समय की है जबकि कामराज नादार मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री थे। तमिलनाडू में, ऊटी में, अभी पहाड़ी पर प्रायः वहां घरों के समूह होते हैं। एक दिन उस समूह के लोग जो उस पहाड़ी पर रह रहे थे, जब मुख्य मंत्री उन स्थान पर आए तो वहां के लोगों ने उनके पास आकर उन्हें पेय जल की समस्या का क्या किया जाए। इंजिनियर ने बताया था कि पानी को ऊपर पहाड़ी पर ले जाना संभव नहीं है क्योंकि यह पहाड़ी बहुत ऊंची है। ऐसा लगता था कि मुख्य मंत्री ने उनके उत्तर में जवाब दिया कि यदि पानी पहाड़ी के ऊपर बहता होता अथवा यदि इन घरों के समूह पहाड़ी के नीचे बसे होते, तो मैं इंजिनियर को न बुलाता। मुख्य मंत्री ने तब इंजिनियर को निर्देश दिया था कि इसका हल ढूंढे और इसके अनुरूप अपनी राय दे। उन्होंने इंजिनियर को यह भी निर्देश दिया था कि 15 दिनों के अन्दर उसे एक रिर्पोट प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें वह यह बताए कि उस समस्या को हल करने के लिए उसने क्या कदम उठाए हैं। स्वभाविक है कि अब उस गांव में दो पम्प सैट हैं और दो जलाशय हैं। उन ऊंची पहाड़ियों पर बसे सभी घरों को पानी मिल रहा है। इसलिये यह कहा जाता है जहां चाह, वहां राह। केवल यही बात हमारी नौकरशाही के बारे में है। कभी-कभी हमारी गल्तियां हमारी प्रगति में बाधक हो जाती हैं। हम हात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इन्दिरा गांधी जैसे अपने पूर्वजों के बारे में बहुत कुछ बातें करते हैं। इन सभी नेताओं ने हमें सही दिशा दी है और ऐसी नींव रखी है जिसके कारण हमें प्रगति प्राप्त हुई है। जनसंख्या में वृद्धि के बावजूद, विशेषकर जबकि हमें सूखा और अन्य दैवी विपत्तियों का सामना करना पड़ा है, इस देश में जो प्रगति हुई है, वह वास्तव में सराहनीय है। हमने ऐसी चीज प्राप्त की है जो कि वास्तव में सराहनीय है। लेकिन हमने जो कुछ प्राप्त किया है हम उससे भी कहीं अधिक प्राप्त कर सकते थे। बात केवल इतनी है कि मंत्रियों तथा अफसरों को इसके लिए यह निश्चय करना होगा और अफसरों जैसा उत्तर देने के सामान्य तरोके और अफसरें जैसा कार्य करने का तरीका बदलना चाहिए। क्योंकि मेरे बहुत से मित्रों ने पहले ही सभी मुद्दों का उल्लेख किया है, मैं और अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि पहले ही देर हो चुकी है, इस प्रस्ताव पर बोलने के लिए आपने जो मुझे अवसर दिया है उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।

श्री एस० बी० सिदनाल (बेलगाम): आपने जो मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं । इस देश में लोक तंत्र पहले ही बहुत मजबूत हो चुका है और विश्व में कोई भी ताकत लोकतंत्र की इस प्रक्रिया को नहीं तोड़ सकती। समाजवाद, जिसके संस्थापक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और जिनकी शताब्दी हम समारोहपूर्वक मना रहे हैं, उनकी आलोचना करते हुए यह बताया गया था कि परिवर्तन हो रहे थे। जीवन के मूल्य समय-समय पर प्रगति, आर्थिक विकास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार बदलते रहत हैं। उस समय उन्होंने निहित स्वार्थों के विरुद्ध सत्ता की बागडोर को संभाला। सभी प्रगतिशील योजनाओं और विधानों को लोगों के हित को ध्यान में रखकर बनाया गया। उन्होंने देश के लोगों में चेतना अवसर बढ़ रहे हैं, हम इन दिनों में समाजवाद को प्राप्त कर सके हैं । जब हम इस देश के 40 वर्षों के इतिहास की प्रतीक्षा करते हैं तो हम देख सकते हैं कि चालीस वर्ष पहले क्या स्थिति थी, खाद्य की स्थिति क्या थी, हमारी जनसंख्या कितनी थी, हम कितनी धनराशि अर्जित कर सकते थे, सिंचाई के बारे में स्थिति क्या थी और कितना औद्योगिक पिछड़ापन था। यदि हम वर्तमान स्थिति में इन बातों की समीक्षा करें, तो हम देख सकते हैं कि वास्तव में हमने बहुत ही प्रशंसनीय परिणाम प्राप्त किये हैं। लेकिन हमने जो प्रगति की है, विपक्ष के लोग उसकी कभी सराहना नहीं करेंगे। हमारे कोई स्कूल नहीं होते थे, कोई कोलेज नहीं होते थे, कोई शिक्षा नहीं थी, कोई कीटनाशक दवाईयां नहीं थी। संकर किस्म के कोई बीज नहीं थे, कोई उर्वरक कारखाने नहीं थे। हमारे पास कुछ नहीं था। हमने शून्य से शुरू किया और हमने इतना कुछ प्राप्त किया है । पंचवर्षीय योजनाएं वास्तव में हमारे लिए वरदान सिद्ध हुई । जनसंख्या में वृद्धि के कारण उनके परिणाम दिखाई नहीं देते। जनसंख्या पर उतना नियंत्रण नहीं रखा गया जितना कि रखा जाना चाहिए था। जनसंख्या को रोकना कठिन नहीं है । गाँवों के कुछ स्वयं सेवी लोग इसके लिये कार्यरत हैं । लेकिन ज्यादा समय इसके परिपालन के लिये गैर-प्रतिबद्ध लोग लगाये जाते हैं । इसलिये जनसंख्या की समस्या अभी भी बहुत तेजी से बढ़ रही है ।

अन्य पहलुओं का अपेक्षाकृत अध्ययन किया जाए । जैसे इक्कीसवीं शताब्दी में हमारी जनसंख्या कितनी होगी, हम अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करने में कैसे सक्षम होंगे । बेरोजगारी के अलावा भोजन और आश्रय की समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो यह भी समस्या बन जाएगी । हम उन्नति कर सकते हैं ; इसमें कोई प्रतिबद्ध नहीं है । इसके लिए हमें अपनी उन्नति में भी बाधा नहीं डालनी है । हमने काफी उन्नति की हैं । लेकिन जनसंख्या में वृद्धि ने हमारी इस सारी उन्नति को नाकामयाब कर दिया है । आज से 40 साल पहले भी गरीबी थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी । लेकिन गरीबी ने अपना स्वरूप बदला है । 40 साल पहले वहाँ पूर्णतया गरीबी थी लेकिन आज इसका स्वरूप बदल गया है । कल भी उसके स्वरूप में परिवर्तन आएगा ।

कांग्रेस सरकार और महात्मा गाँधी जवहारलाल नेहरू और इंदिरा गाँधी जैसे महान लोगों ने गरीबी के विरुद्ध लड़ने के लिए आधारभूत ढांचे की नींव रखी हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत हद तक सफल रहे हैं ।

जवाहर लाल नेहरू जी के बाद जब इंदिराजी आई तब वह समय था जब पुराने विचार नये विचार में परिवर्तन हो रहे थे। जीवन के मूल्य समय-समय पर प्रगति, आर्थिक विकास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार बदलते रहते हैं । उस समय उन्होंने निहित स्वार्थों के विरुद्ध सत्ता की बागडोर को संभाला प्रगतिशील योजनाओं और विधानों को लोगों के हित को ध्यान में रखकर बनाया गया । उन्होंने देश के लोगों में चेतना जगाई और गरीब से गरीब आदमी भी यह बता सकता था कि इंदिराजी कौन थी इसलिये नहीं कि वे चमत्कारिक महिला थी बल्कि उनका लोगों के प्रति प्यार और स्नेह था तथा 80 करोड़ लोगों के लिये भोजन सामग्री उपलब्ध कराने के उनके प्रगतिशील विचार के कारण ऐसा था । यह उनका उपहार था ।

इंदिरा गाँधी की हत्या ने हमें संकटावस्था में छोड़ दिया है । देश के भीतर तथा शहर के लोग, जो सहयोग नहीं करते थे, सोचने लगे कि भारत के पास अब कोई नेता नहीं रहा । भारत को कभी भी अच्छे नेताओं का अभाव नहीं रहा । श्री राजीव गाँधी की अभूतपूर्व विजय के साथ ही इस लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना को पूर्णतया सफलता मिली। लोगों ने उनकी हर तरह से मदद की । लेकिन उनके अचानक आते ही उनके सामने अनेक कठिनाइयाँ थी। विभाजन की बात जोरों के साथ आगे बट रही थी और इस पर काबू पाना मुश्किल था । समझौते किये गये और वे सभी सफल रहे । इन समझौते के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं था । उन्होंने दलीय राजनीति को अनदेखा कर दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया जिससे कि हरेक विवाद को हल किया जा सके ।

वहाँ विभाजन की बात क्या थी? इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिये। वहाँ पर विकास का अभाव था । अमीर और भी अमीर हो रहे थे और गरीब निरन्तर गरीब । इसलिये कुछ राज्यों में इसके कारण असंतोष व्याप्त था । इसी कारणों से गोरखा तथा अन्य कुछ पिछड़े लोग अलग होना चाहते थे तथा स्वतंत्रता चाहते थे । इसका मतलब यह नहीं कि वे इसलिए स्वतंत्रता चाहते हैं क्योंकि कुछ राज्यों या कुछ सरकारी कर्मचारियों अथवा जैसा हमारा प्रशासन है उनके द्वारा उन्हें उपेक्षित किया जा रहा है इसलिए वे इस प्रकार की स्वतंत्रता चाहते हैं। इसकी ओर ध्यान देना होगा। केन्द्रीय सरकार को इन पिछड़े क्षेत्रों पर ध्यान देना होगा तथा पिछड़ी जाति के लोगों अनुसूचित जातियों अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े लोगों की ओर विशेष ध्यान देना होगा। अन्यथा यह मुश्किल हो जायेगा। कितने राज्यों का निर्माण किया जा सकता और उसके प्रशासन पर कितना खर्च होगा? हम कब तक ऐसे चल सकते हैं?

कभी कभी मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि संविधान में संशोधन होना चाहिये था। देश के वर्तमान स्थिति के अनुसार पूर्ण बदलाव लाना चाहिए। वह संविधान उस समय विभिन्न लोगों के लिये लिखा गया था। बदलते समय तथा जीवन के मूल्य के अनुसार प्रशासनिक व्यवस्था में भी बदलाव चाहिये। अतः पूरे देश को चार भागों में बांटा जा सकता है।

जैसा कि श्री बूटा सिंह ने ठीक ही कहा है, कि हमारे द्वारा क्षेत्रीयता और साम्प्रदायिकता के निरंतर प्रयोग के कारण राष्ट्रवाद खत्म हो रहा है इसलिये इसे पूर्णतया चार भागों में बाँटा जाना चाहिये और प्रशासन का तरीका अलग होना चाहिये। इसके लिये संविधान में उपयुक्त संशोधन और परिवर्तन किये जाने चाहिये।

मैं प्रधान मंत्री को उनके द्वारा मतदान की आयु को घटाकर 18 वर्ष करने के लिए विधान लाने पर मुबारकबाद देता हूँ। क़ानून द्वारा अब 18 साल की उम्र को स्वीकृत किया गया है। अब कोई इस उम्र में शादी कर सकता है या किसी के साथ समझौता कर सकता है पर उसे इस उम्र में वोट डालने या अपने संसद सदस्यों पर उसे विधायकों को चुनने से वंचित रहना पड़ता था। सरकार द्वारा देरी से उठाया गया कदम, इस दिशा में सराहनीय है। और मैं सरकार को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। बहुत लोगों ने कहा कि कोंग्रेस को इस विधान से कोई फायदा नहीं हुआ है। मेरे विचार में इससे न तो कांग्रेस और नहीं कोई दूसरी पार्टी को फायदा लेना चाहिये। यह विधेयक दलीय हितों से परे है और युवाओं को जिन्हें अब तक मान्यता नहीं दी गई थी अब उन्हें मान्यता दी गई है।

जहाँ तक कृषि का सम्बन्ध है तो इस पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया है। जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग कृषि के ऊपर निर्भर करता है। उद्योग का तभी पोषण हो सकता है जबकि कृषि का उत्पादन होगा। उद्योग के संबंध में उसके पोषण पर विचार किये बिना उस पर हजारों करोड़ रुपये खर्च करने में हमें अपने अनुपात से बाहर नहीं जाना चाहिये उदाहरणार्थ कपास को लीजिए। यह बेकार पड़ी है। इसका उत्पादन अनुपात में अधिक हुआ है जबकि इसकी माँग इसके उत्पादन के अनुरूप नहीं है। हम ऐसी स्थिति का सामना

[श्री एस० बी० सिदनाल]

कर रहें हैं। किसानों के लिये केवल यही नगदी फसल है। अगर इस पर ठीक से ध्यान न दिया गया तो वे हतोत्साहित हो जायेंगे और हो सकता है कि उसे अगले साल इसके उत्पादन के लिये प्रोत्साहन भी न मिले। इसलिये, इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिये।

भारत में कृषि का ढंग वैज्ञानिक नहीं है। इसके दो कारण हैं। एक तो भूमि का विभाजन है और दूसरा जनसंख्या की वृद्धि । इन दो कारणों से कृषि के लिए मशीनों को लगाया जा सका। जब हम मशीनों का प्रयोग नहीं करते तो उत्पादन भी कम होता है और कम उत्पादन से हम अपने देश की सहायता नहीं कर सकते। इसलिये हमें ज्यादा उत्पादन के लिये सोचना होगा और इसके लिये ज्यादा ध्यान कृषि पर केन्द्रीत करना होगा। मैं सहकारी खेती का भी स्वागत करता हूँ जहाँ पर छोटे किसान अपने स्वामित्व का अधिकार बरकरार रखते हुये अपनी जमीन की अनुपातिक आय भी ले सके। एक छोटा किसान ट्रेक्टर या दूसरा उपकरण नहीं खरीद सकता। इसलिए अगर सहकारी खेती होगी तो वह अपनी भूमि पर वैज्ञानिक ढंग से खेती कर उपज बढ़ा सकता है और देश के लोगों की भविष्य की माँग को पूरा कर सकता है। इसलिये इस पर गंभीरता से विचार करना होगा।

महोदय, मैं जिला स्तर पर योजना का स्वागत करता हूँ। यह पहले अमल में लानी चाहिए थी। यह विचार आठवीं योजना में भी दर्शाया गया है। जिला स्तर पर योजना को शुरू करना चाहिए और इसके लिए विशेषज्ञ ग्रामीण क्षेत्रों से बुलाये जाये न कि भारतीय प्रशासनिक सेवा से या भारतीय पुलिस सेवा से। मैं इन संवर्ग के लोगों पर आरोप नहीं लगाता हूँ। वे हमारे अपने भाई हैं। इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हम उनकी आलोचना करते हैं तथा वे हमारी लेकिन उन्हें यह महसूस करना चाहिए कि उनके अपने भाई गरीब हैं। उनके पाँव में जूते नहीं होते। उनके पास कपड़ा भी नहीं होता और ना ही कोई रहने की जगह। इसलिए उन्हें उनके प्रति वचनबद्ध होना चाहिये नाकी उनकी आलोचना करनी चाहिये। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वे बाहर के लोगों को अपना भाई समझें। इसलिये, इस सहकारी खेती के बारे में विचार किया जाना चाहिए। इसके लिये एक कमेटी नियुक्त करनी होगी जो कि इसका ब्यौरा तैयार करेगी। मेरे राज्य कर्नाटक में सहकारी चीनी कारखाने और कताई मिल उद्योग सफल रहे हैं। उन्होंने काफी पूंजी भी बना ली है।

जहाँ तक पर्यावरण का संबंध है हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब हम पेड़ लगाते हैं तो उसे आवारा जानवर नष्ट ना करें। अन्यथा हम इस साल पेड़ लगायेंगे और अगले साल वह बंजर भूमि होगी। इसलिये इसके लिये एक ऐसा कार्यक्रम होना चाहिये जिससे इन पौधों की रक्षा की जा सके अन्यथा केवल पौधा लगाना ही काफी नहीं होगा। हमें इन सभी आवारा जानवरों को दूर रखना होगा और उनके बदले अच्छे जानवर लाने होंगे जो कि ना तो आवारा होंगे और ना ही वनों का नुकसान करेंगे। आवारा जानवर हमारे वनों का विनाश करते हैं। इसलिये, वनों के संरक्षण के लिये इस पर गंभीरता से सोचना चाहिये और ज्यादा धन आवंटित करना चाहिये। इसके बावजूद हमें कृषि उद्यान कार्यालय से सलाह लेकर फल वाला पौधा कृष्कों को बाँटना चाहिये जिससे कि उसे बंजर भूमि पर भी लगाया जाये और फल के अतिरिक्त पर्यावरण संतुलन को भी कायम रखा जा सके।

जहाँ तक विपक्ष का सवाल है तो हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि जब लोगों ने हमें प्रतिनिधि चुन कर सभा में भेजा है तो उन्होंने स्वैच्छिक तौर पर सभा से, बिना अपना विचार रखे हुये, बाहर चले गये। ये उन्होंने गलतफहमी और गलत व्याख्या तथा राजनीति से प्रेरित होकर किया जो कि इस देश के हित में नहीं है। वास्तविक विपक्ष तो वह है जो हमें सुधारे और सही रास्ता दखलाएं ना की बोलने के अवसर से वंचित होकर बाहर चले जाएं।

हमने विज्ञान और प्रोद्योगीकी में पर्याप्त प्रगति की है जिसके कारण हमारे लिये आज सभी कुछ सम्भव हो सका है।

शिक्षा की धारणा अच्छी है। मैं अपने प्रधानमंत्री को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ग्रामीण लोगों को ऊपर उठने का अवसर प्रदान किया। ऐसा दिखता है कि शिक्षा हमारी गरीबी का और हमारे ऊपर उठने का सार्वभौमिक हल है।

महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें अवसर प्रदान करने के लिये भी पूरा ध्यान दिया गया है।

विभाजन को रोका जाना चाहिये। मैं विपक्षी दलों से इस देश की एकता का आग्रह करता हूँ। इस देश में लोकतंत्र की जड़ गहरी है। कोई भी लोगों को इस सभा से अनुपस्थित रहकर भ्रम में नहीं डाल सकता।

मैं अधिक अवसर देने के लिये फिर से आपको धन्यवाद देता हूँ।

[हिन्दी]

श्री रामदेव राय (समस्तीपुर): सभापति महोदय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में मैं चन्द शब्द कहना चाहूंगा। यह हमारे देश का सौभाग्य है कि इस का नेतृत्व एक नौजवान के हाथों में है। श्रीमन्, आप जानते हैं कि नौजवानों के दिल में आगे बढ़ने की बहुत बड़ी लालसा होती है और जिस के दिल में आगे बढ़ने की लालसा है, तो वह स्वयं को नहीं बल्कि समूह को आगे बढ़ा कर अपनी लालसा की पूर्ति करता है और उस की लालसा पूर्ति तभी हो सकती है, जब उस में निर्भीकता हो, साहस हो, धैर्य हो और कार्य करने का क्षमता हो। नौजवानों का इतिहास ऐसा ही रहा है। नौजवान हमेशा निर्भीक हुआ करता है, साहसी हुआ करता है और लक्ष्य के साथ काम करना जानता है। यही कारण है कि आज हमारे प्रधान मंत्री जी भारत के लिए सिर्फ दिल में लालसा नहीं रखे हैं बल्कि एक संकल्प शक्ति के साथ कार्य में युद्ध स्तर पर जुटे हुए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि संकल्प शक्ति का नाम ही भारत देश है जिस में संकल्प शक्ति नहीं है संकल्प लेने की क्षमता नहीं है, संकल्प को पूरा करने की क्षमता नहीं है, वह न भारत हो सकता है और न वह भारतीय हो सकता है। इसलिए भारत के इतिहास को हमार प्रधान मंत्री जी ने अपने कार्यों से चरितार्थ किया है और बहुत जोशो-खरोश के साथ वे सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए आगे बढ़े हैं। समाज का उत्थान हो, समाज का हर वर्ग आगे बढ़े, समाज का नौजवान आगे बढ़े, उस के लिए उन्होंने बहुत से कार्य किये हैं। यही कारण है कि आज सामाजिक परिवर्तन हो रहा है और ग्रामीणों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के कार्यक्रम चल रहे हैं और गांवों को नया रूप दिया जा रहा है। गांवों में गरीबी न हो, बेरोजगारी न हो और उनकी आवश्यक जरूरतों की पूर्ति हो, इस के लिए प्रधान मंत्री जी चिंतित ही नहीं हैं बल्कि व्याकुल हैं और परेशान हैं कि किस तरह इन आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। यही कारण है कि आज राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इसका उल्लेख किया है कि सामाजिक परिवर्तन होंगे, आर्थिक परिवर्तन होंगे। रोजगार की गारन्टी दी गयी है। नये संकल्प के साथ गांवों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के हरेक परिवार के कम से कम एक सदस्य को निश्चित रूप से काम मिले इसके लिए सरकार ने व्यवस्था की है। इसीलिए आज गांवों के किसानों के पास, मजदूरों के पास, नौजवानों के पास ताकत है। जो नौजवान कभी सपना नहीं देखा था आज वही नौजवान अपने सपने को पूरा कर रहा है। उसके हाथ में काम है, धंधा है और इसी से वह खुश है। आज राजनीति के प्रति उसका लगाव हो रहा है, श्रद्धा बढ़ी है, आस्थ और निष्ठा बढ़ी है जिसको कि हम सब लोगों को इस्तेमाल करना चाहिये। मगर दुर्भाग्य है इस देश का कि जो महात्मा गांधी कभी गलत बात नहीं

[श्री राम देव राव]

सुनते थे, गलत बात नहीं बोलते थे, गलत चीज़ नहीं देखते थे, आज जो अपने को उनका सपूत कहते हैं दिन-रात झूठ बोलने में नहीं हिचकिचाते हैं, गलत बात बोलने में नहीं हिचकिचाते हैं और गलत चीज़ देखने में भी सब से आगे बढ़ रहे हैं। हम उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि भारत के अपने संस्कार हैं, अपनी संस्कृति है, अपना इतिहास है। सारी दुनिया के लोग भारत की संस्कृति की ओर देखते हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम क्या चाहते हैं, हमें अपना ही पता नहीं है। जब हमें अपने बारे में ही जानकारी न हो तो हम किसी के बारे में क्या सोच सकते हैं? हम अपने को पहचानते नहीं। हमें अपनी पहचान शक्ति को बढ़ाना होगा।

आज प्रजातंत्र आगे बढ़ रहा है, समाजवाद आगे बढ़ रहा है, भाईचारा और एकता आगे बढ़ रही है। आजकल हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की शताब्दी मना रहे हैं। हमें सोचना चाहिये कि पंडित जी का क्या कार्यक्रम था। उनका कार्यक्रम केवल बोलने से पूरा नहीं होगा। घर घर में उस पर अमल कराना होगा। हम बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। हमें पंडित जी के कार्यक्रमों को कार्यरूप देना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करते तो कभी भी गांधी जी के सपूत नहीं कहे जा सकते। इसलिए मेरा आग्रह है विरोधी दलों से कि आज दुनिया के लोग आगे बढ़ कर के आ रहे हैं, हम उनकी रक्षा के लिए आगे बढ रहे हैं। हमारी विदेश नीति है कि हम भूखे रह कर भी दूसरों को अन्न देते हैं। हम स्वयं कष्ट में रह कर दूसरों के कष्ट को दूर करना चाहते हैं। हम अपना दबन खाली रख कर के दूसरों को सहायता देते हैं। लेकिन इस बात का आज अपने लोगों को एहसास नहीं हो रहा है कि भारत कितना आगे बढ़ा है, भारत ने अपनी संस्कृति के साधनों को कितना ठोस बनाया है, किस प्रकार दुनिया के सामने अपना चित्र रखा है। आज भारत का तिरंगा झंडा चारों-तरफ फहरा रहा है। पंडित जी ने उसे फहराया। इन्दिरा जी ने उसे फहराया। इस झंडे की बड़ी शान है जिसको हाथ में ले कर हम शास्वत आगे बढ़ रहे हैं। आज दुनिया .... के सामने उसी झंडे को ले कर के राजीव जी ने दुनिया के सामने अपने देश की राजनीति को रखा है। इसलिए हम भारतीयों का कर्त्तव्य हो जाता है कि किसी के सामने भी हम उस झंडे को झुकने न दें।

चाहे आतंकवाद हो, चाहे अलगाववाद हो, चाहे कोई गोलीबारी हो, हम डट कर के उन सबका मुकाबला करेंगे। यह सबों का धर्म है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम अपना फर्ज अदा नहीं करते। इसलिए हम भारतीयों का, खासकर के संसद में रहने वालों का यह फर्ज हो जाता है कि हम अपने फर्ज को अदा करें। जब हम अपना फर्ज अदा करेंगे तब हमें हक मिलेगा। और तभी हम भारतीयता ला सकते हैं, भारत की समस्याओं का निदान करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।

इसलिए मैं आप से निवेदन करूंगा कि हम भी एक सांसद हैं और हमारा हक है। वह हक है सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना। हम अपने कर्त्तव्य को ईमानदारी से निभायेंगे, अपनी जवाबदेही को ईमानदारी से पूरा करेंगे। जब तक हम अपनी जवाबदेही का निर्वाह ईमानदारी से नहीं करते तब तक हम महात्मा गांधी की संतान नहीं कहला सकते, उनके अनुयायी नहीं कहला सकते। इसी संदर्भ में मैं अपने प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि वे कदम कदम पर महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीति इंदिरा गांधी की नीति और उनके जो कार्यक्रम थे उनको आकार प्रदान करके प्रकार प्रदान कर के आगे बढ़ रहे हैं।

इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो गरीबी की रेखा के नीचे के नौजवान हैं, उनको ऊपर उठाया जा रहा है। गांवों में जो बच्चे कल तक पढ़ते नहीं थे, राजीव जी नयी शिक्षा नीति के अंतर्गत, नवोदय विद्यालय खोल कर उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये नवोदय विद्यालय गांवों के अंदर होने चाहिएं। 40 प्रतिशत बच्चे उनमें गांवों के पढ़ते हैं। अधिकांश विद्यालय शहरों में हैं, केन्द्रीय विद्यालय भी शहरों में हैं, शहरों में और भी कई तरह के विद्यालय उपलब्ध हैं। इसलिए मेरा निवेदन है

कि गांवों के लिए जो विद्यालय खोले जाने हैं, उनको ग्रामीण क्षेत्रों में ही खोला जाना चाहिए, ताकि गांव की जनता उससे लाभ उठा सके और लक्ष्य के अनुसार काम हो सके। इसके लिए इसमें परिवर्तन करने का मेरा आग्रह है।

औद्योगीकरण के लिए आप नीति बना रहे हैं, उद्योगों में पूंजी लगा रहे हैं, लेकिन गांवों की समस्या का निदान कैसे होगा। जब तक छोटे उद्योग नहीं लगाए जाएंगे, काटेज इंडस्ट्री को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक भारत जैसे देश की भलाई नहीं हो सकती। जापान को देखिए, कैसे उसने उन्नति की है। आज बड़े उद्योगों को प्राथमिकता दी जा रही है, लेकिन गांवों की उन्नति और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए छोटे उद्योगों को आगे बढ़ाना जरूरी है। इसलिए गांवों में छोटे उद्योग खोले जाएं, तभी हर क्षेत्र में राष्ट्र का उत्थान होगा।

पंचायती राज के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। गांधी जी का स्वप्न था और उसके मातहत पंचायती राज कायम किया गया, लेकिन वह कार्यक्रम टिक नहीं सका, उस लक्ष्य और नीति का पालन नहीं हो सका। आज राजीव जी को धन्यवाद है कि वे पंचायती राज को ठीक से अपनाना चाहते हैं, उसको मूर्तरूप गांवों में देना चाहते हैं, यह कामना राजीव जी के दिल में है, इसका हम सब लोग स्वागत करते हैं।

विदेश नीति के बारे में भी हम काफी सफल रहे हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि हमारी संस्कृति है कि स्वयं भूखे रहकर भी हमने दूसरों की भलाई की है। आज चीन और अमरीका से हमारे संबंध अच्छे हुए हैं, राजीव जी ने चीन की यात्रा की, अमरीका के राष्ट्रपति से बात की, आज हमारा तकनीकी क्षेत्र में आदान-प्रदान हो रहा है। चीन से संबंध ठीक हुए हैं, यह ऐतिहासिक उपलब्धि है। पाकिस्तान की नई लोकतांत्रिक सरकार का हमने स्वगत किया, मालदीव की हमने रक्षा समय पर की, श्रीलंका की रक्षा की और समझौते का पालन किया, इन सब बातों के लिए हम प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं। कंपूचिया आदि समस्याओं के बारे में भी बोलना चाहता था, लेकिन समय नहीं है। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि राजीव जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, गांव की योजना गांव में बनेगी, यह बहुत बड़ी बात उन्होंने की है। इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। गांव के लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति तभी हो सकती है जब वहां का प्रतिनिधि गांव में बोले, न कि दिल्ली में या राज्य मुख्यालय में जाकर बोले, इस तरफ राजीव जी का ध्यान गया है। आज गांव की योजना गांव में बन रही है, गांव वाले उसमें काम कर रहे हैं, देखरेख कर रहे हैं और लाभ उठा रहे हैं। इस तरह से सर्वांगीण विकास होगा। विकास की गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है, जो लोग किसी कारण से निराश हैं कि कहीं गाड़ी छोड़नी न पड़ें, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि स्टेशन पर गाड़ी पहुंची हुई है और आगे बढ़ रही है, हमें राजीव जी का नेतृत्व मिला है और हम उनका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। हमारा नेता कैसा है, इसके लिए मैं कवि की दो पंक्तियां कहना चाहता हूं।

वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखण्ड विजेता कौन हुआ,
अतुलित का यशक्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ,
जिसने न कभी आराम किया, कांटो में रह कर काम किया।

आज राजीव जी के नेतृत्व में देश का संचालन होगा, देश का विकास होगा। वे कांटों में गुल खिला रहे हैं। आज सब को उनका स्वागत करना चाहिए।

[श्री राम देव राय]

अंत में एक बात और कहना चाहता हूं कि हमको पार्लियामेंट में आकर कर्त्तव्यों का पालन करना चाहिए। जिस जनता ने हमको वोट देकर, आदेश देकर यहां भेजा है, बगैर उसकी इजाजत के हमें बायकाट नहीं करना चाहिए। यह जनतांत्रिक नहीं हो सकता, यह प्रजातांत्रिक और समाजवादी सिद्धांतों के खिलाफ है, इसके लिए भी कोई विधान बनाया जाना चाहिए, ताकि हमारी संस्कृति का पालन हो सके। इन शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: सभा अब कल 11 बजे म०पू० पर पुनः समवेत होने के लिये स्थगित होती है।

7.50 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 2 मार्च/1989/11 फाल्गुन, 1910 (शक) के ग्यारह बजे म०पू० तक के लिये स्थगित हुई।